खण्ड-371, अंक-3
बुधवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1907
(31 जुलाई, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 371 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1
श्री अध्यक्ष के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	..	3
प्रश्नोत्तर	..	3–47
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	..	47–48
सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के केन्द्रीय भंडार में लाखों रुपयों का घोटाला करने वालों को दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	48–49
आगरा जनपद की तहसील किरावली के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में कतिपय गांवों के पशुओं में भयंकर बीमारियां फैलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	49
ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी योजना एवं राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत लाखों रुपये के घोटाले की जांच किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	50
उप विद्यालय निरीक्षक, हरदोई द्वारा बेसिक शिक्षकों को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	50
फैजाबाद में लावारिस बालिकाओं के अपहरण होने से जनता में भय एवं क्षोभ उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	50
घाघरा नदी की बाढ़ से बहराइच जिले में तबाही तथा जिलाधिकारी द्वारा राहत कार्य में उदासीनता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	51
जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा यमुना नदी में साड़ियों के धुलने पर रोक लगाने से उत्पन्न हजारों लोगों में भुखमरी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	51
पुर के सिंचाई विभाग इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टाफ एसोसियेशन के सचिव तथा मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के स्थानान्तरण की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	51–52
सदन की भाषा हिन्दी की उपेक्षा करके पर्यटन विभाग द्वारा विलम्ब से और रोमन लिपि में मुद्रित कैलेण्डर के सदन में वितरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	52
सदन के चलते सदन के बाहर फैजाबाद में उच्च न्यायालय की शाखा खोलने की विधि मंत्री द्वारा घोषणा करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	52–54

विषय		पृष्ठ संख्या
जन-प्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाने तथा अपने कर्त्तव्यों का पालन करने से रोकने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	54–55
राज्य सरकार द्वारा एक सीमा के अन्दर ऋण न लेने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	55–56
औचित्य के प्रश्नों पर निर्णय	..	56–58
आई0 टी0 कालेज, सोसाइटी, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शिक्षा मंत्री द्वारा इसके रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में गलत बयानी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	58–67
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	67–77
1985–86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 46––वन विभाग (स्वीकृत)	..	77–101
अनुदान संख्या 32––पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	..	101–124
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	124
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियन्ताओं के चयन में धांधली के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	124–132
जनपद बांदा में जनता पार्टी के कार्यालय में पुलिस दल द्वारा छापा डालने तथा मारपीट की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	132–135
कानपुर देहात में हरिजन परिवार के 6 सदस्यों की नृशंस हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	135–142
नत्थियां	..	143–144

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अमरनाथ सिंह, श्री ((फतेहपुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री (देवरिया)
अशरफ इमाम श्रीमती (मिर्जापुर)
अशोक सेहरा, श्री (आगरा)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
औलाद सिंह, श्री (इटावा)
काशी सिंह ऐरी, श्री (पिथौरागढ़)
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री (गाजियाबाद)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
जगदीश नरायन, श्री (हमीरपुर)
जगमोहन सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगवीर सिंह, श्री (अलीगढ़)
जवाहर सिंह यादव, श्री (इलाहाबाद)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री (ललितपुर)
नंगाराम, श्री (खीरी)
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
नियाज हसन, श्री (प्रतापगढ़)
नेक चन्द्र पांडेय, श्री (कानपुर)
पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
पुष्पा सिंघल, श्रीमती (मुरादाबाद)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फजले मसूद, श्री (देवरिया)
फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां), श्री (गोंडा)
फूल सिंह सोदाई, श्री (मुजफ्फरनगर)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री (एटा)
मानवेन्द्र सिंह, कुंवर (झांसी)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मैनेजर सिंह, श्री (बलिया)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री (रायबरेली)
मोहम्मद हयात हाजी, श्री (मुरादाबाद)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रजनीकांत, श्री (वाराणसी)
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शारदा प्रसाद विन्द, श्री (वाराणसी)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
शैलेन्द्र कुमार, श्री (इलाहाबाद)
सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सूर्य प्रताप शाही, श्री (देवरिया)
हर नारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
हरिश चन्द्र (हरीश जी), श्री (बस्ती)

नोट :---श्री अरुण कुमार---सहकारिता मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

(अधिष्ठाता, श्री प्रमोद कुमार के अध्यक्ष पीठ पर पीठासीन होने पर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय अध्यक्ष की अस्वस्थता बढ़ गई है ? कल तो थोड़ी देर के लिए वह आये थे ?

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपकी चिन्ता की भावना माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा दूंगा, लेकन आप इतना चिन्तित न हों कि आपकी चिन्ता मुझे करनी पड़े ।

"प्रश्नोत्तर"

बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजस्व परिषद् को समाप्त करने का भंग

**1--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजस्व परिषद् को समाप्त करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्णय कब तक हो जायगा ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

राजस्व परिषद के वर्तमान स्वरूप को बनाये रखने अथवा उसमें परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में समस्त पहलुओं पर विचारोपरान्त अंतिम निर्णय लिये जाने में अभी कुछ समय लगने की सम्भावना है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा था और उत्तर दूसरा आ रहा है । मान्यवर, जबाब आया है कि राजस्व परिषद् के वर्तमान स्वरूप को बनाये रखने अथवा उसमें परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मेरा निश्चयात्मक प्रश्न था कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजस्व परिषद् को समाप्त करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? इसका उत्तर दिला दीजिए ?

राजस्व मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

मान्यवर, प्रवर समिति की जो संस्तुतियां हैं, उन्हीं पर बिचार चल रहा है । अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि हम उसको समाप्त करेंगे या उसको बनाये रखेंगे । अभी यह कहना हमारे लिए उचित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो प्रवर समिति की संस्तुतियां थी, मात्र उन्हीं पर विचार किया जा रहा है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि इसी आदरणीय सदन की प्राक्कलन समिति, अगर मुझे ठीक याद है, 1971-72 की प्राक्कलन समिति ने इस बात की बिलकुल स्पष्ट सिफारिश की थी कि यह जो राजस्व परिषद् है, इसको समाप्त कर दिया जाय । संयोग से प्रवर समिति का एक सदस्य मैं भी था । मान्यवर, प्रवर समिति ने यह सिफारिश किया था कि उसके स्वरूप को भंग करके निदेशालय बना दिया जाय और राजस्व परिषद् की न्यायिक शाखा के स्थान पर एक ट्रिब्युनल बना दिया जाय । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रवर समिति की सिफारिश पर विचार चल रहा है । मान्यवर, राजस्व परिषद् को भंग करने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति तथा प्रवर समिति-दोनों समितियों ने विचार किया था । इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में यह भावना

बन रही है कि राजस्व परिषद् और सरकार दोहरी व्यवस्था है ....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य से अनरोध करूंगा कि प्रश्न छोटा रखें । अगर वह भाषण देंगे तो इसी में ही समय व्यतीत हो जायगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मात्र इतना बता दें कि क्या वह राजस्व परिषद् को भंग करने पर विचार करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह प्रश्न मंत्रिपरिषद् की एक उप समिति के सामने है, जिसमें इसके बारे में विचार चल रहा है और विचारोपरान्त ही हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रवर समिति की सिफारिशें क्या-क्या हैं ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, राजस्व संहिता विधेयक दिनांक 4-9-1980 को प्रस्तुत किया गया, उसके बाद उसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक पर गठित विधान सभा की प्रवर समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी है कि राजस्व परिषद् की प्रशासनिक शाखा के स्थान पर एक राजस्व निदेशालय का गठन किया जाय, जिसका प्रधान 'महानिदेशक' रखा जाय, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाय । यह महानिदेशक राज्य के राजस्व प्रशासन से सम्बन्धित विषयों में राज्य सरकार के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी होगा । प्रवर समिति द्वारा राजस्व परिषद् की न्यायिक शाखा के स्थान पर एक राज्य राजस्व अधिकरण की स्थापना की संस्तुति की गयी है, जिसमें एक स्थायी सदस्य होगा, किन्तु राज्य सरकार आवश्यकतानुसार दो से अनधिक अपर सदस्य भी नियुक्त कर सकती है । इस तरह से मुख्य रूप से यह उसका मोटा दस्तावेज है, जो प्रवर समिति ने सिफारिशें की हैं । यहां दो मुख्य सिफारिशें यही हैं ।

श्री सुखपाल पन्डे--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पर कितने दिनों से विचार चल रहा है और इस पर विचार कब समाप्त कर देंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, राजस्व संहिता विधेयक 4-9-1980 को पेश किया गया था और प्रवर समिति को 27-9-1980 को अधिसूचना द्वारा सुपुर्द हुआ, तो ढाई वर्ष बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है फिर उसके बाद मंत्रि मंडल की कमेटी ने उस पर विचार किया । 195 (6) के संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत विधान सभा भंग होने के कारण यह स्वयं व्यपगत हो गया ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि जो प्रवर समिति बनी थी उसमें सब तरफ के माननीय सदस्य थे । दूसरी बार जब यह बनी, तो बहुत सोच विचार के बाद बनी, उस समय शारदा बख्श सिंह जी थे, तब यह कमेटी बदली थी । उसमें सत्तापक्ष के प्रतिनिधि थे । फिर कहा गया कि मंत्रिमंडल की समिति में संदर्भित कर दिया जाए तो इस पर कब तक विचार होगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि समिति ने चिन्तन नहीं किया, समिति ने चिन्तन किया है । हमको यह देखना है कि

प्रदेश के हित में हर पहलू पर विचार होगा और उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसलिए मंत्रि मंडल की उप समिति विचार कर रही है। इसमें विलम्ब नहीं होने वाला है अगले सत्र में इसका विधेयक प्रस्तुत हो जायेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा, मेरी निश्चित जानकारी है मंत्रि मंडल की उप समिति राजस्व परिषद् को समाप्त करने और उसके स्थान पर उसकी शाखायें मेरठ, वाराणसी और दूसरी कई जगहों पर खोलने का विचार कर रही है। क्या इसका प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री गौरीशंकर--

इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न था उसका उत्तर नहीं दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि शासन की नीयत साफ नहीं है। मान्यवर, मैं संशोधन की बात नहीं कर रहा हूं, आमूल चूल परिवर्तन के सम्बन्ध में मैंने प्रश्न किया था। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता कि हूं वर्तमान स्वरूप जो राजस्व परिषद् का था उस राजस्व परिषद् सफेद हाथी को समाप्त करके अन्य विकल्प रखने का प्राविधान करेंगे ?

श्री गौरीशंकर--

मान्यवर, 26 राजस्व की जो विधियां हैं उनको एक ही विधि के रूप में समाहित करना है। उस पर चूंकि कोई प्रक्रिया, जो सरल हो, सुबोध हो उस पर चिन्तन हो रहा है इसलिए उस पर सब-कमेटी विचार कर रही है। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि दूसरे सत्र में इसको लाने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक शासन की नियत का सवाल है उस पर शंका करना ठीक नहीं है।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या राजस्व परिषद् को समाप्त करने का विचार चल रहा है ? इसी संदर्भ में यह भी पूछना चाहूंगा कि राजस्व परिषद् में तमाम राजस्व से सम्बन्धित, खेती से सम्बन्धित मुकदमें विचाराधीन पड़े रहते हैं। दस-दस साल तक न्याय नहीं मिल पाता है, तो क्या आप उसको गति देने पर विचार करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

इस पर शासन की तरफ से विचार हो रहा है। समय-समय पर निर्देशित किया गया है कि इन पर जल्दी निर्णय हो।

बस्ती के महसो स्थान पर लेदर काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण

**2--कु0 अलमेलू अम्माल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 82-83 में महसो, तहसील व जिला बस्ती में लेदर काम्पलेक्स लगना स्वीकृत था ? यदि हां तो लेदर कम्पलेक्स हेतु भूमि अधिग्रहण करने के बावजूद आज तक भवन बनाने हेतु टेंडर आमंत्रित न किए जाने का क्या कारण है ? इस लेदर काम्प्लेक्स को बनाने हेतु टेंडर कब तक आमंत्रित किए जायेंगे और कब तक लेदर काम्प्लेक्स की स्थापना की जायगी ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी)--

बस्ती जनपद म सामूहिक सुविधा केन्द्र चर्म की स्थापना की योजना वित्तीय वर्ष 1981-82 में स्वीकृत की गयी थी।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से टेन्डर प्राप्त कर भवन-निर्माण का व्ययानुमान प्राप्त हो चुका है । यह कार्य अनुमानत: 1986 के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि....

श्री अधिष्ठाता--

आप माइक के सामने आ जायं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

आपका माइक बज ही नहीं रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माइक उपलब्ध करा सकता हूं, आपका मुंह और माइक एक लाइन में नहीं कर सकता हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि व्यय अनुमान क्या है और कब तक यह कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)--

22 लाख है और यह कार्य दिसम्बर 86 में पूरा हो जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

जैसा मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से टेन्डर प्राप्त कर भवन-निर्माण का व्ययानुमान प्राप्त हो चुका है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने टेन्डर आये और किस रेट का स्वीकार किया ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मनोहर लाल--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बस्ती में जो प्लास्टिक काम्पलेक्स बना है, उसके साथ-साथ उन्नाव में जो लेदर काम्पलेक्स बना है, वह कितनी लागत में बना है और क्या राज्य सरकार उसको ठीक से चला रही है ? यदि नहीं चला रही है तो दूसरा लेदर काम्पलेक्स खोलने की क्या जरूरत है ?

श्री अधिष्ठाता--

मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं देता हूं । कृपया बस्ती तक सीमित रहें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय, जैसा मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि राज्य औद्योगिक विकास निगम से टेन्डर प्राप्त हो चुका है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने टेन्डर आये थे और उनका रेट क्या था ? मंत्री जी ने कहा इसकी सूचना की आवश्यकता होगी । मंत्री जी से इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय उद्योग मन्त्री जी इस समय सूचना हो, तो बता दें, नहीं तो माता प्रसाद जी को अपने कमरे में बुलाकर, चाय पिलाकर बता दें ।

श्री मनोहर लाल--

बस्ती में लेदर काम्पलेक्स बनाने की योजना है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुये यह योजना बनाई गई है या सारा रुपया अधिकारियों की जेब में देने के लिये बनाई गई है ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

यह लेदर काम्पलेक्स नहीं है बल्कि सामूहिक सुविधा केन्द्र है । चमड़े की सारी प्रोसेसिंग इस केन्द्र पर होगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से ऐसा लग रहा है कि शासन पूर्वांचल में जो

भी औद्योगिक संस्थान लगाने हैं या चलाने हैं, उनमें संकोच बरत रही हैं ? यह जो ले दर काम्पलेक्स है, यह कब प्रस्तावित हुआ था और अब तक इसके न चलाये जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, यह हमारा कार्पोरेशन 1974 में स्थापित किया गया था। बस्ती में लेदर काम्प्लेक्स बनाने के लिये भारत सरकार से विशेष सहायता मिली थी। इससे जमीन खरीदी गयी और भवन के लिये टेन्डर डलवाए गये। तीन बार टेन्डर पड़े लेकिन शायद बस्ती के दूरस्थ होने के कारण कोई बनाने के लिये तैयार नहीं हुआ। उसके बाद यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 को काम सौंपा गया। उसने टेन्डर फाइनल कर लिया हैं और हमें सूचना दी है कि उस भवन को बनाने का 22 लाख रुपया लेंगे।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इसके बस्ती में लगाने की बात है तो बस्ती में इस समय कितनी टेनरीज काम कर रही है, जिससे वहां पर कामन फैसिलिटीज सेन्टर बनाया जा रहा है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर, सबसे टेनरीज का नहीं है, गांव में जो लोग चमड़े का काम करते हैं, उनकी सुविधा के लिये प्लान्ट लगाया जा रहा है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि ब्लू बनाने के लिय यह कार्य लिया गया है। तो ब्लू बनाने की प्रक्रिया में हजारों काम होते हैं, उसे कच्चे चमड़े को प्रासेस करके बनाना पड़ेगा। तो हमारा प्रश्न है कि जो मन्त्री जी ने बताया कि ब्लू बनाने के लिये लेदर काम्प्लेक्स के रूप में कामन फैसिलिटीज सेन्टर बनाने जा रहे हैं, वहां के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये तो वहां इस समय कितनी चमड़े की फैक्ट्रीज काम कर रही हैं ?

श्री मोहम्मद सफीउर्र रहमान अन्सारी--

मान्यवर, अभी यह बताना संभव नहीं है कि कितनी फैक्ट्रीज इस समय काम कर रही हैं। लेकिन वहां जो योजना है, उसके अनुसार वहां पांच फैक्ट्रीज काम करेंगी ?

श्री अधिष्ठाता--

इस समय आपके पास सूचना नहीं है तो कितनी टेनरीज हैं यह सूचना एकत्र करके आप माननीय सदस्य को बता दीजियेगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जबसे यह कामन फैसिलिटीज सेन्टर का काम प्रारम्भ हुआ। परियोजना स्वीकृत हुई उसके निर्माण-कार्य, के रखरखाव और देखरेख में अब तक कुल कितना खर्च आया ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर, 1.44 लाख रुपये से 13 एकड़ जमीन खरीदी गयी और यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने 22 लाख रुपये से भवन निर्माण का इस्टीमेट दिया है और मशीनों में अनुमान है कि 22.98 लाख रुपया लगेगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

समाचार पत्रों पर पालेकर एवार्ड की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

*1--श्री अशोक बाजपेयी--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पालेकार एवार्ड की संस्तुतियां

कितने समाचार पत्रों के सम्बन्ध में लागू की जा चुकी हैं और कितने पर विचाराधीन हैं ? क्या सरकार सभी समाचार पत्रों के प्रति समान रवैया अपनाने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

प्रदेश के 73 समाचार पत्रों में पालेकर एवार्ड की संस्तुतियां लागू की जा चुकी हैं और 11 समाचार पत्रों पर पालेकर एवार्ड की संस्तुतियां लागू कराये जाने की कार्यवाही चल रही है। शासन का सभी समाचार पत्रों के प्रति समान रवैया है।

श्री अशोक बाजपेयी--

पालेकार एवार्ड की मूल भावना क्या है, जो 73 समाचार-पत्रों में लागू किया गया है ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

वर्किंग जर्नलिस्ट, नान जर्नलिस्ट और उन प्रतिष्ठानों में लगे हुए जो श्रमिक हैं, पत्रकार हैं, उनको फायदा पहुंचाना है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

यह जो 11 संस्थान बच गये हैं, जहां अभी पालेकर एवार्ड लागू नहीं है, कौन-कौन हैं ? इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये गये हैं और उठाया जाना प्रस्तावित है ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

जो 11 बाकी रह गये हैं, उनमें से 5 ऐसे हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है वह हैं--दैनिक जागरण कानपुर, दैनिक जागरण, लखनऊ, दैनिक जागरण, वाराणसी, दैनिक जागरण, गोरखपुर, दैनिक जागरण झांसी 1 और 6 ऐसे हैं जिनको कि हम राजी कर रहे हैं, इसे लागू करने के लिये।

श्री अधिष्ठाता--

शीघ्र ही राजी कर लीजियेगा।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, पालेकर एवार्ड की मूल भावना मैंने जानना चाही थी, मान्यवर, भावना यह है कि जो नेट पेपर्स निकलते हैं, कई स्थानों से, ग्राम रेवन्यू और ग्रास सरकुलेशन के आधार पर वेतनमान निर्धारित किया जाय जर्नलिस्टों का। इस भावना के आधार पर निर्धारण कहीं नहीं होता है। जब एडवरटाइजमेंट लेना होता है, तो कहा जाता है कि ग्रास सरकुलेशन 8 जगह से निकलता है, और बढ़े हुए रेट पर एडवरटाइजमेंट लेते हैं। जब वेतन की बात आती है, तो उस समय बता देते हैं कि अलग-अलग कम्पनियां हैं और उस आधार पर वेतनमान निर्धारित करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पालेकर एवार्ड की मूल भावना को लागू कराने के सम्बन्ध में आपने कोई कार्यवाही की है ? दूसरे, क्या इस सम्बन्ध में जर्नलिस्ट एसोसियेशन ने आपको समय-समय पर ज्ञापन दिया है ? उन ज्ञापन पर विभागीय क्या कार्यवाही हुई ? जब भी कोई इस तरह की शिकायत आती है, आप वहां के पेपर मालिक से ही जांच करा लेते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जर्नलिस्ट एसोसियेशन ने जो कई इस सम्बन्ध में ज्ञापन दिये हैं, उस पर क्या कार्यवाही आज तक विभाग द्वारा की गयी ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, 16-1-81 को हमारी सरकार ने एक ट्रिपरटाइट कांफ्रेंस की थी, इसके अन्तर्गत हमने एक शासनतंत्र की स्थापना की थी। इसके चेयरमन लेबर कमिश्नर बनाये गये, रीजनल डिप्टी लेबर कमिश्नर इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जर्नलिस्ट एसोसियेशन के प्रतिनिधि, पेपर मालिकों के प्रतिनिधि-4 आदमी हैं। उसको इनफोर्स करने के लिये जो मामले ज्ञात हुए, वह 5 मामले थे, 5 मामलों पर निर्णय लिया गया। जिसमें से 3 प्रतिष्ठान कोर्ट में चले गये हैं, 2 पर निर्णय हो गया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

73 कंसर्नस में पालेकर एवार्ड लागू हो गया । क्या उस सिलसिले में जर्नलिस्ट एसोसियेशन को ओर से कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि प्राप्त हुआ है, तो उसमें किन मुद्दों को उठाया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री सैयद सईदुल हसन)—

कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ और जो भी इस किस्म की शिकायतें आती हैं, उसे लेबर कमिश्नर को रेफर कर देते हैं । लेबर कमिश्नर के चेयरमेनशिप में एक कमेटी गठित है, वे उन सब झगड़ों, शिकायतों को तय कर देती है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

11 ऐसे संस्थान हैं, जो इसे लागू नहीं कर रहे हैं । लागू कराने के जो प्रयास हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि यह सरकार अपंग हो गयी है । मैनेजमेन्ट से कहा जा रहा है कि तुम इसे लागू कर दो । मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि पालेकर एवार्ड की जो भावना है, उसे लागू नहीं किया गया है, वर्किंग जर्नलिस्ट, नान वर्किंग जर्नलिस्ट में असंतोष है । क्या आज ही, जो जर्नलिस्ट एसोसियेशन की तरफ से ज्ञापन दिये गये हैं, उन पर कार्यवाही कर, तत्काल, लागू करने के आदेश देंगे ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

5 पर स्टे आर्डर है, जैसा कि पहले ही बताया गया । हाईकोर्ट के जजमेन्ट के बाद, उस पर लागू किया जायेगा । और 6 ऐसे हैं, जिनमें हमने 4 को नोटिस दे रखा है और एक को प्रासीक्यूसन किया है । 6 ऐसे हैं, जिन पर हम लागू करा रहे हैं और जिनको हमने एश्योर किया है ।

शारदा सहायक प्रणाली फूलपुर शाखा तथा ज्ञानपुर पम्प नहर में हन्डिया क्षेत्र में कथित रिसाव

*2—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक तथा ज्ञानपुर नहर जो हंडिया क्षेत्र एवं इलाहाबाद से होकर गई है, के रसाव के कारण आसपास के खेत खेती करने योग्य नहीं रह गये हैं ? यदि हां, तो शासन ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

जी नहीं ।

शारदा सहायक प्रणाली (फूलपुर शाखा) तथा ज्ञानपुर पम्प नहर की नहरों के चलने से हंडिया क्षेत्र में रिसाव की कोई समस्या नहीं है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर रिसाव की स्थिति नहीं रही तो पिछले सत्र 1983-84 में तिहुती और इमाजगंज में जो रिसाव रहा, उसकी क्षतिपूर्ति की गई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)—

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मान्यवर, इस वर्ष भी ऐसी स्थिति है कि रिसाव की स्थिति बढ़ती चली जा रही है । 4-5 गांव इतने प्रभावित हैं कि वहां पर किसी भी समय कोई दुर्घटना हो सकती है । पिछले दिनों शारदा सहायक से रिसाव के कारण 48 किलोमीटर व 50 किलोमीटर पर ऐसी स्थिति आ गई कि लगभग 100

एकड़ जमीन पानी में डूब गई । वहां पर खेती नहीं हो पा रही है । यदि इस प्रकार वहां पर अनवरत ढंग से रिसाव चलता रहा तो क्या माननीय मंत्री जी उसे दूर करने का प्रयास करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

माननीय, इस समय हमारे पास जो सूचना है, उसके मुताबिक वहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं है । अगर माननीय सदस्य कहते हैं, और वे मुझे गांवों के नाम लिखकर दे दें, तो उसका उपचार किया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी जो दो गांवों का माननीय सदस्य ने पहले जिक्र कर दिया है, आप देख लें । शेष गांवों के नाम माननीय सदस्य लिखकर भेज दें ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी--

जी हां, मैं बाद में लिखकर भेज दूंगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

श्री विशम्भर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बुलन्दशहर के विरुद्ध शिकायती पत्र

*1--श्री मैनेजर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विशम्भर सिंह अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खंड-10 बुलन्दशहर के विरुद्ध 42 मिट्रिक टन लोहे के बेचने एवं दक्षतारोक पाए करने की झूठी रिपोर्ट पेश करने जैसी गम्भीर शिकायतें सन् 1984 में शासन को प्राप्त हुई थीं जिसमें संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग (श्री देवेन्द्र सिंह) ने मुख्य अभियन्ता, मध्य गंगा, उ0 प्र0 सिंचाई विभाग, मेरठ को विस्तृत जांच के लिए 6 जुलाई, 84 को लिखा था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां । यह शिकायती-पत्र शासन को सन् 1984 में प्राप्त हुआ था परन्तु इसी जांच हेतु शासन के पत्र दिनांक 6 जुलाई, 1984 द्वारा मुख्य अभियन्ता (मध्य-गंगा) को नहीं भेजा गया बल्कि शासन के पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 1984 द्वारा भेजा गया था । यह जांच प्रगति पर है ।

*2--श्री अवधेश प्रसाद--

[4थे संगलप्रहर में ता0 प्र0 सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

[दिनांक 31 जुलाई, 1985 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न] ।

मथुरा एवं पट्टी क्षेत्र, प्रतापगढ़ में मद्य निषेध की कथित योजना

*1--श्री सरदार सिंह--

क्या आबकारी एवं मद्य निषेध मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा एवं पट्टी क्षेत्र (प्रतापगढ़) में मद्य निषेध करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन उक्त स्थानों पर कब तक निषेध की घोषणा कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

जी नहीं । इन क्षेत्रों में मद्य निषेध का फिलहाल औचित्य नहीं पाया गया।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मथुरा और वृन्दावन हमारे हिन्दुओं के बहुत अच्छे तीर्थ स्थान है । जहां हमारे मन्दिर हैं, वहां पर इस सरकार ने मदिरालय खोल रखे हैं । देश-विदेश से जो पर्यटक आते हैं, उन पर इसका बड़ा कुप्रभाव पड़ता है । हमारी धार्मिक भावना को

मद्दे नजर रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी मथुरा और वृन्दावन जैसे धार्मिक स्थानों पर मद्य निषेध लागू करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्रीमन्, वृन्दावन में मद्य निषेध है ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं मथुरा के बारे में कह रहा हूं । मन्दिरों के पास जो मदिरालय हैं, उनको क्या आप वहां से दूर स्थापित करेंगे और वृन्दावन की तरह मथुरा में भी मद्य निषेध लागू करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव है ।

श्री सरदार सिंह--

जी हां, व्यक्तिगत अनुभव है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी श्री सरदार सिंह जी का व्यक्तिगत अनुभव है । इसलिए आप उत्तर दें ।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मान्यवर, अगर मथुरा में किसी भी मन्दिर के आस-पास कोई शराब की दुकान है, तो माननीय सदस्य लिखकर दें, हम उसे हटवा देंगे ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

शासन की यह नीति है कि जो धार्मिक स्थान हैं, धार्मिक भावनाओं को रखते हुए, वहां पर मद्य निषेध लागू किया गया है । आपने वृन्दावन में किया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मथुरा भी वृन्दवन की तरह धार्मिक स्थान है। और सम्पूर्ण भारत के धार्मिक यात्री वहां पहुंचते हैं तो वृन्दावन की भांति ही मथुरा को भी उसी क्षेत्र में न लाने का क्या कारण है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

अभी तक यही नीति रही है कि जिन-जिन जनपदों में धार्मिक स्थल ह वहां मद्य निषेध लागू किया है जैसे फैजाबाद में अयोध्या, चित्रकूट बांदा में, इसी तरह से मथुरा में भी जो स्थल हैं, तीर्थ-स्थान हैं, वृन्दावन है, वहां है और भी छोटी-छोटी जगहें जहां तीर्थ हैं, जैसे गोकुल है और भी जगहें हैं । जहां तक मथुरा का सवाल है तो विचार करके वहां भी लागू कर दिया जायगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

जहां-जहां पर धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, मद्य निषेध लागू है, तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रयागराज तीर्थ-स्थल में भी लागू है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जी नहीं ।

श्री अशोक बाजपेयी--

प्रदेश में बढ़ती हुई अपराध संख्या और गिरते हुए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये पूरे प्रदेश में नशाबन्दी लागू करने का विचार करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

ऐसा कोई विचार नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मंत्री जी ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों में शराबबन्दी लागू करने का विचार है तो प्रयागराज में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है ? इसका क्या कारण है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

इस पर विचार कर लिया जायगा ।

प्रदेश को स्वतः रोजगार योजना का क्रियान्वयन

*2-- श्री राम असरे वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वतः रोजगार योजना के क्रियान्वयन को

ठोस रूप देने सम्बन्धी प्रकरण शासन के विचाराधीन हैं ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

क्रियान्वयन सम्बन्धी नीति निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

स्वतः रोजगार योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी नीति का निर्धारण तो केन्द्रीय सरकार के हाथ में है लेकिन उसके कार्यान्वयन का कार्य राज्य सरकार के माध्यम से होता है । जब किसी नीति को क्रियान्वित किया जाता है तो तमाम कठिनाइयां आड़े आती हैं । जिन कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ सुझाव केन्द्र सरकार को दिये जाते हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो कठिनाइयां आयीं वे बैंकों की तरफ से, उद्योग केन्द्रों के माध्यम से, अभ्यर्थियों के चयन के मामले में आई तो उनके मामले में क्या राज्य सरकार जानकारी रखती है और अगर रखती है तो उनको दूर करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई सुझाव उन्होंने भेजा है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जब कभी भी आयीं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है । भारत सरकार की नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

उत्तर स्पष्ट नहीं आया, मंत्री जी, क्या आपने कोई सुझाव केन्द्र सरकार को भेजा है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

केन्द्र को कोई सुझाव नहीं भेजा है ?

श्री विजय सिंह राणा--

जो कठिनाइयां आयीं हैं वे कौन-कौन सी हैं जिनको समय-समय पर सुधारा गया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि जितने साधन हैं उससे ज्यादा लोग प्रार्थना-पत्र दे देते हैं और सबको स्वीकार करना असम्भव हो जाता है, कठिनाई नम्बर एक, कठिनाई नम्बर दो, हम सब लोग चाहते हैं कि जिन लोगों का नाम हम बतायें उन लोगों को दे दिया जाय, यह असम्भव है क्योंकि चयन समिति निर्धारित माप-दण्डों के आधार पर चयन करती है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत जितना धन अभ्यर्थियों को दिया गया है, क्या आप जांच करायेंगे कि प्रत्येक बैंकों में 25 हजार के स्थान पर 20 हजार, 19 हजार दे दिया गया है बकिया स्वयं ले लिया है ?

श्री अधिष्ठाता--

इस सम्बन्ध में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है माननीय मंत्री जी को ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लेंगे ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

बैंकों को भेजे गये प्रार्थना-पत्रों में से अधिकांश प्रार्थना-पत्र बैंक ने पुनः वापस कर दिये । क्या उनको आप प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

इसमें बैंक की अपनी प्रक्रिया है । वह मौके पर जाकर जांच पड़ताल करते हैं और अपने नियम के अनुसार स्वीकृत करते हैं लेकिन जिनको वह चयन कर लेते हैं ऋण देने के लिए उनको ऋण अवश्य मिलता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें पूरा समझकर ही उद्योग विभाग चयनित करता है तो उसमें बैंक के लोगों को भी क्यों नहीं बैठाया जाता और यह 10 हजार, किसी को 8 हजार, 9 हजार और 15 हजार किसी को क्यों दिया जाता है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर चयन समिति के लिए जो व्यवस्था है उसमें जो जिस बैंक का लीड बैंक होता है उसका एक प्रतिनिधि होता है और दो बैंकों के और प्रतिनिधि बैठते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि चयनित अभ्यर्थियों को बैंकों के माध्यम से जो पैसा मिलता है, बैंकों की ओर से सारी औपचारिकतायें पूरी करा लेने के बाद भी जो धनराशि उनको दिये जाने के लिए निश्चित की जाती है उनका आंशिक हिस्सा ही अभ्यर्थी को बैंक द्वारा मिलता है । यदि मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है तो क्या मेरी जानकारी को सही मानते हुये मंत्री जी इसकी जांच करा लेंगे कि जो निश्चित धनराशि स्वीकृत की जाती है उसे पूर्ण रूप से बैंक द्वारा अवमुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं । चूंकि बैंक केन्द्र सरकार के परिवेश में आते हैं अतः क्या राज्य सरकार द्वारा इस विषय में उनसे कोई विचार-विमर्श किया जायगा ?

श्री अधिष्ठाता--

इस प्रश्न को दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । इसके बारे में कह दिया गया है कि मंत्री जी इसको देखेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा--

चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चयन में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बैंक जो हैं वह आपके क्षेत्र में नहीं आती है और सारी परेशानी बैंकों के द्वारा पैदा की गई है तो मान्यवर, बैंक के लोगों के द्वारा, बैंक के मैनेजर या कर्मचारियों के द्वारा जो परेशानी पैदा की जाती है उसके निवारण के लिए केन्द्र सरकार के साथ आप क्या कोई नीति अपनाना चाहते हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

यदि कभी ऐसी कोई समस्या आती है बैंकों सम्बन्धी तो बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश स्तर के जो हैं उनके साथ बैठकर विचार-विनिमय होता है और समस्या का निराकरण किया जाता है लेकिन यह बात सही नहीं है कि बैंकों ने अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

केन्द्र सरकार के निर्देश जिनके तहत यह कार्यान्वयन हो रहा है । उसमें मान्यवर, यह निर्देश हैं कि 50 प्रतिशत अभ्यर्थी को उद्योग के सम्बन्ध में और 50 प्रतिशत अभ्यर्थी को व्यापार के सम्बन्ध में ऋण दिया जायेगा । लेकिन व्यापारियों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है जिसके कारण से उद्योग की अपेक्षा व्यापारियों के प्रार्थना-पत्र कम प्राप्त होते हैं । दूसरी बात यह है कि जो चयन समिति बनाई है उसमें एक वर्ष पूर्व तक स्थानीय विधायक को रखे जाने का प्राविधान था । इस वर्ष आपने उसमें से विधायक को निकाल दिया है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि वह इस बात के लिए भारत सरकार को लिखने की कृपा करेंगे कि जो अभ्यर्थियों की चयन समिति बने उसमें क्षेत्रीय विधायकों की समाविष्टि की जाय और यह जो 50 प्रतिशत उद्योग के अभ्यर्थियों के लिए है इसमें व्यापारियों को भी शामिल किया जाय ?

(बिजली चले जाने पर)

श्री अधिष्ठाता--

लगता है कि माननीय राजेन्द्र गुप्त के इस लम्बे प्रश्न के खतरे से बिजली चली गयी थी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जी नहीं, यह तो आज आप वहां विराजमान हैं, इसलिये चली गयी थी ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

व्यापारियों के और उद्योग के प्रतिशत के बारे में हम दिखवा लेंगे लेकिन जहां तक जन प्रतिनिधियों को चयन समिति में रखे जाने की बात है, इस सम्बन्ध में भारत सरकार से परामर्श हो चुका है, वह इसके लिये सहमत नहीं है ।

सीतापुर, रहीमाबाद पम्प कैनाल को शारदा नहर को हस्तान्तरित करने का कथित सुझाव

*3--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता (शारदा नहर) सीतापुर द्वारा मुख्य अभियन्ता, नलकूप के पास जून, 1984 में कोई इस आशय का सुझाव प्राप्त हुआ है कि किसानों के हित में सीतापुर जनपद की रहीमाबाद पम्प कैनाल सहित चार पम्प कैनालों का वह क्षेत्र जो कि पूर्व में शारदा के पास था और पम्प कैनाल के पास होने के कारण उसकी सिंचाई नहीं हो पाती पुनः शारदा को वापस कर दिया जाय ? (यह सुझाव सीतापुर की 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के प्रस्ताव पर आधारित है) यदि हां, तो किस तिथि को वह क्षेत्र शारदा को वापस कर दिया गया ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

जी नहीं, अधिशासी अभियन्ता, नहर प्रखण्ड, सीतापुर द्वारा मुख्य अभियन्ता, नलकूप के पास जून, 1984 में कोई इस आशय का सुझाव नहीं भेजा गया । यह सही है कि यह सुझाव 30-5-1984 को श्री परागी लाल चौधरी, विधायक की अध्यक्षता में हुई बैठक एवं 6-11-84 को जिला सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक में जन-प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया था । शारदा नहर प्रणाली में अतिरिक्त पानी उपलब्ध न होने के कारण एवं लिफ्ट पम्प नहरों की देख-रेख हेतु नलकूप संगठन में उचित प्रबन्ध होने के कारण वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय, माननीय मंत्री जी के प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में जो दूसरी कन्डिका है जिसमें बताया है कि लिफ्ट पम्प नहरों को देख-रेख हेतु नलकूप संगठन में दे दिया गया है । लेकिन अब में आपने फिर से उनको वापस कर दिया है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस आशय की कोई जानकारी है और यदि उन्हें यह जानकारी नहीं करायी गयी है तो क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे कि रहीमाबाद पम्प कैनाल को क्या वह पूरी क्षमता पर चला सकते हैं ? यदि 10 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा वह नहीं चली है तो क्या उसका कमान्ड काट कर शारदा को दे देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, पम्प कैनाल द्वारा जिन एरियाज की सिंचाई हो रही है उसे शारदा प्रणाली को दे देने में कठिनाई यह है कि शारदा प्रणाली के अन्दर पानी का अभाव है इसलिये यह सम्भव नहीं है । मैं कोशिश करूंगा कि पम्प कैनाल फिर से काम करे और उसे पूरी सिंचाई की क्षमता प्राप्त हो सके ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

यह पम्प कैनाल फिर से बनी है । वहां का पूरा इलाका पहले शारदा नहर द्वारा ही सिंचित होता था और इससे

काश्तकारों को समुचित मात्रा में पानी मिलता था। सरकार ने यह व्यवस्था बदलकर पम्प कैनाल को दे दी है। शारदा के पास साधन थे तभी तो सिचाई पूरी हो पाती थी इसको रेवन्यू रिकार्ड से दिखवा लें। रहीमाबाद पम्प कैनाल से कोई रेवन्यू मिलता ही नहीं है। तो इन काश्कारों के लिए अगर आप शारदा को नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए कोई नलकूप लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह बात सही है कि कभी-कभी शारदा सहायक से पानी आता है, वह टेल में पड़ता था लेकिन पानी की कमी रहती थी। मैं कोशिश करूंगा कि पम्प कैनाल फिर से चले ताकि उस क्षेत्र की सिंचाई हो सके।

बरेली जनपद के सिंचाई विभाग, गहलुइया माइनर का निर्माण

*4--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग में ऐसे स्थायी आदेश हैं कि किसी भी नहर का निर्माण करते समय उसका निर्माण कार्य उसके हेड की ओर से किया जाय ताकि किसी भी कारण कार्य में रुकावट पड़ने की दशा में बने हुये भाग और उस पर व्यय धनराशि का सदुपयोग हो सके ? यदि हां, तो क्या कारण है कि जनपद बरेली में गहलुइया माइनर का निर्माण करते समय इस निर्देश का पालन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप लगभग पांच किलोमीटर लम्बी और छः वर्ष पूर्व बनी हुई उपरोक्त नहर पर व्यय हुई धनराशि आज तक व्यर्थ जा रही है ? क्या मन्त्री जी राजकीय धन के इस अपव्यय के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और नहर के शेष भाग का निर्माण तुरन्त करा देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, इस प्रश्न के दो भाग हैं एक तो यह कि सिंचाई विभाग में कुछ ऐसे आदेश हैं कि किसी भी नहर का निर्माण करते समय उसका निर्माण कार्य उसके हेड की ओर से किया जाये ताकि किसी भी कारण कार्य में रुकावट पड़ने की दशा में बने हुए भाग और उस पर व्यय धनराशि का सदुपयोग हो सके और दूसरा है कि राजकीय धन के इस अपव्यय के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और नहर के शेष भाग का निर्माण तुरन्त करा देंगे ? तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस भाग की सूचना एकत्र की जा रही है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

पूरे प्रकरण में सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, 16-5-85 को यह प्रश्न किया और यह जुलाई हो गया और यह माननीय मंत्री जी अभी उसमें सूचना एकत्र कर रहे हैं, यह आपकी परम्परा है। इस सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह चाहूंगा कि आप अपने मंत्री को निर्देश दें कि इस प्रकार की सूचना समय बरबाद करने के लिए न दें। क्योंकि जिस उद्देश्य से प्रश्न किया जाता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर कोई निर्देश अपने माननीय मंत्री जी को देने की कृपा करेंगे जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है, उत्तर न दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह मेरा प्रयास रहा है कि समय से सूचना दे दी जाय।

कभी-कभी ऐसा होता है कि समय से सूचना नहीं आ पाती है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब कोई नहर खुदती है तो उसके लिए जब आप स्वीकृति देते हैं और उसमें यह देखा जाता है कि नहर खोदने के समय जमीन अध्याप्ति की समस्या आती है । इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार के पास कोई विचार सामने है और भूमि अध्याप्ति को आपके पास जो योजना है उसको सरल बनाकर जल्द से जल्द जनहित में कोई भूमि अध्याप्ति की जा सकती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जब जल्दी करनी होती है तो सेक्शन 17 में करते है तो यह जल्दी हो जाता है ।

*5--श्री मैनेजर सिंह तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[दिनांक 17-7-85 को ता0 प्र0 सं0 8 द्वारा उत्तरित ।]

बस्ती में कुआनों पम्प नहर परियोजना के नये पम्प हाउस का निर्माण

*6--कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में कुआनों पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत नया पम्प हाउस बनाने पर कितने अतिरिक्त क्षेत्र में सींच सुविधा उपलब्ध होगी ? उक्त नया पम्प हाउस बनाने में क्यों विलम्ब हो रहा है ? दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बस्ती जनपद में कुआनों पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत नया पम्प हाउस बन जाने एवं परियोजना के पूर्ण होने पर 10,612 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सींच सुविधा उपलब्ध होगी ।

उक्त नये पम्प हाउस का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*7--श्री अवधेश प्रसाद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

बाराबंकी में शारदा सहायक फीडर चैनल, (इन्दिरा कैनाल) एवं पुरायन झील की सफाई की मांग

*8--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज में शारदा सहायक फीडर चैनल (इन्दिरा कैनाल) के पश्चिम पुरायन झील की वर्षों से सफाई तथा जल निकास की व्यवस्था न होने के कारण ग्राम कुम्हारपुर, किशुनपुर, खरिहानी, पोखत्री, पीरानगर, रहीमाबाद, अम्बरपुर, खीरिया, पहाड़पुर, कुतलूपुर, शंकरपुर तथा शीतलपुर आदि गांवों की खरीफ की फसल जल भराव से पूर्णतया नष्ट हो जाती है ? क्या शासन इन गांवों को जल भराव से मुक्त कराने हेतु कोई योजना बना रहा है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

जी हां ।

जी हां, परन्तु धन उपलब्ध होने पर ही सम्बन्धित ड्रेनों का पुनरोद्धार तथा सफाई कराना सम्भव हो सकेगा ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं और यह बात स्वीकार भी की गयी है कि 12 गांव जनपद बाराबंकी के

वर्षों से जल भराव के कारण डूब जाते हैं और उसका उत्तर आया है जी हां, परन्तु धन उपलब्ध होने पर ही सम्बन्धित ड्रेनों का पुनरोद्धार तथा सफाई कराना सम्भव हो सकेगा। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जल भराव से वर्षों से खरीफ की फसल नष्ट हो रही है और वह डूब रहा है तो यह धन कब तक उपलब्ध हो जायेगा और उसके पहले ड्रेन बनवा देंगे या साफ करवा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, आज ही यहां आने के पहले, मैंने रिमाडलिंग के आदेश दे दिये हैं और कहा है कि अगली बरसात के पहले यह पूरा हो जाय।

श्री मित्र सेन--

क्या माननीय सिंचाई मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन 12 गांवों में पानी भरा रहता है और उनको उसके कारण क्षति होती है, तो क्या मन्त्री जी उनका जो मौजूदा लगान या सिंचाई शुल्क है माफ करने के आदेश देंगे और इस कार्य को करने में कितना व्यय होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, लगान माफ करने का नियम होता है कि 50 प्रतिशत से अधिक का जब नुकसान होता है तब लगान माफ किया जाता है और इसी प्रकार का नियम बाढ़ के सम्बन्ध में भी है। इसमें जैसा कि आपने कहा, 7 लाख रुपया लगेगा और आज ही आदेश दे दिये हैं कि पूरा पैसा देकर आने वाली बरसात के पहले ही इस कार्य को पूरा कर दिया जाय।

*9--श्री सत्य प्रकाश विकल--

[दिनांक 17-7-85 को अता0 प्र0 सं0 65 द्वारा उत्तरित।]

गाजीपुर जिले में उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य

*10--श्री रामनाथ मुन्शी--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक ब्लाक में अनिवार्यतः कोई उद्योग खोलने का निर्णय सरकार द्वारा ले लिया गया है ? यदि हां, तो गाजीपुर के किन-किन ब्लाकों में किस उद्योग के खोलने का प्रस्ताव है ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

जी हां। वर्ष 1985-86 में गाजीपुर जनपद में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक खंड में 100 व्यक्तियों द्वारा लघु/लघुत्तर उद्योगों को स्थापित कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त उक्त जनपद में जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से 250 लघु/लघुत्तर एवं 400 दस्तकारी इकाइयां लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है।

इसके अतिरिक्त इस जनपद में निम्नलिखित दो भारी एवं मध्यम उद्योग लगाने का प्रस्ताव है :--

वस्तु का नाम	स्थान
सूती धागा	बहादुरगंज
कोल्ड फोर्मिंग लाइन एन्ड वेल्डिड बीम	गाजीपुर

श्री राम नाथ मुन्शी--

मान्यवर, गाजीपुर जनपद बहुत ही पिछड़ा हुआ जनपद है, वहां पर अभी भी कोई उद्योग लगाने की योजना नहीं है। बहादुरगंज में धागा मिल का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सादात क्षेत्र के कटैया ग्राम में 400 एकड़ भूमि ऊसर पड़ी हुई है और उसके आस-पास आलू की पैदावार अधिक होती है, तो उस भूमि पर क्या सरकार

आलू से स्टार्च तथा पाउडर बनाने का कारखाना खोलकर वहां के लोगों को रोजी रोटी देगी ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या आप वहां पर कारखाना खोलेंगे ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

दो कारखाने प्रस्तावित हैं, जिनको उत्तर में बता दिया है ।

श्री राम नाथ मुन्शी--

मान्यवर, हमारे जिले में अभी तक केवल दो ही इकाइयां हैं, एक तो बहादुरगंज की है जो चालू हो गयी है और दूसरी स्टील प्लान्ट की है, जिस पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं इसका कब तक विस्तार और उद्योगीकरण होगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूती धागे की फैक्टरी बनने वाली है और उसका उद्घाटन इसी 10 तारीख को होने वाला है और दूसरी योजना शीघ्रता से चालू की जायेगी ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे जनपद में एक इन्स्ट्रूमेन्टल फैक्टरी ढालूवाला जनपद टेहरी गढ़वाल में लगायी जायेगी, लेकिन अभी तक उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है । क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे जिले में इस इंस्ट्रूमेन्टेशन फैक्टरी लगाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रश्न दुहरा दें ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

मान्यवर, हमारे जिले टेहरी गढ़वाल में जो कि पहाड़ी जगह है, कोई भी उसमें उद्योग अभी तक स्थापित नहीं किया गया है । यह जिला उद्योग शून्य है । सरकार का प्रस्ताव था कि हमारे जिले में मुनी की रेती के पास ढालू वाला एक गांव है, जिसमें इंस्ट्रूमेन्टेशन फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव था, उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अधिष्ठाता--

यह प्रश्न गाजीपुर से सम्बन्धित है । यदि आप टेहरी गढ़वाल के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हों तो उसके लिए अलग से प्रश्न करें ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, सब से पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले आप तीनों मन्त्रियों को अलग-अलग बैठा दें नहीं तो वे एक दूसरे का चश्मा फोड़ डालेंगे । आपस में टकरा जाते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जैसा मूल प्रश्न में दिया है कि प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक स्तर में कोई औद्योगिक इकाइयां लगाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है, कोई जानकारी है, कोई कार्यक्रम है ? यही मूल प्रश्न का मतलब है कि जहां कच्चा माल उपलब्ध है वहां पर उनकी आवश्यकताओं को देखते हुये आप कोई औद्योगिक इकाई ब्लाक स्तर पर खोलने जा रहे हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, जिला स्तर पर जो जिला विकास केन्द्र हैं, उनमें जो योजना बनाई जाती है तो प्रत्येक ब्लाक में जिस स्थान पर कच्चा माल उपलब्ध होता है, उसी तरह से उद्योग लगाने की योजना बनाई जाती है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानन,

चाहता हूं कि क्या गाजीपुर की तरह सम्पूर्ण प्रदेश में ब्लाक स्तर पर सर्वेक्षण कराकर उद्योग लगाने की योजना बनाई है ?

श्री अधिष्ठाता--

यह प्रश्न पूछा जा चुका है ।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की सम्पूर्ण प्रदेश में प्रत्येक ब्लाक स्तर पर उद्योग सेन्टर बनाने की योजना थी ? क्या उसको देखते हुये आप उद्योग सेन्टर्स खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

सूत एवं स्टेपुल धागों का मूल्य

*11--श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूत और स्टेपुल का दाम नवम्बर, दिसम्बर, 1984 में क्या था और 1 जनवरी, 1985 से लेकर 15-5-85 तक कितना बढ़ गया है ? क्या सरकार बुनकरों के कपड़े की खरीदारी भी उसी प्रकार बढ़ाकर कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

नवम्बर, दिसम्बर, 1984 तथा जनवरी, 1985 से 15-5-85 तक सूती तथा स्टेपुल धागों का मूल्य अनुलग्नक 'क' में दर्शाये गये हैं । तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि सूती धागों के मूल में सामान्यतः कोई वृद्धि नहीं हुई। अतः सूती वस्त्रों का क्रय मूल्य बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । स्टेपुल धागे में जो थोड़ी वृद्धि आई है, उसी के अनुरूप कपड़े के क्रय मूल्य में भी वृद्धि हुई है ।

[देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 143 पर ।]

श्री अमिताभ अनिल दूबे--

मान्यवर, मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सूत और स्टेपुल यार्न ।

श्री अधिष्ठाता--

पहले उनका प्रश्न है, उनको पूछ लेने दें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सबसे ज्यादा मोटे सूत में जो डेढ़ और दो नम्बर इस्तेमाल होता है, उसके दाम सन् 84 में क्या थे और आज क्या हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामनाथ मुन्शी--

मैं आपके माध्यम से उद्योग मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कोल्ड फोर्मिंग का कारखाना गाजीपुर में प्रस्तावित है, क्या उसके लिए जमीन मिल गई है ?

श्री अधिष्ठाता--

अब हम दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, यह सूचना तो होनी चाहिए। मूल प्रश्न में ही यह पूछा है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी यह तो प्रश्न में पूछा है कि सूत और स्टेपुल का दाम नवम्बर, दिसम्बर, 1984 में क्या था और 1 जनवरी, 1985 से लेकर 15 मई, 1985 तक कितना बढ़ा है, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए मूल प्रश्न में ही यह पूछा गया है । आप फाइल देखें उसमें होगा ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, अलग-अलग विवरण में पढ़ देता हूं, 10 नम्बर का सूत ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न तो डेढ़ नम्बर और दो नम्बर के सूत के सम्बन्ध में है जिसके दाम आपने अंकित नहीं किए हैं आपने जो सूचना दी है, वह 10 नम्बर से 30 नम्बर तक के सूत की दे दी है । डेढ़ और दो नम्बर के सूत के दाम बताइये, जिसके कारण आज 80 परसेन्ट बुनकर भुखमरी के शिकार हो गए हैं । उसके दाम 84 में क्या थे और आज क्या हैं, वह बता दें ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूं ।

चूड़ी जुड़ाई मजदूरों द्वारा वेतन दरों में वृद्धि की मांग एवं हड़ताल

*12--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की न्यूनतम वेतन दरों के सम्बन्ध में दिनांक 11 नवम्बर, 1982 को राजाज्ञा घोषित की गई ? यदि हां, तो आज तक न्यूनतम नई वेतनदरों पर भुगतान न करने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि उक्त सम्बन्ध में चूड़ी जुड़ाई मजदूरों ने दिनांक 15 अप्रैल, 1985 से हड़ताल की है ? यदि हां, तो इस हड़ताल के कारण सम्पूर्ण चूड़ी कारोबार बन्द हुआ है और लाखों मजदूर बेकार हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाया है ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

कांच की चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के सम्बन्ध में राजाज्ञा, दिनांक 12 नवम्बर, 1982 को जारी की गई है । इस राजाज्ञा का अनुपालन किया गया है । अतः न्यूनतम नई वेतनदरों के भुगतान न करने का कोई प्रश्न नहीं है, चूड़ी जुड़ाई मजदूरों ने दिनांक 15 अप्रैल, 1985 से वस्तुतः चूड़ी जुड़ाई दरों में वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल की थी, जो उभय पक्षों के मध्य दिनांक 27 अप्रैल, 1985 को हुए समझौते के फल-स्वरूप समाप्त हो गई और दिनांक 29 अप्रैल, 1985 को चूड़ी जुड़ाई का काम पुनः शुरू हो गया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर के सन्दर्भ में कहा है कि 1982 में जारी की नयी राजाज्ञा का अनुपालन किया गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई मांग-पत्र चूड़ी जुड़ाई मजदूर यूनियन ने दिया है जिसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि पिछले दो वर्षों में न्यूनतम वेतन के अन्तर्गत हमें मजदूरी 169·60 पैसा नहीं मिल रही है और इसका भुगतान कराया जाय । यह उनकी पहली मांग है । तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि आपने कहा न्यूनतम वेतन सम्बन्धी राजाज्ञा का पालन करा रहे हैं और वह कहते हैं मांग पत्र में कि अनुपालन नहीं हो रहा है इसमें से कौन बात सही है ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

मान्यवर, 12-11-82 को 169·60 पैसा मजदूरी मुकर्रर हुई थी और उसके बाद फिर स्ट्राइक हुई तो 27-4-85 को 197·60 पैसा आपस में फैसला हुआ । उस फैसले का एवार्ड हमारे डिप्टी कमिश्नर ने दिया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

यह जो आपने बताया कि 197·60 पैसे का एवार्ड हुआ मैं कहना चाहता हूं कि आप मजदूरी के सम्बन्ध में गलत सूचना न दें । आपने जो 197·60 पैसे के एवार्ड की बात कही क्या यह

फिरोजाबाद में लागू होती है ? यदि लागू होती तो 15 अप्रैल को हड़ताल होने का क्या कारण था और जो उनका मांग पत्र था उस पर शासन ने क्या विचार किया ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, यह हड़ताल हुई 15 अप्रैल, 1985 को और दूसरी बात यह है कि 12-11-1982 को फैसले के मुताबिक 169·60 रुपये उनको मजदूरी देते थे इससे असन्तोष था, तो उनकी यूनियन ने इसमें शिकायत किया कि इसको बढ़ाना चाहिये। मांग को लेकर दुबारा दो बैठकें किया और ट्रीपरटाइट समझौता हुआ उसमें 197·60 रु0 मजदूरी तय हुई।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि 197·60 रुपये का जो एवार्ड घोषित किया वह क्या अब कारखानों में लागू है कि नहीं ? यदि लागू था तो हड़ताल क्यों किया, उनका मांग पत्र क्या था ? उसमें शासन ने क्या कार्यवाही किया है ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

मान्यवर, मिनिमम वेज 197·60 रुपये लागू है।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टिगत करते हुये क्या पुनः चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, मजदूरी बढ़ाने के दो तरीके हैं जब मजदूरी बढ़ती है, एक तो गवर्नमेन्ट मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ाती है और दूसरा आपसी समझौते द्वारा जब मांग आती है तब, तो मेरे पास मांग नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने तीन महंगाई भत्ते की किस्तें राज्य कर्मचारियों को दिया है और मूल्य सूचकांक के बढ़ते ही महंगाई की किस्तें मजदूरी की बढ़ा दी जाती हैं। तो क्या चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के लिये यह योजना लागू करके किस्तें दिलवायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने एक प्रश्न पूछा लेकिन इसी उद्योग के सम्बन्ध में पूरे प्रदेश में मजदूरों को पीड़ा है जिसको आप जानते हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत इस उद्योग के लिये जो वेजेज निर्धारित थीं वह क्या हैं ? मन्त्री जी ने कहा एक समझौता हुआ, तो उसमें क्या लागू हुआ और जो अधिनियम है उसके तहत महंगाई वर्ष में दो बार बढ़ी है, फरवरी में जो वेतन 197 रुपये बताया उसके हिसाब से, मेरा अनुमान है, 26 रुपया और बढ़ जाना चाहिये। तो न्यूनतम वेजेज अधिनियम के अनुसार वेजेज घोषित हों या समझौते के अनुसार हों, उसके बाद फरवरी में 26 रुपये बढ़े तो यह वेजेज लागू हैं कि नहीं ? यदि नहीं, तो मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रदेश में भावना है कि न्यूनतम वेजेज ऐक्ट के तहत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की धारा 3(2) में कार्यवाही करने पर क्या आप विचार करेंगे ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

मान्यवर, मिनिमम वेजेज ऐक्ट के तहत हर कारखाने में इसको लागू कराने के लिए हमने आदेश दिये हैं, जो लागू नहीं करते हैं उनके खिलाफ रेफरेन्स करके कार्यवाही करते हैं। इसमें भी इस समय 197·60 रुपये दिया जा रहा है। और यह फैसला आपस के समझौते से हुआ

कोई अगर और मांग आयेगी तो वह ट्राई-पारटाइट कान्फ्रेंस करके तय कर लेंगे और फिर इसको रिव्यु करा देंगे।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैंने पूछा था कि जो फरवरी में वृद्धि हुई है और मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है तो वह भी लागू होना चाहिये फरवरी वाली वृद्धि मजदूरों को मिल रही है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता--

उन्होंने इस पर कह दिया है कि यह फैसला आपसी समझौते से हुआ है और अगर अन्य कोई मांग होगी तो उस पर विचार कर लेंगे। यदि आयेगा तो वह उस पर विचार कर लेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

जो मजदूरों ने मांग दिया है, उसमें 220 के हिसाब से जो मांग की गयी है उसमें महंगाई की तीन किस्तों को देखते हुए, क्या वह इसको पुनः संशोधित कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है, जब आश्वासन दिया है तो क्या प्रश्न उठता है।

गोरखपुर में राप्ती गोर्रा नदी के छितहरी थुन्ही बांध की मरम्मत

*13--श्रीमती शारदा देवी (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के राप्ती गोर्रा नदी के किनारे बने तटबन्ध तीधरा मराछो, बरही, राजधानी व बड़हरा नकवार-बोहाबार व नौवा, डुभरीं, मलौली बधा काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बरसात के पूर्व मरम्मत कराने का कार्य करेगी ? क्या यह भी सत्य है कि पिछले साल बाढ़ से बरही बंधे पर स्थित ग्राम टमठा के पास बंधा काफी टूट गया है जो अब भी अधूरा पड़ा हुआ है जिससे सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से डूब गये थे ? क्या सरकार अगली बरसात व बाढ़ से बचाव के लिए शीघ्र कोई उपाय करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पिछले वर्ष बाढ़ में ग्राम टमठा के पास टूटने वाले बांध का नाम बरहीपाथ न हो कर छितहरी-थुन्ही है। बांध अन्तिम छोर पर कि0 मी0 12·0 के पास 165 मीटर लम्बाई में टूट गया था। जिससे गोरखपुर जिले के 23 गांव तथा देवरिया जनपद के 28 गांव प्रभावित हुये थे। इस गैप को बन्द कराया जा चुका है।

बाढ़ से बचाव के लिये उक्त बांध की आवश्यक मरम्मत कराई जा चुकी है।

सिंचाई विभाग, आगरा, वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन की जल निकासी

*14--श्री बदन सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा स्थित वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन की तली न खुदने से ग्राम गढ़ीमा की हजारों एकड़ भूमि ऊसर होने के कारण कई वर्षों से कोई भी उत्पादन नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो इस ड्रेन को चौड़ा व गहरा न करने का क्या कारण है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

जनपद आगरा में वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन की जल निकासी क्षमता ठीक है तथा इस ड्रेन से ग्राम गढ़ीमा की कोई भी भूमि ऊसर नहीं हुई है। ग्राम की

भूमि खारी है तथा इस नाले से उपजाऊ हो गई है । इसके जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित ग्राम गढ़ीमा की लगभग 60 हे0 नशेबी भूमि में वर्षा ऋतु का पानी भरा रह जाता है ।

वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन की तली को गहरा करने के लिए इसके पुनरोद्धार का प्रस्ताव बनाया गया था जिसकी लागत लगभग 4 करोड़ रुपये आती है जो लाभान्वित क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है । अतः राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की प्राविधिक परामर्शदात्री समिति द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी गई ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल असन्तोषजनक दिया है । उन्होंने अपने उत्तर में लिखा है 'ग्राम गढ़ीमा की कोई भी भूमि ऊसर नहीं हुई है । ग्राम की भूमि खारी है तथा इस नाले से उपजाऊ हो गई है" । तो मान्यवर, किसी ग्राम की जमीन खारी या नीची नहीं होती है, पानी खारा या मीठा होता है, जो जमीन पर प्रभाव डालता है । मंत्री जी ने जो जवाब दिया है जमीन इस नाले से उपजाऊ बन रही है, किन्तु जब उससे उसकी सिचाई नहीं होती है तो ग्राम गढ़ीमा की जमीन उससे उपजाऊ कैसे बन जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

खारी जमीन को नहीं ऊसर जमीन को उपजाऊ बना दिया है ।

श्री बदन सिंह--

किसी भी नाले से किसी भी ग्राम की जमीन सींची नहीं जाती है, खास कर इस नाले से, तो इसने खारी जमीन को उपजाऊ कैसे बना दिया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य जानते हैं कि अगर कोई ऊसर जमीन है और वहां पानी लगता है, जल भराव होता है तो वहां पर जमीन की शक्ल बदल जाती है और वह भूमि अच्छी हो जाती है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

बदन सिंह जी की जमीन खारी है, पहले इनको....

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, इसी जवाब में इन्होंने आगे कहा है कि "इसके जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित ग्राम गढ़ीमा की लगभग 60 हेक्टर नशेबी भूमि में वर्षा ऋतु का पानी भरा रह जाता है ।" इन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इस ग्राम की 60 हेक्टर भूमि नशेबी है और नाले का काम यह होता है कि नशेबी ग्राम में जो पानी भर जाता है, उसकी वह निकासी करे । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब नशेबी जमीन है तो क्या उसके तल को नीचा करके इसके पानी के निकास की वह व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अभी उत्तर दिया गया है । यह जो 60 हेक्टेयर जमीन है यह नाले से नहीं डूबी रहती है बल्कि वहां पर काफी गहराई है जिससे वहां पानी का जमाव होता है जिससे जमीन डूबती है । तो जैसा कि उत्तर में दिया गया है अगर वहां का पानी निकाला जाय तो 4 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा । तो 60 हेक्टेयर जमीन के लिये 4 करोड़ रु0 खर्च करना उचित नहीं लगता है । इसलिये जो हमारी टेक्निकल कमेटी है उसने इसको एप्रूव नहीं किया है ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 16 के पुकारे जाने पर तथा प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने पर)

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, एक प्रश्न और करने की इजाजत दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

4 प्रश्न बचे हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा-थोड़ा उत्तर सभी का आ जाय।

*15--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[नवें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

अपर खन्ड, आगरा नहर, मथुरा के नालों की सफाई की मांग

*16--श्री लक्ष्मी नारायण (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने अप्रल, 1985 में एक शिकायती-पत्र अपर आगरा कैनाल, मथुरा के अभियन्ताओं द्वारा नालों की सफाई में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन्हें दिया था ? यदि हां, तो शासन ने उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

अपर खन्ड, आगरा नहर, मथुरा के अभियन्ताओं एवं माननीय विधायक के बीच हुए विचार विमर्श के उपरान्त उनके द्वारा अनुमोदित नालों पर उपलब्ध सीमित धनराशि से अति आवश्यक कार्य सम्पादित कराये जा चुके हैं, जैसे साइफन साफ करना, तली में लगी जल कुम्भी, पटेरा एवं बंध निकालना।

धनाभाव के कारण नालों की वांछित पूर्ण सफाई सम्भव नहीं हुई है।

विधान सभा क्षेत्र, सरोजनीनगर लखनऊ के राजकीय नलकूप

*17--श्री शारदा प्रताप--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, जिला लखनऊ में कितने सरकारी ट्यूब वेल हैं ? उनमें से कितने चालू हालत में हैं तथा कितने बन्द पड़े हुए हैं ? क्या सरकार बन्द ट्यूबवेलों को शीघ्र ही ठीक करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर जिला लखनऊ में 42 राजकीय नलकूप हैं।

दिनांक 24-7-1985 की सूचना के अनुसार 42 नलकूपों में से 39 राजकीय नलकूप चालू दशा में हैं तथा 3 राजकीय नलकूप सं0 41, 107 एवं 189 लखनऊ ग्रुप विभिन्न दोषों से बन्द हैं।

उपरोक्त नलकूपों को शीघ्रातिशीघ्र ठीक कराने के लिए समुचित आदेश दे दिये गये हैं।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है। मैंने परसों भी माननीय राज्य मंत्री सिंचाई जी को लिखा है। जो ट्यूबवेल सरसंवां गांव में स्थित है उसके बारे में लिखकर दिया है। 80 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब हैं। यह जो सूचना दी गई है वह फाल्स है, झूठी है।

श्री अधिष्ठाता--

झूठी नहीं, कहिये सत्य से परे है।

श्री शारदा प्रताप--

तो मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जो ट्यूबवेल चल रहे हैं उनकी सूची देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि 42 नलकूप हैं जिनमें से फलां-फलां बन्द हैं। 3 के लिये कहा गया है कि खराब हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि ज्यादा खराब हैं। तो मैं इसकी सूची माननीय सदस्य के पास भिजवा दूंगा कि कौन चल रहे हैं या कौन नलकूप नहीं चल रहे हैं। मैं अधिकारी को भेज दूंगा वह आपको साथ ले जाकर मौके पर देख लेंगे कि स्थिति क्या है।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, अभी मेरे पास एक सूचना गयी थी सिंचाई सचिव की जिसमें मुझसे 3 गेस्ट हाउस पर मिलने के बारे में कहा गया था। 3 नाम लिखे थे, तो मैं किस पर मिलू?

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न करें।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो 3 ट्यूबवेल खराब हैं वह कौन-कौन से हैं और कहां-कहां हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, 41 नं0, 107 नं0, 189 नं0 यह ट्यूबवेल खराब हैं।

श्री शारदा प्रताप--

गांव के नाम बता दें?

श्री अधिष्ठाता--

आप गांवों के नाम माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दें।

बलिया जनपद के ग्राम चैन छपरा, जग छपरा, पचरुखिया का गंगा नदी से कटाव एवं ठोकरों का निर्माण

*18--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में गंगा नदी के कटान को रोकने के लिये चैन छपरा, जगछपरा एवं पचरुखिया में जो ठोकरों का निर्माण कार्य हो रहा था उसे इस वर्ष बन्द करा दिया गया है? क्या कटान व बाढ़ से सैकड़ों गांवों को बचाने की दृष्टि से उक्त स्थानों पर अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा कराने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य--

जी नहीं।

प्रश्नगत क्षेत्र में किये गये कार्यों को कटान रोकने में सहायक होना देखा जा रहा है। अध्ययन के उपरांत शेष कार्य करने पर निर्णय लिया जाना संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, चैन छपरा की कटान को रोकने के लिये कितनी ठोकरें स्वीकृत हुयी थीं और कितनी ठोकरों पर कार्य हुआ है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, चैन छपरा में 9 ठोकरें बनायी जानी थीं जिसमें से 5 बनायी गयी हैं और यह देखा गया कि इससे कार्य संतोषजनक तरीके से चल जायगा। बाकी की आवश्यकता नहीं थी, इसलिये नहीं बनायी गयीं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, 9 ठोकरों में से 5 ठोकरें बनाई गयी हैं, ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री जी के पास कौन सा आधार है, जिससे वह असेस कर चुके हैं कि प्रभावी होगा, तो हम आगे काम करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, गंगा नदी किनारे को छोड़ रही है, अगर वह किनारे को छोड़ती चली जायेंगी, तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता--

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

गोण्डा की तहसील उतरौला में राप्ती नदी से कटाव

*19--श्री फजलुल बारी--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोंडा के तहसील उतरौला में राप्ती नदी के कटान और बाढ़ से हर वर्ष लाखों की क्षति होती है और बड़ी तादाद में मनुष्यों की जान जाती है ? यदि हां, तो बाढ़ नियंत्रित व कटान रोकने के लिए क्या उपाय हो रहे हैं और उन उपायों पर कब से कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

तत्कालीन सिंचाई सचिव, श्री आर0 के0 भार्गव के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*20--श्री मुईद अहमद--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सिंचाई सचिव, श्री आर0 के0 भार्गव के विरुद्ध सन् 84 में क्या-क्या शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि श्री भार्गव सिंचाई सचिव ने अधीक्षण अभियन्ताओं को मुख्य अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति में अनेक वरिष्ठ अभियन्ताओं को छोड़कर कनिष्ठ लोगों को मुख्य अभियन्ता के पद पर सन् 85 में प्रोन्नति की है ? यदि हां, तो क्या इस अनियमित प्रोन्नति को रद्द करके वरिष्ठ लोगों को प्रोन्नत करेंगे जैसाकि अधिशासी अभियन्ताओं की प्रोन्नति में किया गया था ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री आर0 के0 भार्गव के विरुद्ध वर्ष 1984 में सिंचाई सचिव के कार्यकाल से सम्बन्धित कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) से मुख्य अभियन्ता (सिविल) स्तर-2 के रिक्त पदों पर पदोन्नतियों के लिये नियमित चयन हेतु नियमानुसार गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 31-12-84 को हुई, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव तथा सदस्य सचिव, कार्मिक विभाग एवं तत्कालीन सचिव, सिंचाई विभाग थे । चयन का मापदण्ड "श्रेष्ठता" था और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया गया । चयन समिति द्वारा तुलनात्मक श्रेष्ठता के आधार पर प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अधीक्षण अभिन्ताओं को मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के पदों पर जनवरी, 85 में प्रोन्नत किया गया है । चयन नियमित था अतएवं इसे निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

अतारांकित प्रश्न

झांसी के विकास खण्ड गुरसराय, बामौर तथा मोठ के अन्तर्गत स्थापित नलकूप

1--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के गुरसराय, बामौर एवं मोठ वि0 खण्डों में किन-किन ग्रामों में कितने शासकीय नलकूप लगे हैं और किन-किन ग्रामों में कितने शासकीय नलकूप प्रस्तावित हैं? क्या गरौठा तहसील के पथरीले क्षेत्र की सिंचाई के लिए शासन ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

झांसी किले के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के गुरसराय विकास खण्ड में शून्य, बामौर विकास खण्ड में पांच एवं मोठ विकास खण्ड में 22 नलकूप लगे हैं। विकास खण्डवार उक्त ग्रामों की सूची संलग्न है, जिनमें यह नलकूप लगे हैं।

ग्राम रमपुरा ब्लाक गुरसराय, ग्राम घनौरा ब्लाक बामौर में एक-एक नलकूप लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 144 पर)।

हरदोई, जनपद की कताई मिल, सण्डीला में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

2--श्री अशोक बाजपेयी

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय वस्त्र निगम कताई मिल संडीला, जनपद हरदोई में चतुर्थ श्रेणी में कितने कर्मचारी प्रतिदिन देय पर कार्यरत हैं और इन कर्मचारियों में कितने हरदोई जनपद के हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्रश्नगत कताई मिल में चतुर्थ श्रेणी के 3104 कर्मचारी प्रतिदिन देय पर नियोजित हैं। इनमें से 1910 कर्मचारी जिला हरदोई के हैं।

हरदोई, यूनिसेफ हथकरघा उत्पादन केन्द्र, मल्लावां द्वारा कताई मिल सण्डीला के सूत की खरीद और कर्मचारियों की कथित सेवा समाप्ति

3--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के यूनिसेफ हथकरघा उत्पादन केन्द्र मल्लावां द्वारा सूत की खरीद सहकारी कताई मिल संडीला से न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उक्त उत्पादन केन्द्र में कितनी धनराशि की चोरियां हुई हैं और यह चोरियां छुट्टी के दिनों में हुयी या काम के दिनों में?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

4--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपया करेंगे कि विगत एक वर्ष में यूनिसेफ हथकरघा केन्द्र मल्लावां में कितने कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया तथा कितने व्यक्तियों को सेवा म (नई भर्ती) लिया गया? निकाले गये कर्मचारियों के खिलाफ आरोप क्या थे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

यूनिसेफ हथकरघा उत्पादन केन्द्र मल्लावां में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को पिछले एक वर्ष में सेवा से पृथक नहीं किया गया है।

उक्त केन्द्र पर किसी कर्मचारी को सेवा में (नई भर्ती) नहीं लिया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के यूनिसेफ हथकरघा उत्पादन केन्द्र मल्लावां में कार्यरत कर्मचारियों के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायती पत्र

3--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के यूनिसेफ हथकरघा उत्पादन केन्द्र, मल्लावां में कार्यरत कर्मचारियों के उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रकरण अभी हाल में प्रकाश में आया है? यदि हां, तो उसकी जांच कराकर सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सैयद सईदुल हसन--

जनपद हरदोई के यूनिसेफ हथकरघा उत्पादन केन्द्र, मल्लावां में कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित कोई शिकायत शासन को इस वर्ष नहीं प्राप्त हुई है। गत वर्ष कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांचोंपरान्त दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम व समान पारिश्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत पाये गये उल्लंघनों पर तीन प्राभियोजन दायर किये गये।

6--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[6 वें सोमवार में अता0 प्रश्न संख्या 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सातवीं पंववर्षीय योजना में लघु स्तरीय इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य

7--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 7वीं योजना के प्रारूप में सरकार ने प्रदेश में एक लाख लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने का प्रस्ताव रखा है? यदि हां, तो इसका क्या प्रारूप होगा और प्रत्येक ब्लाक में कितने उद्योग लगेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख लघु स्तरीय इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लघु उद्योग इकाइयों के लक्ष्य को वर्षवार निम्नलिखित रूप से निर्धारित किया गया है :--

लघु स्तरीय इकाइयों की स्थापना (संख्या)	
प्रथम वर्ष 85-86	16,000
द्वितीय वर्ष 86-87	18,000
तृतीय वर्ष 87-88	20,000
चतुर्थ वर्ष 88-89	22,000
पंचम वर्ष 89-90	24,000

विकास खण्डवार लघु स्तरीय इकाइयों के स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। किन्तु यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक विकास खंड में 2 लाख रुपये से अधिक पूंजी विनियोजन का कम से कम एक उद्योग लगाने का प्रयास किया जाय।

8--कुंवर रेवती रमण सिंह--

[5वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

फैजाबाद के थिरुआ नाला को गहरा करने का कार्य

9--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की टांडा तहसील में पिछले कई वर्षों से थिरुआ नाला को 14-14 किलोमीटर लम्बाई में गहरा करने का कार्य चल रहा है लेकिन अभी तक चौथाई कार्य भी पूरा नहीं हुआ है? यदि हां, तो इस कार्य पर कुल कितना व्यय प्रस्तावित था उसमें से कितना धन अब तक खर्च हो चुका है और कितना कार्य शेष रह गया है तथा वह कार्य कब तक पूरा हो जायगा और उसे पूरा करने म अभी और कितना धन लगेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस नाले की कुल लम्बाई (प्राकृतिक 4 कि0मी0 तथा लूप काटने के बाद 30 कि0मी0) में आवश्यकतानुसार सुधार का काय वर्ष 1979-80 से चल रहा है। लगभग 60 प्रतिशत कार्य हो गया है। इस कार्य को वर्ष 1982-83 की अनुमानित लागत 42.46 लाख रु0 है जिसमें से अब तक 21.18 लाख रु0 व्यय हो चुका है। लगभग 40 प्रतिशत कार्य शेष रह गया है। पूरे वर्ष पानी चलते रहने एवं धन की कमी के कारण प्रगति कम है। इसके पूर्ण होने में लगभग तीन वर्ष और लगने की संभावना है तथा आशा है कि अवशेष अनुमानित लागत प्रयुक्त हो जायेगी।

बुन्देलखण्ड के जिलों में उद्योग स्थापना की योजना

10--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड के विभिन्न जिलों में उद्योग लगाने हेतु क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं ? जिन क्षेत्रों को औद्योगिक आस्थान घोषित किया गया है, उनको कितनी-कितनी सब्सीडी (राज्य सहायता) दी जा रही है ? क्या इसमें अभी हाल में कोई कटौती की गयी है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

शासन द्वारा बुन्देलखण्ड के झांसी एवं ललितपुर जनपद पिछड़े जनपद घोषित हैं, जबकि अन्य तीन जिले जालौन, बांदा एवं हमीरपुर "उद्योग रहित" जिले घोषित किये गये हैं ।

संक्षेप में बुन्देलखण्ड के सभी जिलों में उद्योग लगाने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त सुविधायें निम्न हैं :--

1--केन्द्रीय पूंजीगत उपादान की सुविधा झांसी व ललितपुर में 15% तथा शेष अन्य जिलों (जालौन, बांदा एवं हमीरपुर) में 25%की दर से उपलब्ध है ।

2--ब्याज उपादान की सुविधा अधिकतम 4% की दर से वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा प्रदत्त सावधि ऋण पर उपलब्ध है ।

3--विद्युत सब्सिडी की सुविधा 9 पैसा प्रति यूनिट की दर से 20 हार्स पावर वाली 22 ग्रुपों की उद्योग इकाइयों को उपलब्ध है ।

4--मार्जिन मनी ऋण की सुविधा योजना के लागत की 10 प्रतिशत की दर से निम्न योजनाओं में उपलब्ध हैं :--

(अ) जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजना ।

(ब) एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना ।

5--प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने हेतु परामर्श उपादन योजना ।

6--"पिकप" द्वारा ब्याज मुक्त बिक्री कर ऋण की सुविधा ।

7--नये उद्योगों के यंत्र संयत्रों एवं इमारती सामान पर चुंगी कर की छूट की सुविधा ।

8--अक्तूबर, 82 से मार्च, 90 तक स्थापित होने वाले उद्योगों को राज्य तथा अन्तर्राज्यीय बिक्री कर पर झांसी में 6 वर्ष तथा अन्य जिलों में 7 वर्ष बिक्री कर छूट की सुविधा ।

9--बुन्देलखंड में उद्योग स्थापना की तिथि से 5 वर्ष तक इकाई के विद्युत् बिल का 50% विद्युत् विकास की छूट की सुविधा ।

10--जनरेटर सेट्स क्रय करने हेतु उपादान की सुविधा ।

11--उ0 प्र0 वित्तीय निगम से सावधि ऋण रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की सुविधा ।

12--बुन्देलखंड के सभी जिले पहाड़ी जिलों की भांति विद्युत् कटौती से मुक्त हैं ।

13--किराया क्रय पद्धति पर मशीनों की आपूर्ति ।

14--उद्योग निदेशालय द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में शेड्स/भू-खण्ड आवंटन की सुविधा ।

15--औद्योगिक समूहों में पैकेज सहायता ।

16--सरकारी खरीद में मूल्य वरीयता ।

17--उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम/उद्योग निदेशालय द्वारा इकाइयों को विपणन सहायता प्रदान करने की सुविधा ।

18--100% निर्यात मूलक इकाइयों को 10 प्रतिशत राज्य पूंजी उपादान ।

19--दुर्लभ/नियंत्रित कच्चे माल के आवंटन की सुविधा ।

20--आयात एवं निर्यात लाइसेंस प्रदान करने की सुविधा ।

बुन्देलखंड के प्रत्येक जनपद में उद्योग निदेशालय द्वारा औद्योगिक आस्थान विकसित कर स्थापित किये गये हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :--

अ--झांसी 1--बैंक-बर्ड औद्योगिक आस्थान, ग्वालियर रोड, झांसी ।
2--बया औद्योगिक आस्थान, ग्राम झांकरी, मऊरानीपुर।

ब--ललितपुर 1--आ0 औ0 आ0, स्टेशन रोड, ललितपुर।

स--जालौन 1--प्रा0 औ0 आ0, उरई ।
2--बया औ0 आ0, कोंच।
3--बया औद्योगिक आस्थान, कालपी ।

द--बांदा 1--प्रा0 औ0 आ0, बांदा ।

च--हमीरपुर 1--प्रा0 औ0 आ0, महोबा।

इन औद्योगिक आस्थानों में उपर्युक्त सुविधाओं/सहायताओं के अतिरिक्त अन्य कोई सब्सिडी (राज सहायता) अनुमन्य नहीं है, अतएव, कटौती का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरदोई, जनपद की सहकारी सूती मिल, सण्डीला के कर्मचारियों की संख्या

11--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के सहकारी सूती मिल संडीला में कुल कितने कर्मचारियों की क्षमता है तथा विगत दो वर्षों में नियमित अथवा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में कितनी भर्ती की गयी और इस समय तकनीकी एवं गैर तकनीकी नियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्रश्नगत मिल वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है, सहकारी क्षेत्र की नहीं । इस मिल में कुल कर्मचारियों की क्षमता 2679 है । इसमें नियमित अथवा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में वर्ष 1983 तथा 1984 में क्रमशः 418 तथा 219 कर्मचारियों को भर्ती किया गया । वर्तमान में तकनीकी एवं गैर तकनीकी नियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कुल संख्या 3310 है जिनमें से 631 व्यक्ति ट्रायल के आधार पर अथवा प्रशिक्षार्थी है ।

नलकूप मण्डल कार्यालय, कानपुर के सहायक, श्री कन्हैयालाल राठौर का कार्यकाल

12--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप मंडल कार्यालय, कानपुर में अधीक्षण अभियन्ता नलकूप के अधीनस्थ एक वरिष्ठ सहायक कन्हैया लाल राठौर विगत 7-8 साल से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि तक उसके एक ही स्थान पर रहने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि कोई वरिष्ठ सहायक एक ही मण्डल या जनपद में 7-8 साल से अधिक नहीं रह सकता ।

बुन्देलखण्ड के जिलों में औद्योगिक रोजगार में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत

13--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के पांचों जिलों में

जिलावार औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है तथा शेष प्रदेश के (बावन) जिलों में जिलावार औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है ? बुन्देलखण्ड तथा शेष प्रदेश में औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों के प्रतिशत में क्या अन्तर है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार बुन्देलखंड के पांचों जिलों में जिलावार औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत इस प्रकार है :

1--जालौन	2.34	प्रतिशत
2--झांसी	5.83	,,
3--ललितपुर	3.62	,,
4--हमीरपुर	3.85	,,
5--बांदा	2.71	,,

इन जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष बावन जिलों में जिलावार औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत इस प्रकार है :--

उत्तरकाशी 1.33, चमोली 2.10, टेहरी-गढ़वाल 0.91, देहरादून 3.10, गढ़वाल 1.18, पिथौरागढ़ 2.40, अल्मोड़ा 2.29, नैनीताल 3.06, सहारनपुर 3.23, मुजफ्फर-नगर 4.13, बिजनौर 8.28, मेरठ 6.50, गाजियाबाद 4.40, बुलन्द-शहर 4.02, मुरादाबाद 4.91, रामपुर 2.79, बदायूं 1.62, बरेली 2.40, पीलीभीत 1.69, शाहजहांपुर 2.01, अलीगढ़ 6.26, मथुरा 4.03, आगरा 8.92, एटा 2.77, मैनपुरी 2.07, फर्रुखाबाद 3.43, इटावा 2.56, कानपुर (देहात व नगर) 5.71, फतेहपुर 3.53, इलाहाबाद 6.56, लखीमपुर-खीरी 1.45, सीतापुर 3.23, हरदोई 1.95, उन्नाव 2.80, लखनऊ 7.38, रायबरेली 2.37, बहराइच 1.27, गोंडा 1.53, बाराबंकी 4.66, फैजाबाद 4.51, सुल्तानपुर 3.01, प्रतापगढ़ 2.29, बस्ती 3.18, गोरखपुर 3.16, देवरिया 2.83, आजमगढ़ 8.02, जौनपुर 5.47, बलिया 4.03, गाजीपुर 4.82, वाराणसी 16.47, तथा मिर्जापुर 7.52 प्रतिशत ।

बुन्देलखंड के पांचों जिलों का औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का औसत प्रतिशत 3.6 है जबकि शेष जिलों का औसत प्रतिशत 1.84 है ।

बुन्देलखंड के जिलों म प्रति हेक्टेयर सिंचाई सुविधा का औसत

14--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड के पांचों जिलों में प्रति हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा क्या है तथा शेष प्रदेश के (बावन) जिलों में प्रति हेक्टेयर औसत सिंचाई की सुविधा क्या है ? बुन्देलखंड तथा शेष प्रदेश में प्रति हेक्टेयर सिंचाई सुविधा में कितना अन्तर है ? इस विषमता को दूर करने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बुन्देलखंड के पांचों जिलों में बोये गये क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा प्रति हेक्टेयर 0.327 तथा प्रदेश के शेष 51 जिलों में बोये गये क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा 0.420 हेक्टेयर है । बुन्देलखंड क्षेत्र में और सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 14 सिंचाई परियोजनायें स्वीकृत हैं जिनमें से 10 पर निर्माण कार्य प्रगति पर है । इनसे 2,31,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा । राजकीय नलकूपों तथा पम्प नहरों का निर्माण करके अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करना भी प्रस्तावित है ।

फैजाबाद जनपद में गोपालपुर बिछिया नाले का निर्माण

15--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित ग्राम गोपालपुर से बिछिया गांव जो मसौधा वि0 क्षेत्र के अन्तर्गत है, पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण व सफाई कब हुई और उसमें कितना राजकोय धन खर्च हुआ तथा निर्माण कार्य क्या शारदा सहायक खंड-43 द्वारा हुआ है ? किस आधार पर कार्य सम्पन्न हुआ ? क्या निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1980-81 में गोपालपुर बिछिया नाले की खुदाई का कार्य पूर्ण हो गया था, दो प्रस्तावित पुलों में से एक पुल कि0 मी0 0.700 वर्ष 1981-82 में ही, केवल पैरावेट को छोड़कर पूर्ण हो चुका है । दूसरा पुल कि0 मी0 1.10 पर धनाभाव के कारण नहीं बन पाया है और फिर भी 6/85 में इस स्थल पर पाइप डाल कर रास्ता चालू कर दिया गया है । वर्ष 1983-84 में सफाई कार्य हुआ है ।

इसके निर्माण में मिट्टी के कार्य में रु0 6,224.00 पुल के निर्माण में रु0 17,739.00 तथा सफाई कार्य में रु0 3,430.50 व्यय हुआ है ।

जी हां ।

क्षेत्र की जलोत्सारण समस्या के निदान हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर कराया गया ।

जी नहीं । पुलों पर कार्य करना शेष है ।

धनाभाव के कारण ।

आजमगढ़ जनपद में भरौली राजबहा से सिंचाई सुविधा और निर्माण

16--श्री भीखा राम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भरौली राजबहा नहर तथा उससे सम्बन्धित माइनरों से जनपद आजमगढ़ में किसानों को समय-समय पर सिंचाई के लिए पानी मिलता है ? यदि नहीं, तो क्या किसानों से सिंचाई कर वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । भरौली राजबहा तथा उससे सम्बन्धित माइनरों से, जहां तक उनमें पानी उपलब्ध होता है, जनपद आजमगढ़ के किसानों को समय-समय पर पानी मिलता है । किसानों से सिंचाई कर उसी क्षेत्र का वसूल किया जाता है जिसमें नहर के पानी से वास्तविक सींच की जाती है ।

17--श्री भीखा राम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में भरौली रजबहा नहर का कार्य कब शुरू हुआ और कब पूरा हुआ और कितनी बार मरम्मत हो चुकी है तथा अब स्थिति पूर्ण रूप से सही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1977-78 में भरौली रजबाहा का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था । कार्य प्रगति पर है ।

इसके तटबन्धों की मरम्मत एक बार तथा सफाई का कार्य दो बार किया गया । प्रश्नगत रजबाहा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं है, क्योंकि कुछ भाग में मिट्टी का कार्य एवं 7 पक्के कार्यों का निर्माण किया जाना शेष है ।

बलिया, के विधान सभा क्षेत्र सीयर में स्थापित औद्योगिक इकाइयां

18--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र में कितनी उद्योग इकाइयां चालू हैं, कितनी बीमार हैं तथा कितनों को शासन की ओर से वित्तीय सहायता दी गयी है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षत्र में 97 इकाइयां चालू हैं, 1 बीमार है और 41 इकाइयों को शासन की ओर से वित्तीय सहायता दी गयी है ।

प्रदेश के नलकूपों की नालियों की मरम्मत

19—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिकांश नलकूपों की नालियां ध्वस्त होने के कारण निर्धारित सिंचित क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता ह ? यदि हां, तो क्या मंत्री जो अन्डरग्राउन्ड नालियों की व्यवस्था करेंगे जो कि सस्ती भी हैं और मजबूत भी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विभागीय अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि पक्की नालियों की रबी से पहले शत प्रतिशत मरम्मत कराई जाय ।

आगे विभाग द्वारा अन्डर ग्राउन्ड नालियों की व्यवस्था की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद की बुनकर समितियों को दिया गया ऋण

20—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में किस-किस बुनकर सोसायटी को कितना-कितना ऋण दिया गया और उनको उनमें से कितनी-कितनी छूट दी गयी तथा उन सोसायटीज के पूर्ण पते तथा पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1980-81 1981-82 तथा 1982-83 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 80 बुनकर समितियों को रु0 10,75,270.00 की सहायता ऋण के रूप में प्रदत्त करायी गयी ह । छूट देने का कोई प्राविधान नहीं है । केवल समितियों द्वारा निर्धारित तिथि पर ऋण की अदायगी करने पर 3 1/2 प्रतिशत छूट ब्याज दर में प्रदान की जाती है । जिन बुनकर सोसायटीज को ऋण दिया गया उनके विवरण माननीय सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं ।

आजमगढ़ जनपद के परसोय ताल के नालों को गहरा किये जाने की मांग

21—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 85 में आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राम गौरी, गोपालीपट्टी, कमालपुर तथा अभयपुर के लोगों ने कोई दरखास्त दी है जिसमें उन लोगों ने मांग की है कि परसोय ताल से निकाली गयी ड्रेन, जो टोंस नदी में गिरती है, नाले के मानचित्र के अनुसार बनाया जाय तथा उसको और गहरा कराया जाय ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

फैजाबाद की मडहा नदी की कथित सफाई

22—श्री मित्र सेन—

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 शारदा सहायक खंड-43 (ड्रेनेज), फैजाबाद ने मडहा नदी की सफाई में कितना धन किस मद में व्यय किया है ? इसकी स्वीकृति कब मिली थी, कुल स्वीकृत धनराशि क्या थी तथा कौन-कौन सी अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वित्तीय वर्ष 1984–85 में मड,हा नदी की सफाई में कोई धन किसी भी मद में व्यय नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सीतापुर मेसर्स इस्के स्टील इण्डस्ट्रीज का बिक्रीकर सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र

23—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ मेसर्स इस्के स्टील इंडस्ट्रीज, सीतापुर का कोई पत्र नई इकाई को बिक्री कर से छूट के सम्बन्ध में दिनांक 21–5–85 या उसके आस–पास प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता सदस्य का पत्र दिनांक 21–5–85 शासन को प्राप्त हुआ था । मेसर्स इस्के स्टील इन्डस्ट्रीज, सीतापुर की बिक्रीकर की कठिनाई के विषय में शीघ्र जानकारी प्राप्त करके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर को आदेश दे दिये गये हैं ।

बाराबंकी जनपद के तिन्दोला नाला की खुदाई

24—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी के ग्राम तिन्दोला से मिली हुई पानी निकास हेतु नाली की खुदाई (5 मी0 चौड़ी व 2 मी0 गहरी) पूर्ण हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बरसात में ग्रामवासियों की सुविधा हेतु तत्काल उसकी सफाई व खुदाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभी नहीं ।

तिन्दोला नाला की कुल लम्बाई 4.8 कि0 मी0 है तथा स्वीकृत लम्ब छिन्नक (एल सेक्शन) के अनुसार अधिकतम चौड़ाई एवं गहराई क्रमशः 2.5 मीटर एवं 0.9 मीटर है । 4.8 कि0 मी0 लम्बाई में से 3.8 कि0 मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण हो गया है ।

बरसात के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है । बरसात के पश्चात् ही कार्य को पूर्ण किया जाना संभव हो सकेगा ।

बांदा की रसिन बांध योजना

25—डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के तहसील नरैनी के अन्तर्गत रसिन बांध योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मध्य प्रदेश के क्षेत्र का जल उपयोग में आने के कारण मध्य प्रदेश शासन से सहमति अपेक्षित है ।

गाजियाबाद व मेरठ के सरौली राजबहा पर कथित मिट्टी का कार्य

26—श्री रिछपाल सिंह वन्सल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद व मेरठ राजबहा सरौली पर ग्राम डकरपुर के राजबहे की पटरी पर मिट्टी का कार्य वर्ष 1984–85 में कराया गया ? यदि हां, तो कितना रुपया सिंचाई विभाग का खर्च हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर जनपद में नरायनपुर, गंगा नहर परियोजना का उद्घाटन एवं सिंचित क्षेत्र तथा उस पर व्यय

27—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरायनपुर (मिर्जापुर) गंगा नहर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा कब किया गया ? तथा किस जनपद को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया ? इससे कितने हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का प्रस्ताव था, इस समय कितना लक्ष्य पूरा किया जा रहा है ? पूरी अनुमानित लागत क्या थी और कितना धन खर्च हुआ ? क्या नरायनपुर हेड वर्क्स सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता अपने कार्यकाल में 20 लाख तक का घोटाला किए हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

11 जून, 1972 को तत्कालीन माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा किया गया था ?

मूल परियोजना के अनुसार इस नहर से मिर्जापुर, वाराणसी जनपदों में प्रस्तावित सींच खरीफ एवं रबी दोनों में मिलाकर कुल 24,280 हेक्टेयर थी । तत्पश्चात् नरायनपुर पम्प नहर की क्षमता वृद्धि की परियोजना बनाई गई जिसमें पक्के पम्प हाउस का निर्माण भी शामिल है । इस विस्तार के फलस्वरूप अब दो परियोजनाओं को मिलाकर मिर्जापुर, वाराणसी तथा गाजीपुर जनपदों को प्रस्तावित शुद्ध सींच 32,100 हेक्टेयर हो गई है, जिसके विरुद्ध वर्ष 1984-85 में कुल 27,426 हेक्टेयर की सींच हुई है । दूसरी परियोजना की अनुमानित लागत 3874·73 लाख रु0 है, जिसके विरुद्ध मार्च, 1985 तक 1971·00 लाख रु0 व्यय हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी एवं मिर्जापुर में कतिपय ग्रामों में गंगा नदी के कटाव हेतु तटबंध निर्माण की कथित योजना

28—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष गंगा नदी के बाढ़ को रोकने के लिए वाराणसी जनपद में ग्राम भोपौली से लेकर रामनगर तक मिर्जापुर जनपद में ग्राम शेरपुर से लेकर चुनार तक एवं अदलपुरा से लेकर लाल बहादुर शास्त्री पुल (शीखड़ ब्लाक) तक रेगुलेटर सहित तटबन्ध बनाने पर विचार करेंगे ? तथा रामनगर वाराणसी के बलुआ घाट को पक्का घाट बनायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गंगा नदी की बाढ़ को रोकने के लिए वाराणसी जनपद में ग्राम कुरहना (ग्राम कुरहना गंगा नदी के तट पर ग्राम भुबौली से 3 कि0 मी0 दूर है) से रामनगर तक नदी के दाहिने तट पर तटबंध बनाने की 101·00 लाख रुपया की योजना अनुसंधान एवं नियोजन खंड, वाराणसी द्वारा वर्ष 1982 में बनाई गई थी । इसकी लाभ, लागत अनुपात 0·017 होने के कारण वह योजना स्थगित कर दी गई है ।

मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील में शेरपुर से चुनार तक नदी के दाहिने तट पर तटबंध बनाने हेतु एक योजना अनुसंधान एवं नियोजन खंड, वाराणसी द्वारा वर्ष 1984 में (लागत रु0 214·55 लाख) बतायी गई थी । किन्तु लाभ/लागत अनुपात 0·29 होने के कारण मुख्य अभियंताओं की बैठक में इसे अस्वीकृत कर दिया गया ।

मिर्जापुर जनपद में अदलपुरा से लाल बहादुर शास्त्री पुल (ग्राम चिल) तक रेगुलेटर सहित एक योजना का सर्वेक्षण अनुसंधान एवं नियोजन खंड, मिर्जापुर द्वारा कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के पश्चात् ही इस पर निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा।

वाराणसी जनपद में बलुआ घाट (रामनगर) का गंगा नदी से कोई कटाव नहीं हो रहा है। अतः इसे पक्का करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बरेली में रेलवे कोच फैक्ट्री का कथित निर्माण

29—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि बरेली में केन्द्र सरकार द्वारा एक रेलवे कोच फैक्ट्री लगाए जाने का विचार है तथा उस सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की राय के अनुसार बरेली को उक्त फैक्ट्री हेतु अन्य स्थानों से अधिक उपयुक्त पाया गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उ0 प्र0 तथा बरेली के औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु इस कोच फैक्ट्री की स्थापना शीघ्र कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

कोच फैक्ट्री केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती है और समाचार-पत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार यह योजना उत्तर प्रदेश में नहीं लग रही है।

गणेश शुगर मिल, आनन्दनगर, गोरखपुर के कर्मचारियों का वेतन

30—श्री हर्ष वर्धन—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिलों में दैनिक मजदूरों की प्रति-दिन की मजदूरी कितनी निर्धारित है ? क्या गणेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर, गोरखपुर के सेवायोजक अपने श्रमिकों को निर्धारित दर पर दैनिक मजदूरी का भुगतान करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के लिये मजदूरी की दैनिक दर निर्धारित नहीं है, बल्कि मासिक दर निर्धारित है।

गणेश शुगर मिल, आनन्दनगर, गोरखपुर के सेवायोजक अपने मिल के समस्त श्रमिकों को, चीनी उद्योग के लिये गठित द्वितीय वेतन मण्डल की सिफारिशों के अनुसार मूल वेतन तथा समय-समय पर निर्धारित ग्रेजुएटेड एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का मासिक दर पर भुगतान कर रहे हैं।

31—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कजरहट सीमेन्ट फैक्ट्री, चुनार में स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति

32—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कजरहट सीमेंट फैक्ट्री, चुनार में कितने स्थानीय लोगों को सेवा कार्य दिया गया तथा जिनकी जमीनें फैक्ट्री में चली गयीं उनके आश्रितों को सेवा कार्य दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

कजरहट चुनार फैक्ट्री में कुल 749 स्थानीय लोगों को सेवा कार्य दिया गया है तथा जिनकी जमीनें फैक्ट्री अथवा लिंक रोड हेतु अध्याप्त की गई उन्हें अथवा उनके परिवार के एक सदस्य को जो इच्छुक, उपयुक्त अथवा उपलब्ध थे, को सेवा कार्य दिया गया है।

मिर्जापुर, में शेरपुर से चुनार तक गंगा नदी के कटाव रोकने हेतु व्यय की गयी धनराशि

33—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में तहसील

चुनार के अन्तर्गत गंगा नदी की बाढ़ एवं कटान रोकने के लिए अब तक शेरपुर से लेकर के चुनार किला तक कितने रुपए बोल्डर, गिट्टी या अन्य सामग्री में व्यय किये गये ? क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि बन्धी डिवीजन, वाराणसी का अधिशासी अभियन्ता, श्री आर० आर० शुक्ला लगभग 10 लाख रुपए का घपला किए हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील में गंगा नदी से बाढ़ एवं कटान रोकने के लिए शेरपुर से चुनार किला के मध्य बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी द्वारा ग्राम शेरपुर के सुरक्षा हेतु 25.22 लाख रु० की एक योजना स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत 25-7-85 तक बोल्डर की आपूर्ति पर 8.45 लाख रुपये, मिट्टी की आपूर्ति (मय मजदूरी) पर 0.97 लाख रुपये एवं क्रेट्स के लिए तार पर 0.12 लाख रुपये अर्थात् कुल 9.54 लाख रुपये व्यय हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

34--श्री यदुनाथ सिंह--

[5वें बुद्धवार के लिए स्थगित]

35--श्री यदुनाथ सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उन्नाव जनपद में गोडवा ड्रेन तथा भैंसई ड्रेन सम्बन्धी जांच रिपोर्ट

36--श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में उन्नाव जनपद में गोडवा ड्रेन तथा भैंसई ड्रेन के सम्बन्ध में कोई जांच अधिशासी अभियन्ता, श्री आर० के० कपूर ने की थी और उस जांच रिपोर्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को भेजा था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से अधिकारी दोषी सिद्ध हुए तथा उन्हें क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

विभागीय जांच कराने के लिए सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार किया जा रहा है । जांच पूर्ण होने के उपरान्त ही दोषी पाये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी को दंडित किया जा सकेगा ।

37--श्री मित्रसेन--

[5वें बुद्धवार के लिये स्थगित]

जौनपुर जनपद के ग्राम मछली गांव स्थित ईंट भट्ठे के विरुद्ध शिकायती-पत्र और आम के बागों को क्षति

38--श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री त्रिभुवन नाथ सिंह, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संघ, जौनपुर को उनकी शिकायत पर अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, जौनपुर के पत्रांक मेमो/लाइसेन्स-182-837, दिनांक 28-12-1982 द्वारा यह सूचित किया था कि ग्राम मछली गांव, वि० खं० बदलापुर, तह० शाहगंज, जिला जौनपुर में अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टे को बन्द कराने की कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो ईंट भट्टा अब तक बन्द न होने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

39—श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी—

क्या यह भी सही है कि उक्त भट्टे के आसपास के आम के बागों को भारी क्षति पहुंच रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बन्द कराने एवं दोषी व्यक्तियों को दन्डित किए जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

40—श्री नरेश पाल सिंह—

[6वें मंगलवार में अता० प्र० सं० 140 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर के श्री नुरुल हसनैन खां का स्वतः रोजगार हेतु प्रार्थन-पत्र

41—श्री रामगोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री नुरुल हसनैन खां पुत्र श्री नुरुल हसन खां, निवासी ग्राम रसूलपुर, विकास खन्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर ने स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत 25,000 रुपया हेतु प्रार्थना-पत्र वित्त मन्त्री के पत्र संख्या 4/104/84, दिनांक 14-8-1984 के माध्यम से जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को रजिस्ट्री डाक से भेजा था और 16,000 रुपए स्वीकृत होकर बैंक आफ बड़ौदा, जगदीशपुर में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? क्या यह सत्य है कि कमीशन न देने पर आख्या दर्शाकर अस्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने एवं आवेदक को कज दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शारदा सहायक परियोजना, सीतापुर की पोषक नहर एवं ड्रेन हेतु भूमि का अधिग्रहण

42—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर में ग्राम पंतेपुर (तह० महमूदाबाद) में शारदा सहायक परियोजना की ड्रेन निर्माण हेतु जो भूमि किसानों से अधिग्रहीत की गयी थी, क्या उसका मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा भूमि कब ली गयी थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत पोषक नहर एवं सीपेज ड्रेन के निर्माण हेतु ग्राम पंतेपुर, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में अध्याप्त की गई 29.66 एकड़ भूमि के मुआवजे हेतु 611417.61 रुपये का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुर-खीरी को कृषकों के वितरण हेतु किया जा चुका है । इसी ग्राम की शेष 11·61 एकड़ भूमि जो ड्रेन निर्माण हेतु वर्ष 1974-75 में ली गयी है के मुआवजे का लैन्ड केस विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को प्रेषित है ।

ललितपुर के राजघाट बांध हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

43—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजघाट बांध के निर्माण में ललितपुर जनपद के कितने ग्राम डूब जाने के कारण उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा कितने ग्रामों को अभी तक अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है ? शेष ग्रामों को अब तक मुआवजा न दिए जाने के कारण क्या हैं ? यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किस दर

से अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिया जायगा ? क्या प्रभावित ग्रामों के किसानों ने जिलाधीश ललितपुर के माध्यम से मुआवजा दिए जाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो ज्ञापन क्या है व शासन उस पर क्या निर्णय ले रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

राजघाट बांध के निर्माण में जनपद ललितपुर के 63 ग्रामों की 17,341 एकड़ भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है जिनमें से 25 ग्रामों की कृषक भूमि जिसका क्षेत्रफल 8,876 एकड़ है, के प्रतिकर की धनराशि सम्बन्धित कृषकों को वितरित की जा चुकी है । तीन मामले विवादाग्रस्त हैं । शेष 35 ग्रामों के मामलों में प्रतिकर प्रपत्र तैयार किये जा रहे हैं । चूंकि प्रश्नगत भूमि पर कूप, बन्धी, वृक्ष तथा भवन आदि भी हैं अतः इन पर स्थित सम्पत्ति का विवरण अध्यापित निकाय द्वारा तैयार किया जा रहा है । उसके उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा भूमि अध्याप्ति अधिनियम के प्राविधान के अनुसार दिया जायेगा । प्रभावित काश्तकारों की ओर से एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था जिसमें यह मांग की गई है कि मुआवजा शीघ्र से शीघ्र दिलाया जाय अन्यथा डूबे क्षेत्र के निवासी हड़ताले तथा प्रदर्शन के माध्यम से राजघाट बांध के निर्माण कार्य में बाधा डालेंगे । भूमि प्रतिकर के भुगतान की नियमानुसार कार्यवाही हो रही ह ।

नैनीताल जनपद में टनकपुर बैराज में जलमग्न होने वाली भूमि

44--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जनपद में बन रहे टनकपुर बैराज में वन विभाग, खेती, बंजर व चारागाह की कितनी भूमि जलमग्न हो जायगी तथा इससे प्रभावित कुल कितने परिवार होंगे ? सरकार ने उन परिवारों से कम से कम चार व्यक्तियों को स्थायी नौकरी व उतनी ही भूमि व अन्य मुआवजा देने हेतु अब तक क्या कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद नैनीताल में बन रहे टनकपुर बैराज के निर्माण के फलस्वरूप नदी तक की भूमि के अतिरिक्त 40 हेक्टेयर बन भूमि जलमग्न होगी । इससे खेती, बंजर व चारागाह की भूमि जलमग्न नहीं होगी ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में नदियों से निकाली गयी बालू एवं पत्थर से प्राप्त आय

45--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के किन-किन नदियों से क्रमशः किस दर से बालू, पत्थर के निकालने पर क्रमशः कुल कितना राजस्व पिछले 5 वित्तीय वर्षों में प्राप्त हुआ ? उपरोक्त जनपदों में क्रमशः किन-किन स्थानों में बालू व पत्थर का खनन, निष्कासन होता है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जनपद पिथौरागढ़ में रामगंगा, काली, चरमागाड, सुरिंगगाड, मुजगढ़ व पुनेठी नदी तथा जनपद अल्मोड़ा के गगास, सरयू, गोमती, कोसी, सुआल व रामगंगा आदि नदियों से निर्धारित दर से बालू पत्थर आदि से विगत 5 वित्तीय वर्षों की आय निम्नवत् है :--

1--पिथौरागढ़

विगत 5 वर्षों की आय 53,317.50

2--अल्मोड़ा

विगत 5 वर्षों की आय 8,53,353.92

जनपद पिथौरागढ़ के थल झूलाघाट, चम्पावत, मुसियारी व चरमा तथा अल्मोड़ा के वैगानिया, सैज, चितई, बजबाड़, सोनी, कबडौली, तिकोला, वेलकुआं, बैजनाथ बेयाली, सेरा, गोवाड़ पजेड़ी आदि स्थानों से बालू, पत्थर आदि का निष्कासन होता है ।

नैनीताल व देहरादून की नदियों से निकाली गयी बालू एवं पत्थर से प्राप्त आय

46--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल व देहरादून के किन-किन नदियों से क्रमशः किस दर से बालू, पत्थर के निकालने पर क्रमशः कुल कितना राजस्व पिछले 5 वित्तीय वर्षों में प्राप्त हुआ ? उपरोक्त जनपदों में बालू व पत्थर का किन-किन स्थानों पर खनन निष्कासन होता है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित --

जनपद नैनीताल में गावका, कोसी, फिका, कोठीसे, ठेला, सावल्दे, कसरवां, शारदा, कलोनिया, भाखड़ा, बौर, गोला व बेगुल तथा देहरादून के 82 क्षेत्रों में जिनमें टोंस, आसन, रिस्पना, बादल, सोंग, बिन्दाल, नागलराव, कालागढ़, नलौता, सुसवां, लाखान, बाल्दी, सौरना, शीतला नदियां, जुडखाला, कैरवान, पंछीखाला, मारसीगांवखाला, भुप्पूखाला, अम्बाड़ी, पंचायतखाला, सून्धी वाला खाला, बोगड्डाखाला, चोरखाला, रमेट-खाला, यमुना, भितरली, वयारकुली, कालीराव तथा भगवनपुरखाला सम्मिलित हैं, से विगत पांच वित्तीय वर्षों की आय निम्नवत् हैं --

1--नैनीताल

विगत पांच वर्षों की आय--

1,10,65,605.11

2--देहरादून

विगत पांच वर्षों की आय--

58,21,000.00

पौड़ी-गढ़वाल एवं टेहरी की नदियों से निकाली गयी बालू एवं पत्थर से प्राप्त आय

47--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल व टिहरी के किन-किन नदियों से क्रमशः किस दर से बालू, पत्थर के निकालने पर क्रमशः कुल कितना राजस्व पिछले 5 वित्तीय वर्षों में प्राप्त हुआ ? उपरोक्त जनपदों मे किन-किन स्थानों पर बालू पत्थर का खनन निष्कासन होता है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जनपद पौड़ी गढ़वाल में अलखानन्दा, खोह, मालन व नैयार नदी तथा टेहरी के भगीरथी, भिलंगना, अलखनन्दा तथा गंगा नदियों से निर्धारित दर से बालू, पत्थर आदि से विगत वित्तीय वर्षों की आय निम्नवत् हैं ।

1--पौड़ीगढ़वाल

विगत 5 वर्षों की आय--

51,85,608.04

2- टेहरी

विगत 5 वर्षों की आय--

11,39,114.00

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के श्रीनगर, कोटद्वार, बाघाट व सतपुली तथा टेहरी के टेहरी नगर के समीपवर्ती बगवान तथा मुनिकीरेती आदि स्थानों से बालू, पत्थर आदि का खनन, निष्कासन होता है ।

उत्तरकाशी एवं चमोली की
नदियों से निकाली गयी
बालू एवं पत्थर से
हुई आय

48--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी व चमोली के किन-किन नदियों से क्रमशः किस दर से बालू व पत्थर के निकालने पर क्रमशः कितना राजस्व पिछले 4 वित्तीय वर्षों में प्राप्त हुआ ? उपरोक्त जनपदों में किन-किन स्थानों से बालू व पत्थर का खनन निष्कासन होता है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जनपद चमोली में अलकनन्दा, बिरही, लाता, पिण्डर एवं नन्दाकिनी नदियों से निर्धारित दर से बालू पत्थर आदि से विगत 4 वित्तीय वर्षों की आय निम्नवत् है :--

1--चमोली--

विगत 4 वर्षों की आय-15,502,885रु0 इस जनपद में ग्राम लाता, रेणी, सुराई, ठोटा, भारवाड़ी (जोशी मठ), विरही, भेंरूणा, गोपेश्वर एवं धूनी से बालू पत्थर आदि का खनन निष्कासन होता है।

जनपद उत्तर काशी से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है।

अल्मोड़ा में विनोद नदी से कटाव

49--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विनोद नदी के द्वारा विगत पांच वर्षों से अपने प्रवाह बदलने के कारण तहसील रानीखेत के किन-किन ग्रामों की क्रमशः कितनी भूमि बंजर, कटाव क्षेत्र के अन्तर्गत हो गयी या बह गयी ? क्या सरकार इस क्षेत्र के कृषकों को न्यूनतम जोत को देखते हुए इस नदी के तटबन्धों को बांधने की योजना शीघ्र बना कर क्रियान्वित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी में शारदा सहायक,
बावतपुर राजबहा पर
रामसिंहपुर एवं भरतपुर
के निकट पुल निर्माण
की मांग

50--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक 38वां खंड, बाबतपुर राजबहा, वाराणसी के निर्माण से गांव रामसिंहपुर व भरतपुर बड़ागांव, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में पुल न होने से आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चक रोड के सामने गांव रामसिंहपुर व भरतपुर के किसानों को आवागमन हेतु एक पुल का निर्माण करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

रामसिंहपुर एवं भरतपुर ग्रामों को जोड़ने वाला चक मार्ग बाबतपुर राजबहे को 33.1 कि0 मी0 पर काटता है जहां पर पैदल पुल (फुट ब्रिज) आवागमन के लिए बनाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इसके ऊपर 32.5 कि0 मी0 पर तथा नीचे 33.5 कि0 मी0 पर ग्रामीण पुल का निर्माण स्वीकृत कर दिया गया है, जो इन ग्रामों के आवागमन के लिए भी उपलब्ध होगा।

वाराणसी जनपद में शारदा सहायक,
केराकत राजबहा को ग्राम
छतावतक निर्माण की
मांग और फतेहपुर
माइनर को चितौरा
तक निर्माण
की मांग

51--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक केराकत राजबहा

की दिनदासपुर माइनर, जिला वाराणसी को गांव छतांव के उत्तर तक ही खोद कर छोड़ दिया गया है ? क्या सरकार इस नहर को गांव छतांव के आखिरी दक्षिण तक खोदवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। केराकत राजबहा के कि0 मी0 29.600 पटरी दायीं से दीनदासपुर माइनर निकाली गई है। ग्राम छतांव, जिला वाराणसी में उपरोक्त माइनर नाद नदी तक खोद दी गई है। जिससे इस ग्राम की पूरी सिंचाई हो रही है।

52--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि केराकत राजबहा की दिनदासपुर माइनर, जिला वाराणसी के फतेहपुर माइनर चितौरा तक खोद कर नाद नदी में गिराना है ? यदि हां, तो पूरी खोदाई क्यों नहीं की गयी ? क्या यह भी सही है कि उक्त माइनर का फूलपुर-सिधौरा मार्ग में पुल भी नहीं बनाया गया है ? सिर्फ पाइप लगा दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

राजबहा केराकत के दीनदासपुर माइनर से फतेहपुर माइनर कि0 मी0 5.600 पटरी दायीं से निकाली गई है। तथा इस माइनर को नाद नदी में गिरा दिया गया है।

सिधोरा-फूलपुर मार्ग पर अभी पुल नहीं बना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी द्वारा ड्राइंग अनुमोदित हो जाने के बाद पुल बना दिया जायेगा जिसकी कार्यवाही चल रही है। आवागमन की सुविधा के लिए फिलहाल सड़क में पाइप डाल कर अस्थायी सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के लिपिकों की प्रतीक्षा सूची एवं कर्मचारियों की नियुक्ति में शासनादेशों का कथित उल्लंघन तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं कर्मचारियों के वेतन का आहरण

53--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1981 में प्रतियोगितात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण कनिष्ठ लिपिकों की प्रतीक्षा सूची में से कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्तियां वर्ष 1983 तक की गई हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रतीक्षा सूची को एक वर्ष से अधिक चलाने के क्या कारण हैं ? शासनादेश सं0 4/2/1977 (14)-कार्मिक-1, दिनांक 30-1-79 का उल्लंघन हुआ है तथा भारतीय संविधान की धारा 16 का भी उल्लंघन हुआ है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु अवसरों की समानता का अधिकार दिया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर चयन हेतु जो परीक्षा वर्ष 1981 में सम्पादित कराई गई थी, उसका परीक्षाफल अथवा प्रतीक्षा सूची प्रकाशित नहीं की गई थी। पदों की उपलब्धता पर उक्त सूची से अभ्यर्थियों को वर्ष 1983 तक नियुक्तियां दी जाती रहीं। चयन सूची केवल एक वर्ष तक ही प्रभावी रहेगी, इसका उल्लेख सिंचाई विभाग की अनुसचिवीय सेवा नियमावली, 1971 में नहीं है।

उक्त कार्यवाही से कार्मिक विभाग के शासनादेश, दिनांक 30 जनवरी, 1979 तथा भारतीय संविधान की धारा 16 का

उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

54—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सि0 वि0 द्वारा वर्ष 1980 से वर्ष 1985 के मध्य की गई समस्त लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों के उपरान्त नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति के पूर्ववृत्त की जांच के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 8/19-75 कार्मिक-2, दिनांक 7-5-76 का अनुपालन नहीं किया गया? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

55—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सि0 वि0 के विभिन्न अधिष्ठान अनुभागों द्वारा 1-1-85 से 1-4-85 के मध्य जो स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए, उन स्थानान्तरण आदेशों के कारण शासनादेश संख्या 14/1/1984 कार्मिक-2, दिनांक 7-4-84 के पैरा-12 का उल्लंघन हुआ है? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

56—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 20-3-82 कार्मिक-2, दिनांक 31-10-84 द्वारा शासन ने आदेश प्रसारित किए हैं कि तृतीय चतुर्थ श्रेणी के राज्याधीन समस्त पदों पर दिनांक 1-11-84 से भर्ती केवल चयन समिति के माध्यम से की जायेगी? यदि हां, तो क्या प्रमुख अभियन्ता कार्यालय का ज्ञापांक 2436/ई-4-बी-587-सी0, दिनांक 15-4-85 के द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है? क्या उक्त ज्ञापांक द्वारा भरी गई रिक्तियों को अधिसूचना सेवायोजन कार्यालय को किया जा चुका है? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के ज्ञाप संख्या 2436/ई-4, दिनांक 15-4-85 द्वारा 11 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। इससे कथित शासनादेश, दिनांक 31-10-84 का उल्लंघन नहीं होता है क्योंकि रिक्तियां दिनांक 1-11-84 के पूर्व की थीं तथा उन रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा अगस्त, 1984 में ली गई थी। प्रमुख अभियन्ता के उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा भरी गई रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को दी गई थी। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

57—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में लखनऊ मुख्यालय पर दिनांक 1-4-82 से 1-5-83 तक वरिष्ठ लिपिकों के कितने स्वीकृत पद उपलब्ध थे तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल कितने वरिष्ठ लिपिकों का वेतन आहरित किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग में लखनऊ मुख्यालय पर दिनांक 1-4-82 से 1-5-83 तक वरिष्ठ लिपिकों के 103 पद स्वीकृत थे तथा उतने ही वरिष्ठ लिपिकों का वेतन उक्त अवधि में आहरित किया गया।

सप्तम् मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ के अधीन खण्डीय कार्यालयों में लिपिकों के चयन सम्बन्धी शिकायती-पत्र

58- श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सप्तम् मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ के अधीन खण्डीय कार्यालय में रिक्त 8 कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर वर्ष 1983 में जो नियमित भर्ती विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी है, उनके विरुद्ध कुल कितने शिकायती-पत्र मण्डलीय कार्यालय में प्राप्त हुए तथा उन पर अन्तिम कार्यवाही क्या हुई ? उपरोक्त पदों पर भर्ती से पूर्व विभागीय चयन समिति द्वारा क्या रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम, 1959 की धारा 4(1) तथा धारा 7 के अनुरूप सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ को सूचना दी गयी ? किसी भी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रसारित कराया गया अथवा अपन विभागान्तर्गत मण्डलीय खण्डीय कार्यालयों को कोई परिपत्र तद्विषयक जारी किया गया ? यदि नहीं, तो उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत चयन के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र मण्डलीय कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । चयन से पूर्व रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ को दी गयी । सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ को भेजी गयी रिक्तियों की सूचना की एक प्रति मण्डलीय कार्यालय के सूचना पट पर लगायी गयी थी । दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन अथवा विभागान्तर्गत परिपत्र नहीं जारी किया गया । "अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली" के अनुसार विज्ञापन भेजना या परिपत्र जारी करना आवश्यक नहीं है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता, नलकूप विश्व बैंक संगठन में लिपिकों की नियुक्ति

59--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (नलकूप विश्व बैंक) के संगठन में 83 और 84 में कनिष्ठ लिपिकों के पद पर कितने व्यक्तियों की तदर्थ नियुक्ति की गयी ह ? क्या इन पदों पर भर्ती से पूर्व सेवायोजन कार्यालय की रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम, 1959 की धारा-4(1) तथा धारा-7 के अनुरूप सूचना दी गयी ? इन पदों को भरने से पूर्व शासनादेश 19/5/81-कार्मिक-1, दिनांक 24-4-82 तथा शासनादेश संख्या 19/5/81-कार्मिक-1, दिनांक 28-8-81 का पालन किया गया ? यदि नही, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर शासनादेश संख्या 19-5-81-कार्मिक-1, दिनांक 22-3-84 के पैरा-4 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मुख्य अभियन्ता, नलकूप विश्व बैंक संगठन में वर्ष 1983-84 में कनिष्ठ लिपिकों के 9 पदों पर अपरिहार्य एवं नितान्त आवश्यक परिस्थितियों में अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत एक वर्ष से कम की अवधि के लिए ही नियुक्तियां की गयी थीं । भविष्य के लिए कार्मिक विभाग के शासनादेश, दिनक 22-3-84 के पैरा 4 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता को निर्देश दिये जा रहे हैं ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के आशुलिपिकों का स्थानान्तरण

60--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, उ० प्र० द्वारा 1-1-85 से 28-2-85 तक कितने आशुलिपिकों/कनिष्ठ लिपिकों का स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर अन्यत्र जनपदों को शासन को बिना पूर्वानुमति से किया गया है ? क्या यह सही है कि ऐसा करने से शासन द्वारा सत्र 1984-85 के लिए स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाने विषयक निर्गत शासनादेश का उल्लंघन हुआ है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत अवधि में केवल एक आशुलिपिक का स्थानान्तरण शासन की बिना पूर्व अनुमति के लखनऊ से बाहर किया गया था। उक्त स्थानान्तरण कतिपय विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित आशुलिपिक द्वारा की गई प्रार्थना तथा स्वयं के खर्चे पर सद्भाव में किया गया था। अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है।

स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्वयं की प्रार्थना पर भी भविष्य में बिना शासन की अनुमति के कोई स्थानान्तरण आदेश पारित न करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

शारदा सहायक कार्य खण्ड, 28 हैदरगढ़, बाराबंकी के कर्मचारियों का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

61--श्री हफीज भारती--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि शारदा सहायक कार्य खण्ड 28, हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जोकि विगत पांच वर्षों या अधिक समय से उसी कार्यालय में कार्यरत हैं ? अब तक ऐसे कर्मचारियों के स्थानान्तरण अन्यत्र न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार अब ऐसे सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद बाराबंकी के बाहर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शारदा सहायक कार्य खण्ड 28, हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी में कुल 80 कर्मचारी विगत 5 वर्षों या अधिक समय से उसी कार्यालय में कार्यरत हैं। इनमें से 67 खंडीय कर्मचारी हैं जिनका स्थानान्तरण सामान्यतः खण्ड से बाहर नहीं किया जाता है। 7 वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के खण्डीय स्तर पर पटल परिवर्तन कर दिये गये हैं। एक कर्मचारी नवम्बर, 1985 में सेवा-निवृत्त हो रहे हैं। जिससे इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया। 3 कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जा चुका है, शेष का कार्यहित में स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

सीमान्त जिलों में उद्योग विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

62--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1974 से सीमान्त जिलों में उद्योग विभाग के अन्तर्गत लगभग सभी पद शासनादेश संख्या 409 (आर)-18-1/20 (आर)-74, दिनांक 29-8-74 से स्थायी घोषित किए गए थे, जिन पदों पर उद्योग निदेशक द्वारा स्थायीकरण किया जाना था उन पदों पर अभी तक स्थायीकरण क्यों नहीं किया गया है जबकि शासन ने लोक सेवा आयोग से 3 वर्ष से अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश भी प्रसारित कर दिए हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

सीमान्त जिलों में चल रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थायी घोषित 120 पदों में से 101 पदों पर कर्मचारियों को स्थायी किया जा चुका है । एक पद रिक्त है । शेष 18 पदों के सम्बन्ध में यथाआवश्यक कार्यवाही हो रही है ।

द्वादशम मण्डल, सिंचाई विभाग, लखनऊ के लिपिकों का समयमान वेतन मान का लाभ

63—श्री राजेन्द्र गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्न कर्ता द्वारा पूछ गए अता0 प्र0 सं0 33 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एकत्र की गई सूचना क्या है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

शासनादेश संख्या 210/दस-83-सं0 व्य0 (स)/82, दिनांक 4-2-83 द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान का लाभ द्वादशम मण्डल, सिंचाई, लखनऊ के 9 कनिष्ठ लिपिकों को, जो शासनादेश में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति करते हैं, अधीक्षण अभियन्ता के निम्न आदेशों द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है :—

1—आदेश संख्या 8434, दिनांक 11-9-84

(5 कनिष्ठ लिपिकों को)

2—आदेश संख्या 10960, दिनांक 5-12-84

(1 कनिष्ठ लिपिक को)

3—आदेश संख्या 11063, दिनांक 18-2-85

(2 कनिष्ठ लिपिकों को)

4—आदेश संख्या 3927, दिनांक 1-7-85

(1 कनिष्ठ लिपिक को)

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, ठेकेदार, ग्राम बरदहा, इलाहाबाद द्वारा नलकूपों पर कराये गए कार्यों के भुगतान की मांग

64—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री रमेश चन्द्र मिश्र, ठेकेदार ग्राम बरदहा, पो0 करछना, इलाहाबाद के द्वारा करछना क्षेत्र में नलकूपों पर विभिन्न कार्यादेशों के अन्तर्गत लिफ्ट सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद में कराए गए सन् 1981, 1982, 1983 के कामों के अवशेष देयों का रुपया 7515 तथा 10 प्रतिशत काटी गई प्रतिभूति रुपए 11,454 का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवशेष धनराशि का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, ठेकेदार, ग्राम बरदहा, पोस्ट करछना, जिला इलाहाबाद द्वारा करछना क्षेत्र में नलकूपों पर विभिन्न कार्यादेशों के अन्तर्गत लिफ्ट सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद में कराये गये कार्यों के अवशेष की पूर्ण धनराशि रुपये 7,710.50 का भुगतान कर दिया गया है तथा काटी गयी 10 प्रतिशत प्रतिभूति रुपये 11,454.00 में से रुपये 7,762.00 का भुगतान कर दिया गया है । शेष धनराशि रुपये 3,692.00 का भुगतान भी शीघ्र कर दिया जायेगा ।

राज्य विद्युत् परिषद् में कार्यरत कन्ट्रैक्ट लेबर के वेतन का भुगतान

65--श्री मित्रसेन--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कन्ट्रैक्ट लेबर जो राज्य विद्युत् परिषद् में काम कर रहे हैं उनको कन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एन्ड एबालेशन, 1976 के अनुसार वह सारी सुविधायें और अनुमन्य वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

66—श्री देवकुमार यादव--

[4 थे सोमवार में अता० प्र० सं० 126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, प्रश्नों के ऊपर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप क्या व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने भी एक दिया था ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय बदन सिंह को बुला लिया है ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, वह शुरू से लेकर अन्त तक असत्य है । मान्यवर, इस माननीय सदन में मुझे दो मौके दिये गये और दूसरे माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए मौका भी नहीं दिया गया । तो मैं मान्यवर, चाहता हूं कि इस असत्य उत्तर के सम्बन्ध में हमको और मौका मिल सके, इस पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा कराने की आज्ञा प्रदान करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

आप लिखकर देंगे तो विचार किया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

प्रश्नों के उत्तर के अलावा मान्यवर, हमें और कुछ नहीं मिलता ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य स्पष्ट कर दें कि उत्तर के अलावा और क्या चाहते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, उसके आगे हम क्या चाहते हैं, यह आप जानते हैं ?

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न संख्या 3, 4 की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक ही प्रश्न के दो हिस्से हैं, पहले हिस्से का उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैंने जो सूचना मांगी है, वह एक ही स्थान से सम्बन्धित है, एक छोटी सी कन्सर्न है, उससे सम्बन्धित है और दूसरे हिस्से का जिसका गलत जवाब देना था, गलत जवाब लिखकर दे दिया । एक तो माननीय उद्योग मंत्री से सम्बन्धित मामला है और दूसरा सिंचाई मंत्री जी से सम्बन्धित मामला है । इसको मान्यवर, देखें, प्रश्न संख्या 55--सूचना एकत्रित की जा रही है । मान्यवर, एजेंडे में आप देखें कि यह प्रश्न 6-5-85 को किया गया था, इसका अन्तरिम उत्तर आया 17-5-85 को "सूचना एकत्रित की जा रही है" और आज की तारीख में भी सूचना एकत्र की जा रही है । इस प्रकार के जो जवाब दिये जा रहे हैं, उसके बाद एक मौका और मिलेगा और बैठक स्थगित हो जायेगी । तो मान्यवर, सूचना एकत्र की जा रही है, जब शासन की तरफ से उत्तर देने में

शासन की अक्षमता साबित होती है, तो उसको दबाने के लिए प्रयास किया जाता है। नियमों के मुताबिक हमारे प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर मिलने चाहिये। हमने सिर्फ यह पूछा था कि शासनादेश का उल्लंघन हुआ है या नहीं और उस शासनादेश को पढ़ने की फुरसत सिंचाई मंत्री जी के अधिकारियों के पास नहीं है कि वह पढ़कर भेज देते कि इसका उल्लंघन हुआ है कि नहीं। मान्यवर, बार-बार सूचना जब एकत्रित की जा रही है, तो आगे भी सूचना एकत्र की जा रही है यही जवाब आयेगा। शासन के निर्देश के मुताबिक इसमें शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। वह उसमें फंस रहे हैं तो मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि कब तक शासन पक्ष को इस बात की छूट देते रहेंगे कि वह टाल-मटौल करने वाले जवाब सदन को देते रहेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह भ्रम है। हमने अपने विभाग से कह रखा है कि वह सही उत्तर दें, क्योंकि सही उत्तर न देने पर, जो माननीय सदस्य सवाल पूछते हैं यदि वह संतुष्ट नहीं होते हैं। तो उनके सवाल पूछने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

दूसरी बात हमने यह भी कही है कि "सूचना एकत्र की जा रही है" जवाब में यह नहीं दिया जायेगा। सूचना एकत्र करके लायी जायेगी और जो टाल-मटोल की बात कही गई, तो टाल-मटोल कहीं नहीं हो रही है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने उद्योग विभाग से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठे। मैं व्यवस्था के प्रश्न पर कह रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यूनिसेफ के बारे में जो प्रश्न उठाया है, उसके एक हिस्से के उत्तर में कहा है...

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात को बार-बार दोहरा रहे हैं। आप मुझे व्यवस्था देने देंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कहने लगा था।

श्री अधिष्ठाता--

क्या आपका एक बार ध्यान आकर्षित करना ठीक नहीं है ? आप नियमों को देखें, किन्हीं कारणों से मंत्री संतुष्ट नहीं हैं। तो वह स्थगित हो जाता है। माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं। जहां तक इस प्रश्न का सन्दर्भ है। इसमें सूचना एकत्र की जा रही है। दो सप्ताह इसमें लग जायेंगे, उसके बाद आप व्यवस्था उठा सकते हैं, यह तो कोई व्यवस्था नहीं हुई।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के केन्द्रीय भण्डार में लाखों रुपयों का घोटाला करने वालों को दंडित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय 12 बजकर 27 मिनट)

श्री अधिष्ठाता--

मुझे नियम 301 के अन्तर्गत 31 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। 31 सूचनाओं में हमें सात सूचनाएं स्वीकार करनी थीं।

एक सदस्य--

मान्यवर, आप तो उद्योग मंत्री रह चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता--

इसीलिये हमने अपनी उदारता दिखाते हुये आठ सूचनाएं स्वीकार की हैं । जिनकी सूचनाएं स्वीकार की हैं, उनके नाम हैं, श्री सुखपाल पाण्डे जी, श्री बदन सिंह जी, श्री अशोक बाजपेयी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री मयंकर सिंह, श्री सरदार सिंह तथा श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। 24 अप्रैल, 1984 को तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने विभाग के लखनऊ स्थित केन्द्रीय भण्डार पर छापा मारकार लाखों रुपया का घोटाला पकड़ा, जिसके बाउचर फर्जी मुगतान दिखाया गया था किन्तु सामग्री कार्यशाला में नहीं थी । माननीय मंत्री जी ने गोदाम को सील्ड करके एक अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा फोरमैन को निलम्बित करने तथा घोटाले की जांच मुख्य अभियन्ता को दिया था । पुनः जांच अधिकारी बदल कर संयुक्त सचिव को किया गया, जांच प्रारम्भ नहीं हुई । सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है । अब तक निलम्बित नहीं किया गया और अभियन्ता की पदोन्नति करके लखनऊ में नियुक्त किया गया ताकि मामले को खत्म कर सकें । सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारी और सम्बन्धित दोषी अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं । सील गोदाम में तीन जीपें, एक कार, डेढ़ साल से बन्द खड़े हैं जो नष्ट हो चुकी हैं । घोटाले को दबाने के लिए अधिकारी राजनैतिक लोग लगे हैं ।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अधिकारियों को निलम्बित किया जाय, पदोन्नति समाप्त करके दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय ।

आगरा जनपद की तहसील किरावली के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में कतिपय गांवों के पशुओं में भयंकर बीमारियां फैलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह--

मान्यवर, जनपद की तहसील किरावली के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत स्थित सुरौठी, मड़ोली, नयावास, दौलतबाद, गोठरा व बसेहरी काजी, अकोला ब्लाक की इकरामनगर, बसहरी, चाहरलोरिया नारौल, खेड़िया, गेरकिला व नगला जसोदा और अंछनेरा ब्लाक के अरुआंखा नगला अरुआ व मांगरौलजाट आदि गांवों के अन्दर पशुओं में घूरंका व गलघोटू का भयंकर रोग फैल जाने से गत 15 दिनों में हजारों दुधारू व कीमती पशु कालकवलित हो गये हैं । यहां इतने भयंकर रोग को रोकथाम करने के लिए जिला प्रशासन ने कोई भी सरकारी पशु डाक्टरों की व्यवस्था नहीं की है । जिससे मृतक पशु स्वामियों में भारी क्षोभ व्याप्त है और आस-पास के गांवों में भी यह भयंकर रोग पशुओं में फैलने की आशंका से किसान चिन्ताग्रस्त हैं । इस क्षेत्र में इस रोग की भयंकरता से हुई पशुहानि से हाय-हाय व त्राहि-त्राहि मची हुई है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के माध्यम से उक्त क्षेत्र में योग्य पशु डाक्टर दल भेजने, स्वास्थ्य उदासीन पशु डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा मृतक पशु स्वामियों की सहायता की मांग शासन से करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी योजना एवं राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत लाखों रुपये के घोटाले की जांच किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 1984–85 में ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी योजना एवं राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को आवंटित किया गया था जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के निर्माण, पुलिया एवं मिट्टी का कार्य होना था। इस धनराशि में पुलियों के निर्माण हेतु 40 लाख रुपये के ह्यूम पाईप के खरीदने हेतु भुगतान किया गया। जनपद में कुल 50 पुलियों का निर्माण कराया गया जिसमें केवल 1 लाख 30 हजार रुपये के ह्यूम पाईप ही लगाये गये शेष धनराशि विभाग के उच्चाधिकारियों ने मिल बांट कर हजम करली, स्वीकृत मिट्टी के कार्य में भी गम्भीर अनियमिततायें बरती गयीं तथा अन्य विभागों की तुलना में मिट्टी के कार्य पर तिगुना पैसा खर्च किया गया। यही नहीं बेरोजगारों को कार्य उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति मिट्टी के कार्य का पैसा सोलिंग के कार्य पर खर्च किया गया और प्रति कि0 मी0 सोलिंग के एग्रीमेंट पर 5 हजार रुपया ठेकेदारों से वसूला गया। सारा विभाग भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबा है तथा स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत पैसा भी निर्माण–कार्यों में नहीं लगाया जा रहा है। इस सारी लूट में विभागीय अधिकारियों का हाथ है। इन घटनाओं से क्षेत्रीय जनता में घोर असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः जनमहत्व के अविलम्बनीय एवं तात्कालिक प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना में अपना दायित्व समझता हूं तथा शासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं।

उपविद्यालय निरीक्षक, हरदोई द्वारा बेसिक शिक्षकों को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जनपद हरदोई के बेसिक शिक्षक उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शोषण और उत्पीड़न के शिकार बन रहे हैं। जिले के दोनों सांसदों और पांच विधायकों द्वारा उनके भ्रष्ट कारनामों के कारण, मांग किये जाने पर स्थानान्तरण किया गया। किन्तु किसी तरह उसे स्थगित कराकर पुनः योगदान कर लिया है। योगदान रिपोर्ट स्वयं देकर अपने द्वारा प्रमाणित भी कर ली। कुछ शिक्षकों को चरित्र–पंजिकाओं में पूर्व अधिकारियों द्वारा की गयी अनुकूल प्रविष्टियों को काट कर प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी। श्री मुन्नू सिंह एवं शत्रुघ्न सिंह की चरित्र पंजिकाएं स्पष्ट सबूत हैं। जिला एवं मण्डलीय क्रीड़ा समारोह के हिसाब–किताब में गड़बड़ी की। शिक्षकों के चयन वेतनमान में उनसे अवैध धन वसूल किया। स्थानान्तरणों एवं एरियर भुगतान आदि में बेशुमार धन बटोरा! न्यायिक जांच बैठायी गयी, किन्तु दोष सिद्ध होते देखे, दबाव डालकर उसे भी स्थगित करा दिया गया।

इस स्थिति में हरदोई का शिक्षा विभाग अत्यन्त दयनीय स्थिति में पहुंच गया है।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन द्वारा तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

फैजाबाद में लगातार बालिकाओं के अपहरण होने से जनता में भय एवं क्षोभ उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी--

महोदय, फैजाबाद नगर में बालिकाओं के अपहरण का सिलसिला लगातार चालू है तथा अब तक आधे दर्जन बालिकाओं का अपहरण किया जा चुका है। बुधवार को लक्ष्मी और गुड्डी नामक क्रमशः 6 व 4 वर्षीय बालिकाओं को उनके घर के पास एक महिला एवं एक पुरुष बिस्कुट दे करके बहका ले गये। दो बालिकाओं का अपहरण का प्रयास रीडगंज के पास हुआ। हाजी करीम की भी पत्नी का अपहरण हुआ। पुलिस ने इस सम्बन्ध में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। इस प्रकार की घटनाओं की अफवाहें रोज सुनाई पड़ती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को लौटने तक उनके अभिभावक चिंतित रहते हैं। इस प्रकार यह घटनाएं एक निश्चित षडयंत्र के तहत करके उनको बेंच दिया जाता है। इस घटना में अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है। इस तरह के अपहरण कर के बेचने के मामले को लेकर वहां की जनता के मन में भय, आतंक, क्षोभ एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है। अतः लोक-महत्व के अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

घाघरा नदी की बाढ़ से बहराइच जिले में तबाही तथा जिलाधिकारी द्वारा राहत कार्य में उदासीनता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मयंकर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से आवरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि बहराइच जिले की घाघरा नदी में प्रलयंकारी बाढ़ आ गयी है। फखरपुर, कैसरगंज, महसी ब्लाकों के तमाम गांव उसकी लपेट में आ गये हैं। ग्राम मुन्सारी, परगना फखरपुर गांव के लगभग पचासों घर कट कर जल समाधि ले चुके हैं। मुंसरी, मुरौवा, मगरवल, सुकईपुर आदि गांवों के लोग अपने को असुरक्षित समझ जान-माल की रक्षा हेतु घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। अहाता गांव की एक नाव घाघरा में उलटने से दर्जनों लोग डूबकर मर गये। उनके शव तक नहीं मिले। केवल एक शव निकाला जा सका। परन्तु शासन को सूचना देने के बाद भी न तो कोई राहत कार्य किया। सूचना पाने के बाद भी जिलाधिकारी, बहराइच घटना-स्थल तक नहीं पहुंच सके। नागरिकों को निकालने तथा राहत कार्य की वहां कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अतः मांग करता हूं कि उपरोक्त ग्रामों की सुरक्षा हेतु तत्काल पक्के तटबन्ध का निर्माण किया जाय, अन्यथा 10,000 की आबादी का गांव कट कर बह जायेगा तथा जिनके घर कटकर बह गये हैं, उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता राहत सामग्री उपलब्ध करायी जाय।

जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा यमुना नदी में साड़ियों के धुलने पर रोक लगाने से उत्पन्न हजारों लोगों में भुखमरी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, साड़ी उद्योग देश के पिछड़े शहर मथुरा का मुख्य उद्योग है, जिस पर लगभग 50,000 नर-नारी व बच्चे अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। शासन को भी अच्छे राजस्व की प्राप्ति इस उद्योग से होती है। गत माह में जिला-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धिकारी, मथुरा ने साड़ियों को यमुना नदी व यमुना नदी के बाहर धुलने पर रोक लगा दी है। इस कारण यह उद्योग तबाह हो गया है। सम्बन्धित हजारों परिवार भूखों मरने लगे हैं। मजदूर लोग अनशन कर रहे हैं। शासन को चाहिये था कि वह धुलाई पर प्रतिबन्ध लगाने से पहले साड़ियों की धुलाई के लिए राजस्थान सरकार की भांति कुछ ट्रीटमेंट प्लान्ट उपयुक्त स्थान पर लगा देता, लेकिन अदूरदर्शी सरकार ने ऐसा नहीं किया और हजारों आदमियों के पेट पर भयंकर चोट मारी है। इससे मथुरा शहर में आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

सीतापुर के सिंचाई विभाग इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टाफ एसोसियेशन के सचिव तथा मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के स्थानान्तरण की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

महोदय, मैं शासन को सीतापुर के सिंचाई विभाग इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टाफ एसोसियेशन के सचिव तथा मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की समस्या से अवगत कराना चाहता हूं। अधीक्षण अभियन्ता, द्वादश मंडल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के आदेश से इनका स्थानान्तरण लखीमपुर-खीरी किया गया था। यह अल्पवेतन भोगी कर्मचारी लखीमपुर जाने के लिये उत्सुक नहीं थे और न ही लखीमपुर के कर्मचारी सीतापुर आने के लिये इच्छुक थे। परन्तु आदेश प्राप्त होने के बाद यह जाने के लिये तैयार हो गये परन्तु लखीमपुर-खीरी के व सीतापुर के सिंचाई विभाग के अधिकारी इनको वहां ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। इससे इन अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के सामने समस्या उत्पन्न हो गयी है।

अतः इन कर्मचारियों की समस्याओं को शासन अविलम्ब हल कराने का प्रयत्न करे तथा शासनादेश के अनुसार अवैधानिक स्थानान्तरण को रद्द कर तथा अन्य कर्मचारियों को चार्ज दिलाया जाय।

सदन की भाषा हिन्दी की उपेक्षा करके पर्यटन विभाग द्वारा विलम्ब से और रोमन लिपि में मुद्रित कैलेन्डर के सदन में वितरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं औचित्य के प्रश्नों को लेता हूं। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो प्रश्न उठाया है, उनसे मैं कहूंगा कि वे कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 282 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सदन की भाषा हिन्दी है और लिपि देवनागरी है। करण संख्या 215 में भी स्पष्ट उल्लेख है - उत्तर प्रदेश विधान सभा की भाषा नियमानुसार हिन्दी है और उसे देवनागरी लिपि में लिखना आवश्यक है। जब तक इस प्रकार का प्राविधान नियमों में है तब तक विधान सभा सचिवालय में अन्य किसी भाषा या लिपि में कार्य नहीं होगा और न किसी अन्य भाषा या लिपि में प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही होगी। उत्तर प्रदेश के निवासियों से प्राप्त पत्रों के लिए यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निदेश लागू होगा । अगर कोई विदेशी अंग्रेजी में पत्र भेजेंगे, तो उन्हें आप स्वीकार करते हैं ।

मान्यवर, मैं इसी संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कैलेंडर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । बजट साहित्य नहीं दिया गया है । पटल कार्यालय से जिन माननीय सदस्यों को दिया गया है, उनसे हस्ताक्षर लेकर इसे उपलब्ध किया गया है ।

मान्यवर, वर्ष 1985 के 7 माह बीत चुके हैं 5 माह शेष हैं । मान्यवर, होता यह है कि जब नया वर्ष शुरू होता है, तब कैलेंडर दिया जाता है । यह जो वितरित कर रहे हैं, इसमें मंशा क्या है ? माननीय मुख्य मंत्री जी ही के पास इस पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी है । कल वे सदन में बोल रहे थे कि हिन्दी में कामकाज की बाबत यदि समिति बनायेंगे तो अन्य प्रदेशों में समझा जायेगा कि यहां पर हिन्दी में कार्य नहीं हो रहा है । मान्यवर, मैं सूरज को दीपक दिखाने वाली बात नहीं कहूंगा ।

मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप सेक्सपियर और लेनिन को पढ़ाना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा । नैनीताल में क्या है ? प्रयाग में क्या है ? अगर वे रोमन लिपि में लिख कर देते हैं, तो स्पष्ट नहीं होता कि इसके पीछे मन्तव्य क्या है, आशय क्या है ?

मान्यवर, यह नियमों का उल्लंघन है, मुख्य मंत्री को सदन में माफी मांगनी चाहिये । यह शासनादेशों का उल्लंघन है । इस सचिवालय की तरफ से कैलेंडर, जो रोमन लिपि में हैं, उनको वितरित नहीं किया जाना चाहिये । अगर नैतिकता है, माननीय मुख्य मंत्री जी हिन्दी का सम्मान करते हैं, राजभाषा का सम्मान करते हैं, तो उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिये और अपना वक्तव्य देना चाहिये ।

माननीय मुख्य मंत्री जी के विभाग की ओर से, जिसके वे जिम्मेदार हैं, अगर ऐसी बात की जायेगी तो निश्चित तौर से जिलाधिकारी और सचिवालय के जितने भी अधिकारी हैं, राजभाषा का अपमान करेंगे ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, हमारे विद्वान साथी माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने उत्तेजना में भाषण दिया । आमतौर पर वे शांत स्वभाव में बोलते हैं । मान्यवर, आपको भी जानकारी है कि जब भी कोई बजट किसी विभाग का आता है और उस विभाग के बजट साहित्य के साथ यदि कोई अन्य सामग्री उस विभाग के पास होती है तो सदैव यह प्रयास किया जाता है कि उस सामग्री को भी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा दिया जाय । दो दिन पहले जब स्वास्थ्य विभाग का बजट यहां पर आया था, तो आप लोगों को अटैची दी गई थी । अटैची तो बजट साहित्य का कोई भाग नहीं था । जो कैलेंडर आपको दिया गया है, जिसके बारे में आपने कहा कि वह हिन्दी में नहीं है, मेरा कहना है कि यह कैलेंडर शासन के आदेशों से नहीं छपा है और न ही यह बजट साहित्य का कोई भाग है । यह तो आपको घर में लगाने के लिए दिया गया है ।

(अत्यधिक शोर के मध्य श्री राजेन्द्र गुप्त के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री गुप्त जी आप बैठ जायें । मैं पहले इस पर अपनी व्यवस्था तो दे दूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह--

मैं बड़े अदब के साथ अपने विद्वान साथी से कहना चाहता हूं कि उनके पास तो दक्षिण तथा विदेशी लोग भी आते हैं। अगर उनकी सुविधा के लिए इस कैलेंडर को वे दीवाल पर लगा लें, तो कोई बुरी चीज नहीं है। यह जो कैलेंडर आपको दिया गया है, यह कोई आपकी भावना से खेलने के लिए नहीं दिया गया है। यह तो बड़े आदर और सम्मान के साथ आपको अर्पित किया गया है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

मैं विषय की महत्ता को समझता हूं। इसलिए पहले मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे दूं। कृपया आप लोग बैठ जायें। माननीय सदस्य ने दो बातें उठाई। पहला, यह कि इसे प्रचार सामग्री के लिए बांटा गया है। मैं समझता हूं कि विभाग द्वारा इस प्रकार की चीजों को दिये जाने की परम्परा रही है, यह कोई नई बात नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप और इस आदरणीय सदन की भावना के अनुरूप हमें राष्ट्र भाषा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह यह देखें कि जब भी कभी कोई ऐसी सामग्री उत्तर प्रदेश शासन या उससे संचालित होने वाली संस्था द्वारा दिया जाता है तो वह हिन्दी में ही होनी चाहिए।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, मेरे सुयोग्य साथी के प्रश्न के उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री ज ने अपना स्पष्टीकरण दिया। मैं सम्मानित सदस्य बनारस, कैन्ट से आग्रह करूंगा कि यह सही है कि जो कैलेंडर शासन द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं, वे राष्ट्र भाषा हिन्दी में होने चाहिये। जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं कि यह पर्यटन विभाग है, जिसे अंग्रेजी में टूरिज्म कहते हैं, जो राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय होता है। पर्यटन केवल सामाजिक पर्यटन मात्र नहीं होता है, उसमें दूसरे प्रदेशों के लोगों को भी आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। विदेशी लोग भी आते हैं। शायद मुझे गलत जानकारी न हो, बनारस का बहुत बड़ा हिस्सा उनके क्षेत्र में पड़ता है। बनारस में लाखों पर्यटक हर साल आते हैं, उसमें विदेशी पर्यटक भी होते हैं। कई पर्यटक अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से आते हैं। बनारस में शिव का मन्दिर व विश्वनाथ मन्दिर देखने लोग आते हैं, जो हिन्दी नहीं जानते हैं। यदि उनकी सुविधा के लिए अंग्रेजी में कैलेंडर छाप दिया तो इसमें इतना कुपित होने की आवश्यकता नहीं है। संसदीय कोप का तो हमें कोपभाजन होना ही पड़ता है लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे विद्वान साथियों की विद्वता का तो कोपभाजन न होना पड़े, इसकी आशा मुझे उनसे है।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं, अगला आप देखें। आपकी भावनाओं के अनुरूप माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। पर्यटन विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका सम्बन्ध केवल आपके प्रदेश से ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी है और मैंने कह दिया कि प्रयास किया जाना चाहिये कि यह हिन्दी में हो।

सदन के चलते सदन के बाहर फैजाबाद में उच्च न्यायालय की शाखा खोलने की विधि मंत्री द्वारा घोषणा करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया है, मान्यवर, सामान्यतया यह परम्परा रही है और नियम है तथा समय-समय पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपकी पीठ से ऐसे निर्देश भी हुए हैं कि विधान सभा का सत्र चलते हुए उस समय कोई मंत्री नीतिगत घोषणायें सदन के बाहर नहीं करेगा। अभी 30 तारीख को माननीय कानून मंत्री ने फैजाबाद में इस बात की घोषणा की कि हम उच्च न्यायालय की खंड पीठ (शाखा), खोलने जा रहे हैं। मान्यवर, यह हाई कोर्ट का मामला है और जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा विवाद है कि हाई कोर्ट की दूसरी शाखा खुले या न खुले। खोलने के पक्ष में भी आन्दोलन हो रहे हैं और न खुलने के पक्ष में भी आन्दोलन हो रहे हैं। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कर्ट के वकील दूसरी जगह न खुले इसके लिए आन्दोलन कर रहे हैं और पश्चिमी जिलों के लोग नयी शाखा खुले और पूर्वी जिलों के लोग नयी शाखा न खुले, इसके लिए आन्दोलन कर रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर जबकि सदन चल रहा है, सदन के बाहर घोषणा करना मन्त्री जी का केवल हम सदस्यों का ही नहीं बल्कि इस पूरे सदन की अवमानना की है और आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों के विपरीत है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

न्याय राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

मैंने, मान्यवर ऐसी कोई बात नहीं कही।

जन प्रतिनिधियों की जनता के बीच में जाने तथा अपने कर्त्तव्यों का पालन करने से रोकने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मित्रसेन--

जो मैंने औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत किया है उसके बारे में आप देख लें, फोटोस्टेट कापी लगा दी है। आपकी पीठ से जानना चाहता हूं कि क्या किसी जन प्रतिनिधि को जिले का कलेक्टर या एस0पी0 अपने क्षेत्र में जाने से, जनता के बीच में जाने से, अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोक सकता है। श्री डी0 एन0 श्रीवास्तव, डी0 एम0 फैजाबाद ने मुझे एक घटना के संबंध में लिखा है कि आप उसके आस-पास न जायें, उसके क्षत्र में न जायें, आपके जाने से किसी तरह की घटना घट सकती है, शान्ति भंग हो सकती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री परिषद् के सदस्यों को जनता के विकास के कार्य से, शान्ति व्यवस्था की दृष्टिकोण से, अन्य सार्वजनिक कार्यों से रोक सकते हैं। क्या यह हम लोगों के कर्तव्य पालन में बाधा नहीं है। लोक तांत्रिक कार्यों में बाधा नहीं है, इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया तो प्रधान मंत्री पंजाब नहीं जा सकेंगे, मुख्य मंत्री बाजपुर नहीं जा सकते। घटनाओं के बारे में भी हम लोगों को जानने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, यह पत्र है, अगर इजाजत दें तो पढ़ कर सुना दूं....

श्री अधिष्ठाता--

आपने अपनी बात कह दी है...

श्री मित्रसेन--

आसानी होगी, सदन को नहीं मालूम है, मालूम हो जायेगा....

श्री अधिष्ठाता--

आपका पत्र नत्थी तो है....

श्री मित्रसेन--

अभी संसदीय कार्य मंत्री को न बुलायें, हम लोगों को सुन लें, पूरे सदन को मालूम हो जाय....

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

आपकी आज्ञा से और सभी सम्मनित सदस्यों को जानकारी देते हुए कि जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कापी लगाई गई है, जिस पत्र का हवाला दिया गया है, मान्यवर, वह 13 मार्च, 1985 का है। मार्च, 1985 के बाद हम यहां बैठ भी चुके हैं उसके बाद कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं हुई। मार्च, 1985 में सुझाव दिया गया कि कोई घटना हो गई है जिसके कारण कुछ कठिनाई आ सकती है इसलिए आप वहां न जायें तो मार्च के बाद आज 31 जुलाई को इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाना कहां तक उचित है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मुझे इसको पूरा पढ़ लेने दें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय यादव जी, मैंने आपको सुन लिया है, माननीय मंत्री जी को भी सुना। इसमें बाद में व्यवस्था दी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा एक सीमा के अन्दर ऋण न लेने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं एक ऐसे बिन्दु की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस सदन का कार्य संचालन भारत का संविधान और हमारी नियमावली से होता है और आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (1) को देखने की कृपा करें। इसमें राज्यों द्वारा ऋण लेने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। इसको मैं पढ़ दूं :

"इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य की कार्य-पालिका शक्ति, उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे राज्य का विधान मंडल समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक तथा ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये, प्रत्याभूति देने तक विस्तृत है।"

इसके अन्दर यह कहा गया है कि राज्य सरकारें कितना ऋण लेंगी इसके बारे में समय-समय पर विधि बनायेंगी। इतना ऋण हम लेते जा रहे हैं। मैंने बजट में देखा कि लगभग 76 अरब रु0 हमारे ऊपर कर्जा है और लगभग 4 अरब, 16 करोड़, 77 हजार रु0 हम ब्याज के रूप में अदा करते हैं जो करीब-करीब एक बजट के बराबर है। मान्यवर, यह सरकार अपने ऊपर एक जिम्मेदारी लेती चली जा रही है। यह ऋण लेने और वापस करने की जिम्मेदारी लेना हम अपने प्रदेश को कंगाली के कगार पर ले जा रहे हैं। इसके लिए विधान मंडल को विश्वास में लिया जाता। सन् 1952 से हमारा संविधान लागू हो गया लेकिन अब तक विधान मण्डल के द्वारा इस तरह का कोई अधिनियम नहीं बना। अब तक विधान मण्डल के द्वारा इस तरह का एक अधिनियम बना लेना चाहिए था। इस तरह बिना व्यवस्था के अरबों रु0 का जो ऋण ले रहे हैं यह हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए संकट की स्थिति है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गुप्ता जी, जब आप पढ़ रहे थे, आप तो स्वयं कानून के बड़े ज्ञाता हैं, इसमें है यदि कोई हो।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

आप इजाजत दें तो मैं इसको यदि कोई हो को स्पष्ट कर दूं। जब विधान मण्डल ने कोई नियम नहीं बनाये तो उसकी क्या शर्तें हैं, कहीं यह बना?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, 293 (1) जो है, वह बहुत स्पष्ट है, जो आपने पढ़ा और आपकी अनुमति से मैं इसका अंग्रेजी संस्करण पढ़ना चाहता हूं, बाद में उसका अनुवाद कर दूंगा :

"सब्जेक्ट टु दि प्रावीजनस् आफ दिस आर्टिकिल्स, दि इक्जीक्यूटिव पावर आफ ए स्टेट एक्सटेंड्स टू बोरोविंग विदिन दि टेरीटोरी आफ इंडिया अपान दि सिक्योरिटी आफ दि कंसोलिडेटिड एन्ड आफ दि स्टेट विदिन सच लिमिट्स इफ एनी, एज मे फ्राम टाइम टू टाइम बी फिक्स्ड बाई दि लजिस्लेचर आफ सच स्टेट बाई ला एन्ड टू दि गिविंग आफ गारंटी विदिन सच लिमिट्स, इफ एनी एज में बी सो फिक्स्ड"।

तो किसी प्रकार की कोई लिमिट या सीमा निर्धारित हो जायेगी तो राज्य सरकार के अधिकारों में सीमा निर्धारित हो जायेगी लेकिन यह बात नहीं है। ऐसी शर्त है कि राज्य सरकार उसके अनुरूप ऋण ले सकती है। सीमा कोई है नहीं, हम अपने अधिकारों से बाहर जा नहीं रहे हैं इसलिए ऋण ले रहे हैं।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

सम्मानित नेता, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रश्न उठाया है जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है, उस दिन भी नेता विरोधी दल ने भी यही प्रश्न उठाया था तो मैंने उनके उत्तर में विनम्रतापूर्वक कहने का प्रयास किया था कि यदि हमें देना है तो लेना कितना है एक अरब रुपया, इसको लेना है। तुला में संतुलन राज्य के पक्ष में ही है, विपक्ष में नहीं। सम्मानित सदस्य, सीतापुर ने जो आंकड़े दिये हैं इससे लगता है कि जैसे कर्ज ही कर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों में संतुलन होना चाहिए। विनियोग विधेयक इस सदन का विधेयक होता है। प्रत्येक धनराशि जो भारित है, धनराशि दो प्रकार की होती है एक भारित और दूसरी मतदेय। भारित के चार्ज के बारे में वोटिंग नहीं होती है तो ब्याज के भुगतान और ऋण के प्रतिदान पर वोटिंग नहीं होती है। उसमें काम विनियोग विधेयक के अनुसार होता है, इसका अभी आपको मौका मिलेगा, इसका अवसर अन्तिम दिन आयेगा जब विनियोग विधेयक रखा जायेगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मेरा मतलब यह नहीं है मान्यवर, संवैधानिक प्रश्न यह है कि अभी तक इतने वर्ष बीत जाने के बाद विधि मण्डल द्वारा सीमा क्यों नहीं निर्धारित की गई? एक निर्धारित सीमा के बाहर कर्ज नहीं लिया जायेगा यह बिन्दु मैंने उठाया है। इसका उत्तर न संसदीय कार्य मंत्री जी ने और न मुख्य मंत्री जी ने ही दिया। विनियोग विधेयक के बारे में संविधान में परिभाषा है कि विनियोग विधेयक उसे कहते हैं जिसे विधान मण्डल ने पास कर दिया हो। विनियोग का तात्पर्य यह नहीं है कि बारोइंग की लिमिट निर्धारित की जायेगी। मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं और आज अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हैं कि विधि मण्डल ने विनियमन नहीं किया, इसका न तो उत्तर संसदीय कार्य मन्त्री ने दिया और न मुख्य मन्त्री जी ने इसका उत्तर दिया है।

श्री नारायन दत्त—

श्रीमन्, संविधान के जिस अनुच्छेद में लिखा है वह एक स्थिति विशेष के लिए एक प्राविधान है, यह राज्य के हित में नहीं है कि ऋण की कोई लिमिट या सीमा रखी जाय। श्रीमन्, योजना आयोग यही करती है कि बारोइंग की लिमिट रखती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास योजना के लिए मिले, अधिक से अधिक ऋण हम प्राप्त कर सकें सस्ते ब्याज पर । यह तो हमारा प्रयास रहा है । अगर हम उसकी सीमा तय कर दें तो यह मैं समझता हूं कि बुद्धिमत्तापूर्ण न होगा ।

औचित्य के प्रश्नों पर निर्णय

श्री अधिष्ठाता--

मैंने यह तीन प्रश्न जो औचित्य के आये थे माननीय सदस्यों के उनमें श्री राम गोविन्द ने औचित्य का प्रश्न उठाया था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि माननीय न्याय मंत्री जी ने फैजाबाद में बेंच बनाने का कोई बयान दिया है और न्याय मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं है । औचित्य का प्रश्न नहीं बनाता है । श्री मित्रसेन ने अपने क्षेत्र के अन्दर न प्रवेश करने के लिए जिलाधिकारी का उदाहरण दिया है । किस संदर्भ में वह हुआ है, यह ऐसी परिस्थितियां जैसा बताया माननीय मंत्री जी ने, लगता है कि वहां पर कुछ परिस्थितियां बनी जिससे आपके ही हित में या वहां की शान्ति व्यवस्था के हित में प्रवेश करना उचित नहीं था फिर भी मैं मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वह दिखवा लें कि यह आदेश किन परिस्थितियों में दिया गया। श्री राजेन्द्र गुप्त ने एक प्रश्न उठाया और उसमें संविधान के अनुच्छेद 293 (1) का सहारा लिया है उसमें नेता सदन ने बहुत विस्तार से कहा है कि राज्य का हित बना रहे । संविधान बनाने वालों के मन में राज्य अपने हित का निर्धारण करने के पहले उस पर विचार कर लें जैसा माननीय नेता सदन ने कहा है । मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और यह राज्य के हित में है इसलिए इस पर औचित्य का प्रश्न नहीं बनता ।

आई0 टी0 कालेज, सोसाइटी लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शिक्षा मंत्री द्वारा इसके रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में गलतबयानी करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अभी मैंने कहा कहां है ।

श्री अधिष्ठाता--

यह 301 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह सदन ऐसे नहीं चलेगा या तो आप मुझे कनविन्स कर दें ।

श्री अधिष्ठाता--

जो आपने प्रश्न उठाया था नियम 300 के अन्तर्गत नहीं बन रहा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, ग्राह्यता पर सुन तो लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता--

जब आता ही नहीं है तो कैसे सुन लूं ? अच्छा आप ग्राह्यता पर बोल लें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं ग्राह्यता के सम्बंध में ही बोलना चाहता हूं । यह एक ऐसा स्टैन्डर्ड है जिसमें बड़े बड़े लोगों के और उधर बैठने वाले लोगों के चेहरे बेनकाब हो जायेंगे इसलिए मैं एक छोटे से प्रश्न के अन्तर्गत मान्यवर, मैंने इसको तभी दिया आई0 टी0 कालेज, लखनऊ के सम्बन्ध में यह है । मान्यवर, मंत्री जी की गलतबयानी पर भी औचित्य का प्रश्न बनता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इन्होंने संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया है । मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आई० टी० कालेज के सम्बन्ध में जो प्रश्न था उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता । लेकिन मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है कि आई० टी० कालेज सोसाइटी पंजीकृत 83 में थी उसका पंजीकरण निरस्त हो गया । आई० टी० कालेज की सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है यह आई० टी० कालेज की सोसाइटी सी० आई० ए० के लोगों का अड्डा बनी हुई है । इसमें जो लोग हैं उनमें सुरेन्द्र सिंह जो फंजाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे । वहां टिवार्सन पहले रहे हैं जिनके यहां से ट्रांसमीटर बरामद हुआ था । उस कालेज के डीन ने पूरे प्रकरण को प्रधान मंत्री श्री राजीवगांधी को लिखकर भेजा कि यहां पर लड़कियों का व्यापार होता है और उस सम्बन्ध में जो अधिकारी नियुक्त किये गये वह अधिकारी किस बात से उसके चंगुल में फंसे हुए हैं । आप मुस्करा रहे हैं, मैं टेप सुनाना चाहता हूं । इस तरह से वह अधिकारी लड़कियों के अवैध व्यापार को बढ़ा रहा है । यह गम्भीरता की बात है, मैं इस मामले को उठाना चाहता हूं । इसको तहत तमाम लोगों के चेहरे बेनकाब हो जायेंगे, मैं आपने को सीमित कर रहा हूं । लारेंकिस जो जेलों में सड़ रहा है, जो ए० के० दास के घर में रहता था । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, मंत्री जी ने गलतबयानी किया है कि इसमें लिखा है कि आई० टी० कालेज की सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर 14 लाख रुपया किस मद में उसको दिया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता--

अगर गलतबयानी किया है तो क्या आप इसको विशेषाधिकार के तहत नहीं उठा सकते हैं । आपके सामने विकल्प है । आप विशेषाधिकार के रूप में ले आवें तो मैं विचार कर लूंगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मुझे जानकारी है और इस सदन में रहकर कुछ सीखा है । मान्यवर, जब हम विशेषाधिकार का सवाल देंगे तो आप कहेंगे कि इसका परीक्षण कराया जा रहा है और किया जा रहा है । आदरणीय सदन ने जो 14 लाख रुपया स्वीकार किया है और उस संस्था को प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, उसका क्या औचित्य है जब वह सोसाइटी पंजीकृत नहीं है । तो यह जो पैसा दिया जाता है वह सी० आई० ए० में खर्च होता खुफियागीरी में खर्च होता है । आप कहें तो मैं टेप सुना दूं । आप इजाजत दें तो मैं टेप सुना सकता हूं । मान्यवर, जब तक ए० के० दास को जेल में नहीं भेजा जायेगा, तब तक मामला साफ नहीं होगा । कौन सा कायदा है संविधान में, कौन सा नियम है फाइनेनशियल हैंड बुक का और कौन से कानून हैं युनिवर्सिटी ऐक्ट के जिसके तहत इसको 14 लाख रुपया दिया जाता है ? डी० आई० ओ० एस० को क्या अधिकार है कि ऐसी संस्था को पैसा दें ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सम्मानित सदस्य पुराने साथी हैं, उन्होंने यह बात कैसे कह दी कि यह पैसा सी० आई० ए० पर खर्च किया जा रहा है, यह जबरदस्त आरोप है और जबरदस्ती लगाया जा रहा है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहती हूं । मान्यवर, सदन ऐसे नहीं चलेगा, एक तरफ बात सुनकर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है । हम भी इस सदन के सदस्य हैं और अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे कन्धों पर जिम्मेदारी है । तो इस पर मैं व्यवस्था चाहूंगी ।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर कोई व्यवस्था नहीं बनती है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 310 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है । इसको पढ़ने का कष्ट करें--"सदन के पटल पर किसी पत्र का लेख्य का रखा जाना--सदन के पटल पर कोई पत्र या लेख। अध्यक्ष के आदेश या प्राधिकार के बिना नहीं रखा जायेगा" । इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बिना इस आज्ञा के कोई पत्र सदन में नहीं पढ़ा जा सकता है, इसके लिये आपकी इजाजत आवश्यक है और जब तक आप अनुज्ञा न दे दें तब तक इस सदन के पटल पर नहीं रखी जा सकती है । मा0 ओझा जी कैसेट रिकार्डर इस सदन को दिखा रहे थे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह कार्यवाही का हिस्सा बन गया है ?

उन्होंने अपनी एक बात कही और वह आरोप थे, प्रत्यारोप थे, तथ्य थे या नहीं थे उसमे तो आप व्यवस्था देंगे लेकिन उन्होंने इस माननीय सदन के ज्ञान में एक ऐसी चीज लाकर दिखाई है जिसके सम्बन्ध में हम लोगों की रुचि जागृत होती है कि उसमें क्या है ? क्या नहीं है ? साथ ही जैसा वे कहते हैं मेरे पास कुछ साक्ष्य भी मौजूद है जो कि भारत की सुरक्षा, भारत की अखन्डता और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से भी सम्बन्धित है । इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि नियम 310 के अन्तर्गत आप कृपा करके उस कैसेट को मंगा लें और अपने चैम्बर में उसको देख लें कि क्या यह सचमुच राष्ट्रीय सुरक्षा या खुफियागिरी से सम्बन्धित है । मान्यवर, इस पर व्यवस्था आप बाद में दें लेकिन उससे पहले ओझा जी से वह कैसेट ले लें और उसको सुनने के बाद सदन के पटल पर रखें ।

श्री अधिष्ठाता--

आपने दुहरी व्यवस्था मांगी है । आपने कहा कि क्या वह सदन की सम्पत्ति हो गई है । चूंकि उसे रखने की अध्यक्ष पीठ से अनुमति नहीं हुई है इसलिये वह सदन की सम्पत्ति नहीं हुई ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, उसे आप ले लें, गम्भीर मामला है ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे और सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया ।)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, आप नियम 300 देख लें (व्यवधान) ।

श्री अधिष्ठाता--

संसदीय कार्य मंत्री बोल लें, उसके बाद....

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री(श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, माननीय ओझा जी इस सम्मानित सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से हैं मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि एक दो बार नहीं कम से कम एक दर्जन बार अध्यक्ष पीठ से यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि प्रश्नों के बारे में जो भी उत्तर आयेगा उसको लेकर कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । तो मान्यवर, जब इस पर व्यवस्था हो चुकी है कि प्रश्नों के बारे में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनेगा फिर वे कैसे उठा रहे हैं । दूसरी बात मान्यवर, आपने स्वयं इंगित किया है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यदि किसी प्रकार को कोई कठिनाई माननी। ओझा जी को थी, यदि सवाल का उत्तर गलत आया हो, सही नहीं आया हो, आपके पास तथ्य हों, आपके पास तथ्यों की जानकारी दूसरी हो तो वे मंत्री जी को बता दें, लिख कर दे दें, जानकारी देंगे तो जांच हो जायेगी। लेकिन मान्यवर, प्रश्नों के बारे में औचित्य का प्रश्न स्वीकार नहीं हो सकता।

श्री राम सरन--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, आपने मेरा नाम लिया था....

श्री अधिष्ठाता--

नाम तो लिया था लेकिन उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये कहा है....

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं भी व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, आप बोलें।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 311 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वस्तुस्थिति यह है कि जो विषय माननीय ओझा जी ने उठाया है वह इसके पहले भी इस सदन में उठाया गया था। क्योंकि स्थिति क्लाइमेक्स पर होती जा रही है....

श्री अधिष्ठाता--

नियम 311 में क्या है ?

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, जो प्रश्न ओझा जी ने उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसे विषयों पर नियमों को शिथिल करके चर्चा करा सकते हैं। माननीय ओझा जी ने लार्किन्स, सुन्दर सिंह और टिवोर्सन के बारे में जो बातें कहीं हैं वह सही हैं, उनका फर्जी रजिस्ट्रेशन है और लाखों रुपये का गोलमाल किया है। इसलिए मान्यवर, आपको नियमों का उल्लंघन करके चर्चा कराने की शक्ति है, कुछ अविशिष्ट शक्तियां भी आपके पास हैं। इसलिये मान्यवर, आप उस टेप को अपने कक्ष में सुन लें और औचित्य के प्रश्न के रूप में जो यह रखा गया है उसमें चर्चा कराने की अनुमति दें, मैं यही प्रार्थना आपसे करूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

प्रार्थना कर रहे हैं या व्यवस्था चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

व्यवस्था तो प्रार्थना के बाद ही होगी।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राम सरन जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा था, उन्हें मौका नहीं मिला ?

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई टेप या ट्रांजिस्टर सदन में लाया जा सकता है ? यदि नहीं, तो माननीय सदस्य कैसे टेप को सदन में ले आयें ? जब ले आये हैं तो वह इस सदन की प्रापर्टी हो गई या नहीं ?

श्री शत्रुघ्न प्रकाश--

वह सदन के अन्दर कैसे आ गया ? अगर आ गया है तो उसके अन्दर क्या है, वह सदन की प्रापर्टी हो गई है, उसको सुन लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

यह सही है कि माननीय ओझा जी को यह सदन में नहीं लाना चाहिए था। वह कैसे ले आये....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इसको इतना हलका मत समझिये।

श्री अधिष्ठाता—

इसकी गंभीरता को देखते हुए ही मैं खड़ा हुआ हूं। आप बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, वैसे तो ओझा जी को टेप रिकार्डर नहीं लाना चाहिये था वे ले आये हैं तो उसे सदन की प्रोपर्टी होने दूं और उसका इस्तेमाल करने की इजाजत मैं दे दूं यह कैसे हो सकता है? कल गलती से कोई रिवाल्वर ले आये और वह यहां आ जाय तो मैं उसका प्रयोग करने की इजाजत आपको दे दूं। टेप रिकार्डर लाना अनुचित है उन्हें नहीं लाना चाहिये था....

(व्यवधान)

आप लोग बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मूल व्यवस्था से प्रश्न पर आ जायं।

श्री अधिष्ठाता—

आपको अब क्या कहना है?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, कायदे कानून और संविधान तथा नियमावली में क्या लिखा है तथा अपने विवेक से जो कुछ भी मैं सन् 1974 से आपकी पीठ से सीखता आ रहा हूं उसके आधार पर ही मैं इसे लाया हूं। राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बड़ा मेरा दायित्व है और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति इस सदन की क्या जिम्मेदारी है उसका ऐहसास मैंने किया और उसी से प्रेरित हो कर, उसी के वशीभूत होकर मैं यह टेप लाया हूं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

वह कह रहे हैं कि कोई गलत नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

(व्यवधान)

क्या यह सदन ओझा जी के इशारे पर चलेगा। जब आप एक व्यवस्था दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

ओझा जी, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, सदन की एक नियमावली है जिसके तहत यह चलता है जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों बंधे हैं। एक

बार आपने व्यवस्था दे दी फिर पुनः उस पर बोलने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ने व्यवस्था चाही कि क्या यह सदन ओझा जी के इशारे पर चलेगा । तो यह सदन नियमावली के अनुसार चलेगा । माननीय ओझा जी आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आप सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई जबरदस्ती नहीं है । मैं जब इजाजत दूंगा तभी व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)

औचित्य का प्रश्न लाने का नियम यह है कि आप संपूर्ण सामग्री मुझे पहले उपलब्ध कराते । उससे मुझे सहूलियत होती । मैं उचित समझता और देखता कि वाकई देश की सुरक्षा को खतरा है तो मैं सबसे पहले इजाजत देता । आपने नियमों का पालन नहीं किया और पूर्व सूचना नहीं दी । इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

एक साथ 5 लोग व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे तो मैं किसे सुनूंगा ? व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था न करें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जिसे आप अच्छा समझें ।

श्री अधिष्ठाता--

मुझे तो आप ही अच्छे लग रहे हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, आपने एक व्यवस्था दी उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा वह शिरोधार्य है । आपने कहा अच्छा होता इसे मुझे कक्ष में सुना देते या बता देते कि यह देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में है और आप इजाजत दे देते । तो अभी भी यह अधिकार आपके पास सुरक्षित है मैं चाहूंगा कि आप ओझा जी को निर्देश दें कि वे टेप को आपके कक्ष में सुना दें और जब उचित समझे तो उसे सदन के समक्ष रख सकते हैं । इस पर व्यवस्था दे दें वरना असंतोष फैलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

एक नियमानुसार औचित्य का प्रश्न उठाया गया लेकिन उसमें क्या कमी रह गयी या पूरा है इसको देखना है । इसमें कमी यह है कि सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गयी, इसलिये इस औचित्य के प्रश्न को मैं अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

आप लोग शांत रहें । लेकिन यदि आप समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण है तो नियमानुसार पुनः इसको उठाये और सुनने के बाद यदि राष्ट्र की सुरक्षा की बात है तो सुनने के बाद समझेंगे कि उचित है तो व्यवस्था दूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय, इस टेप को आप मंगवा लें वरना यदि इनसे टेप कोई लेकर भाग जाये तो उसका कौन जिम्मेदार होगा ? या यह टेप बदल दिया जाये तो क्या होगा ?

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप लोग शांत रहें। आप लोग बैठ जायं टेप मंगवाने और उसको सुनने की प्रार्थना को मैं अस्वीकार करता हूं। (व्यवधान)

अब जो आप बोलेंगे कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। आप लोग बैठ जांय।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह टेप श्री ओझा के पास से यदि कोई छीन ले तो क्या होगा? उनको जान का खतरा है। इसलिये टेप को उनसे आप ले लें। यह सदन की प्रापर्टी है वरना वह प्रापर्टी नष्ट हो जायेगी। इसको आप कब्जे में ले लें तो उसकी सुरक्षा हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता—

वह अभी सदन की संपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, टेप को लेकर सील करवा दें।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि चूंकि श्री ओझाजी ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं जो देश की सुरक्षा से सम्बन्धित हैं और चूंकि इन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिससे उनकी जान को खतरा है और यदि वह टेप बाहर लेकर जायं और कोई हमला कर दे, वह छीन ले तो कौन जिम्मेदार होगा, इससे बेहतर होगा कि आप अपने यहां उसको मंगवा लें और सुन लें और उसके बाद निर्णय दें तो हम लोगों को आपत्ति नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग एक-एक करके बोलें। शांत रहें।

*श्री त्रिलोक चन्द—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने अपना निर्णय लगभग दे ही दिया है लेकिन घटना का उल्लेख करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी मेरे समक्ष बैठे हैं, उनको याद होगा कि एक दफ पार्लियामेन्ट में ऐसी घटना घटी थी और श्री मधुदंडवते को मारने के लिये पिस्तौल लेकार एक सदस्य आ गये और पार्लियामेन्ट में चले गये और जाने के बाद उन्होंने पार्लियमेन्ट में वह पिस्तौल दिखाई, तो वह पिस्तौल भी, गलती से गई थी और वह तो जानबूझकर ले गये थे, क्योंकि हत्या करने का इरादा था, वह हाउस में उन्होंने दिखा दिया तो वह सदन की प्रापर्टी हुई। तो यह टेप-रिकार्ड है—बुरी बात है यह सही बात है, सरकार के खिलाफ है या नहीं, यह मैं नहीं जानता, इसको सदन की प्रापर्टी बनाने में कोई बाधा नहीं है। न कोई इसमें नियम टूटता है, न कोई संविधान का उल्लघंन होता है। इसको सदन की प्रापर्टी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको सदन की प्रापर्टी आप बना लें, फिर जो भी निर्णय हो उसको सुनने के बाद वह आप ले लें।

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

यह टेप है कोई ट्रांजिस्टर बम नहीं है, आप डर क्यों रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता—

यदि ट्रांजिस्टर बम होता तो आप भी सदन के बाहर होते।

श्री रामनरेश—

मान्यवर, आज ओझा जी ने एक अति गम्भीर और महत्व का औचित्य का प्रश्न यहां पर उठाया है और उस प्रश्न के सिलसिले में औचित्य के प्रश्न को उठाते हुए उन्होंने कुछ अपनी बातें भी कही और आपने उस पर अपनी व्यवस्था भी दी। मैं आपके माध्यम से सरकार पक्ष के लोगों और मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं, क्योंकि यह मामला गम्भीर बन गया है, जब सदन में इस तरह की चीज आती है तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वभाविक है कि माननीय सदस्यों के मन में रोष उत्पन्न हो और ऐसे समय में जब एक टेप-रिकार्डर भी आया है और उसमें कोई न कोई, किसी तरह की वार्ता है और यह संज्ञान में आपके आ चुका है। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस टेप रिकार्डर में चाहे जो भी हो-रिवाल्वर तो है नहीं कि सदन को खतरा हो जायेगा बम भी नहीं है और ऐसा भी कुछ नहीं है कि नेता सदन को कोई खतरा दिखाई पड़ेगा या सत्ता पक्ष के लोगों को कोई खतरा दिखाई पड़ेगा। इसलिए अवश्यक है कि आप उसको अपने कक्ष में मंगाकर सुन लें और उसके बाद ओझा जी से बात करके इस मसले का हल करने का प्रयास करें।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, इसके पहले भी इस आदरणीय सदन में आपके संज्ञान में यह बात आई है, ऐसी चीजें आई हैं। माननीय सदस्यों ने यहां पर खून भरे कपड़े दिखाई हैं, वह सदन का प्रापर्टी बन गया, अभी उस दिन पानी की बोतल दिखाई गई और वह भी आपके यहां डिपाजिट हो गई। इस तरह से एक चीज सही या गलत यहां पर ले आई गई और अब पूरी चर्चा का केन्द्र विन्दु वह टेप रिकार्डर है। आपने अपनी व्यवस्था में कहा है अस्वीकार करते हुए कहा है कि हम इसको देख लेंगे और देखने के बाद कोई बात होगी तो उसे स्वीकार भी करेंगे। मान्यवर, अध्यक्ष पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है और नियमों का निलम्बन भी कर सकता है। तो विषय की गम्भीरता को देखते हुए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप टेप को अपनी कस्टडी में ले लें, भले ही आपको नियमों का निलम्बन करना पड़े, आप इसको अपने कक्ष में देख-सुन लें और नेता सदन भी उसे देख लें, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित मसला है

(व्यवधान)

अगर आप का इस बात का समाधान हो जाता है कि राष्ट्र हित में इस बात को सुनना जरूरी है तो इस टेप रिकार्डर को आप अपने पास ले लें।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय सदस्य टेप बजा रहे हैं, यह हमें ना पसन्द है, इसको आप पहले रुकवायें।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी हमारे एक सदस्य, एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे, जो मंत्री भी रह चुके हैं और त्रिलोक चन्द्र, रामधारन तथा राजेन्द्र गुप्त ने एक ही बात को लेकर अपनी अपनी उत्तेजना दर्शायी है। मान्यवर, माननीय त्रिलोक चन्द ने लोक सभा का हवाला दिया तो दोनों घटनाओं को देखें। वहां पर लोक सभा के एक सम्मानित सदस्य पर आक्रमण की बात कही गयी थी।

(शोर)

मैं बहुत नम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं। मेरी बात तो सुनें। यहां पर जिस प्रश्न को लेकर मामला उठा वह केवल यह था कि एक प्रश्न विशेष जिसका उत्तर आपकी जानकारी के मुताबिक या आपकी अपेक्षा के मुताबिक, उसको आपने गलत समझा, उसको लेकर आपने औचित्य का प्रश्न उठाया और मान्यवर, आपने उस पर व्यवस्था दी। जो परम्परा रही है उसमें पहली बात तो यह मैं कहना चाहता हूं कि जब औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति मिल जायेगी तो शहादत देने का मामला तो तब आयेगा। जब अनुमति मिल जायेगी तब शहादत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देने की बात आयेगी । अनुमति मिली नहीं तो मेरा आग्रह है कि दोनों बातों को तौलते हुये, ओझा जी उस वक्त सदन में सदस्य थे । मैं पूर्व दृष्टांत देना चाहता हूं 1975 में मान्यवर, माननीय ओझा जी, माननीय रेवती रमण सिंह भी इस सम्मानित सदन के सदस्य थे । आगाजैदी साहब एक टेप लेकर आये और एक मंत्री के ऊपर आरोप के बारे में टेप को सुनवाये जाने की प्रार्थना की । तो उस वक्त व्यवस्था दी गयी थी कि टेप को नहीं लाया जा सकता और नहीं सुना जा सकता है । इसलिये मेरा आग्रह है कि टेप को सुनने की इजाजत नहीं होनी चाहिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, अध्यक्ष के कमरे में वह टेप जाकर सुनाया गया था । 1975 म मैं भी सदन का सदस्य था । वह टेप आगाजैदी साहब लाये थे और माननीय अध्यक्ष के कक्ष में वह सुनाया गया था । तो आप इसको अपने कक्ष में सुन लें । यह सदन की प्रापर्टी बन चुकी है अब यह नियम 300 का, औचित्य का प्रश्न नहीं रह गया है । यह सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित प्रश्न हो गया है । अब इसकी सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित हो गया है । अब यह औचित्य का प्रश्न नहीं रह जाता है ।

(नेता सदन के खड़े होने पर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहूंगा कि माननीय ओझा जी एक चीज अपने साथ लाये, वह टेप रिकार्डर है या ट्रांजिस्टर बम है या क्या चीज है । हो सकता है कि वह कोई आपत्ति-जनक चीज हो । इसलिये इस चीज के बारे में सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वह क्या चीज है और इसमें क्या बात है ?

श्री अधिष्ठाता--

मैं इस पर व्यवस्था दे चुका हूं । मैं माननीय नेता सदन से आग्रह करूंगा कि वह अपनी बात कहें ।

(मुख्य मंत्री के खड़े होन पर ।)

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता सदन को पहले सुन लें तब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

(मुख्य मंत्री के बैठ जाने पर ।)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, आपने व्यवस्था दे दी कि यह टेप सदन की प्रापर्टी नहीं हो सकता । मेरी नजर में आपकी यह व्यवस्था अधूरी है । मैं कहना चाहूंगा कि यह टेप सदन की प्रापर्टी नहीं है तो क्या यह टेप सदन के अन्दर रखा रहेगा ?

(घोर व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं भी विधान सभा की सदस्य हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठ जाइये ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, यह टेप रिकार्डर जायगा कहां ?

श्री अधिष्ठाता--

किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, मैंने माननीय नेता सदन से आग्रह किया है कि वह अपनी बात कहें। कृपया पहले माननीय नेता सदन के विचार सुन लें, उसके बाद कार्यवाही आगे चले।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि जितनी चिन्ता, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति भावना सभी सदस्यों को चिंतित करती रहती है, अगर कोई माननीय सदस्य राष्ट्र के हित और राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में कोई बात कहता है, तो सम्मान के रूप में हमें अवश्य उसे सुनना चाहिए और अगर उसमें कोई ऐसी बात निकलती है, तो उसकी जानकारी करके कार्यवाही करनी चाहिए। श्रीमन्, दो बातें मैंने उचित समझा कि आपका समय लूं, एक तो अभी नेता समता पार्टी, जो हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं, श्रीमन् आपने जो निर्णय दिया और जो उन्होंने बात कही, दोनों में कोई अधिक भेद नहीं है। टेप रिकार्डर सदन की प्रापर्टी हो या न हो, यह प्रश्न नहीं है कि आवाज में क्या कहा गया है। तो होना यह चाहिए था कि माननीय सदस्य गोरखपुर पहले यह बता दें कि उसमें क्या कहा गया है? उसमें जो अंश है, वह पहले बता दें कि यह टेप में है, मैं टेप लाया हूं, अगर विश्वास न हो, टेप रिकार्डर खोल कर सुना जा सकता है। श्रीमन, उसमें आवाज ही तो बन्द है, जिन्होंने सुना है, उसे लिपिबद्ध कर दें। अगर माननीय सदस्य यह कह दें कि टेप में यह कहा गया है, इसकी सूचना हमें दे दें, तो हम इसको दुबारा ले लेंगे। जिसे वह राष्ट्र विरोधी समझते हैं, उस बात को वह बता दें। टेप रिकार्डर महत्व का नहीं है, टेप में आवाज क्या है, वह महत्व का है। तो श्रीमन्, आपने कह दिया कि दुबारा ले आये उस टेप रिकार्डर में क्या है उसको लिख लिया जाए अगर उसमें कोई राष्ट्रीय हित की बात है, तो उसको देख लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने सम्मानित सदस्यों को और माननीय नेता सदन को सुना। मैं व्यवस्था दे चुका हूं। अगर यह सामग्री मुझे पहले माननीय सदस्य ने उपलब्ध कराई होती, तो मैं उसको देखता चूंकि यह सामग्री मुझे पहले उपलब्ध नहीं कराई गई थी, इसलिए मैं इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि किसी नियम के तहत वह इसे लायेंगे "मंत्री जी की गलत बयानी की बात" जो कही है, तो उसको हम सुनेंगे। यह ऐसे लायेंगे तो यह नियमों के विपरीत परम्परा बन जायेगी और उसका कभी अन्त नहीं होगा अगर इसे सुना जायेगा तो माननीय सदन के समय का अपव्यय होगा। अगर माननीय सदस्य ने हमें इसको पहले सुनाया होता तो हम इसको सुनते और समझते। अगर राष्ट्र हित से सम्बन्धित कोई बात होती तो हम उस पर कोई निर्णय देते इस विषय पर काफी बात हो चुकी है और अब हम आगे बढ़ते हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[समय 1 बजकर 45 मिनट]

श्री अधिष्ठाता--

नियम 56 के अन्तर्गत 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इसमें जो पहली सूचना आई है, यह माननीय सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है यह कई माननीय सदस्यों ने दी है। यह श्री रणजीत विधायक पर हमले के संदर्भ में है। इस पर माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह, माननीय अशोक बाजपेयी, माननीय मैनेजर सिंह, माननीय विक्रमादित्य पाण्डेय, माननीय वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, माननीय रामगोविन्द चौधरी, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी, माननीय राकेश धर त्रिपाठी, माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जनार्दन ओझा, माननीय रघुवर दयाल वर्मा, माननीय गौरी शंकर भइया, माननीय हर्षवर्धन, माननीय कमल किशन पान्डेय तथा श्री विष्णु देव के हस्ताक्षर हैं। उसके बाद दूसरी सूचना श्री राम सरन तथा त्रिलोक चन्द जी की है यह मेरठ मन्डल में शराब की भट्टियों में पुलिस की साजिश के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री सरदार सिंह, श्री रामजतन, श्री मोहम्मद मसूद खां, श्री बदन सिंह, श्री बलराम यादव, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री महराज सिंह, श्री पारस नाथ, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री फागू चौहान, श्री सत्य पाल सिंह, श्री रणजीत, श्री मोहम्मद आजम खां ने 100 श्रमिकों को फैजाबाद तापीय परियोजना से हटाये जाने के संबंध में सूचनाएं दी हैं, चौथी सूचना गौरी शंकर भइया जी ने, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जन-जीवन अस्त-व्यस्त के बारे में दी है। श्री राम गोविन्द चौधरी ने पांचवीं सूचना कानपुर अनाथालय में लड़कियों के साथ अत्याचार के बारे में दी है। छठी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव जी के भी इसमें हस्ताक्षर हैं, ने तीन वर्षीय तथा पांच वर्षीय शिक्षा पाठ्यक्रय के संबंध में सूचना दी है। सातवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री मोहम्मद मसूद खां तथा श्री सुखपाल पाण्डेय जी ने दी ह। इनकी सूचता बस्ती के पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना शारदा प्रताप की है। इन्होंने पी0 ए0 सी0 के टेलर की पत्नी की हत्या के संबंध में अपनी सूचना दी है। नवीं सूचना श्री राजेन्द्र गुप्त की है। इन्होंने संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों द्वारा अनशन के संबंध में सूचना दी है। दसवीं सूचना श्री मनोहर लाल की है। इन्होंने कानपुर की मंडियों में भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना दी है। ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की है, इन्होंने बांदा जनपद में करछा बांध के बारे में सूचना दी है। बारहवीं सूचना श्री किरन पाल सिंह जी की है इन्होंन राजस्व विभाग की 11 नौकाओ में से 9 नौकाओ के गायब होने के संबंध में सूचना दी है। तेरहवीं सूचना मयंकर सिंह की है इन्होंने बहराइच में नाव उलटने से एक दर्जन व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में सूचना दी है। चौदहवीं सूचना श्री रामनरेश की है इन्होंने इटावा के आई0 आर0 डी0 योजना में धांधली के संबंध में सूचना दी है। पन्द्रहवीं सूचना श्री शारदानन्द अंचल की है इन्होंने भूमि के आवंटन में घांधली के सम्बन्ध में सूचना दी है। सोलहवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह की है। इन्होंने पीलीभीत के तीरथराम गंगवार की हत्या के संबंध में सूचना दी है। सत्रहवीं सचना श्री राम सजीवन की है। इन्होंने बांदा में दो हरिजनों की हत्या के संबंध में सूचना दी हैं। अट्ठारहवीं सूचना अकबर हुसैन बाबर, श्री राज किशोर सिंह, श्री काजी कलीमुर्रहमान तथा श्री शेर बहादुर सिंह जी ने दी है। इन्होंने फैजाबाद में पुलिस द्वारा झूठे मुकदमों में फंसाने के संबंध में सूचना दी है। उन्नीसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल ने दी है। यह वृन्दावन में गन्दगी और पेयजल की समस्या के बारे में हैं। बीसवीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा द्वारा दी गई है। इन्होंने रासुका के बन्दी विधायकों के बारे में सूचना दी है। इक्कीसवीं सूचना श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की है इन्होंने हरदोई में श्रीमती संगीता की दहेज के कारण हुई हत्या के संबंध में दी है।

जिनको मैंने स्वीकृत किया है, उनके नाम बुला रहा हूं, जिनकी स्वीकृति नहीं किय है, उनके नाम नहीं बुलाऊंगा।

श्री राम सरन —

स्वीकृत किया है ?

श्री अधिष्ठाता——

श्री रणजीत विधायक पर हमले की बात है, सबसे पहले मैं इस सूचना को लेता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने देखा है कि एक बार नहीं अनेकों बार विधायकों पर हमले की बात सदन में आयी है। सबसे दुखद बात यह है कि आज पुलिस प्रशासन भी सांठगांठ करके षड़यंत्र करके विधायकों को जान से मारने का षड़यंत्र कर रहा है। माननीय रणजीत निर्वाचित हो कर आये, चुनाव के दरमियान थानाध्यक्ष, गौरी बाजार ने फर्जी मुकदमों में बन्द किया था, लाठियों से प्रहार करके प्राणघातक हमले किये थे। इसकी कई बार दरख्वास्त मुख्य मंत्री के यहां दी गई, माननीय अध्यक्ष महोदय के यहां भी दी और कमिश्नर के यहां, जिलाधीश के यहां दी गई। बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी। नतीजा यह हुआ कि दरोगा का हौसला बुलन्द हो गया और 28 तारीख को जब वह विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिये आ रहे थे उस दरोगा ने षड़यंत्र करके हत्या की साजिश की, जिसकी सूचना माननीय सदस्य को किसी प्रकार मिल गई, वरना हमारे मित्र विधायक यहां पर उपस्थित न हो पाते। इतने संगीन मामले आते हैं और उनको लाइटली लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी बयान दे देते हैं कि पुलिस का मारल डाउन नहीं किया जायेगा। यह अफसोस की बात होती है कि हमारे विधायकों की जान का खतरा पुलिस कर्मी के द्वारा हो जाय, रक्षक ही भक्षक का काम करें, तो काम कैसे चलेगा। मैं चाहूंगा इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी को आप निर्देश दें कि इस मामले में सदन में बयान दें और तत्काल उस दरोगा को हटाकर जो गौरी बाजार में है, इस घटना की जांच कराकर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाय।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय रेवती रमण सिंह ने जो आरोप लगाये हैं, सदस्य के ऊपर हमले में पुलिस की साजिश की बात कही है, इस मामले की जांच कराई जायेगी और जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

हटाकर जांच करें, काफी दिनों से है।

श्री हुकुम सिंह—

पहली घटना हो चुकी है, दुबारा हो गयी। उनकी सुरक्षा का भी प्रबन्ध किया जायेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

सुरक्षा की बात नहीं है, हटाकर जांच करालें। तबादला कोई सजा नहीं है। दरोगा से खतरा है बेहतर होगा कि हटाकर जांच करालें।

श्री हुकुम सिंह--

इस पक्ष और उस पक्ष के सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा का दायित्व हमारा है।

आप इधर की या उधर की जो बात कहते हैं, वह आपको शोभा नहीं देता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें कुछ समय दे दीजिये, हम इसको आज ही देख लेंगे।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, विधायक का आरोप है कि उसे दरोगा से जान का खतरा है ..

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ --

मान्यवर, यहां जो विधायक बैठे हैं, इनकी जान को खतरा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

कमाल यूसुफ साहब आपस में बात न करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि यह एक गम्भीर मामला है । आप शासन को निर्देशित करें कि दरोगा का ट्रान्सफर कोई पनिशमेंट तो नहीं है । इससे पहले भी विधायक पर 28 तारीख को हमला हो चुका है, तो दरोगा को वहां से हटा कर जांच करावें । जब माननीय सदस्य की हत्या ही हो जायगी तो जांच से क्या होगा ?

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

मान्यवर, वैसे तो शासन का यह प्रयास रहता है कि सम्मानित सदस्यों की राय प्राप्त कर लें । नेता जनता पार्टी शासन के सदस्य रह चुके हैं । उनको शासन का अनुभव है । मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह इस पर थोड़ा सा विचार कर लें । व्यक्तिगत रूप से किसी दरोगा का नाम लेकर सदन में यह लिखवा देना, सदन को कार्यवाही का अंग बनवा देना, इसमें सोचना होता है। ट्रान्सफर भी हो जायगा, लेकिन व्यक्ति को यह बात हमेशा याद रहेगी । इस तरह के मामलों से शासन का या किसी एक पक्ष का कोई लाभ नहीं हो सकता है । दरोगा को इतना महत्व हम नहीं देते हैं । वैसे इस मामले को संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कह ही दिया है कि इसको आज ही देख लेंगे । मैं इससे सहमत हूं । इसके बारे में यहां से उठकर आपसे भी बात कर ली जायगी । बहुत सी बातें ऐसी हैं, जिन्हें सदन की कार्यवाही का अंग न बनाया जाय, यही ठीक है ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला मैं उठा रहा हूं । पूरे मेरठ मण्डल के सभी जनपदों में पुलिस की साजिश से कच्ची शराब की भट्ठियां चल रही हैं और बड़े पैमाने पर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को तस्करी हो रही है । सहारनपुर जिले में पांच हजार भट्ठियां चल रही हैं । अकेले नकुड़ तहसील के थाना गंगोह, नकुड़, तीतरों, चिलकाना तथा सरसावां में 1000 भट्ठियां चल रही हैं । ये भट्ठियां पुलिस द्वारा भट्ठियों के मालिकों से मिल कर चलाई जा रही हैं । दिनांक 21-5-1985 को थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर के अन्तर्गत कच्ची शराब पीने से 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और 4 व्यक्ति अंधे हो गये । उनकी आंख की रोशनी चली गयी । श्रीमन्, यह जो घटना हुई तो कुछ समाचार-पत्रों ने इस घटना को छाप दिया तो अब पत्रकारों को टेलीफोन पर धमकी दी जा रही है कि उनकी जान को खतरा है । मान्यवर, इस तरह की हालत है । यही नहीं मान्यवर, कच्ची शराब का नाम रख दिया गया है, नारायन दत्त जी आप तो गांधीवादी रहे हैं, उस कच्ची शराब का नाम रख दिया गया है श्रीमन् गांधी आश्रम की शराब । यह कह कर वे गांधी जी के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं । मान्यवर, यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का इसलिये है कि यह भट्ठियां अब भी चल रही हैं और लोगों की जानें जा रही हैं और बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है ।

मान्यवर, इससे ज्यादा लोक महत्व का और कोई प्रश्न नहीं हो सकता है । मैं चाहूंगा कि सदन के सारे कार्य स्थगित कर आप इस पर चर्चा करा दें ।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय सदस्य, सहारनपुर ने जो जानकारी दी है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे नकुड हो या गंगोह हो इसके आस-पास के जितने भी क्षेत्र हैं, आपके पास सुनिश्चित जानकारी है, आप कृपया हमारी सहायता करें,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हम आपकी जानकारी को आधार मानकर अवश्य प्रभावी कार्यवाही करायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

आप दोनों जानकारी कर लें ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, यह वस्तव में गंभीर है । माननीय मंत्री जी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है । लेकिन, जिन लोगों की कच्ची शराब के पीने से मृत्यु हुई है, क्या सरकार उनको आर्थिक सहायता देगी ? इस प्रश्न पर भी विचार कर लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

अगली सूचना 1000 श्रमिकों को फैजाबाद तापीय परियोजना से हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री सरदार सिंह, श्री बलराम यादव व अन्य की है ।

श्री बलराम यादव—

मान्यवर, टांडा विद्युत् गृह से एक हजार श्रमिकों को हटाने के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, उन्हें इसलिये हटाया गया कि वे लोग यूनियन बनाकर अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे । गुण्डों और पुलिस की मदद से अधीक्षण अभियंता श्री दुबे कैम्पस के भीतर उन्हें जाने नहीं देना चाहते । मान्यवर, यह अत्यन्त गंभीर मसला है, इस पर सदन के सारे कार्य स्थगित कर, चर्चा करायी जाय ।

श्री हुकुम सिंह—

प्राइवेट कम्पनियों में वे काम करते थे । प्राइवेट कम्पनियां अपनी अवश्यकतानुसार श्रमिकों को रखेगी । वे स्थायी तौर से काम कर रहे थे या लेबर ऐक्ट लागू होता है—वह बात अलग है । फिर भी मानवता के आधार पर, इस सूचना के आधार पर, यथासंभव जो भी सहायता होगी, जरूर करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

अगली सूचना श्री गौरी शंकर भइया की है । संक्षेप में कहेंगे ।

*श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अत्यन्त लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं ।

मान्यवर, प्रदेश की तमाम नदियों में भयंकर रूप से पानी बढ़ रहा है जो प्रमुख नदियां हैं, गंग है, घाघरा है, इनका जल स्तर खतरे की विन्दु से ऊपर चला गया है । पानी के बढ़ जाने से इनके तटबंधों में कटान का खतरा उत्पन्न हो गया है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि गोला नदी में 17 लोगों की बह जाने के कारण मृत्यु हो गयी । कानपुर में 2 आदमी बह गये । अतिवृष्टि के कारण जौनपुर में 2 बच्चे मकान गिरने से दबकर मर गये । इस अति वृष्टि के कारण बलिया में एक मकान के गिर जाने से एक आदमी मर गया । गंगा व घाघरा के बहाव के कारण जो हमारे प्रदेश का आखिरी छोर है, श्री जय प्रकाश नरायन जी का मकान कटाव की स्थिति में आ गया है । पानी का बहाव बन्धे से ऊपर हो गया है । बन्धे पक्के भी नहीं हैं । यदि इसे नहीं रोका गया तो श्री जय प्रकाश नरायन जी का मकान कटान में आ जायेगा । यह पूरे प्रदेश का एक गम्भीर प्रश्न इस समय बन गया है । तटबन्धों को नहीं बनाया जा रहा है, गांवों की सुरक्षा यह सरकार नहीं कर रही है । प्रति वर्ष बाढ़ के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है । मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के संदर्भ में आप इस पर सरकार का वक्तव्य दिलवायें कि सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य श्री गौरी शंकर भइया ने एक गम्भीर प्रश्न की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है। आप सभी सहमत होंगे कि प्रति वर्ष जब बारिश होती है तो बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार सजग और सतर्क है। जहां राहत की आवश्यकता है, वहां राहत में कोई कमी नहीं होगी और न आज तक हुई है। जहां तक इस पर चर्चा कराने का सवाल है, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि सिंचाई का बजट आने वाला है, वह इस पर विस्तार से अपनी बात कह दें। यह कोई इतना अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है। हर जिले में बाढ़ आती है।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, कई आदमी मर गये हैं। अब तक पूरे प्रदेश में 20 आदमी मर गये हैं। इसलिए इस इश्यू पर आप वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अधिष्ठाता--

संसदीय कार्य मंत्री जो यह बहुत गम्भीर विषय है। इस पर आप वक्तव्य दिलवा दें। पूरा प्रदेश इससे प्रभावित है।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, कार्य-स्थगन का जो प्रस्ताव मैंने नियम 56 के अन्तर्गत दिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज से जो प्रताड़ित औरतें होती हैं तथा जो इस प्रकार की लड़कियां होती हैं, जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्हें अनाथालय में रखने का काम किया जाता है। जब अनाथालय में रहने वाली औरतों के साथ अत्याचार व दुराचार होने लगता है तो इससे बड़ा लोक महत्व का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। हिन्दू अनाथालय कानपुर की संवासिनियों ने सामूहिक आमरण अनशन कर रखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां के अधिकारी तथा उसमें के एक मंत्री भी उसमें हैं, उन लड़कियों से दुराचार कराने को प्रेरित करते हैं। यही नहीं उन लड़कियों का आरोप है कि मंत्री जी लड़कियों को अकेले में मिलने, अपने से बात करने तथा अपने कई मित्रों के वहां जाने के लिए विवश करते हैं। श्रीमन्, आज उन संवासनियों की अस्मत व इज्जत को खतरा उत्पन्न हो गया है। कुछ दिन पहले की भी खबर है कि लखनऊ अनाथालय की लड़कियों ने अत्याचार व दुराचार से पीड़ित होकर, वे अनाथालय छोड़कर भाग गईं। आज ठीक वैसी ही स्थिति कानपुर के अनाथालय में हो गई है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

उन्होंने आरोप लगाया है कि कई बार बाहर के असामाजिक तत्वों को बुला करके अनाथालय में बलात्कार तक की घटना कराने का काम किया है उस अधिकारी ने। इन मांगों के सन्दर्भ में 10 दिन से सामूहिक आमरण अनशन कर रही हैं लेकिन उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। अनाथालय के अन्दर जो दकियानूसी शिक्षा दी जाती है उसको बन्द करके उपयोगी शिक्षा दी जाय यह भी मांग में शामिल है।

श्री अधिष्ठाता--

आप तो दोहरा रहे हैं उसी बात को। अपनी बात कह चुके हैं, आप।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

इससे ज्यादा लोक महत्व का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। इसलिए मान्यवर, शासन से इस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री हुकुम सिंह--

जिस अनाथालय के बारे में सूचना दी थी यह अनाथालय न तो सरकार

द्वारा न ही उसके किसी विभाग द्वारा संचालित है । यह प्राइवेट है और इसके बारे में आपको सूचना आने के बाद जानकारी करने का प्रयास किया गया लेकिन चूंकि बहुत ही गम्भीर आरोपों का उल्लेख कर दिया है, इससे अपने निदेशालय से एक अधिकारी को अभी भेजा है इन तथ्यों की जानकारी के लिए और यदि उनकी पुष्टि होती है तो हम प्रभावी कार्यवाही करेंगे ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, पूरे देश में यह प्रदेश शिक्षा में नीचे से तीसरे स्थान पर है । इस समय पूरे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसके विषय में तमाम राजनीतिज्ञों, चिन्तकों ने चिन्ता प्रकट की है और जनवरी में ही हमारे युवा प्रधान मंत्री राजीव गांधी के आदेश से सातवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एक कमेटी बनायी है, जिसमें जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अध्यक्ष हैं और वह समिति कुछ मूल बिन्दुओं पर परीक्षण कर रही हैं, जैसे डिग्री से रोजगार को अलग करना, पूरे देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति लागू करना और तमाम अंधविश्वास और रूढ़ियां हैं, उनको समाप्त करके नई शिक्षा नीति लागू करना, विचाराधीन है ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसका पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में नाम है, उस विश्वविद्यालय के कुलपति ने मनमाने ढंग से स्नातक और विधि स्नातक को तीन वर्ष और पांच वर्ष कर दिया है । मैं माननीय नेता सदन जो कि विश्वविद्यालय के छात्र और नेता भी रहे हैं, से भी इस सम्बन्ध में मिला । शिक्षा मंत्री से भी बात हुयी, उन्होंने कहा कि हमारी ओर ऐसे से कोई निर्देश नहीं हैं, तो बिना किसी निर्देश के मनमाने ढंग से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने 3 और 5 वर्ष का डिग्री कोर्स कर रहे हैं, सीटें पहले से आधी कर दी हैं और छात्रों के मौलिक अधिकार, पुनर्मूल्यांकन, द्वितीय परीक्षा, सायंकालीन कक्षाओं की कटौती कर दी गयी है । इससे मध्यम और गरीब अभिभावकों, जिनको अपने बच्चों को दो वर्ष भी पढ़ाना मुश्किल था, अब तीन वर्ष और पांच वर्ष पढ़ाना कितना मुश्किल हो गया है । इससे वहां के छात्रों में रोष व्याप्त है । लगातार कुचक्रों द्वारा इलाहाबाद को कम करने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट का बंटवारा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश महालेखाकार तथा सी० डी० ए० पेंशन को विभाजित करने के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद् को तितर-बितर किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

ग्राह्यता पर आप बोलें ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । यूनिवर्सिटीज आटोनामस बाडी, सेमी-आटोनामस बाडी हैं और उनके सम्बन्ध में न तो कोई चर्चा हो सकती है और न प्रश्न उठाया जा सकत है । इसलिए यह प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता ।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

इस पर आप स्वयं अपनी व्यवस्था दें । इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, माननीय नेता सदन बैठे हैं, जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देश के कोने-कोने से मेधावी छात्र अध्ययन हेतु आते हैं । इस प्रणाली को एकाएक लागू करने से....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आप अपने आपको ग्राह्यता तक ही सीमित रखें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

श्रीमन्, मेधावी छात्रों का आना बन्द हो गया है । उनका पलायन हो रहा है । इस प्रकार इलाहाबाद विश्व-विद्यालय की गरिमा तथा गौरव को कम किया जा रहा है । वहां पर छात्रों में

उत्तेजना फैल रही है । वहां पर कभी भी कोई अनहोनी घटना हो सकती है । छात्रों को अनुशासनहीन कहा जाता है, उन्हें दोषी कहा जाता है । अतः सदन की कार्यवाही रोक कर....

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि ये स्वायत्त शासी शिक्षण केन्द्र हैं और उनका अपना कन्ट्रोल और कमेटी होती है और उसके बारे में तब्दीली करना और सुधार करना उनका काम है । जो तीन साल के स्नातक और पांच साल के जो कानून के कोर्स हैं उसके बारे में जो बात माननीय सदस्य ने कही तो यह मंत्रि परिषद् का फैसला है । यह 1981 में मंत्रि परिषद् ने यह फैसला लिया था कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 3 वर्ष का स्नातक कोर्स चलाया जाय । इसमें वित्तीय संसाधनों का भी मामला आया । परिषद् ने यह फैसला किया कि पहले तीन विश्वविद्यालयों और कुछ चुने हुए विद्यालयों में जैसे बी० ए०, बी० एस-सी०, बी० काम० के स्नातक के जो कोर्स हैं, उसके लिए कार्य शुरू किया जाय । मान्यवर, जिसमें कई करोड़ रुपये का मामला था वहां हमने केन्द्र सरकार से भी सहायता लेने की जरूरत महसूस की । वह इसलिये तय किया गया कि हमारे निकले हुए स्नातकों को दिल्ली स्कूल आफ इकानामिक और नेहरू युनिवर्सिटी इत्यादि में प्रवेश में समस्या हो रही है । हमने देखा कि जो टेक्निकल कालेजेज हैं, इनमें भी हमारे स्नातकों को परीक्षा को पास करने के बावजूद उन बड़े कोर्सों के अन्दर दाखिला मुश्किल हो रहा है । तो उसके लिए इसकी जरूरत समझी गई । जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सवाल है उसके बारे में वहां के वाइस चांसलर ने हमको सूचित किया कि हम इसको इस साल से शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए वह लगभग 34 लाख रु० ग्रांट कमीशन से ले आये हैं और आगे शासन के स्तर पर विचार हो रहा है । जो कानून के बारे में 5 साल करने का सवाल है उस सम्बन्ध में अभी बार काउन्सिल आफ इन्डिया ने अपना निर्णय नहीं दिया है । पहले जो निर्णय दिया था उसके सम्बन्ध में वह फिर अपने फैसले पर विचार कर रहे हैं । इसमें कई करोड़ रु० की व्यवस्था करनी पड़ेगी । इलाहाबाद में ला कोर्सेज के बारे में कोई सूचना शासन को नहीं है ।

*श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, आपने अभी नियम 56 में बाढ़ के बारे में स्वीकार किया है । मान्यवर, मैंने भी इसी विषय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के बारे में दिया था । मेरठ की मवाना तहसील के अन्दर राजस्व विभाग ने 11 नौकायें खरीदी थीं । बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने बाढ़ से जन-जीवन को सुरक्षा दिलाने की व्यवस्था की । लेकिन मान्यवर, जब जन-धन को बचाने का प्रश्न आया तो...

श्री अधिष्ठाता--

आप व्यवस्था कर रहे हैं या भाषण दे रहे हैं । आप व्यवस्था पर कहिये ।

श्री किरनपाल सिंह--

एक बोट वहां पर है । मा० संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि तमाम इन्तजाम मैंने कर दिया है । मैं मेरठ की बाढ़ के बारे में जानकारी दूंगा और अनुरोध करता हूं कि उसको आप उस वक्तव्य में शामिल करवा दें । वहां पर कोई बचाव कार्य नहीं किया जा रहा है । आप इसे उस वक्तव्य में सम्मिलित कराने के लिये अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने सम्भवतः मैंने जो कहा था उसे ध्यान से नहीं सुना है । मैंने पूरे प्रदेश की बाढ़ की स्थिति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के विषय पर वक्तव्य देने के लिये कहा है । मेरे ख्याल से आपके पश्चिमी प्रदेश का मेरठ भी इसमें आ जाता है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय, मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद एक बात सामने आ गयी है ।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी के उत्तर के बाद अगले विषय पर आ रहे हैं, अब कोई उस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं हो सकता है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

यह पांच साल का बार-काउंसिल ने जो निर्णय लिया है, तो उस पर तो पुनर्विचार हो रहा है लेकिन मा0 सदस्य ने कहा है कि वहां पर उसके अनुरूप पढ़ाई शुरू हो गयी है । जब राज्य सरकार के अधिकार में यह बात नहीं है तो उसके सम्बन्ध में यहां मंत्री जी उत्तर क्यों दे रहे हैं ?

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय, इस लोकतन्त्र की सरकार में स्वतन्त्र पत्रकारिता पर कुठाराघात हो रहा है । बस्ती जनपद में श्री श्रवण कुमार अग्रवाल जो कि एक जानेमाने पत्रकार हैं और वहां की पुलिस ने असामाजिक तत्वों के विरुद्ध एक अभियान सा चला रखा है जिसके कारण पुलिस को एक विशेष प्रकार की सुविधा भी प्रदान की गयी है । उस सुविधा का लाभ उठा कर वहां के पुलिस कर्मियों ने उस पत्रकार के विरुद्ध मोर्चा ले रखा है क्योंकि उसने वहां के थानाध्यक्ष के विरुद्ध समाचार प्रकाशित किया था कि लालगंज का थानाध्यक्ष वैधानिक कार्य नहीं करता है, जुआ खेलाता है, डाकुओं के साथ डाके डलवाता है । तबसे वहां की पुलिस ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया है और बराबर उस पत्रकार को उत्पीड़ित कर रही है । वहां की पुलिस और थानेदार उसके पीछे पड़े हुए हैं, कभी भी उस पत्रकार की हत्या हो सकती है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आज सदन की कार्यवाही को रोक कर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर, क्योंकि इससे ज्यादा लोकमहत्व का कोई और प्रश्न हो ही नहीं सकता है, चर्चा करा दें । क्योंकि प्रदेश की स्वतन्त्र पत्रकारिता की हत्या करना लोकतन्त्र पर कुठाराघात करना है । इस तरह से देश में लोकतन्त्र नहीं रह सकता है ।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय, जैसी कि इस सरकार की सदा से नीति रही है और प्रयास भी रहा है, जितना प्रयास इस सरकार ने किया है कि स्वच्छ और स्वतन्त्र पत्रकारिता के बारे में वह माता प्रसाद पाण्डेय जी को भी मालूम है । अखबारों के माध्यम से भी इस खबर की जानकारी मिली है । निर्देश भेजे गये हैं, जांच के बाद पूरी रिपोर्ट आ रही है यदि उस रिपोर्ट में जो आ रही है कोई भी तथ्य, साक्ष्य इस प्रकार का आया जैसा कि आरोप मा0 सदस्य ने लगाया है इसकी उससे पुष्टि हुई तो जो दोषी है, उसको बख्शा नहीं जायेगा, उसके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जायेगी ।

श्री शारदा प्रताप--

माननीय, मैं सदन का ध्यान अपने क्षेत्र की 32वीं वाहिनी पी0 ए0 सी0 के टेलर की पत्नी श्रीमती राम कुमारी के साथ हुए बलात्कार एवं हत्या के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं । श्री जवाहर लाल शर्मा ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई तथा उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी पत्नी को पंखे से लटका दिया । वह वहां से चला जाता है, उसके बाद वही शर्मा थाने में जाकर एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराता है और उसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पोस्टमार्टम होता है तो रामलखन टेलर क्वार्टरमास्टर के पास होता है, उसको आने नहीं दिया जाता है । पोस्टमार्टम के बाद रामलखन को वहां जाने दिया जाता है । मान्यवर, इसमें पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की । उसकी छोटी बच्ची जो 4 साल की थी उसने अपने बयानों में कहा है कि शर्मा अंकल आये थे । सांध्य समाचार में छपा भी है कि क्या-क्या किया गया है और शर्मा, बेचैनी से ए० सी० आई० के क्वार्टर के पीछे टहलता रहा । मान्यवर, इससे वहां के एक वर्ग में आक्रोश व्याप्त है । मान्यवर, मैं इस लोकमहत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । इसको गम्भीरता से देखा जाय ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता जी, संस्कृत भाषा के विकास, प्रसार में हम सबकी रुचि है लेकिन जो संस्कृत पाठशाला में अध्यापक हैं उन आचार्यों की शासन में आज उपेक्षा है । वह विधान सभा के बाहर अनशन पर बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के समस्त पाठशालाओं में अध्ययन और अध्यापन का कार्य बन्द हो चुका है । उनकी 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन मिल चुका है । उसमें उनके वेतन के बारे में भी है । मान्यवर, संस्कृत को अनुदान दिया जाता है इसके बारे में है कि हम संस्कृत भाषा का उत्थान और उसका विकास करें । लेकिन वहां के अध्यापकों को वेतन नहीं मिल पाता । मान्यवर, आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश की संस्कृत पाठशालाओं में अध्ययन और अध्यापन का कार्य बन्द है । आमरण अनशन के उनकी सूचना मिली है । इसलिए आवश्यक है कि इस पर शासन का वक्तव्य आना चाहिए । शासन इसको स्पष्ट करे कि 14 सूत्री मांग पत्र उनको मिल गया है और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है । इस पर एक दिन विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है । मैं ग्राह्यता पर बल देता हूं । शिक्षा मंत्री से कुछ कहला दें ।

श्री अधिष्ठाता--

शिक्षा मंत्री आप इसको गम्भीरता से देख लें ।

(श्री राजेन्द्र गुप्त के पुनः खड़े होने पर)

दो-दो विभाग का बजट है । पहले जो सूचना आई है उसमें श्री मनोहर लाल जी ने कानपुर की मंडियों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दी है । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए शासन का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करता हूं ।

(श्री मनोहर लाल के खड़े होने पर)

आप कृपया स्थान ग्रहण करें । श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा ने बांदा जनपद में बरछा बांध के बारे में कहा है मैं इसकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । श्री शारदानन्द अंचल ने भूमि के आवंटन में धांधली के बारे में जो बात उठायी है उसकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । श्री सत्यपाल सिंह ने पीलीभीत के श्री तिलकराम गंगवार की हत्या के बारे में कहा है ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, एक महीने का समय दिया था ।

श्री अधिष्ठाता--

संसदीय कार्यमंत्री इस सम्बन्ध में देख लें कि पीलीभीत के मामले में कार्यवाही हो । श्री राम सजीवन ने बांदा में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

2 हरिजनों की हत्या के सम्बन्ध में कहा है इसकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा एक आग्रह सुन लें। समय की ओर आप ध्यान दें ढाई बज चुके हैं यदि यह कार्य ऐसे ही चलता रहेगा तो 5 मिनट से अधिक नहीं कह पायेंगे। आपकी पूरी बात मैंने शासन को पहुंचा दी है। शासन को मैंने निर्दिष्ट किया है कि इस पर कार्यवाही की जाय।

1985–86 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 46–– वन विभाग

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46––वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,52,45,000.00 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों को वन विभाग की सामग्री प्राप्त हो गयी होगी और मुझे आशा है कि उससे सभी सदस्यों को लाभ हुआ होगा। मान्यवर, वन विभाग द्वारा जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है, तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि वनों का कितना महत्व है। वनों को लेकर समय-समय पर तमाम प्रकार की बातें उठा करती हैं। वनों का उतना ही महत्व है जितना कि व्यक्ति के शरीर में उसके किसी एक अंश का है। वन भारत की धरोहर हैं और उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता के प्रतीक हैं। आज हम वनों की चर्चा कर रहे हैं तो हम महसूस कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है। इसी सन्दर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि अगर वन नहीं रह जायेंगे तो बड़ी भारी विपदा पड़ सकती है। मान्यवर, सूडान और यूथोपिया में सारे वन काट दिये गये तो वहां पर सूखा पड़ गया, और हाहाकार मच गया। मान्यवर, भारत के लिए आवश्यक है कि वनों की सुरक्षा की जाये। वनों का महत्व हमारे उत्तर प्रदेश के लिए और भी अधिक है क्योंकि यहां की आबादी अधिक है और हमारे प्रदेश के लिए वनों का महत्व और भी अधिक है। मान्यवर, हमारी राष्ट्रीय वन नीति बनी हुई है, उसके अन्तर्गत 1/3 भाग वनों का होना चाहिये, हमारे 33 प्रतिशत वन होने चाहिये लेकिन आज केवल 1/6 भाग में वन हैं जो 17 प्रतिशत हैं, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। वनों से जलवायु को समतल और पर्यावरण में सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार की वन विभाग ने कई योजनायें बनाई हैं। हमने वनों का वनीकरण तीन प्रकार से किया है, एक तो औद्योगिक क्षेत्र में दूसरे सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में और तीसरे भूमि संरक्षण के क्षेत्र में किया है। मान्यवर, जब हम औद्योगीकरण की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 29000 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगीकरण किया गया है पेंसिल से लेकर कागज, माचिस और बहुत सी चीजें जैसे प्लाईवुड की आवश्यकता होती है, इनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिये हमने जो पेड़ लगाये हैं, उनमें यूकेलिप्टस, बांस आदि के पेड़ हैं, जिनका वनीकरण किया गया है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति हो सके, उसको बढ़ावा मिल सके।

मान्यवर, लालकुंआ में पेपर मिल की योजना बनाई है और लालकुंआ में पेपर मिल चल रही है।

(इस समय 2 बज कर 34 मिनट पर अधिष्ठाता, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए ।)

इसके साथ ही साथ हमारी एक महत्वपूर्ण योजना सामाजिक वानिकी की है । उसके अन्तर्गत हमको वर्ल्ड बैंक से 1980-85 के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपया मिला है और हमने उसको सफलतापूर्वक चलाया है । उसकी सफलता हमको बराबर मिलती रही है । लगभग 78 हजार हेक्टेयर जमीन के ऊपर इस योजना को चलाया है । इसे हमने नहर की पटरी या खेत के किनारे के जो भाग हैं उनको लेकर किया है । इससे हमारे काश्तकारों को, गरीबों को, हरिजनों को चारे आदि के लिये अनुदान की जब आवश्यकता पड़ती है तो उसकी आपूर्ति के लिए इस सामाजिक वानिकी द्वारा किसानों को पूरा लाभ पहुंचता है । इसके सम्बन्ध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो हमारा 48 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त ही नहीं किया बल्कि उसको पूरा करके 78 हजार हेक्टेयर में वनों को उपज की है । यह हमारा सराहनीय कार्य रहा है ।

इसके साथ ही साथ भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत 9 हजार हेक्टेयर में मदान में वनों को लगाया गया है और 75 हजार हेक्टेयर भूमि में पर्वतीय क्षेत्र में वन लगाये गये हैं । इससे काफी फायदा हमें हुआ है । इससे जो भूमि बची है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ी है और उसमें सुधार हुआ है । भारत सरकार ने हमारी इस योजना की सफलता के लिए हमें प्रशंसा-पत्र भी दिया है । हमने 80-90 प्रतिशत तक इस योजना का लाभ उठाया है । वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन, मैकनमारा यहां आये थे, उत्तर प्रदेश में खीरी में वे आये थे । उन्होंने भी प्रशंसा की है कि उत्तर प्रदेश न इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया ह ।

माननीय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि वनों की रक्षा करना हमारा परम कर्त्तव्य है । अगर हम वनों की रक्षा नहीं करेंगे तो उनकी कैसे रक्षा हो पायेगी जो नये वन लगाये जा रहे हैं । यह हमारा दैनिक कर्त्तव्य हो जाता है । वनों की सुरक्षा के लिये हमने एक सैनिक टीम बनाई है जो फारेस्ट फोर्स के नाम से जानी जाती है । इसके अन्तर्गत हमने 240 वनरक्षकों की नियुक्ति की है और भूतपूर्व सैनिकों को इस टीम में लिया है । इस तरह से 117 सैनिकों को लेकर एक टीम बनाकर हम सर्वे कर रहे हैं । वे लोग जाते हैं और जहां वनों का कटान होता है जो वनों को खतम करने की बात कर रहे हैं, जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो चोरी कर रहे हैं उनको वे देखते हैं और उनकी रोकथाम करते हैं ।

इसके साथ ही साथ यू0 एन0 डी0 पी0 स्कीम जो हमें यूनाइटेड नेशन्स से मिली है उसके तहत हमने वनों में लगी आग को बुझाने का कार्यक्रम बनाया है । यह स्कीम हमारी ऐसी है कि जिससे हम आग पर पूर्ण रूप से काबू पा सकेंगे ।

अब मैं वन्य जन्तु के बारे में कहना चाहूंगा । माननीय वाइल्ड लाइफ की जातियां आज खत्म हो रही हैं । वह भी राष्ट्र की धरोहर हैं । उनको रोकना हमारा कर्तव्य है । ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश में चार पार्क हैं दुधवा नेशनल पार्क, कार्बेट पार्क, फूलों की वैली और नन्दा देवी पार्क । इन पार्कों में हमारे देश और प्रदेश के ही नहीं बल्कि बाहर के देशों से पर्यटक आते हैं और इनकी देख-रेख की प्रशंसा करते हैं, हमारे वनों की तारीफ करते हैं कि हमने उनको किस तरह से मेंटेन किया है । इसके अतिरिक्त देहरादून, सहारनपुर व गढ़वाल में एक राजा जी पार्क की घोषणा हुई है । इसी के साथ-साथ जो पशुओं की जातियां समाप्त हो रही हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे

हैं और कुकरैल के अन्दर हमने एक सेन्टर खोला है जिसमें उनकी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल में इस तरह की एक जाति कस्तूरा मृग ने दो बच्चों को जन्म दिया है। यह जाति हमारे यहां समाप्त हो रही है। इसी तरह से गैंडा भी हमारे प्रदेश में बहुत पाया जाता था लेकिन आज वह समाप्त हो गया है। उसको बढ़ाने के लिए हमने दुधवा नेशनल पार्क में 7 गैंडे आसाम और नेपाल से लाकर रखे हैं। इन जातियों को बढ़ाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वह समाप्त न हो।

हमारे खीरी दुधवा नेशनल पार्क में शेर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे वहां लोगों में कुछ आतंक है। उसके लिए हमने योजना बनाई है "टायगर वाच" योजना जो एक सइंटिफिक तरीके से प्रयोग होती है जिससे मालूम हो जाता है कि टायगर कहां जा रहा है और यह कैसा टायगर है "मैनईटर" है या नहीं। तो जो लोग आज परेशान हैं शेरों के आतंक से उनकी वह परेशानी दूर होगी और हमें आशा है कि वह परेशानी जल्दी हम दूर कर लेंगे।

इसी तरह से हमारे यहां रिसर्च यूनिट कायम है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसने पोपलर के वृक्षों की प्रजातियां खोजी हैं। उसके कामों को काश्तकारों ने सराहा है। वन विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए हमारे यहां ट्रेनिंग सेन्टर है जिसमें रेंज आफिसर्स की ट्रेनिंग होती है जो हल्द्वानी के अन्दर है जिसमें रेंज आफिसर जाते हैं और फिर उसके बाद वे वन विभाग के कर्मचारी हो जाते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है।

इसी प्रकार प्रचार विभाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है जो हमारे वनों पर आधारित फिल्में तैयार करता है, सामाजिक वानिकी की फिल्में तैयार की जाती हैं कि किस प्रकार पेड़ों की रा

करें और उनको बढ़ायें, उससे क्या लाभ हमें मिलते हैं यह सब बातें लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। एक अरण्यक पत्रिका है जिसकी लगभग दो लाख प्रतियां निकलती हैं और हमारे प्रदेश भर के सभी प्रधानों को जाती हैं ताकि उनके माध्यम से लोगों को वनों के बारे में जानकारी हो सके।

मान्यवर, यह हमारी छठी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां हैं, इसी के साथ-साथ 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी जी ने इस बात को महसूस किया है कि आज भी हमारे देश में बहुत सी जमीन बंजर पड़ी है उसके लिए उन्होंने स्कीम बनाई है कम से कम 50 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसे ही पड़ी है उसके नवीनीकरण करने की बात की है। हमारे प्रदेश में भी बहुत सी जमीन ऐसी है जिसके लिए हमें भी हिस्सा मिलेगा और हम योजना बना रहे हैं कि जो बेकार जमीन है उसका उपयोग हो। जो जमीन अभी तक प्रयोग नहीं हो रही है उससे जलवायु समाप्त हो रही है। इस संबंध में हमारे प्रधान मन्त्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है। इस बड़े कार्य को पूरा करने के लिए हमारे वन विभाग ने काय आरम्भ किया है। वन विभाग में एक टास्क फोर्स कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट के बाद हम अपना कार्य शुरू कर देंगे।

मैं वृक्षारोपण के संबंध में बताना चाहता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है सातवीं पंचवर्षीय योजना में वह लगभग 3 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण आने वाले समय में करेंगे।

इसके साथ-साथ हम को 120 करोड़ रु0 सामाजिक बानकी के लिए विश्व बैंक की तरफ से पैसा मिलने जा रहा है। जिसके तहत हम पूरा कार्य करेंगे और यह हमारी वृद्धि हुई है चूंकि विश्व बैंक ने प्रसंशा किया है, इसलिए अब बजट बढ़ा दिया है। मान्यवर,

उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत अच्छा कार्य हो रहा है ।

मान्यवर, इसी के साथ में बताना चाहता हूं कि अभी तक रेंजर तहसील में होते थे लेकिन अब योजना बना रहे हैं कि तहसील स्तर से हटाकर इसको ब्लाक स्तर पर ले आयें । इस संबंध में विश्व बैंक ने हमारी स्कीम की तारीफ किया है ।

मान्यवर, मैं यह भी सदन को बताना चाहूंगा कि वनों में आग लगने के संबंध में सातवीं योजना में 6 रेंजर और एक ए० सी० एफ० अमेरिका गया है जो ट्रेनिंग लेकर आयेगा जिसके अन्तर्गत यह मालूम करेंगे कि आग को बुझाने के लिए जो नई तकनीक हैं उसको किस प्रकार से चलायेंगे और जो वन जल जाते हैं उनको बचायेंगे जिससे वनों को काफी फायदा होगा ।

मान्यवर, एक योजना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मिली है जिसके अन्तर्गत यूनाइटेड नेशंस ने अपना मुफ्त 40 करोड़ रुपये का खाद्यान्न देना स्वीकार किया है, यह योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में लागू होगी, इस योजना के अन्तर्गत कुछ पैसे गेहूं के शक्ल में देकर 16 करोड़ रुपये की बचत करेंगे । यह मजदूरों के उत्थान के कार्यों के लिए होगा । इससे मजदूरों को फायदा होगा और उनको रोजगार मिलेगा जो परेशान हैं ।

मान्यवर, वन निगम की स्थापना 1974 में हुई थी तबसे लगातार इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है और अपने लक्ष्य को पूरा किया है । वर्ष 1982-83 में 59 करोड़ का टर्न ओवर वन निगम का था, 1983-84 में 79 करोड़ का और 1984-85 में बढ़कर 85 करोड़ रुपये का टर्न ओवर हो गया है । मान्यवर, इसी हिसाब से 90 सेल डिपो खोले गये हैं इसके अलावा 55 ऐसे डिपो हैं जहां सस्ती लकड़ी मिलती है जिससे जलाने की लकड़ी की कठिनाई दूर हुई है ।

मान्यवर, वन निगम द्वारा काफी रोजगार सृजित हुये हैं । 700 ग्रेजुएट्स विद्यार्थियों को रोजगार मिले हैं और 6 हजार जो हाई स्कूल पास हैं उनको वन के कार्य में रोजगार दिये गये हैं । इसके साथ ही 14 हजार श्रमिक दैनिक कार्य करते हैं । इस प्रकार वन निगम का कार्य सराहनीय है और लगातार बढ़ोत्तरी की ओर हम चले हैं । और इसी सम्बन्ध में 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो हमारा है, उसके अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में वृक्षारोपण के अन्दर 59 हजार हेक्टेयर भूमि पर साढ़े 33 करोड़ पेड़ लगाने की हमारी योजना है, जो हम आइन्दा लगायेंगे । इस सम्बन्ध में समस्त वन अधिकारियों को आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं । यह हमारा एक बड़ा अच्छा रिकार्ड होगा । इसके साथ-साथ अब तक यानी कल की तारीख तक जो हमारा वृक्षारोपण हुआ है, लगभग 5 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे माननीय सदस्यों को वन विभाग से सम्बन्धित विकास कार्यों के बारे में जो बताया है उससे वह प्रभावित होंगे और इस हमारे बजट को पास करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे ।

श्री कमल किशन पान्डेय--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46--वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

माननीय मन्त्री जी का भाषण सुनने और जो विभागीय सामग्री उपलब्ध है उसको देखने से स्पष्ट है कि सरकार की जो वन नीति है वह राष्ट्रीय वन नीति के विरुद्ध ही नहीं बल्कि बिलकुल उससे उल्टी चल रही है । इस सम्बन्ध में इस वक्त जो मुख्य लक्ष्य राष्ट्र ने रखा है वन नीति के सम्बन्ध में वह है पर्यावरण । और इस बात पर पूरा बल हमारे प्रधान

मन्त्री ने भी दिया है और जो आपने उनका पैम्फलेट दिया था उससे भी यही स्पष्ट होता है और समय समय पर कई बार जो घोषणायें हुई हैं, उससे भी यही स्पष्ट होता है कि पूरा बल इस बात पर है कि पर्यावरण स्वच्छ और सन्तुलित रहे। वह उचित भी है और राष्ट्र के लिए आवश्यक भी है।

सदन में रोज-रोज चर्चायें उठ रही हैं कि कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, विशेषज्ञों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों का भी यह मत है कि जिस तेजी से वनों का कटान हो रहा है, उसको यदि रोका न गया तो कुछ समय बाद हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जायेंगे, जिसमें जीवन सुरक्षित नहीं रह पायेगा और उस परिस्थिति को हम बदल भी नहीं पायेंगे। इस सम्बन्ध में मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि पर्यावरण भी उनका एक लक्ष्य है, लेकिन जो कारनामें है, उससे यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरण कम से कम उत्तर प्रदेश के वन विभाग की मुख्य नीति नहीं है। जो आपने वृक्षारोपण यानी वानीकरण के सम्बन्ध में बताया है, उससे यह स्पष्ट है कि यह वृक्षारोपण अथवा वनोकरण पर्यावरण की दृष्टि से नहीं बल्कि राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से इसे रखा गया है। श्रीमन्, 1944 से पहले यह जरूर था कि राजस्व, वन नीति का एक बुनियादी मुद्दा हुआ करता था, लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान जब अन्धाधुन्ध वनों का कटान हुआ, तो सन् 1944 में आई0 जी0 फारेस्ट ने सम्भवतः पहली बार यह बात कही कि राजस्व वन नीति का एक मुद्दा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा मुख्य मुद्दा या मुख्य लक्ष्य उन वनों को सुरक्षित रखने का है जो राष्ट्र के वातावरण के लिए आवश्यक हो और दूसरा मुद्दा है उन वनों से वह उत्पादन करवाना जो आम जनता के लिए आवश्यक हो, जैसे ईधन की लकड़ी, मकान बनने के लिए लकड़ी और जानवरों के लिए चारा। लेकिन उन्होंने यह कहा कि रेवेन्यू जो है वह अन्त में आयेगा उसमें खास बल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नीति बतायी है उससे यह सिद्ध है, साफ है कि आपका मुख्य लक्ष्य केवल राजस्व की प्राप्ति है। आपने वनीकरण के सम्बन्ध में बताया और कहा कि आपका लक्ष्य उद्योगों के लिये लकड़ी उपलब्ध हो सके, इसलिए वनीकरण करना है। तो श्रीमन्, इस तरह का जो वनीकरण है वह पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत है और इससे पर्यावरण और ज्यादा दूषित होगा।

पर्यावरण की दृष्टि से जो वनीकरण है उसमें तीन चीजें जरूरी होती हैं। एक तो किस किस्म के पेड़ लगेंगे, दूसरे किस तरह से वह वातावरण को कंट्रोल करेंगे और तीसरे वह मैच्योर होने के बाद नहीं काटे जायेंगे। क्योंकि मैच्योर होने के बाद ही वह वातावरण पर जोर डाल सकते हैं। लेकिन जो आप कटान की दृष्टि से पेड़ लगाते हैं वह इन तीनों चीजों के विपरीत है। आप क्विक ग्रोइंग स्पीसीज लगाते हैं, क्योंकि वह पेड़ जल्दी बढ़ते हैं और जल्दी कटान के काबिल हो जाते हैं और जब वह मैच्योर होते हैं तो आप उन पेड़ों को काट देंगे जिससे पर्यावरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और प्रभाव उल्टा पड़ता है। अब तो हमारे विशेषज्ञों की आम राय है कि मोनों कल्चर प्लान्टेसन अब नहीं लगाना चाहिये। उनका कहना है कि इस तरह के पेड़ों से पर्यावरण पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता है। अगर पर्यावरण का सुधार करना है, भू-स्खलन रोकना है, स्वायल इरोजन रोकना है और वाटर टेबिल बढ़ाना है तो आप एक किस्म के वृक्ष न लगायें। अगर उन पेड़ों की एक प्रकार की जड़ें और एक प्रकार के पत्ते होंगे तो वह फायदेमन्द नहीं होंगे। इस लिए भिन्न प्रकार के पेड़ लगाये जाने चाहिए। आपने अपनी जो नीति बतायी उसमें स्पष्ट कहा है कि आप जो वन लगा रहे हैं वह उद्योगों की नजर से लगा रहे हैं, कटान की नजर से लगा

रहे हैं और ईंधन के लिये लगा रहे हैं। तो यह जो वनीकरण आप करना चाहते हैं इससे प्रदूषण और जो इकोलोजिकल बैलेंस है यह डिस्टर्ब होगा और बाढ़ भू-स्खलन को आप नहीं रोक सकेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पार्लियामेन्ट की कंसल्टेटिव कमेटी जो इन्वायरमेन्ट के लिये बैठी थी, 1984 में उन्होंने कहा था कि अब जनता को आगाह कर दिया जाय कि यूकिलिप्टस न लगायें। यह बात सही भी थी क्योंकि वैज्ञानिकों का यह निश्चित मत है कि यूकिलिप्टस का जो पेड़ है वह एक दिन में 80 गेलन पानी जमीन से लेता है और 6 वर्ष का होने तक 1·5 टन नाइट्रोजन जमीन से लेता है, 5 टन फासफोरस लेता है और 7 टन कैलशियम लेता है। यह तो प्रकृति का नियम है जिसको हम कहते हैं, ए मैटर कैन नाट बी क्रियेटेड, वह तो केवल परिवर्तित हो सकता है, तो जो पेड़ जितनी जल्दी उगेगा वह उतनी ज्यादा खूराक जमीन से लेगा।

आप वृक्ष जो लगा रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? वृक्ष पानी ले रहा है, वह जमीन से खुराक ले रहा है और जब वह मैच्योर होगा और पर्यावरण में प्रभाव डाल सकेगा, आप उसको काट देंगे। आपने वनीकरण को बताया कि हम कितना वनीकरण करने जा रहे हैं। एन० आर० एस० ए० का कहना है कि उत्तर प्रदेश में केवल 7·14 प्रतिशत फारेस्ट का औसत है और हर इन्टरनेशनल एजेंसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विनाश की तरफ जा रहा है। उनका कहना है कि अगर आपने वन कटान में कोई रोक नहीं लगाई, तो 2000 ए० डी० के अन्त तक आपका क्या होगा, हम नहीं कह सकते। इन सब बातों को देखने के बावजूद श्रीमन् यह वन नीति बनाई जा रही है। 1944 के बाद कभी राजस्व, वन नीति का मुद्दा नहीं रहा है, लेकिन इस प्रान्तीय सरकार के लिए वही एक मुख्य मुद्दा है। श्रीमन्, आपने जो अपनी किताब दी है, इसमें मैं एक सेन्टेंस केवल पढ़ देना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, प्रधान मन्त्री जी की चिट्ठी को भी आप देख लें। वह सिंगिल सेन्टेंस पढ़ देता हूं, कितना विरोधाभास है। "अतः वर्तमान वनों के अतिशीघ्र विकास की अवश्यकता है, जिससे वनों की उत्पादन क्षमता अर्जित हो सके।" आपका लक्ष्य है प्रोडक्शन। आपने इन्वारनमेंटल बैलेंस को लक्ष्य नहीं रखा है। आप वन के जरिये धन कमाना चाहते हैं। आपने आंकड़े पढ़े, उन आंकड़ों से क्या साबित हो रहा है? 5 लाख क्यूबिक मीटर वन निगम ने औद्योगिक लकड़ी बेची। 5 लाख क्युबिक मीटर वन निगम ने ईधन के लिए लकड़ी बेची और 4 लाख टन वन विभाग ने उद्योगों के लिए लकड़ी दी। अब 4 लाख टन इसमें शामिल है या भिन्न है, मैं नहीं कह सकता। अगर 10 लाख मान लीजिए, तो 10 लाख क्युबिक मीटर वन कटा। अगर इसका आंकड़ा लगाइये, तो कम से कम 20 हजार हेक्टियर वनीकरण आपने समाप्त किया, तो आप क्या सिद्ध कर रहे हैं? राजस्व को आपने इतना महत्व दे दिया है कि उससे इनवारमेंट और इकलाजी डिस्टर्ब हो रही है। आश्चर्य की बात यह भी है कि प्रान्त में भी और राष्ट्र में भी एक ही दल की सरकार रही है। और केन्द्र सरकार का लक्ष्य है वनीकरण हो, वास्तविक वनीकरण हो, पेड़ लगाने से मतलब नहीं है, वनीकरण से मतलब है। दोनों में बहुत भिन्नता है। राव वीरेन्द्र सिंह ने 1980 में पार्लियामेन्ट में कहा था कि हमारा लक्ष्य है 32 परसेन्ट वन हो जाय। उनके अनुसार भारत में केवल 20 परसेन्ट वन हैं। लेकिन उसका उत्तर आपकी स्वयं की किताब से ही जाहिर होता है, क्योंकि आपके पास केवल 17 परसेन्ट वन-भूमि है। इसलिए आप कहते हैं 32 परसेन्ट तक तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। आप वनीकरण क्या कर रहे हैं? केवल काटने के लिए। इस सम्बन्ध

इन्सपेक्टर जनरल आफ फारेस्ट के 1944 के एक नोट की लाइन कोट करना चाहता हूं । "इट इज मीनली डी वासटेंस बट इन ए माडिफाइड फार्म" इस तरह का प्लानटेंशन भी वनों का नाश है । मान्यवर, अब सामाजिक वानिकी को देखें । मान्यवर, जो भारत की जनता है, उसका प्रथम अधिकार है कि वह इन वनों से चारा और जलाने की लकड़ी ले । इन वनों से वह कुछ मांगती है, तो सिर्फ चारा और जलाने की लकड़ी मांगती है और इनका उद्देश्य भी यही है ।

"सोशल फारेस्ट्री आब्जेक्टिव का कोई इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो रहा है, 120 करोड़ जी0 आई0 डी0 ए0 एण्ड वर्ल्ड बैंक ।" सोशल फारेस्ट्री के लिए वर्ल्ड बैंक से 120 करोड़ रुपया दिया गया, लेकिन जिस उद्देश्य से यह दिया गया, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका । वह उद्योगपतियों को दे दिया गया जैसा नार्दन इंडिया ने अपनी 21 जून, 1984 की खबर में कहा है" आई0 डी0 ए0 फन्डेड 40 करोड़ प्लानटेशन कोरनर्ड बाई लैन्ड ओनर्स ओनली मिसली टेन टू ट्वन्टी परसेन्ट प्लानटेशन आन ग्राम सभा लैन्ड । दि स्कीम विल ऐनरिच दि कोमरस आफ द स्टेट ।" मैं कहना चाहूंगा कि आप निजी काश्तकार को वन लगाने के लिए पैसा न दें । सार्वजनिक जमीन में वह पेड़ लगाये ताकि साधारण आदमी की साधारण जनता की जरूरत पूरी हो जाए । यह आवश्यक है कि हम अपनी जनता की आवश्यकता पूरी करें । उसके ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता पूरी करें । मान्यवर, यह पैसा निजी काश्तकारों को किसी उच्च अधिकारी की साजिश से नहीं दिया गया बल्कि यह शासन की वजह से दिया गया जैसा कि नेशनल हेरल्ड पत्रिका में 15 अप्रैल, 1984 को, जब सोशल फारेस्ट्री के लिए वर्ल्ड बैंक से 120 करोड़ रुपया दिया गया था । खबर से साफ है ।

"इन ए सिग्नीफिकेन्ट मूव दि फारेस्ट डिपार्टमेन्ट विल इन फ्यूचर कन्सन्ट्रेट आन प्राइवेट फार्म लैण्ड प्लान्टेशन एज अगैंस्ट दि सोशल फारेस्ट्री आब्जेक्टिव आफ प्लान्टिंग ट्रीज आन कैनाल रोड, रेलवे साइड्स एण्ड ग्राम सभा लैण्डस" इससे साफ है कि यह वन विभाग की ही नीति है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप इसको हिन्दी कर दीजिए।

श्री कमल किशन पाण्डेय—

वन विभाग ने यह कहा है कि वह भविष्य में प्राइवेट कार्य लैन्ड में वनीकरण करेगा और रेलवे साइट, कैनाल रोड और ग्राम सभा की जमीन में नहीं । अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर पेड़ लगायेगा तो क्या वह चारा देगा, ईंधन देगा आपको। यह जो नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन का आब्जेक्टिव था, उसको आपने नहीं लिया, आपने वह आब्जेक्टिव लिया जो किसी का आब्जेक्टिव नहीं हो सकता है । आपने राजस्व कमाने का आब्जेक्टिव लिया ।

एक समस्या यह है कि अगर आप इस तरह से वन कटान को नहीं रोकेंगे तो वनों का क्षेत्रफल बढ़ नहीं सकता है । आप उद्योग को इतनी लकड़ी दे रहे हैं, इतनी लकड़ी काट रहे हैं, जिस गति से आप वन लगा रहे हैं, उसी गति से वनों को आप काट रहे हैं । अगर आप जितना वन लगा रहे हैं, उतना ही वन काटेंगे तो फारेस्ट कैसे बढ़ेगा । आप सिर्फ राजस्व कमाना चाहते हैं । आपके विभाग ने शुद्ध प्राप्ति दिखाई है वन सम्पदा से 57 करोड़ रुपये जो लकड़ी निगम द्वारा बेची जा रही है या बेची गई है, उसका इससे मतलब नहीं है । सब मिलाके जो आमदनी हो रही है वह कुल 2 सौ करोड़ रुपये हो रही है । 178 करोड़ के घाटे का आम बजट सरकार ने पेश किया है और 4–5 हजार करोड़ का वार्षिक बजट है । अगर भविष्य में

इसमें 2 सौ करोड़ कम हो जाये तो क्या बहुत नुकसान हो जायेगा ? वैसे आप देखिये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के बाद आप एचीव क्या कर रहे हैं ?

आपके आकड़ों के अनुसार 1982-83 के अन्त तक जो रजिस्टर्ड स्माल स्केल, मिडिल स्केल और लार्ज इंडस्ट्रीज ह उनका इंप्लायमेन्ट पोटेंशियल 14 हजार था । जो लक्ष्य रखा है 1990 तक वह कुल 50 हजार है । एक तरफ तो राष्ट्रीय नीति का उल्लघंन कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने प्रान्त का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं । लेकिन इसके बदले आप दो सौ करोड़ ही पा रहे हैं । इतने बड़े प्रान्त के लिए यह ऐसी चीज नहीं है । मान्यवर, 1980 में एक निर्णय लिया गया कि एक हजार मीटर से ऊपर वन कटान बन्द कर दी जायेगी । उसका नतीजा यह हुआ कि ठेकेदारी प्रथा, जिसके जरिये पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध था, वह रोजगार समाप्त हो गया । जितने बरोजगार हुये थे वे 5 वर्षों में कहीं न कहीं रोजगार पा लिए तो अगर यह उद्योग बन्द हो जएंगे, तो नतीजा इससे बुरा नहीं होगा । और आप देखें कि उद्योग हैं क्या, श्रीमन्, कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है कि उसके बन्द होने से प्रांत का भविष्य खतरे में चला जाय । न्यूज पेपर प्रिन्ट की बात है, उसे आप कनाडा से आयात कर सकते हैं और चीजों के साथ ही । कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है । इसी प्रकार रोजन पेण्ट की भी बात है । श्रीमन्, अगर इसम कोई बदलाव लाएंगे तो इस बदलाव से न तो प्रान्त की अर्थ-व्यवस्था में कोई फर्क पड़ता है, न इम्प्लायमेन्ट पोटेंशियल पर कोई फर्क पड़ता है ।

तो यह नीति जो 1944 से पहले की नीति है, जो दूसरे महायुद्ध से पहले की नीति है, जब यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के वन असीमित हैं । 1952 में, दूसरे महायुद्ध के बाद भी ऐसी स्थिति नहीं थी लेकिन 1952 में जो नेशनल पालिसी आयी फारेस्ट की तो यह नीति बदल दी गयी । आप भी इसे बदल दें । श्रीमन्, आपने बत्ती जला दी है, अतः केवल दो बात मैं कहूंगा । श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी यह जो नीति है, इससे बहुत गलत प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ा है । एक तरफ से तो आपका कन्जरवेशन आफ फारेस्ट ऐक्ट, 1980 लागू होता है, जिसके कारण रिजर्व फारेस्ट की भूमि पर हस्तक्षेप नहीं हो सकता है । दूसरी तरफ यह भी आदेश देते हैं कि पेड़ों का कटान बन्द हो जाय । तो इस समय स्थिति क्या है ? स्थिति यह है कि आपके विकास कार्यों में अवरोध पड़ गया है । जहां भी एक पेड़ आ गया, वन विभाग आपत्ति लगता है और सड़क नहीं बच सकती । कोई मकान बनाना चाहता है, तो आपत्ति लग जाती है, मकान नहीं बन पाता है । जब कोई भी काम होना होता है तो कहते हैं कि रिजर्व फारेस्ट की भूमि हस्तान्तरित नहीं हो सकती । किसी का जानवर वन विभाग की भूमि में चला जाता है तो पकड़ लिया जाता है । लेकिन आप अपनी आय के लिये तो पेड़ काटने के लिये राजी हैं पर जनता के विकास कार्यों के लिये अगर पेड़ कटते हैं तो उसमें आप प्रतिबन्ध लगाते हैं । नतीजा यह है कि खासकर पर्वतीय क्षेत्र में वनीकरण के प्रति अरुचि हो गई है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों से ही सबसे पहले मांग उठी थी कि पेड़ों का कटान बन्द हो, चिपको आंदोलन शुरू हुआ, पर्वतीय क्षेत्रों से हुई इसकी शुरुआत, कहा गया पेड़ों का विनाश हो रहा है, उसके फलस्वरूप पेड़ों के कटान पर बन्दिश लग गयी । आज वही पर्वतीय क्षेत्र के लोगों से, यदि वहां जमीन खाली है, कहा जय कि इस खाली जमीन पर वनीकरण करवा दिया जाय तो वे कहेंगे कि हमें पेड़ नहीं चाहिये । कारण, अगर वहां पेड़ लग गये, और वहां पर स्कूल बनने की बात आयी, तो पेड़ के कारण आपत्ति आ जायेगी । सड़क बननी होगी, तो पेड़

के कारण आपत्ति आ जायेगी। जो पहले से जागरूक जनता थी, जो आपसे मिलकर के वनीकरण करवा रही है, वह विवश हो गयी हैं और कहती हैं कि उन्हें पेड़ नहीं चाहिये। पेड़ों का महत्व है पहाड़ी जनता के लिये। वहां चारे की समस्या है, लकड़ी की समस्या है, यह समस्यायें पर्वतीय क्षेत्रों में बनी हुई हैं। उनका एक ही निराकरण हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगायें और आप प्रोत्साहित करें कि पेड़ लगायें, लेकिन सबसे पहले आप स्वयं ही आगे आयें कि हम पेड़ नहीं काटेंगे।

मान्यवर, एक राजा की कहानी आपने सुनी होगी, उसको वरदान मिला कि जो चीज छू देंगे, सोना हो जायेगा। पानी छू दिया, सोना हो गया। खाना छू दिया, सोना हो गया। सब सोना ही सोना दिखने लगा। यही आपके वन विभाग की नीति है राजस्व इकट्ठा करेंगे, राजस्व बढ़ेगा। लेकिन प्रान्त की जनता को न पीने का पानी मिलेगा और न खाने को अन्न मिलेगा।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, जीवन से सम्बन्धित, पर्यावरण से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण बजट माननीय वन मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, ऐसा लगा कि उन्होंने कटौती का प्रस्ताव न रखकर केवल चर्चा में ही भाग लिया।

मान्यवर, जहां तक वृक्षारोपण की बात है हमारी सरकार, माननीय मन्त्री जी और विभाग इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं कि ऐसी भावना प्रदेश की जनता में पैदा की गयी कि पर्यावरण की दृष्टि से, प्रदूषण को दूर करने की दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टिकोण से वृक्षारोपण आवश्यक है।

मान्यवर, वृक्षारोपण का कार्य ऐसा है जिसे आसानी से देखा जा सकता है। आज से 10 वर्ष पूर्व की स्थिति में वृक्षारोपण कार्य पर दृष्टिपात करेंगे, तो देखेंगे कि इसमें बहुत विकास हुआ है। बृहद् रूप से वृक्षारोपण हुआ है।

मान्यवर, मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि जो निजी तौर से वृक्षारोपण करते हैं, उनमें पोषण और सुरक्षा सुचारु रूप से होती है। परन्तु जो विभागीय वृक्षारोपण होता है, उसमें पोषण और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कमी नजर आयी है। वह मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। शहरों को आप देख लें। वृक्षारोपण चाहे वन विभाग करता हो अथवा स्थानीय निकाय करता हो और या फिर पी0 डब्लू0 डी0 करता हो। सड़कों पर जो पेड़ लगाये गये हैं और उनकी सुरक्षा हेतु चारों ओर जो जालियां लगाई गई हैं, वे झुक गईं जिसकी वजह से वे पेड़ भी झुक गये हैं इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन पेड़ों को भले ही कोई लगवाये, पर इनकी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए तथा इनका पोषण भी सुचारु रूप से किया जाना चाहिए।

मान्यवर, जहां तक वनों के कटान की बात है, इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि वनों के कटान में, शून्य तो मैं नहीं कहूंगा, काफी कमी आई है। हमारे माननीय सदस्य ने काफी अच्छे सुझाव भी रखे हैं। उन्होंने एक बात और कही कि ठेकेदारों को इससे काफी परेशानी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जहां कुछ ठेकेदार काफी परेशान हैं, वहीं हमने शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिया है। हमने जलौनी लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए बिक्री केन्द्र खोले हैं। मेरे गोंडा जनपद में लकड़ी का काफी कटान होता था परन्तु जब से वह वन निगम हुआ है, तब से अवैध कटान में काफी कमी आई है। जंगल की सुरक्षा हेतु जो कर्मचारी होता है, उसके पास एक लाठी होती है और कोई हथियार नहीं

होता है । जो प्रभावशाली लोग होते हैं, वे पहले तो इन लोगों को खरीदना चाहते हैं, यदि वे खरीदने में नहीं आते हैं, तो उन पर ज्यादती करके वे अवैध रूप से कटान करते हैं अभी भी । इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दे कि जो जंगल की सुरक्षा हेतु कर्मचारी होता है, उसके पास कोई न कोई ऐसा हथियार होना चाहिए, जिससे वह अपनी सुरक्षा पहले कर सके फिर जंगल की ।

मान्यवर, जो जलौनी लकड़ी उपलब्ध करायी जाती है वह साधारण लकड़ी से भी ज्यादा कीमत की होती है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है । आज भी गांवों में लोग ज्यादातर स्टोव, गैस के चूल्हे आदि पर निर्भर न रहकर जलौनी लकड़ियों पर ही अपने घर का खाना बनाते हैं । मेरे यहां गोंडा में जलौनी लकड़ी जो उपलब्ध करायी जाती है, वह सस्ती नहीं है । इसकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लोगों को सस्ती लकड़ी उपलब्ध करवायी जाय । मान्यवर, एक चीज मैं और कह दूं, मान्यवर, जो जलौनी लकड़ी है, चारे की जो हैं, उन प्रजातियों का वृक्षारोपण अधिक करायें । जैसे ईंधन का ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोपण हो, इसे प्रचुर मात्रा में कराया जाय । अगर यह नहीं होगा तो अवैध कटान पूर्णरूपेण रोका नहीं जा सकता । अन्त में अपनी बात समाप्त करते हुये मन्त्री जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री काजी मोहिउद्दीन--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय वन राज्य मन्त्री जी ने बजट पेश करते हुये सामाजिक वानिकी का जिक्र किया लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं बताया । अधिकाता जी, जब कि आप भी मन्त्री थे और इत्तिफाक से वन विभाग मेरे पास था, हमने सामाजिक वानिकी का काम शुरू किया था और जहां तक मुझको जानकारी है उस समय सामाजिक वानिकी का उद्देश्य यह था कि इस प्रकार के पेड़ लगाये जायें कि गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके । उस समय पूरे प्रदेश के बड़े भाग में पेड़ लगाये गये थे । मेरे क्षेत्र और मेरे निवास स्थान मंगलौर में भी बहुत से ऐसे पेड़ नहरों के किनारे-किनारे लगाये गये जैसे नीम, मालबरी, शहतूत आदि के, जिन पर रेशम के कीड़े पाले जा सकें । वे पेड़ तैयार हो चुके हैं लेकिन वहां कोई कारखाना रेशम का नजर नहीं आ रहा है जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया हो इसलिये जो उद्देश्य था वही पूरा का पूरा लगभग समाप्त हो गया है ।

मान्यवर, राज्य मन्त्री जी ने औद्योगिक वन का जिक्र किया है । लालकुंआ में पेपर मिल का भी जिक्र किया लेकिन सहारनपुर स्टार पेपर मिल का जिक्र क्यों नहीं किया, मैं नहीं समझता क्यों ? कागज तो उससे भी बनता है । इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस समय जब यह विभाग मेरे पास था लगभग 50 लाख रुपया वन विभाग का स्टार पेपर मिल, सहारनपुर ने अदा नहीं किया था और मुझे यह जानकारी है कि उनका जो एग्रीमेन्ट उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हुआ था आज से लगभग 25 वर्ष पहले, उसके अनुसार चीड़ का पेड़ तीन आने का उनको दिया जाता था । जब हम लोगों ने कीमतें बढ़ाने की कोशिश की, या बढ़ाई तो वे लोग कोर्ट में चले जाया करते थे । उनके एग्रीमेन्ट का समय समाप्त हो गया तो जरूरी था कि पहले उनसे बकाया रकम ले ली जाती । अब मैं समझता हूं कि अब लगभग एक करोड़ रुपया बकाया होगा, लेकिन रकम वसूल न करके सस्ते दर पर लकड़ी देना शुरू कर दिया, क्यों, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । जिस समय एग्रीमेन्ट किया गया था

उस समय जो बच्चों के लिखने की कापी थी उसका दाम लगभग एक आने था लेकिन आज उसकी कीमत ढाई रुपये, दो रुपये से कम नहीं है। लेकिन उनको सस्ते दर पर लकड़ी दे दी गई, इसके बीच में क्या राज है ? मैं किसी की नीयत पर सन्देह नहीं करता, जहां तक व्यक्तिगत रूप से सम्बन्ध है, मैं राज्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री, दोनों का सम्मान करता हूं और उनकी नेकनीयती पर यकीन रखता हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि क्यों बिना पिछला रुपया वसूल किये हुये उनके साथ दुबारा एग्रीमेन्ट कर लिया गया। वह एग्रीमेन्ट क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है ? मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी सदन को भी उससे अवगत करायें।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक बात और यह कहनी है कि मन्त्री जी ने कहा कि हमारे यहां 17 प्रतिशत जमीन पर पेड़ हैं या वन हैं और यह 33 प्रतिशत होने चाहिये। यह 17 प्रतिशत तो केवल उस समय कहा जा सकता है जब निजी पेड़ों को और फलदार पेड़ों को भी उसमें शामिल कर दें। यह 17 प्रतिशत वन नहीं हैं केवल पहाड़ों की चोटियां हैं। 33 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये वन विभाग काफी नहीं है इसके लिये जरूरी है कि किसानों को भी प्रोत्साहन दिया जाय और उनसे कोशिश की जाय कि वे पेड़ लगायें तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे यह देखकर दुख होता है कि किसानों को किस प्रकार वन विभाग तबाह कर रहा है। अगर किसान पेड़ लगाये तो उसको जब आवश्यकता होगी वह पेड़ काट लेगा लेकिन एक पेड़ पर भी छूट नहीं है। पुलिस चोर को नहीं पकड़ती, डाकू को नहीं पकड़ती, बदमाशों को नहीं पकड़ती मगर सूंघती चलती है कि कहां पर किसने पेड़ काटा है। जिनके पास वन विभाग की परमीशन नहीं होती है उनको तो पकड़ते ही हैं लेकिन जिनके पास वन विभाग की परमीशन होती है उनको भी पकड़ लेते हैं। उनको और उनके ट्रकों को थाने पर रोक लेते हैं और कहते हैं कि वन विभाग वालों को बुलाकर लाओ, यह परमीशन आदेश वास्तव में उन्हीं का है या नकली है। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी निजी पेड़ों के कटान से पाबन्दी हटा लें। मेरी जहां तक जानकारी है वह यही है कि निजी क्षेत्र में यूकिलिप्टस के अलावा दूसरा कोई पेड़ नहीं लग रहा है। अतः मैं चाहूंगा कि वन मन्त्री जी इसकी ओर तवज्जो दें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सहारनपुर पेपर मिल के ऊपर कितना रुपया वन विभाग का बाकी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय वन मन्त्री जी ने इस महत्वपूर्ण विषय पर जो बजट पेश किया और जो महत्व देश और प्रदेश में वनों का है उसी महत्वपूर्ण ढंग से बजट को पेश किया। मैं इसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आवश्यकता को देखते हुये इस बजट को पेश किया है। मैं आपका ध्यान वन संरक्षण अधिनियम की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस नियम के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के तमाम कार्य पूर्ण रूप से ठप्प हो गये हैं। कई-कई सड़कें तो बीस-बीस किलोमीटर बनी हैं किन्तु सिर्फ चन्द पेड़ों के बीच में आ जाने के कारण अधूरी पड़ी हैं। अतः विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में इस नियम में सरलीकरण किया जाय। मान्यवर, जंगलों में रह रहे गूजरों के सामने जंगलों में चारागाहों की सीमा कम करने तथा अधिक पैसे लिये जाने के कारण इन लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गयी है। इस बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इसको बन्द करना ही है तो इस बारे में यह भी सुनिश्चित

कर लिया जाना चाहिये कि गूजरों को वहां से हटाकर, कहीं और बसा दिया जाय वरना गूजरों के सामने बहुत बड़ा खतरा उनकी आजीविका का आ रहा है। मान्यवर, वनों में विगत कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि कई-कई बार आग लग जाती है जिनके कारण आपको ढूढ़ने होंगे। वैसे तो मंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने वनों में आग लगने की प्रक्रिया को कम करने का भी प्रयास किया है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वन विभाग में वन निगम बन जाने से तो ऐसा नहीं हो रहा है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात भूमि बदलाव का करना चाहता हूं, कुछ स्थान और कई गांव इस प्रकार से फंसे हैं जहां कि गांवों को हटाना जरूरी हो गया है। भूमि वन विभाग की है इस पर प्रस्ताव भी है लेकिन भूमि बदलाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, सिर्फ इसलिए कि वन भूमि को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।

मेरा अनुरोध है कि उस वन भूमि को जिन लोगों को स्थानान्तरित किया जाना है, जहां से हटाया जाना है, वहां भी वन लगाये जा सकते हैं। जैसे मेरे क्षेत्र घारा, झिरना, काठिरो में। यहां के लोगों को (राम नगर) हल्दुआ में भूमि आबंटित की गयी है और चूना महेड़ा को पापीडांडा में आबंटित की गयी है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अवश्य इस प्रकार की नीति बनायें ताकि ऐसे क्षेत्रों में विकास हो सके। वहां के लोग महसूस कर सकें कि इनके साथ ज्यादती नहीं हो रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अन्त में मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और पान्डेय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध व निन्दा करता हूं, धन्यवाद।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत जो वन विभाग का बजट है उसके सम्बन्ध में जो हमारे मित्र ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसकी आलोचना न करके मंत्री जी को अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं जोकि हम लोगों का अपना अनुभव है। इससे तो कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि वन की सम्पत्ति बहुत बड़ी प्रदेश की सम्पत्ति है और इनका उपयोग कई प्रकार से जन-जीवन में किया जाता है। यह ईधन के काम में आता है प्रदेश को इससे राजस्व की प्राप्ति होती है, समाज को इससे फल आदि मिलते हैं इसके अतिरिक्त पथिकों को यह साया भी देता है। यह तमाम सारी चीजें इसके पीछे हैं जिससे कि कोई इन्कार नहीं कर सकता है। लेकिन इन सब बातों के पीछे हमारी नीतियां क्या होनी चाहिये, जनता का हित किस तरह से हो सकता है, यह सब कमियां इसके अन्दर हैं।

एक चीज यह देखने में आती है कि हमारी सरकार जो वृक्षारोपण करती है उस पर इस बात पर बल नहीं देती है कि किस स्थान पर किस तरह का वृक्षारोपण होना चाहिये, कौन सी जमीन में किस प्रकार के वृक्ष लगाना उचित है। एक ही तरीके से सारे प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है और न जाने किसके निर्देशन पर आप इस प्रकार के पेड़ लगवा रहे हैं। प्रदेश में फलदार वृक्ष हमारे बीच से गायब होते चले जा रहे हैं। पहले फलदार वृक्ष सड़कों के किनारे बागों में, खेतों के किनारे, मेड़ों पर तथा स्कूलों के हाते में देखने को मिलते थे, जिनसे फल की प्राप्ति तो होती ही थी लेकिन साथ ही साथ ईंधन की सुविधा भी होती थी। लेकिन अब वन विभाग ने फलदार वृक्षों को नकार दिया है, चाहे जहां से उन्हें यह निर्देशन मिल रहा हो लेकिन मैं कहता हूं कि आपको फलदार वृक्षों से भी राजस्व मिल सकता है।

आप जो वृक्ष अब लगा रहे हैं इनसे आपको राजस्व तो मिल सकता है परन्तु इससे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। दूसरी बात कि ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। यदि किसी की निजी पेड़ उसके दरवाजे पर है, खेत में है जिसे उसके बाप-दादा ने लगवाया है, लेकिन यदि घर में शादी-ब्याह है, या लाश घर में पड़ी है तो उसको यह अधिकार नहीं है कि वह उस वृक्ष को काट कर घर में पड़ी लाश को जला सके। चाहे दरवाजे पर लाश पड़ी हो लेकिन हम अपने वृक्ष को काट नही सकते हैं लाश जलाने के लिए। यह सबसे बड़ा विडम्बना है। एक पेड़ अपना आप लाश जलाने के लिए काटना चाहते हैं, सूखा भी हो, तो भी उसको काट नहीं सकते हैं। उनके वन विभाग का कानून ऐसा है। इसके लिए आपने निजी तौर से पेड़ लगाने के लिए जो प्रोत्साहन देते हैं वह जनता से दूर होता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी 8% सुरक्षित जमीन है उसके अतिरिक्त जो हरिजनों को जमीन दी जा रही है उसको पाने के लिए गांव के बड़े लोग नर्सरी से पेड़ लाकर गरीबों की आबंटित भूमि जो पट्टे की है, उस पर जबरदस्ती वृक्षा-रोपण करते जा रहे हैं। इस लड़ाई को लेकर हरिजनों के मर्डर हो रहे हैं उनकी हत्यायें हो रहीं हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे वृक्षारोपण से एक चीज और परेशानी में हम लोगों को डाल रही है, यह वृक्षारोपण जो हो रहा है उसमें जो सड़कों के किनारे, जितनी भी सड़कें हमारी हैं वहां सब वृक्ष रोपण वन विभाग लगाता चला जा रहा और उसके किनारे-किनारे जो वृक्ष लगाता है, वह चाहे माली कहा जय या जो भी कहा जाता हो बीसों वर्ष से काम कर रहे हैं उनकी सर्विसेज न स्थाई मानी जा रही है, न उनकी नौकरियों का ध्यान किसी को है, न बेरोजगारी का ध्यान है। कहते हैं कि वृक्षारोपण से बेरोजगारी को दूर करेंगे लेकिन बीसों वर्ष से आपका जो वृक्षारोपण कर रहे हैं उनके ऊपर आपकी कोई नीति नहीं है। फलदार वृक्षों के बारे में और दूसरी बात निजी पेड़ों के बारे में कोई प्राविधान नहीं है। इन संशोधनों के साथ में मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर अपना जवाब देने लगें तो इन संशोधनों को अवश्य ध्यान में रखें।

श्री किशोरी लाल--

माननीय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिय इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय वन मंत्री जी ने वन पर प्रस्ताव रखा है, उसके सम्बन्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता जी वन सम्पदा का कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी खेतिहर मजदूरों से इसका विशेष सम्बन्ध है। यहां तक कि मनुष्य के पैदा होने से लेकर मरणो-परान्त तक वन सम्पदा का महत्व है, मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जो भी प्रस्ताव रखा वह अपने में प्रशंसनीय है। माननीय मंत्री जी ने एक बात वन्य जन्तुओं की कही है, उनके रक्षा के लिए ...

(विरोधी पक्ष की तरफ से व्यवधान होने पर)।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया सुन लें।

श्री किशोरी लाल--

और बजट में इसका जिक्र भी किया है। मैं शासन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का जो ज्यादातर हिस्सा है वह ग्रामीण अंचलों में आता है। ग्रामीण अंचलों में रहने वाले कृषकों की हर वर्ष डेढ़ सौ, दो सौ बीघा खेती जंगली जानवरों से नष्ट हो जाती है। मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं कि इन जंगली हाथियों का प्रबन्ध समय रहते कर लिया जाय।

(व्यवधान)

क्विंटल थी किन्तु जब आज लीसे की कीमत 700 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है तब भी आज जिला परिषदों को 5 रुपया ही वन विभाग से मिलता है। वह भी लम्बे समय से उपलब्ध नहीं हो रहा है, जब कि जिला परिषदों के माध्यम से जिले के सारे विकास कार्य होते हैं। आज पर्वतीय क्षेत्रों में विरोजे पर बेस्ड वार्निस फैक्टरी बनाने की इजाजत आपका वन विभाग नहीं दे रहा है। इस तरह के छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन अगर आपका विभाग नहीं देगा तो वहां का विकास कैसे हो पायेगा। लीसे की जो फैक्टरी (अ ई0 टी0 आर0) आपकी बरेली में है उसने कुमायूं और गढ़वाल को छोड़कर बकी सारे प्रदेश में अपने बिरोजे में ऐजेन्ट नियुक्त किए हैं। इसलिए मेरी मांग है कि वहां के लोगों के लिए भी एक कुमायूं एवं गढ़वाल के लिए विरोजा एजेन्ट नियुक्त किए जायें, जो वहां के वार्निस उद्योगों को विरोजा उपलब्ध करा सकें। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप समाज को व आम जनता को साथ नहीं लेकर चलेंगे तब तक आपका वानिकीकरण सफल नहीं हो सकता है। पुराने समय में अंग्रेजों के जमाने में भी वनों में वहां के लोगों को हक-हकूक दिये जाते थे। उनको जलाने के लिए और इमारती लकड़ी दी जाती थी जिससे वनों के साथ उनकी भावना जुड़ी होती थी। आज उनके पुनर्गठन की आवश्यकता है। आज जब वनों में आग लगती है तो कोई वहां नहीं जाता है सिवाय आपके विभागीय लोगों के अगर इमारती और जलाने की लकड़ी आप उनको हक हकूक के रूप में देंगे तो वनों को वे अपना समझेंगे तथा उसकी रक्षा भी करेंगे। मैं एक बार पुनः इस बात पर बल देना चाहता हूं कि आप वन निगम के माध्यम से इमारती लकड़ी व जलाने की लकड़ी के डिपो अधिक से अधिक नजदीक पर्वतीय क्षेत्रों में खोले जहां से लोग अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। सन् 1967 से पहले सवर्ण लोग और सन् 1973 से पहले हरिजन लोग वन भूमि में किसी तरह से रह रहे थे उनको निगमित करने हेतु शासन ने आदेश जारी किए हैं। उनको काबिज किया जाय। आज भी वन विभाग के लोग उनको वहां से हटा रहे हैं वहां दोष व्याप्त हैं। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की निन्दा करता हूं।

[समय 4 बजे]

श्री राकेशधर त्रिपाठी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय के0 के0 पाण्डे जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय वन मंत्री जी का ध्यान कुछ बिन्दुओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां एक तरफ करोड़ों रुपयों का प्रावधान वन विभाग के लिए किया जा रहा है वहीं आपको देखना होगा कि जिन कामों के लिए यह रुपया दिया गया है वह किस तरह से खर्च हो रहा है चाहे वह वन विभाग में हो या पर्यटन विभाग मे हो। जहां आप वन लगवाने की बात करते हैं वहीं मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो बड़े-बड़े शहर हैं जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद है या आगरा है जहां पर बड़ी-बड़ी कालोनियां बन रही है वहां पर भी कुछ जगहें निश्चित कर दीजिये कि यहां पर पेड़ लगेंगे और उसके लिए जगह छोड़ दी जाय। लखनऊ में गोमती नगर बसाने का प्रस्ताव है तो मैं चाहूंगा कि वहां भी पेड़ लगने चाहिए। आज आपके विभाग के लोग और पुलिस विभाग के लोग मिलकर हजार 500 सौ रुपया लेकर पेड़ कटवा देते हैं। आपकी प्रक्रिया में है कि पेड़ काटने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए लेकिन

वन विभाग के और पुलिस विभाग के लोग 500 या हजार रुपया लेकर पेड़ कटवा देते हैं ।

आप सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत लोगों से कहते हैं कि वे पेड़ लगायें और वे ग्राम सभायें जहां नरसरी लगाई जाती है और उसके लिए जगह उपलब्ध कराई जाती है तो आपके विभाग के लोग ऐसा फैसला करते हैं कि नरसरी दूसरी जगह लगा दी जाती है । यह व्यवस्था ठीक से चले इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए । इसी तरह से चरागाह अधिक से अधिक लगें इसके लिए भी वन विभाग को ध्यान देना चाहिए ।

एक बात और कहना चाहता हूं जिसको हमारे साथियों ने तथा अखबारों में भी यह बात आई है कि एक इक्यू लिप्टस का पेड़ लगाना 10 आदमियों की हत्या और 20 जानवरों की हत्या के बराबर होता है । माननीय मंत्री जी ने भी इक्यूलिप्टस के बारे में कहा है । मेरा निवेदन है कि जिन जगहों पर रसाव है या दलदल है वहीं इस पेड़ को लगाना चाहिए । इन शब्दों के साथ में अपने साथी माननीय के0 के0 पाण्डे जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री नारायण हरि शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, जो हमारे वन राज्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसका राष्ट्रीय महत्व है । आज वनसंपदा की रक्षा करना राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सवाल बन गया है । पहाड़ों और मैदानों दोनों जगह वनों को काटना हमारी संस्कृति और हमारी भूमि एवं देश को बहुत नुकसानदेह रहेगा ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वन विभाग का जो कार्यक्रम है वह यूकेलिप्टस और बबूल के पेड़ लगाने पर है और जो पहले पेड़ थे जैसे नीम, आम, बट, पीपल और आंवले जिनको पूजा के रूप में देखा जाता है और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व है उनकी ओर आपका ध्यान नहीं है । इसलिये आज जो वन विभाग का कार्यक्रम है वह दिखावा मात्र है और आगे चलकर इसके परिणाम भुगतने होंगे ।

कीमत बढ़ने के कारण आम, शीशम के पेड़ काट-काट कर बेचा जा रहा है । किसानों को काटने की इजाजत नहीं है लेकिन ठेकेदार पेड़ काट लेते हैं और इजाजत 10 पेड़ काटने की लेते हैं किन्तु पुलिस वालों से मिलकर 30-40 पेड़ काट लेते हैं । इस तरह सारी बागों को उजाड़ा जा रहा है । मैं चाहूंगा कि जो ऊंचे पेड़ हैं, जिनमें शक्ति है आक्सीजन को लेने की और उन्हीं से वर्षा होती है, उनको काटा जा रहा है और छोटे-छोटे पेड़ वन विभाग लगाकर दिखावे में कागज की पूर्ति कर रहा है जिससे 10-15 साल बाद देखेंगे कि वर्षा का अभाव हो जायेगा । इसलिये आज जो आपके यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, जिनको ज्यादा लगाया गया है और एग्रीकल्चर शोध संस्थान ने कहा है कि वह ऊसर पैदा करते हैं, जितना ऊंचे जाते हैं उतना ही नीचे से पानी लेते हैं जिससे ऊसर पैदा होते हैं । यह किसानों के लिये उपयोगी नहीं हैं । बहुत ज्यादा सघन क्षेत्र में यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं तो मील वाले ले जाते हैं अन्यथा इसकी लकड़ी जलाने वाली भी नहीं होती है, इसलिये इसको कम प्रोत्साहन दिया जाय ।

वन विभाग का सड़कों के ऊपर ज्यादा पेड़ लगाने का कार्यक्रम है जबकि ग्राम समाज की जमीन पर ज्यादा पेड़ लगायें जो हितकर हों ।

मान्यवर, ग्राम समाज की जो जमीन आज बेकार पड़ी है उसमें व्यवस्था करें कि वन विभाग वृक्षारोपण करे तो अच्छा होगा । मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं, वहां जो सलेमपुर प्रोजेक्ट है, दो हजार एकड़ जमीन में ऊसर था उसको सरकार ने लिया है जिसमें मेरा सुझाव है कि उस जमीन पर पेड़ लगाकर उसको ग्रीन बेल्ट बना दिया जाय जिससे वह जमीन सही हो सके और उससे प्रदूषण में फायदा होगा । प्रदूषण दूर करने का काम अलीगढ़ और पूरे प्रदेश में हो रहा है, इसलिये सुझाव है कि ऊसर जमीन को सुधार करके धान और मक्का की खेती जो करते हैं लेकिन उससे फायदा नहीं होता है, इसलिये वहां भी वृक्षारोपण करके वन विभाग को सुपुर्द कर दिया जाय, इससे देश की वन संपदा बढ़ेगी । यही मेरा निवेदन है । इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं विपक्ष द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया और जो व्याख्यायें यहां प्रस्तुत किया, उसके संदर्भ में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं चूंकि समय कम है, इसलिये मैं 2–3 सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं । मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि आज कल जो पेड़ लगवा रहे हैं, जो संख्या बता देते हैं, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि तीन सालों बाद उसका परीक्षण कराकर पता लगाना चाहिए कि कितने प्रतिशत पेड़ बचे हैं ।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो आज जीवनोपयोगी वृक्ष हैं उनका अभाव होता जा रहा है । गांवों में आज जो फलदायक और जीवनोपयोगी वृक्षों की आवश्यकता है, वह नहीं है किन्तु केवल आज यूकेलिप्टस के पेड़ लगाते जा रहे हैं और इसलिये जैसे मंत्रिमंडल में मंत्री जी एक यूकेलिप्टस हैं वैसे ही यूकेलिप्टस सारी भूमि में लगाने का प्रयास कर रहे हैं । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वन विभाग को इस प्रकार की प्रेरणा दी जाए कि ह जनोमुखी हो जाए । किसानों और अम जनता को जिन चीजों के लिए जिस प्रकार की लकड़ी की आवश्यकता होत है, उसी प्रकार के वृक्षों और फलदार वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा लगाने का वन विभाग को प्रयास करना चाहिए । मैं भी पन्तनगर विश्वविद्यालय के बोर्ड आफ मैनेजमेंट में था और जब मैं वहां था तो मैंने इस बात की जांच करायी थी, इस चीज का परीक्षण कराया था कि यूकिलिप्टस से क्या हानि और लाभ है, तो मालूम हुआ था कि इससे अधिक किसी अन्य पेड़ से किसानों का नुकसान नहीं हो सकता है ।

आज यूकिलिप्टस के बारे में तमाम प्रकार की भ्रान्तियां फैली हुई हैं, वही भ्रान्तियां, उसी प्रकार की भ्रान्ति मंत्रिमंडल में आपके बारे में लोगों को हो जाएगी । जो किसान उपयोगी वृक्ष हों, उन्हीं को आप लगवाइये । यूकिलिप्टस की लकड़ी से किसानों के लिए हल नहीं बन सकते हैं, मकान में लगने वाली सामग्री–दरवाजे और खिड़की आदि उससे नहीं बन सकती है और गांवों के नित्य जीवन में काम आने वाली कोई उपयोगी वस्तु उसकी लकड़ी से नहीं बन सकती है । इसलिए आप ऊंचे छायादार और फलदार और जिनको हमारी संस्कृति में महत्व दिया गया है, उनके वृक्षों को लगाने के लिए ही बढ़ावा दें । मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर नेपाल से हमारे देश की सीमा मिली हुई है । नेपाल वाले हमारे यहां का कोई सामान नहीं रोकते हैं, लेकिन हमारे यहां उनकी पूरी रोक गरीबों को परेशान करने के लिए होती है । यहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के जिन लोगों की नेपाल में खेतीबारी है, वहां अगर वह कोई दरखवास्त दे देता है कि हमें घर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है तो उसे बढ़िया शाखू के पेड़ फ्री मिल जाते हैं, जिनकी एक की कीमत 7-7 और 8-8 हजार रुपये होती है। लेकिन वह भारतीय बार्डर में जगह-जगह पर चेकिंग पोस्टों पर जब्त हो जाती है। आपके प्रदेश में लकड़ी की कमी है, तो बाहर जो वह लकड़ी लाता है, उस पर आप प्रतिबन्ध क्यों लगाते हैं? नेपाल सरकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जो लकड़ी हमारे लिए उपयोगी है और जो तराई के वनों में नहीं है, उसको आप आने दें। इतनी आजादी तो आपको अपने किसानों को देनी चाहिए।

आपने प्रतिबन्ध लगा दिया है कि शीशम और बबूल के वृक्ष को कोई काट नहीं सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में--बरसात वाले क्षेत्रों में बबूल के ही पेड़ होते हैं और उसे कोई काट नहीं सकता है तो इससे जनता और किसानों को बहुत मुसीबत होती है। इसलिए आप दो-तीन पेड़ काटने की अनुमति प्रदान करने के निर्देश दें। इससे उनको प्रोत्साहन होगा, उनके जरूरत की चीजें आएंगी। यूकिलिप्टस से कोई लाभ नहीं है, फलदार वृक्ष लगवाइये और अच्छी व्यवस्था कराइये, जिससे किसानों को भी लाभ मिल सके।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

सान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। वन सम्पदा बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है, लेकिन यह लक्ष्य उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता है, जब तक लाखों-लाखों और करोड़ों-करोड़ों व्यक्ति इस कार्य में शामिल नहीं होते और इसका लाभ उनको नहीं मिलता। वन सम्पदा हमारी धरोहर है और यह धरोहर ही नहीं हर तरीके से जो फायदे हैं वह हमको इससे मिलते हैं। यही नहीं महात्मा बुद्ध जो ने वृक्ष के नीचे ही इन्लाइटेनमेंट हासिल किया था और उन्होंने अपने लोगों से कहा--प्रवचन में और प्रीचिंग में हर वक्त यह हिदायत दी कि वह वृक्ष लगाएं। यह हमारी धरोहर है। यदि हम सफलतापूर्वक कुल जमीन के 33 प्रतिशत भाग पर वृक्ष लगा दें, तो मुझे यकीन है कि पंचवर्षीय योजना में जो हमारी उपलब्धियां और क्षेत्रों में हैं, वह इस एक क्षेत्र में पूरी हो सकती हैं। इस दिशा में कार्य भी हुआ है, वृक्षारोपण का कार्य बहुत तेजी से हुआ है। दो फायदे हैं, एक तो हमारी सम्पत्ति बढ़ी है और दूसरी बात यह है कि लोगों में जागृति पैदा हुई है कि वृक्ष लगाने से हमारे गांवों का बदलाव होगा। इससे गांव का चेहरा बदलेगा, गांव का रंग रूप बदलेगा क्योंकि गांव की, रूरल एरिया की वृद्धि तब तक नहीं हो सकती और हजारों व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल सकता जब तक हम वनरोपण न करें। आज ऐसा हो गया है कि तमाम गांव के लोग शहरों में चले आ रहे हैं। यह लोग शहरों में आकर वह उपलब्धि चाहते हैं जैसी इंडस्ट्रियल सर्कल को होती है, वह वही सुख चाहते हैं। तो यह जो गांव से पलायन हो रहा है शहरों की तरफ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर वृक्षारोपण सफलता-पूर्वक किया जाय, जनता इस ओर दिल और निष्ठा से काम करे तो यह पलायन रुक जायगा और हमारी सभ्यता और संस्कृति में एक दूसरे तरीके का बदलाव आ जायेगा।

अभी-अभी यह बात सामने आयी कि दुनियां में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जंगल कट गये और जंगल कटने से वहां रेगिस्तान हो गया। यह भी रिसर्च हुयी है कि सहारा रेगिस्तान इसलिये बना कि वहां पर बहुत पुराने जंगल थे और वह जंगल लोगों ने काट लिये इसलिये वहां रेगिस्तान बन गया। रेगिस्तान ऐसे हैं कि जैसे कुष्ट रोग बढ़ता है, पहले एक धब्बा पड़ता है फिर बढ़ते-बढ़ते सारे बदन पर धब्बे पड़ जाते हैं, वही हाल रेगिस्तान का होता है। अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो रेगिस्तान का बढ़ना रोक सकते हैं। अपने यू0 पी0 में कुछ इलाकों में रेगिस्तान की सम्भावना हो रही है, वृक्षों को लगाकर इसको रोका जा सकता है, नहीं तो काफी भू-भाग में हमारे रेगिस्तान हो जायेगा। लगभग दुनियां का एक तिहाई हिस्सा रेगिस्तान की चपेट में आ गया है और हमारे मुल्क में रेगिस्तान के बढ़ते हुये हालात को देखकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं, वृक्ष लगाने की बड़ी आवश्यकता है। माननीय अधिष्ठाता जी, अभी 2 वर्ष पहले मुझे पहाड़ पर जाने का इतफाक हुआ, इसके पहले मैं पहाड़ों पर कभी नहीं गया था। तो मैंने वहां देखा कि प्रकृति ने क्या दिया है? बहुत कुछ प्रकृति ने दिया है उसके सौन्दर्य को देखकर वंडर स्टक, मन अभिभूत हो जाता है। वहां पर मैं 10-12 रोज रहा। वहां लोगों ने मुझे बताया कि वन बहुत तेजी से कटे हैं, खासकर देहरादून और तराई के इलाके में। वृक्षों के ज्यादा काटे जाने से उसका असर पर्यावरण पर पड़ा है। तो जो हमारा लक्ष्य है, 60 प्रतिशत वन पहाड़ों पर लगाये जायें, इस लक्ष्य की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। किसी तरीके से पेड़ों, वनों का कटान करके, भूमि का एग्रीकल्चर के लिए प्रयोग करने पर पाबन्दी लगा दें, मना करें तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा।

अधिष्ठाता महोदय, जब मैं पहाड़ों पर गया तो मैंने कुछ पढ़ा, इसका अध्ययन किया। मुझे एक बहुत अच्छी किताब फारेस्ट फार्मिंग मिली, एक आऊटस्टैंडिंग चीज वृक्षारोपण पर लिखी गयी है। उसमें तीन उद्देश्य सामने रखे गये हैं। कल्टीवेशन, ट्री कीपिंग, लिव स्टाक, यह तीन उद्देश्य होने चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, मुझे मालूम हुआ कि तिब्बत में 12 हजार, 14 हजार फीट ऊपर आर्चर्ड और फलों के ग्रोव लगे हुये हैं। मैंने रानीखेत में भी देखा कि एपिल गारडेन लगे हुये हैं। इसी तरह से मान्यवर, जापान में, एक व्यक्ति ने, उसका नाम मुझे याद नहीं है, जब उसने देखा कि उसकी हालत खराब हो रही है तो उसने ऐसा फीडर लगाया जिससे उस फीडर का इस्तेमाल करके, जानवरों को रियर करके और उनको बेचकर उसने अपनी अर्थ-व्यवस्था दुरुस्त की। उसका नाम फारेस्ट फार्मिंग दिया। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यह किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। यह हम सबका कार्यक्रम है, हम सबको इस कार्यक्रम में शामिल होने की आवश्यकता है। माननीय इन्दिरा जी ने इस पर दो तरफ से जोर दिया था। उनका कहना था। उनका कहना था कि वृक्षारोपण किया जाय, दूसरी तरफ उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात की। वह इस सोसाइटी की अध्यक्षा थीं और उनको पुरस्कार भी मिला था। बहुत सी सैंक्चुरीज और बहुत से नेशनल पार्क्स कायम हो रहे हैं हमारे प्रान्त में। तो वह बहुत से काम होने चाहिये जिससे सौन्दर्य बढ़े। अन्त में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे जनपद प्रतापगढ़ में कुछ ऐसी जमीन हैं जिसमें बन लगाये जा सकते हैं और वहां पर बहुत अच्छी वन सम्पत्ति बनाई जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

डाक्टर बंगाली सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं

कटौती के प्रस्ताव का स्वागत करता है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि वन पर्वभाग में ऐसे पेड़ लगाये जायं, जिससे स्वास्थ्य के लिए आक्सीजन भी मिले तथा उसकी उम्र भी काफी लम्बी हो, जैसे पीपल, बरगद और नीम। मान्यवर, यूक्लिप्टस के पेड़ गर्की इलाके में लगाये जायं, यूक्लिप्टस के पेड़ खुश्की जमीन में लगाने से पानी काफी नीचे चला जाता है। नीम, पीपल, बरगद के पेड़ हमें आक्सीजन देते हैं और हमारे पूर्वजों ने पीपल और बरगद की इसीलिए पूजा की है कि ये जीवन तत्व आक्सीजन गैस देते हैं। वन विभाग पीपल व बरगद के पेड़ कहीं नहीं लगा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऊसर जमीन पर बबूल के पेड़ की जगह बेर के पेड़ लगाये जायं, जिससे हमें फल भी मिले तथा जमीन उपजाऊ भी बने और जमीन की रक्षा भी हो।

आजकल हम लोग देखते हैं कि वन विभाग के छोटे कर्मचारी गांव के किसानों को काफी परेशान करते हैं। छोटी-छोटी लकड़ी अपने प्रयोग के लिए काटने पर उनसे रिश्वत लेते हैं। मान्यवर, यह कटाई का मामला खत्म हो या किसानों को अपने उपयोग के लिए या जिसके घर में कोई पेड़ हो, जिससे मकानों को नुकसान हो तथा किसी के खेत में कोई पेड़ हो, जिससे खेती के लिए नुकसान हो रहा हो, तो उसे भी काटने की इजाजत होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें प्रदेश में स्वच्छ जलवायु, फलदार वृक्ष तथा पीपल और बरगद आदि के पेड़ से मिल सकती है, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिये। इस शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध करता हूं।

*श्री सन्तन बड़थ्वाल---

मान्यवर, आपने मुझे एक ऐसे बजट पर बोलने का अवसर दिया, जिससे सारे पहाड़ों का जन-जीवन जुड़ा हुआ है। मान्यवर, चूंकि समय कम है, इसलिए मैं केवल चन्द शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, जहां राष्ट्र के जन-जीवन का पर्यावरण होगा और वारिश होगी, तो औद्योगीकरण भी होगा, खेती भी होगी, इसमें दो राय नहीं है। मान्यवर, पहाड़ की जनता इस बात को जानती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 14-14 किलोमीटर की सड़कें बनकर तैयार हैं, लेकिन बन इधर आ गया, तो 4-4 साल से वह पड़ी हुई हैं। आज उस क्षेत्र की हालत यह है कि विकास की योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण की जो बात है, आप देखें योजनाएं मंजूर हैं, लेकिन वन विभाग के अधिनियम के कारण वह रुकी पड़ी हैं। आज पहाड़ की जनता वनों के प्रति बहुत उदासीन है। इसके कारण पहाड़ों की जनता का जन-जीवन बड़ा ही उदास हो गया है। जंगलों में लकड़ियां पड़ी रहती हैं, लेकिन वन विभाग इसमें इतनी कड़ाई कर रहा है कि वहां के नागरिकों को वह लकड़ियों को उठाने नहीं देता है। वह लकड़ियां सड़ती रहती हैं और नागरिकों को नहीं उठाने दी जाती हैं। इसमें मैं चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों को आदेश दिये जायें जो सूखी लकड़ियां पड़ी रहती हैं उनको नागरिकों में बांट दिया जाना चाहिए।

वनीकरण में कहा गया है कि फलों के वृक्ष लगाने चाहिए। अखरोट मान्यवर, ऐसा पेड़ होता है, जिसकी लकड़ी बन्दूक को बट बनाने के काम आती है। अखरोट की छाल और उसकी लकड़ी बहुत उपयोगी होती है। अखरोट का वनीकरण होना चाहिये। मान्यवर, भारत सरकार का जो अधिनियम है चाहे उसमें सदन की एक कमेटी बना दी जाए जो वहां पर जाकर देखे, कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। मान्यवर, अधिनियम ऐसा होना चाहिये जो विकास के लिए बाधक न हो। इस तरफ भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहूंगा, कि इस तरह की जो परेशानियां हो रही हैं, क्षेत्र का आदमी वहां घुसने नहीं देता है । अस्पताल, सड़कों तथा और कार्य हैं यह वन अधिनियम की वजह से रुके पड़े हैं । इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे वन विभाग पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मैं अपने साथी पाण्डेय जी बजट के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । मान्यवर, एक-दो सुझाव मैं दूंगा, क्योंकि समय कम है । वन विभाग का कार्य वन विभाग और वन निगम से संचालित होता है । मान्यवर, जो पेड़ लगाये जाते हैं उनमें बहुत भ्रष्टाचार है, यह पेड़ या तो लगाये ही नहीं जाते हैं और लगते भी हैं तो वह उचित देख-भाल न होने के कारण सूख जाते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा विभाग से जोड़ते हुए पेड़ों को लगायें । जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों को पेड़ लगाने के लिए बांटे जा सकते हैं । इससे आपके पेड़ लगाने का जो कार्यक्रम है वह सही तौर पर चलेगा । वह पेड़ भी लगायेंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे । जैसा कि तमाम साथियों ने कहा है कि बेकार के पेड़ लगाये जा रहे हैं, तो अगर फलदार वृक्ष लगाये जायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि वन निगम के द्वारा ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई है, लेकिन वन अधिनियम में अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी विद्यमान है । उससे जो जंगलों में लोग रहते हैं उनका सामाजिक शोषण हो रहा है उनको संरक्षण दिया जाये और बीमा योजना की जाए ..

श्री अधिष्ठाता—

अब काफी समय इसमें हो गया है । माननीय सदस्य सुन लें ।

साढ़े चार हो गया है, अभी पयटन का बजट है । पर्यटन भी महत्वपूर्ण है । अगर आप कहें तो इसको कर लें ।

श्रीमती शशि शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वन विभाग के प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं । हमारी पार्टी का यह नारा है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का यह नारा है—'जन-जन के लिए वन' हमारी संस्कृति में पीपल के पेड़ की पूजा हुई है, भागवत गीता में पीपल के पेड़ का महत्व लिखा है, इसके पीछे साइन्टिफिक रीजन यह है कि पीपल के पेड़ से हमको सबसे अधिक आक्सीजन मिलती है, पीपल का पेड़ कार्बनडाई आक्साइड सबसे अधिक सोखता है । जिस प्रकार शंकर ने विष पिया है, उसी प्रकार पीपल वातावरण का विष पीता है । वनों का संरक्षण होना चाहिये फलदार वृक्ष लगने चाहिये, शहतूत के पेड़ और ऐसे फलदार पेड़ लगाये जायं, जिसमें पक्षियों को घोसला बनाने का मौका मिले । छाये वाले वृक्ष लगने चाहिये । हमारे क्षेत्र में खनवा, झरही और खागो नदी के किनारे जो भूमि पड़ी है, उसको सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लिया जाना चाहिये । भ्रष्ट अधिकारी, निरंकुश एवं कर्तव्यविहीन पुलिस कर्मी पेड़ों को कटवाते हैं । इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये । वन अग्नि को रोकने की व्यवस्था होनी चाहिय । वनों में जो पंक्षी, गैंडे, मोर हैं, उनका सम्वर्द्धन होना चाहिये । वनों का संरक्षण हमारा कर्तव्य है । वनों के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, मिट्टी, पानी, और वयार । हमारा जन-जन के लिए वन का नारा है ।

श्री कमल किशोर पाण्डेय—

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, मैं इधर और उधर के माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया । श्रीमन्, जिन

माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया है, उन्होंने जो बातें मैंने कही थीं, उसका विरोध नहीं किया। मेरा भाषण राष्ट्रीय नीति की परिधि पर निर्धारित है। राष्ट्र की नीति सही है प्रान्त की नीति गलत है, यही मेरा कहना है। माननीय मन्त्री जी को मेरा एक सुझाव है, जिसके लिए सभी माननीय सदस्य चिन्तित हैं, जिससे सभी नाराज हैं, आपका सेलेक्शन जो पेड़ों का है, यूकेलिप्टस, पापुलर और बबूल का इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करके, जितनी वन भूमि है, जो 16 प्रतिशत है, उस पर स्थायी मिश्रित वन लगाए जायं, जिनका रखरखाव वैसे हो, जैसे रिजर्व फारेस्ट का है। ऐसे पेड़ न लगाये जायं, जिनकी कटान हो। ताकि हमारा वन क्षेत्र बढ़ सके और एक संतुलित वातावरण कायम हो सके।

श्री जफर अली नकवी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सम्मानित सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने हमारे इन वन के ऊपर सुझाव दिए हैं। पाण्डेय जी ने कटौती का प्रस्ताव दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि वे उसे वापस ले लें। सामूहिक रूप से और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो जाय, तो शायद अच्छा इतिहास होगा। हमारे पाण्डे जी ने जो राजस्व की बात कही तो ऐसी बात नहीं है। केवल राजस्व की दृष्टि से हम पेड़ लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा प्रथम कर्तव्य पर्यावरण की ओर है और हमारे विभाग का पहला उद्देश्य यह है कि पर्यावरण का संरक्षण हो। इस सम्बन्ध में पेड़ लगाए गए हैं। राजस्व की बात तो कई नम्बर के बाद आती है। पर्यावरण की दृष्टि से सामाजिक वानिकी में कई जगह पेड़ लगाए गए हैं। गांव में, सड़कों के किनारे नदियों के किनारे पेड़ लगे हैं। हमारी भारत स्तर की जो नीति है कि 33 परसेन्ट पेड़ होने चाहिये, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि 33 परसेन्ट पेड़ कम से कम हो जायं। पर्यावरण को प्रथम स्थान देते हुए हम उसके आगे जाना चाहते हैं।

इसी के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर हमारे सम्मानित पाण्डेय जी ने काफी कुछ कहा ऐसा नहीं है कि औद्योगिक दृष्टि से ही हम वक्षारोपण कर रहे हैं। वह भी हमारी योजना का अंग है, लेकिन जो सामाजिक वानिकी कर रहे हैं, वह गरीबों के लिए और चारे की व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। जहां भी हमारे किसान हैं, गरीब हैं मजदूर हैं, उनको सबको इसका फायदा पहुंचा है। केवल उद्योगपतियों के लिए ही यह नहीं है। हमारी सामाजिक वानिकी की जो योजना है, इससे जहां भी समाज के छोटे तबके के लोग हैं, काश्तकार हैं उनको सबको फायदा पहुंचाया जायगा। इसी में गरीबों को मुफ्त पेड़ देने की भी योजना है, ब्लाक स्तर पर। इसी के साथ-साथ फारेस्ट कंजरवेशन ऐक्ट की बात पान्डे जी ने कही और भी माननीय सदस्यों ने कही। इसमें दो राय नहीं है कि पहाड़ों के बहुत से विकास कार्य रुके हैं और इसमें मुख्य-मन्त्री जी भी, जब ऐसी कोई परेशानी आती है तो इस योजना को लेकर समय समय पर, क्योंकि यह प्रदेश का नहीं बल्कि भारत स्तर का ऐक्ट है, उसकी परेशानियों के सम्बन्ध में यहां से संस्तुति करते हैं कि इन मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाय। लेकिन फिर भी बहुत सी पहाड़ की योजनाएं रुकी हैं। कहीं सड़क रुकी है तो कहीं कुछ और रुका है। इस सम्बन्ध में हम जरूर विचार करेंगे कि किस प्रकार से इस ऐक्ट के तहत जो पहाड़ की योजनाएं रुकी हैं, उनको पूरा किया जा सके। इसी के साथ-साथ हमारे उपाध्याय जी ने पेड़ लगाने पर सुरक्षा की बात कही।

एक बात और कही कि कितने पेड़ लगे इसकी गिनती होनी चाहिए। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारे पास आंकड़े होने चाहिए कि हमारे कितने पेड़ जीवित हैं और कितने पेड़

लगाये गये थे । हमारा प्रयास है कि जितने पेड़ लगे, उनमें से अधिक से अधिक को हम जिला सकें और पालन कर सकें, जिससे पर्यावरण का मकसद पूरा हो सके। हमारे काजी मुख्तार साहब ने स्टार पेपर मिल्स के बारे में जानकारी चाही है । उनके साथ कोई रियायत नहीं की गई है । इसमें कैबिनेट मीटिंग में भी विचार हुआ था । उनके साथ कोई रियायत नहीं की जायेगी । हमारी जो नीति है, उसके तहत चाहे पेपर मिल हो या और कोई, सबको उसके तहत काम करना होगा । किसी के साथ कोई रियायत करने का कोई औचित्य नहीं है इसी के साथ यादव जी, सम्मानित सदस्य, फैजाबाद ने भी फलदार वृक्षों के बारे में ध्यान देने की बात कही । मैं माननीय सदस्यों के इस विचार का भी स्वागत करता हूं कि फलदार पेड़ों को भी लगना चाहिए। यह प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़ लगें । यूकिलिप्टस की बात कही गई, यूकिलिप्टस जनता की मांग के ऊपर है । इसमें विभाग की कहीं जबरदस्ती नहीं है । मैं बताना चाहूंगा कि जो काश्तकारों की मांग आती है, उसमें 90 प्रतिशत यूकिलिप्टस की मांग रहती है । मैं उस विचार का भी स्वागत करता हूं कि जो प्रजातियां समाप्त हो रही हैं, उनको बढ़ावा दिया जाय ।

माननीय पूरन सिंह जी ने ग्रामीण घरों के आगे आम के पेड़ व अन्य फलदार पेड़ लगाने की बात कही । पेड़ देने की योजना भी है । जो जमीन पट्टे पर दी जाती है, वहां हम पेड़ देंगे ।

वन नियम की बात कही गई, इसकी स्वयं योजना रखी है । ताकि इसमें जो खामियां हैं, वह जल्दी से जल्दी दूर हो सकें । वन विभाग का जो स्तर है, पर्यावरण का सवाल पैदा है, वृक्षारोपण का सवाल पैदा है. लिहाजा इसको जन-आन्दोलन के रूप में करने का प्रयास शुरू किया है । वन महोत्सव के अवसर पर उद्घाटन एक पेड़ लगाकर किया जाता है, उसके बाद और पेड़ लगते हैं । लेकिन, अब यह किया जा रहा है कि पहले सब पेड़ लग जायं, तब उसके बाद आखिरी पेड़ उद्घाटनकर्ता के द्वारा लगाया जाय । ताकि सही स्थिति ज्ञात हो सके कि कितना पेड़ लगाए गए हैं ।

माननीय सदस्यों ने इसमें अच्छे सुझाव दिये, उन पर अवश्य ही गौर किया जायेगा । माननीय पाण्डेय जी को वनों के बारे में अच्छी जानकारी है, हम लोग मिल बैठकर अलग से भी इसमें विचार-विमर्श कर सकते हैं ताकि हम द्रुत गति से आगे बढ़ें । मैं पाण्डेय जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, जो यूकिलिप्टस की बात कही गई, उसका कारण क्या है, कारण यह है कि इसको आर्थिक अर्जन के साथ जोड़ दिया गया है ? एक पेड़ 5 साल में 100 रु0 देने लायक हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, केवल स्पष्टीकरण हो सकता है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मेरा सुझाव यह है कि जहां आप जंगली बबूल लगाते हैं, वहीं अगर आप फलदार वृक्षों के बाग लगा दें, तो उससे जूस बनाने वाले छोटे मोटे कारखाने भी वहां स्थापित हो सकेंगे ।

श्री जफर अली नकवी--

माननीय राणा जी के सुझाव पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय मंत्री जी को जानकारी है है कि एक यूकेलिप्टस का पेड़ 40 पेड़ों के बराबर खुराक लेता है । नतीजा यह होता है कि जमीन में शुष्कता आ जाती है । जिस पर्यावरण की बात मंत्री

बी कह रहे हैं, उसे तो यह अधर में लटका देगा । इसे भी आप देखने की कृपा करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, इसके बारे में अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है । लोगों के अलग-अलग विचार हैं ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि चाहे गांव समाज की जमीन हो या किसान की अपनी जमीन हो, उस पर यदि वह पेड़ लगायेगा तो, उसे प्रोत्साहित किया जायेगा और कुछ निर्धारित अवधि के बाद वह पेड़ उसी किसान का हो जायेगा । जब किसान उस अवधि म उस पेड़ को काटने जाता है तो वन विभाग के लोग उसे बहुत परेशान करते हैं । मेरे उन्नाव जनपद में लोगों को ये दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं । क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर कोई ऐसी घोषणा करेंगे कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, काश्तकार से जो हम निश्चय करते हैं, उसे पूरा करते हैं । जैसा माननीय सदस्य ने उन्नाव के बारे में कहा है, वे मुझे लिखकर दे दें, उसे मैं दिखवाऊंगा और पूरा करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमल किशन पान्डेय जी, आपको कुछ कहना है ?

(श्री कमल किशन पान्डेय के खड़े न होने पर ।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-46 वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,52,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग

[समय 4 बज कर 46 मिनट]

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इतनी कम धनराशि है जबकि अधिक होनी चाहिए थी । इस पर भी उन्होंने कटौती की बात कही है, मुझे विश्वास है कि इसे वह वापस लेंगे । मान्यवर, जैसा आप जानते हैं प्राचीन-काल से पर्यटन का ज्ञानवर्धन तथा भावनात्मक एकता के लिए बड़ा महत्व रहा है । इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आदमी वहां के लोगों के रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान और संस्कृति की जानकारी करता है, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है । आज पर्यटन के माध्यम से हम इस स्थिति में हैं कि हम लाखों की विदेशी

मुद्रा अर्जित कर रहे हैं और इसीलिए भारत सरकार ने इसको उद्योग में शामिल किया है । जहां तक हमारे प्रदेश की बात है, पर्यटन का एक विशिष्ट स्थान है । जहां हमारे प्रदेश में एक ओर प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर पर्वतीय क्षेत्र हैं वहीं मैदानी क्षेत्रों में सांस्कृतिक और धार्मिक, ऐतिहासिक एवं रमणीक स्थलों की भरमार है । पर्यटकों के लिए इस प्रदेश में देखने तथा घूमने के लिए पर्याप्त स्थान हैं । तीर्थ स्थलों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वाराणसी, हिन्दू चल आदि हिन्दू पर्यटकों के लिए, जहां वे जाते हैं, वहीं दूसरे धर्मों के मानने वाले लोगों के लिए भी जैसे बौद्ध, जैन, सिख समुदाय के लोग और मुसलमानों के लिए भी कई स्थान इस प्रदेश में हैं जहां पर्यटक लोग धार्मिक भावनाओं से पहुंचते हैं । एक तरह से यह कह दूं कि सर्वधर्म भाव का प्रचार-प्रसार यहां होता है तो यह उपयुक्त होगा ।

जहां तक इस प्रदेश में पर्यटन का कार्य है, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में शुरू हुआ था और यह धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और 1972 में इसे एक निश्चित दिशा दी गई जिसमें हमारा पर्यटन निदेशालय स्थापित हुआ । आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष से, 1979-80 छठी पंच-वर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 967 लाख रुपया व्यय किया गया और पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी गयीं । 6ठां पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में प्रदेश में केवल 483 शय्यायें मैदानी क्षेत्र में, 1620 शैयायें पर्वतीय क्षेत्र में थीं जो 1984-85 के अन्त तक 3869 हो गई हैं । 6ठीं योजना के अन्तर्गत 15 सौ लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था और उसको बराबर पर्वतीय क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्र में बांटा गया था और इस सारे धन का सदुपयोग हुआ और हम प्रगति की ओर चले । मांगीय सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया गया जैसे कानपुर-लखनऊ के बीच में नवाबगंज में 24 शैय्यायें, लखनऊ-दिल्ली के बीच में बरेली में 8 शैयायें उपलब्ध हैं यह एक मोटेल टाइप का होटल है । 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया है कि इस समय जितनी सुविधायें उपलब्ध हैं पर्यटकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार और सुविधाएं उपलब्ध कराई जायं ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रदेश में आयें । आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सारे विदेशी यात्री जो देश में आते हैं उसमें करीब-करीब 80-90 प्रतिशत लोग इस प्रदेश का भ्रमण करते हैं । इस प्रकार विदेशी मुद्रा के अर्जित करने में प्रदेश का इसमें बड़ा भारी हाथ है । मान्यवर, प्रदेश में 1985 में 7.18 लाख विदेशी पर्यटक आये और 1990 में 8.82 लाख विदेशी पर्यटक आयेंगे जबकि 1981 में यह संख्या 3.99 लाख थी । मान्यवर, हालांकि हमारे साधन बड़े सीमित हैं आपने देखा कि हमने जो मांग रखी है वह लाखों में है जब कि और बकी सब करोड़ों में है । हमारे सीमित साधनों के होते हुए भी हम इस ओर प्रयत्नशील हैं कि लोगों को अधिक से अधिक आमंत्रित करने का काम जारी रहे और अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक प्रदेश में आवें । हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो व्यवस्था करी है उसमें कुल 36 सौ 50 लाख का परिव्यय हमने रखा है । उसमें 17 सौ लाख मैदानी क्षेत्र के लिए और 19 सौ 50 लाख पर्वतीय क्षेत्र के लिए रखा हैं । उसके अलावा जो हमने प्रचार आदि का कार्य किया लोगों को आमंत्रित करने के लिए, पोस्टरों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से । इस तरह हर प्रकार से हमने पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया है कि पर्यटक इन स्थानों का भ्रमण करें, जो देखने लायक हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

एशियाड के मौके पर भी किया था लेकिन कोई नहीं आया ।

श्री गुलाब सिंह--

हां, एशियाड में भी किया था और उसके मध्यम से लोग आये । मसूरी में बहुत लोग आये । मान्यवर, इस प्रकार लोगों को आमंत्रित करने के लिए हम एक चीज और करने जा रहे हैं । सुविधायें उपलब्ध करने की बात को हमने बढ़ाया । जहां पर पर्यटक नहीं आते हैं उसके लिए भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक इस देश और प्रदेश में आयें इस प्रकार की योजना तैयार कर रहे हैं जैसे औली में शीतकालीन क्रीड़ा स्थल जिसका शिलान्यास भूतपूर्व प्रधान मंत्री माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया था, उसे निकट भविष्य में पूरा करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं । मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो छोटी सी पुस्तिका हमने दी है, उसमें भी कुछ उल्लेख किया गया है । उस पर हमारे माननीय सदस्य विचार रखेंगे, अच्छे सुझाव रखेंगे उसका मैं स्वागत करूंगा और चाहूंगा कि किस प्रकार पर्यटन विभाग लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आमंत्रित कर सके, बुला सके, ताकि यह की अर्थ व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़े । मैं चाहूंगा कि अब माननीय सदस्य इसमें अपने सुझाव दें ।

*श्री त्रिलोक चन्द्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय गुलाब सिंह जी ने पर्यटन का बजट पेश किया और मुझे याद है कि माननीय गुलाब सिंह जी जहां पर्यटन विभाग की उपलब्धियों और विकास के संबंध में अपनी बात कह रहे थे, मुझे कष्ट हो रहा था क्योंकि मुझे स्मरण है कि आज से 16-17 वर्ष पहले जिस पद पर वे आज बैठे हैं उसी पद पर वे उस समय भी थे, उनका इतने दिनों में कोई विकास नहीं हुआ है । इनके साथ ही साथ में भी था और कैबिनेट में था और ये राज्य मंत्री थे और आज भी ये वहीं पर हैं, कुछ आगे नहीं बढ़े हैं ।

मान्यवर, जहां तक पर्यटन विभाग का प्रश्न है, यह विभाग बड़ा है । जैसा कि आपने अभी कहा कि इसका बजट बहुत छोटा है 67 लाख का बजट है लेकिन यदि आप इसके उद्देश्यों को देखें तो अपने उद्देश्यों के कारण यह विभाग बहुत ऊंचा है । यह विभाग इतना ऊंचा है जितना कि कोई विभाग नहीं है । दूसरे विभाग पैसे से बड़े हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य में पर्यटन विभाग ही बड़ा है । हमारे धर्म, संस्कृति और इतिहास को यह विभाग अक्षुण्ण बनाये हुए है इसके बराबर महत्वपूर्ण विभाग कोई नहीं है । हमारी पुरानी संस्कृति हमारा धार्मिक सौहार्द, सभ्यता हमारे रीति-रिवाज सबको यह विभाग अक्षुण्ण बनाये है । इसलिये यह विभाग बहुत ऊंचा है जो कि देश और विदेश में हमारी छवि को निखारता है ।

लेकिन मान्यवर, यह विभाग जिसे कि पर्यटन विभाग कहते हैं, इसका यहां एक छोटा सा ढांचा है और जिला लेविल पर इसके अधिकारी हैं । पर इसके अतिरिक्त कुछ ऐसा नहीं दिखायी दिया कि जिससे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की रक्षा हो सके । हमारी संस्कृति और सभ्यता को कोई रोकता नहीं है जैसा कि आप कहते हैं कि हम विज्ञापन के माध्यम से, लिट्रेचर के माध्यम से इसका प्रचार करते हैं । लेकिन जो चीज हमको दूसरी स्टेट्स में देखने को मिली है कि वहां के पर्यटन विभाग ने तमाम जगहों के नाम पर्यटकों को मुहैय्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कराये हैं कि कौन-कौन से पर्यटन स्थल उनके यहां हैं, कितनी दूरी पर हैं, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है और वहां जाने के लिए क्या सुविधा उपलब्ध हो सकती है आदि और किससे पर्यटकों को सम्पर्क करना पड़ेगा। यह सब बातें उन्होंने अपनी बुकलेट के आधार पर वहां तैयार की हुई हैं और वह पर्यटकों को बांटी जाती हैं।

हमारे यहां ऐसी कोई जानकारी दिलाने वाली कोई चीज नहीं है। यदि होती तो आज लिटरेचर के रूप में माननीय सदस्यों को भी उपलब्ध करायी जाती जिससे कि माननीय सदस्यों को भी पता चलता कि हमारे प्रदेश में तीर्थ स्थल जिनका कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि इन-इन स्थानों पर तीर्थस्थल हैं जो कि देखने के योग्य हैं। यहां की जमीन देवताओं की भूमि कही जाती है, लेकिन कौन जानता है कि कहां पर क्या है ?

माननीय, जहां के मंत्री जी रहने वाले हैं, पर्वतमाला के वह हमारे देश की धरोहर है। ऐसी सुन्दर धरोहर किसी देश के पास नहीं है जैसी कि आपके पास है। फूलों की घाटी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ यह सब रमणीय स्थल हैं जहां कि देश के और विदेश के पर्यटक आते-जाते रहते हैं। हिन्दू संस्कृति के चारों धाम जिसमें कि द्वारिकाधीश, जगन्नाथपुरी, सेतु बन्ध रामेश्वरम् तथा बद्रीनाथ, यह चौथा धाम बद्रीनाथ आपके ही क्षेत्र में पहाड़ों पर आता है। मैं तो अभी वहां गया नहीं हूं क्योंकि अभी मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन मेरे सहयोगी गये हैं और उन लोगों ने बताया है कि उनको वहां जाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। बच्चे लेकर आदमी वहां पहुंच नहीं सकता। जो बसों की हालत है वह कहेंगे कि परिवहन विभाग का दोष है परिवहन विभाग का दोष होता है लेकिन परिवहन विभाग को दोष देकर यह जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। यातायात विभाग का जहां तक सवाल है उसका हाल सब जगह एक सा है। तो माननीय, यह जो हमारा पर्यटन विभाग है इसके द्वारा पिछले बजट भाषण को मैंने देखा और मुझे उस वक्त के भाषण को पढ़ कर बड़ी खुशी हुई। इसमें कहा गया कि फतेहपुर सीकरी श्रावस्ती और कपिलवस्तु में विस्तृत योजना विकास हेतु बनायी जा रही है तथा पर्यटन विभाग आवास गृह के लिए फतेहपुर सीकरी में भूमि की व्यवस्था हो गयी है और सौन्दर्यीकरण का प्रयास किया जा रहा है। विशेषकर 11 लाख रुपये से फतेहपुर में पानी ले जाने हेतु 4 किलोमीटर की दूरी से व्यवस्था करनी पड़ती थी वह हल हो जायेगी। बनारस के 30 घाटों का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। आगरा में 30 शैय्याओं का एक होटल बनाया जायेगा। इसे पूरा किया जाना था पिछले बजट में। इससे मालूम होता है कि विभाग बहुत अच्छा चल रहा है बड़े-बड़े काम हो रहे हैं लेकिन मैंने पूरी आपकी इस पत्रिका को देखा उसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं आया है कि मैंने इतना काम कर लिया है, पानी की व्यवस्था फतेहपुर सीकरी में हो गई है, यह कहा हो गयी है वह सारा इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह जो पर्यटन विभाग है इनकी हालत अच्छी नहीं है और जितना इसमें काम होना चाहिए उसकी मोटी सी मिसाल नहीं, छोटी सी बात से पता हो सकता है। जैसे 1984-85 में एक योजना शुरू की गयी फी थाली योजना की कि हम 5 रुपये में थाली की योजना करके खाना देंगे पर्यटकों को। माननीय, इनकी योजना होती या सप्लाई रही होती तो अच्छा होता। आज जो यह आपका सेन्ट्रल हाल बना है उसमें आपके डोसा और कटलेट्स के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर आपकी थाली योजना सफल होती तो जो विधायक महोदय कहते हैं कि खाने का इन्तजाम नहीं है, वह 5 रुपये में थाली खा लेते। कहने के लिए तो यह बात आसान बात

हैं । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में काफी बोर्ड काफी का इन्तजाम करता है तो आपके पास पर्यटन विभाग था, यह विभाग आपके खाने का इन्तजाम कर सकता है । लेकिन आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

मान्यवर, इससे भी आगे आप योजना तो हर साल बनाते हैं । आपका विभाग यदि ठीक रहा होता और यह समझा जाता कि विभाग ठीक चल रहा है । गोमती होटल में आज तक विधायकों को रुकाया गया । होटल मान्यवर, विधायकों के लिए नहीं था । इमरजेंसी के वक्त जब विधायक चुनकर आये उस वक्त गोमती होटल में जाने दिया । आपको इतनी बिल्डिंग बन गयी, ओ० सी० आर० बन गया, लालबाग बन गया, विधायक निवास बन गया, रायल होटल बन गया । जब हम पहले पहल आये थे तो इतने विधायक निवास नहीं थे लेकिन आज भी गोमती होटल ले रहे हैं। तो मान्यवर, गोमती होटल विधायकों के लिए नहीं है । दूसरा पहलू है कि विधायकों के लिए जगह है या नहीं है या गोमती होटल में रुकने वाला कोई नहीं है इसलिए आपने उसमें विधायकों को टिका दिया । मान्यवर, इतना ही नहीं मेरे पास कुछ कटिंग हैं अखबारों की । नवभारत की कटिंग है । मान्यवर, इसमें लिखा है (पुस्तिका दिखाते हुये) गोमती होटल में जिन लोगों ने शिकायत की, शिकायत विदेशी लोगों की है, वहां पर एक विदेशी लड़की आयी थी, उसके साथ बलत्कार किया गया और इसकी सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी को भी दी गयी और मान्यवर, उसमें सजा किसको मिली, चपरासी सस्पेण्ड हुआ है । तो व्यवस्था के नाम पर गोमती होटल में कोई चीज नहीं है । मुख्य मंत्री जी को विदेशी लोगों ने शिकायत की, वहां पर रेलवे काउन्टर नहीं खुलता है और व्यवहार लोगों का ठीक नहीं है । इसका कारण यह है कि आपके पर्यटन विभाग में ट्रेन्ड लोगों को नहीं रखा गया है । यही कारण है कि वहां पर ऐसा होता है । यह लोगों की आम शिकायत है कि वहां के कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं है ।

एक दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं हरिद्वार गया और अतिथि गृह में ठहरा । तो मैं बता रहा हूं कि मैं उस समय एम० पी० था, एम० एल० ए० नहीं था । आप समझिये जो हरिद्वार में सबसे बढ़िया प्लेट है, उसमें वह अतिथि गृह है, जो गंगा नहर है, उसी जगह पर बना है, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन गन्दगी का वहां पर आलम था । चपरासी के नाम पर वहां पर किसी का पता नहीं था, साबुन तक तो था नहीं, मैनेजर को कौन कहे ।

एक सदस्य--

वहां पर मुलतानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र---

मैं तो समझता हूं कि अतिथि गृहों में तौलिये और साबुन का प्राविधान अवश्य किया जाता है, लेकिन वहां पर साबुन और तौलिये की व्यवस्था की जानी चाहिये । चाय के नाम पर तो कुछ नहीं मिला और नाश्ते में जो मिला तो वह अपने में एक उदाहरण है । इसी तरह से मैं नरौरा गया वहां पर भी चाय नहीं मिली । वहां पर चाय का दाम बहुत अधिक था, लेकिन वहां पर अक्सर विदेशी आकर रुकते हैं इसलिये चाय का दाम अधिक है, तो मैं उसकी शिकायत नहीं करता ।

मान्यवर, आपके पास जो बसें हैं, 6 अम्बेस्डर कार हैं और 3 टोयटा हैं । इनसे आप पूरे प्रदेश को कबर करना चाहते हैं और कहते हैं कि इतनी सुख सामग्री हमारे पास है । तो इससे प्रदेश का भला नहीं होगा । आपकी बसें और गाड़ियां जो हैं वह किसी के काम नहीं आती हैं । एशियाड-1982 में काम नहीं आयीं

स्वास्थ्य विभाग का सम्मेलन हुआ तो उसमें भी काम नहीं आयीं और आप इन्तजाम करते हैं प्राइवेट होटलों से। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या व्यवस्था करते हैं। आपका 67 लाख का बजट है, तो आपको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, रुपया चाहे थोड़ा हो या अधिक, हमारी जिम्मेदारी सबसे अधिक है और यहां की संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण रखना है। आप कहते हैं कि फूलों की घटी, गंगोत्री और जमुनोत्री पर फिल्म बनायेंगे। 35 किलोमीटर का स्टूडियो बनाया है, जिसमें 75 हजार की सामग्री है उसका आपने कोई उपयोग नहीं किया है। जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारिये, आपके पास जितने संसाधन हों उतनी ही योजनायें बनायें और उनका प्रसार करें। आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, जो प्रोजेक्टर हैं, वह भी 10 साल से जंग खा रहे हैं। उसके बाद कैमरे खरीदें। इत्तफाक से नवभारत टाइम्स की कटिंग्स मेरे पास हैं। बाद में पता चला कि स्मगलिंग के कैमरे खरीदे गये हैं और जब रेड पड़ी तो वह भी जब्त हो गये। इस प्रकार वह फिल्म भी नहीं बन सकी। न गंगोत्री की न जमनोत्री की, सब चौपट हो गयी।

अब मैं विभाग की टैक्सियों के घाटे के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका यातायात का बेड़ा है वह इस प्रकार है कि जुलाई में 83 हजार का घाटा हुआ, अगस्त में 75 हजार सितम्बर में 66 हजार, अक्तूबर में 66 हजार, नवम्बर में 82 हजार और दिसम्बर में 40 हजार का घाटा हुआ जो कि आपके पर्यटन विकास निगम को उठाना पड़ा आपने अपने आप इस छोटी सी पुस्तिका में बड़ी होशियारी से दिखाया है जिससे कि किसी को पता न लगे।

आपने एक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम बनाया और एक इसका विभाग आपके पास है ही। दो विभाग हो गये। जो आपने निगम बनाया उसके अन्तर्गत जलपान गृह, पर्यटक लाज, हास्पिटल, इम्पोरियम आदि को विकसित करने के लिये और उसका प्रचार करने का काम दे दिया। लेकिन आज जो हालत है उससे आप जानते हैं कि विकास के नाम पर कितना विकास हुआ है। मैंने तो देखा नहीं। क्योंकि यह विभाग इतना भी नहीं समझता..

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि आपने एक नई योजना अपनी भावी योजनाओं में रखी है। आप कहते हैं कि प्राइवेट लोगों के साथ हम साझेदारी में काम करना चाहते हैं और यह पर्यटन विभाग करेगा। आपको पहले भी बम्बई की एक फर्म से मुख्य मंत्री जी के लेबुल तक बात हुई थी, वह फेल हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि आप योजना तो बनाते हैं लेकिन वह सफल नहीं होती क्योंकि जो आपके अधिकारीगण हैं वे अपने ढंग से चलते हैं। आपके ढंग से वे नहीं चलते हैं क्योंकि उनकी नौकरी पक्की है। वे आपके विभाग के नौकर नहीं हैं। यह आप जानते हैं कि किस तरह से उनको नौकरी मिली है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप विशेष रूप से इस ओर ध्यान दें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, माननीय पर्यटन मंत्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आगरा और मथुरा दो प्रमुखतम पर्यटन स्थल माने जाते हैं पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर। हिन्दुस्तान में जो भी विदेशी पर्यटक आते हैं उनमें से 3/4 पर्यटक आगरा अवश्य आते हैं। बनारस बाद में जाते हैं। मान्यवर, ताजमहल,

फतेहपुर सीकरी, लालकिला, ऐतमाबुद्दौला और सिकन्दरा, ये 6 ऐतिहासिक स्थल आगरे में स्थित हैं। यही नहीं ...

(व्यवधान)

बनारस में तो हिन्दू लोग ज्यादा जाते हैं। श्रीमन्, ऐतिहासिक स्थानों के साथ-साथ हमारे यहां धार्मिक स्थल भी आगरे में और मथुरा में हैं। आगरे में बटेश्वर में 101 शिव मंदिर यमुना के किनारे स्थित हैं और बहुत से जैन धर्म के मन्दिर भी बहुत पुराने समय के बने हुये हैं।

श्रीमन्, हमारे यहां प्राकृतिक स्थल भी बहुत हैं। अगर इन स्थलों का आगरे में सही तरीके से विकास किया जाय तो हरियाणा से ज्यादा विदेशी पर्यटक हमारे यहां आयेंगे। हरियाणा ने अपने यहां एक बढकल में कृत्रिम झील बनाई है लेकिन आगरा में एक कीटम झील प्राकृतिक रूप से बनी हुई है जो दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे पर बनी है लेकिन आज तक पर्यटन विभाग ने उसका विकास नहीं किया है। वहां पर आवास गृह तथा दूसरे मनोरंजन के साधन होते तो बहुत से पर्यटक वहां आते। हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, ने कहा कि फतेहपुर सीकरी में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जितने भी पर्यटक स्थल हैं जैसे आगरे का किला है, या ताजमहल है वहां पर गर्मियों में एक रुपये में एक गिलास पानी पीने को मिलता है इसी तरह चाहे वह एतमाबुद्दौला का मकबरा हो, चाहे सिकन्दरा का मकबरा हो या सिकरी हो कहीं पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यटन का कितना विकास हो रहा है।

श्रीमन्, बहुत समय से आश्वासन दिये जाते रहे हैं कि आगरा में यमुना के ऊपर एक बैराज बनेगा जिसमें पानी एकत्र होगा और उसमें मोटरबोट चलेंगी जिससे विदेशी पर्यटक ज्यादा आकृष्ट होगा लेकिन आज तक वह नहीं हुआ। यह बात भी कही गयी थी कि आगरा के किले में लाइट एण्ड साउंड कार्यक्रम रखा जायेगा लेकिन आज तक उसकी शुरुआत नहीं हुई। यही नहीं आगरा में एक म्यूजियम बनाने की भी बात बहुत पहले कही गयी लेकिन वह कार्यक्रम आज तक हीं शुरू हुआ है। कोसी से लेकर आगरा तक वे-साइड ऐमेनिटीज देने की बात इस पुस्तक में की गयी है लेकिन उस दिशा में आज तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली से आगरा बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आता है लेकिन रास्ते में उसके जलपान का कोई प्राविधान नहीं है।

एक पर्यटन विकास निगम बना है। हम आज तक यह नहीं समझ पाये हैं कि इसका काम क्या है? आपका पर्यटन विभाग भी है और पर्यटन विकास निगम भी है। ताज्जुब यह है कि जो पर्यटन विभाग के निदेशक हैं उन्हीं को इसका प्रबन्ध निदेशक भी बना दिया है। तो फिर निगम बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। अगर निगम बनाया है तो फिर किसी ऐसे अधिकारी को लाते जिसको इस क्षेत्र में अधिक जानकारी होती और सहकारी विभाग से अलग होता, जिसमें काम करने की क्षमता होती, जिसमें हरियाणा की तरह यहां के पर्यटन स्थलों की जानकारी होती और उनके विकास करने का माद्दा होता तब निगम बनाने का कोई औचित्य था। आज यह निगम केवल अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाह देने मात्र के लिए बनाया गया है। अगर उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों का विकास करना है और ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करना है तो इस निगम का स्वरूप बदलना होगा और ऐसे अधिकारी को नियुक्त करना होगा जो इसके लिए पर्याप्त समय दे सके और जिसको ऐसे स्थानों की पूरी जानकारी हो। इस बजट के अन्दर जो अर्थ व्यवस्था इस कार्य के लिए की गयी है मैं नहीं समझता कि उससे पर्यटन का विकास

संभव हो सकेगा। इतने कम धन से पर्यटन स्थलों का पर्याप्त विकास नहीं हो सकेगा।

अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि बसों और टैक्सियों का एक बेड़ा बना दिया है। मैं समझता हूं कि किसी विधायक ने नहीं देखा होगा कि यह बेड़ा कहां है कहां आपकी डीलेक्स बसें, टैक्सी और एयर कंडीशन कारें हैं, दिल्ली से आगरे तक। आप चाहें तो यह चल सकती हैं, लेकिन नहीं हैं। इसलिये इस बेड़े को आप समाप्त कर दें तो अच्छा होगा। मान्यवर, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मैंने आगरे की जिन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है कम से कम उन पर अवश्य ध्यान देंगे।

मान्यवर, इसी के साथ पर्यटक आवास गृहों के बारे में कहना चाहता हूं कि 62 और 12, कुल मिलाकर 74 आपके आवास आगरे में हैं जब कि हजारों की संख्या में वहां रोज पर्यटक आते हैं, परिणामस्वरूप बड़े-बड़े होटल उनका शोषण करते हैं और उनकी जेब काटते हैं। इसलिये यदि आपका पर्यटकों की ओर ध्यान है और उनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आवासों की और ज्यादा व्यवस्था आपको करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं पर्यटक विभाग के बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों में चित्रकूट का बड़ा महत्व है और शायद यह हिन्दुस्तान का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां विशेष पर्वों में नहीं बल्कि हर अमावस्या को लाखों यात्री वहां जाते हैं लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो स्थल न केवल दर्शन के लिहाज से पर्यटन के हिसाब से बल्कि परिवहन और रेल बहुत बड़ा आय का साधन बन सकते हैं। मान्यवर, चित्रकूट में जिस तरह से आवागमन की कठिनाई है वह शब्दों में नहीं कही जा सकती है। मान्यवर, मंत्री जी अपने सहयोगी परिवहन मंत्री जी से आग्रह करें कि वह हर अमावस्या को चित्रकूट में विशेष बसों की व्यवस्था करें और रेल विभाग को लिखें कि हर अमावस्या को, दिवाली और रामनवमी एवं माहों की अमावश्या पर रेल की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। चूंकि इन अवसरों पर रेलों के ऊपर और बसों के ऊपर यात्री चढ़ते हैं और उसमें कुछ दुर्घटनायें होकर लोगों की जानें जाती हैं। इसलिये इन विशेष पर्वों पर मंत्री जी पर्यटन और परिवहन की सुविधायें उपलब्ध करायें।

मान्यवर, मैं बांदा जनपद में अन्य दर्शनीय स्थलों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां राजापुर में संत तुलसीदास की हस्तलिखित रामायण रखा है जिसके दर्शनार्थ यात्री वहां जाते हैं लेकिन उनके आवागमन के साधन नहीं हैं जिसकी ओर मंत्री जी ध्यान दें। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा इसका प्रचार भी नहीं है और जो यह पत्रिका प्रकाशित की गयी है उसमें कोई उसका उल्लेख नहीं है। मैं सदन को और मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि बांदा में मरथा का एक किला है जहां हाल में देखा गया है कि आदि मानव के चित्र वहां उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि पर्यटन विभाग द्वारा उसका निरीक्षण कराकर, प्राचीन और आदि मानव संस्कृति की, एक महत्वपूर्ण अध्याय की खोज की जा सकती है। मैं विशेष तौर से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह वहां अपने अधिकारियों को भेजें और मरथा के किले के अन्दर और उसके आसपास जो गुफाएं हैं, पर्यटन केन्द्रों के रूप में उनका विकास करें।

कर्वी के पास गनेश एक बाग है जिसको मिनी खुजराहो के नाम से जाना जाता है। जब मैं पहले विधायक था तो मैंने मंत्री जी को लिखा था कि उस स्थान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का पुरातत्व विभाग के जरिये या प्रदेश के पर्यटन विभाग के माध्यम से संरक्षण किया जाना चाहिए । लेकिन गनेश बाग के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है । आप उसको मिनी खजुराहो के रूप में संरक्षित और सुरक्षित कर विकसित करें और चित्रकूट के लिए अच्छे परिवहन के साधन, बसों, डिलेक्स बसों की व्यवस्था कर ।

एक बात मैं सरयू नाले के बारे में कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच आने-जाने वालों के मार्ग में जो एक सरयू नाला है, वर्षों से वह नहीं बना है, जिससे आवागमन में बड़ी तकलीफ हो रही है । मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी का इस ओर भी ध्यान जाएगा ।

*श्री किशन सिंह तड़ागी—

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे पर्यटन विभाग के इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ जो हमारे दूसरे साइड में बैठे हुए भाई हैं, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके विरोध में मैं बोलना चाहता हूं । जैसा आपने आज बजट रखा, उसमें आपका उद्देश्य अच्छा है । आप यह चाहते हैं कि अपने यहां दूर-दूर से अधिक से अधिक पर्यटक आवें, लेकिन लोग तो आना चाहते हैं, जगह-जगह देखना चाहते हैं और विदेशी भी आना चाहते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि हमको रहने के लिए अच्छा स्थान मिले । लेकिन 5-6 साल में हमने देखा है 5-6 सौ बेड्स की कुमायूं क्षेत्र में और एक हजार बेड्स की मैदानी क्षेत्र में व्यवस्था की गई है । उससे लोगों को कुछ सुविधा मिली है । पर्यटक आता है तो पहले देखता है कि उसके रहने के लिए स्थान है या नहीं, उनके बेड्स, चारपाई और बाथरूम्स अच्छे और साफ सुथरे हैं या नहीं । वह वहां रहना चाहता है, किन्तु हम यह देख रहे हैं कि पर्यटक गृह जो हमारे हैं, उसमें कुछ गन्दगी अवश्य है । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाथरूम में सफाई होनी चाहिए, बेड्स और चादर जो रखें वह शुद्ध और साफ होने चाहिए । यही नहीं जो भी आपके दूर-दूर से लोग आते हैं, उनकी सुविधा के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए । अभी जैसा हमारे एक लायक सदस्य ने कहा गर्मी के दिनों में उन्हें पानी की बहुत कठिनाई हुई । पीने के लिए पानी नहीं मिला, नहाने के लिए पानी नहीं मिला । इसलिए सब जगह पर बराबर उन्हें शुद्ध साफ पानी मिलना चाहिए और जो पर्वतीय क्षेत्र में लोग जाते हैं उन्हें गर्म पानी मिले ।

साथ ही विभाग के कर्मचारियों का व्यवहार उनके साथ अच्छा हो । विदेशी और देशी पर्यटकों के साथ कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, तो उनकी दुबारा आने की तबियत नहीं होती है । तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यहां पर यह प्रबन्ध होना चाहिए कि कर्मचारियों का उनके साथ व्यवहार अच्छा हो । इसके साथ ही लोगों के आने के लिए पब्लिसिटी के द्वारा आकर्षण नहीं पैदा किया जाता है । इसलिए सिनेमा हाल में अच्छे-अच्छे तीर्थ स्थानों के, अच्छे-अच्छे और रमणीक पर्वतीय स्थानों के फोटो लेकर, उनकी अच्छी से अच्छी रील बनाकर दिखाई जानी चाहिए, जिससे उन स्थानों पर जाने के लिए लोग प्रेरित हों । अल्मोड़ा, नैनीताल, कौशानी, खम्पावत, लोहाघाट, डीडीहाट आदि ऐसे अच्छे स्थान हैं, जहां से हिमालय बिल्कुल नजदीक दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि हाथ से छू लूं, लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं है । तो फिल्मों के द्वारा, विदेशों में नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, किन्तु बड़े-बड़े शहरों—लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, मद्रास आदि स्थानों पर उनका प्रचार कराइये ताकि लोगों का अट्रेक्शन उन पर्वतीय क्षेत्रों में आने का हो । यदि आप पब्लिसिटी पर अधिक से अधिक ध्यान देंगे तो आने वाले दिनों में इन स्थानों पर बहुत से लोग आयेंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और जो आपका पर्यटन विमान लास में, घाटे में चल रहा है वह घाटा कम होकर आमदनी बढ़ेगी। लिहाजा में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप पर्यटकों को अधिक से अधिक सुख सुविधा दीजिये। मैंने देखा है कि हरियाणा में एक सोना जगह है वहां पर एक आर्टिफीशियल जंगल है, पेड़ लगाये गये हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भी एक से एक अच्छी जगहें हैं जहां पर लोग आना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनको वहां पर सुख-सुविधा मिले, रहने का इंतजाम अच्छा हो, अच्छे कमरे हों। इन शब्दों के साथ जो पर्यटक विभाग का बजट रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो मेरे लायक दोस्त ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, जो दूसरी साइड में बैठे हुये हैं, उनके कटौती के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, पर्यटक विभाग के सम्बन्ध में जो विवेचना प्रस्तुत की गयी है उसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप जब आगरे में जायेंगे पर्यटन के लिये तो राजा की मंडी और आगरा कैंट स्टेशन पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपके कर्मचारी हों और जो पर्यटन के सम्बन्ध में पर्यटक को आगरा के बारे में बता सकें कि फलां फलां जगह पर जाने पर यह सुविधा उपलब्ध है। आपकी तरफ से वहां पर यह सुविधा नहीं है बल्कि जो होटल वाले हैं, 5 स्टार होटल वाले हैं वहां पर उनका एडवरटाइजमेंट है, उनके दफ्तर हैं लेकिन आपके न तो दफ्तर हैं और न कर्मचारी हैं। यदि आप अपने विजन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पर्यटकों की देखभाल और उनको अपने तक पहुंचाने के लिये और जो पर्यटन बिंदु हैं उन तक पहुंचने के लिये आप इस सुविधा को स्टेशन पर उपलब्ध कराने की कृपा करें। मान्यवर, आगरा में बटेश्वर, सौरीपुर, चंदवा और नानन एक ऐतिहासिक स्थल हैं। विदेशों से लोग आते हैं लेकिन आगरे की पुरानी इमारतों तक सीमित रह जाते हैं और जो आपकी पुरानी भारतीय संस्कृति और दर्शन के अक्षुण्ण विंदु हैं वहां तक पर्यटक नहीं पहुंच पाते हैं। सूरकुटी, कोयम झाल, बटेश्वर, चंदवा सौरीपुर यह पुरानें जैन स्थल हैं। इन पर जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है और न आपकी कोई व्यवस्था है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आगरे में पर्यटकों के बारे में जो स्थिति है, होटल वाले पर्यटकों का शोषण करते हैं। होटल पर्यटकों के शोषण का अड्डा बने हुये हैं। ताजमहल के पास आपका जो नया कांपलेक्स बना है वहां पर पर्यटक नहीं पहुंच पाते हैं, बड़े-बड़े होटल वालों ने आपके लोगों पर कब्जा कर रखा है इसलिये जो आप कांपलेक्स बना रहे हैं वह फेल होता जा रहा है और बड़े-बड़े 5 स्टार होटल बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आपकी दृष्टि जानी चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो हालत आगरा में पर्यटकों की है उस तरफ आप विशेष ध्यान दें। आगरे में जो पर्यटकों के लिये व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिये आप जरूर कदम उठायेंगे।

श्री हरदेव—

मान्यवर, आपने पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह पर्यटन विभाग हमारे देश-प्रदेश की निधि है। मनोरंजन के साथ-साथ यह धार्मिक स्थल भी है। सबसे पहले मैं अपने देश के महान नेता माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने सारे विश्व का गंगा नदी के प्रदूषण के निवारण की ओर विशेष ध्यान दिलाया है। गंगा से बढ़ कर के आकर्षण पर्यटकों के लिए और क्या हो सकता है? गंगा से बढ़कर पर्यटकों के लिये कोई बहुमूल्य चीज और क्या हो सकती है? इसके लिये 80 करोड़ रुपया भारत सरकार द्वारा

गंगा के प्रदूषण दूर करने पर खर्च किया जा रहा है ।

वाराणसी में नये घाटों के निर्माण के लिये 66 लाख रुपया खर्च करने की योजना सुनिश्चित की गयी है । गंगा पहाड़ से निकलती है । गंगोत्री से गंगा सागर तक पर्यटक नगर बसे हुए हैं । इन सबका अनिवार्य रूप से समग्र विकास होना चाहिये । ऋषीकेश, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या और बृन्दावन, मथुरा, आगरा ये ऐसे स्थान हैं जोकि आधुनिक पर्यटक केन्द्र के रूप में भी हैं । ये कुल केवल तीर्थ स्थान ही नहीं हैं, बल्कि आधुनिक पर्यटन केन्द्र भी हैं । अतः प्राचीन एवं नवीन दोनों तरह के पर्यटन केन्द्रों का समन्वय किया जाय । इसी तरह से गंगा के तट पर पूर्वांचल में बलिया जनपद है, जो प्राचीन काल से दादर मुनि और भृगु मुनि के रूप में एक पवित्र और पावन स्थल के रूप में देखा जाता है । यहीं पर ये दोनों महामुनि पैदा हुए थे । इसी गंगा नदी के तट पर हर साल ददरी का बहुत बड़ा मेला लगता है । कितना अच्छा होगा यदि पर्यटन विभाग की नजर उधर भी आ जाय और भविष्य में उस स्थान पर मेला को सांस्कृतिक नक्शे पर ले आने का कार्य करें । इस मेले में पर्यटक यहां पर एकत्र लोगों के जीवन को देख सकते हैं तथा पूर्वांचल के लोक गीतों को सुन सकते हैं । मैं सरकार से चाहूंगा कि पर्यटन विभाग के द्वारा इसके लिये समुचित विकास की योजना बनाई जाय । हमारे दर्शकों के ठहरने के लिये टेंट, कालोनी, टूरिस्ट बंगले बनायें जायं । यहां पर विभिन्न प्रकार के लाखों पशुओं का विशाल मेला लगता है यहां पर इससे आकर्षण और भी बढ़ जाता है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं निहायत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि एक संवैधानिक अव्यवस्था पैदा हो गयी है, माननीय हरदेव जो कुछ और बोलना चाहते हैं, जिससे हमारे सदन का ज्ञान वर्द्धन होगा । मैं इधर के और उधर के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय हरदेव को कुछ और समय मान्यवर, दें दें, तो कृपा होगी ।

श्री अधिष्ठाता--

देखिये, सारा सदन आपकी भावनाओं से लाभान्वित होना चाहिए । कृपया दो मिनट का समय और ले लें ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर ले जाना चाहता हूं । सुरहा ताल तथा रसड़ा के लखनेश्वर डीह तमसा नदी के किनारे धार्मिक स्थल हैं । इस सम्बन्ध में मुझे सरकार को बताना है कि यह सुरहा ताल, नैनीताल के तालाब से चौगुना बड़ा है और यहां पर ट्राउट नस्ल की मछली मिलती है, जिसका शिकार विदेशी पर्यटक बहुत ही रुचि से करते हैं । उसे बढ़ावा देने के लिये यहां पर एक टूरिस्ट बंगला बनाया जाय । दर्शकों को यहां तक ले जाने के लिये वाराणसी से आवागमन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाय । इसी प्रकार लखनेश्वर डीह, रसड़ा तहसील जहां पर विष्णु भगवान की मूर्ति बाहर निकली हुई है, वहां हर साल धार्मिक मेला लगता है, वहां पर भी टूरिस्ट बंगला या कालोनी टूरिस्टों को ठहरने के लिये बनाई जाय ।

पूर्वांचल के लिए एक अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति की जाय, जैसा कि पर्वतीय क्षेत्र में किया गया है, ताकि इस कार्य को कुशलता के साथ बढ़ावा मिल सके । बलिया के स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी स्वर्गीय चित्तू पाण्डेय, मंगला पाण्डेय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियों को फिल्मों के द्वारा

दर्शकों को दिखाया जाय, ताकि दर्शक इसे देखें। बनारस में राम चरित मानस का ध्वनि एवं प्रकाश पर आधारित कार्यक्रम चलाया गया, वह कार्यक्रम घाटों पर चला है। अगर यह कार्यक्रम अलिया में दशरी मेले में चलाया जाय, तो उससे ज्यादा लाभ होता। अब जो कार्यक्रम बनाये जायं, वह इसी पिछड़े इलाकों के लिए बनाये जायं। मैं अन्त में माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में उन्होंने पर्यटन स्थलों के विकास में और पर्वतीय अंचलों में अनेक सुन्दर स्थान जो उपलब्ध हैं उनके विकास के लिए छठीं पंचवर्षीय योजना में 7.50 लाख रुपया पर्यटक विभाग के लिए अनुमोदित किया गया है। इसी प्रकार कुमायूं मंडल में वाणिज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुमायूं मंडल विकास निगम पर्यटक की सुविधा को देख-रेख करता है, जहां पर आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए 22 यूनिट के 537 शैय्यायें उपलब्ध हैं और बाथरूम और शौचालय सफाई की भी अच्छी व्यवस्था की गई है।

इसी प्रकार गढ़वाल मंडल में 50 इकाइयों में 2127 शैय्यायें उपलब्ध की गयी हैं और उसमें बाथरूम, शौचालय आदि की अच्छी व्यवस्था की गयी है। अन्त में मैं पर्यटन विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह से मुझे भविष्य में भी सदन में बजट पर बोलने का अवसर प्रदान करते रहेंगे।

जय हिन्द जय भारत

*श्री विजय सिंह राणा--

मन्यवर, मैं आपके माध्यम से कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने 67 लाख रुपये का बजट मांगा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 67 लाख रुपये का बजट अकेला आगरा दे सकता है, केवल उसकी विकास की सुविधा दी जाए। मान्यवर, ताजमहल पर टिकटें लगती हैं विधान सभा में भी प्रश्न उठते हैं। तीन चौथाई टिकटें ब्लैक में बिकती हैं, उसका पैसा कहीं नहीं जाता है। वहीं के लोगों के पास रहता है। अगर सिकन्दरे पर और ताजमहल पर टिकट जो लगता है, अगर इस टिकट व्यवस्था में आप सुधार कर दें, तो ताजमहल से ही आपको 67 लाख रुपया मिल सकता है। फिर आपको 67 लाख रुपया मांगने की कहीं से जरूरत नहीं होगी, यह केवल अकेला आगरा आपको दे देगा।

श्री अधिष्ठता--

आप सुझाव के रूप में कहें।

श्री विजय सिंह राणा--

मेरे मान्यवर, तीन सुझाव हैं। पहला सुझाव ह आगरा का जो हवाई अड्डा है उसका विकास नहीं होने दिया जाता है, दिल्ली के बड़े-बड़े होटल वालों के इशारे पर जो पर्यटक वहां जाते हैं वह लौटकर दिल्ली में ठहरते हैं, तो यह लोग हवाई अड्डे का विकास नहीं होने देते हैं, इसके लिये आगरा की जनता बराबर मांग कर रही है। और आपका विकास सुप्त बैठा है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि आगरा में नौ छोटे-छोटे स्टेशन हैं। वह स्टेशन ऐसे बने हुए हैं जैसे गांव के बने होते हैं एक भी स्टेशन, आगरा जैसे स्थान के अनुरूप नहीं है। मान्यवर, सन् 1952 की जो योजना है, उसके अनुसार वहां केन्द्रीय स्टेशन की स्थापना कराई जाए जो गाड़ियां हैं वह आगरा रुककर जायें सारी लाइनें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आगरा से जोड़ी जानी चाहिए, यह आज तक संभव नहीं हो पाया है। मेरा तीसरा सुझाव है कि आगरा में दो बस स्टेन्ड हैं आप उन दोनों बस स्टेन्डों में से एक को अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा बना दीजिए। उससे काफी विकास होगा।

चौथा सुझाव मेरा यह है कि आगरा में जो टूरिस्ट डायरी मिलती है, उसको आप पढ़कर देखिये उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो विदेशी टूरिस्ट आगरा में आयेगा वह आगरा के नल का पानी नहीं पियेगा। आगरा में दस साल से बात उठ रही है। वहां का पानी गन्दा और पीला है। इसलिए जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनके पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि आगरा में छः गाड़ियां ऐसी हैं जो दिल्ली से आती हैं और ग्वालियर रुकती हैं। आगरा में नहीं रुकती हैं। तो जो पर्यटक हैं, उन्हें ग्वालियर से लौटकर आगरा आना पड़ता है। तो यह दुर्दशा आगरा की यह कर रहे हैं। अगर आप वहां पर्यटकों की सुविधा उपलब्ध करा दें तो अकेला आगरा आपको 67 लाख रुपया दे सकता है। अगले साल फिर बात होगी, 67 लाख अकेले आगरा दे सकता है।

(व्यवधान)

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे पर्यटक के बजट पर बोलने का अवसर दिया। सीमित संसाधनों में इस बजट को माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया है, इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, हमारे यहां कुमायूं और गढ़वाल मण्डल में 79 पर्यटक आवास गृह बनाये गये हैं। लेकिन उन स्थलों के और कोई विकास के कार्यक्रम नहीं हो पाये हैं। मैं सरकार का ध्यान पहाड़ों की रानी मंसूरी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मंसूरी की प्राकृतिक छटा का लाभ उठाने के लिए देश-विदेश से लाखों लोग वहां आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरवार्ज एवरेस्ट (पार्क स्टेट) को विकसित करने की योजना बनायी है। इसी के पास धनोल्टी नामक रमणीक स्थान है, वहां केवल गेस्ट हाऊस है, इस स्थान का और विकास किया जाना चाहिए। इसी तरह का डियर पार्क है, उसके लिए सरकार ने धन आवंटित किया है, लेकिन वह कम है। मैं माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि देहरादून में कई ऐसे महत्पूर्ण धार्मिक ऐतिहासिक स्थान हैं जहां लाखों लोग आते हैं।

सहषधारा का एक विशेष स्थान है, वहां पर यातायात की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और इसका विकास होना चाहिए। इस पवित्र स्थान पर नेहरू जी अपने जीवन के अन्तिम दिन के एक दिन पूर्व वहां गये थे। माननीय राजीव जी ने देहरादून में भारत के महत्पूर्ण वन्यजन्तु संस्थान का उद्घाटन चन्द्रबनी में किया। वहां पर पर्यटक केन्द्र भी है। हमारी प्रदेश सरकार वहां पर एक महायोजना में उद्योग लगाने जा रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर उद्योग न लगाये जायं। देहरादून में लक्ष्मण सिद्ध नामक धार्मिक तीर्थ स्थान है, जहां हजारों लोग आते हैं, इसी तरह टपकेश्वर धार्मिक स्थान है, इन दोनों को टूरिस्ट केन्द्र बनाया जाय और उसका विकास किया जाय। कुमायूं और गढ़वाल मण्डल में जो आवास गृह बने हैं, उनमें पानी, बिजली और यातायात की व्यवस्था नहीं है। वहां पर इन सब सुविधाओं की व्यवस्था की जाय। डाकपत्थर और चिल्ला को भी टूरिस्ट केन्द्र बनाया जाय और इसका विकास किया जाय। देहरादून में फिल्म स्टूडियो की स्थापना की जाय जिससे पहाड़ के प्राकृतिक सौन्दर्य और पर्यटक स्थलों का प्रचार और प्रसार हो सके। गढ़वाल विश्वविद्यालय

में टूरिस्ट गाइड कोर्स की व्यवस्था की गई है जिससे शिक्षित युवकों को रोजगार प्राप्त होता है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय सदस्य ने चीन के सम्बन्ध में जो बात कही तो मान्यवर, ऐसी बात करने से पता लगता है कि उन्होंने यह बात जानकारी के आधार पर नहीं कही है। चीन से हमारे सम्बन्ध पुरानी तरह के नहीं रह गये हैं। अब पहले वाला विरोध नहीं रह गया है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जो उन्होंने देश विरोधी कहा है, तो हमारा पर्यटन विभाग ऐसा नहीं है। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, देश विरोधी शब्द नहीं है। मैं देश विरोधी शब्द को देख लूंगा। मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं उसको देख लूंगा और कोई ऐसी बात होगी तो निकाल दूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं खाली 3-4 सुझाव रखूंगा। मेरे ऐसे सुझाव हैं, जो प्रदेश के हित में हैं। एक पुस्तिका मिली है 1984-85 के कार्यकलाप की। जिसमें लिखा है कैलाश मानसरोवर यात्रा। भारत सरकार के गृह विभाग एवं चीन सरकार के सहयोग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा 1981 से संचालित की जा रही है। इस यात्रा के सफल आयोजन हेतु विभिन्न विभागों जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस एव सेना द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कलाश मानसरोवर भारत में है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि चीन की मदद क्यों ली जा रही है? सन् 1962 में जब चीन ने हमला किया तो लोकसभा और इस सदन ने भी प्रस्ताव पारित किया कि जो जमीन चीन ने लिया उसको वापस लेंगे? मैं पर्यटक विभाग की अकल को क्या कहूं, जो देश हमारा विरोधी है, देश की सुरक्षा का विरोधी है, उस चीन से सहयोग लेकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करा रहे हैं। यह राष्ट्रीय व्यक्तित्व की गरिमा के प्रतिकूल है। ऐसे बजट को पास नहीं कराना चाहिये, जिस सरकार ने, जिस देश ने हमारे ऊपर हमला किया हो, उसका सहयोग लेकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करा रहे हैं। मान्यवर, जो माननीय सदस्य राणा जी ने यहां पर बात कही थी कि ताजमहल, सिकन्दरा आदि से पैसा ठीक से वसूल कर लिया जाय...

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य ने चीन के सम्बन्ध में जो बात कही तो मान्यवर, ऐसी बात करने से पता लगता है कि उन्होंने यह बात जानकारी के आधार पर नहीं कही है। चीन से हमारे सम्बन्ध पुरानी तरह के नहीं रह गये हैं। अब पहले वाला विरोध नहीं रह गया है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जो उन्होंने देश विरोधी कहा है, तो हमारा पर्यटन विभाग ऐसा नहीं है। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, देश विरोधी शब्द नहीं है। मैं देश विरोधी शब्द को देख लूंगा। मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं उसको देख लूंगा और कोई ऐसी बात होगी तो निकाल दूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, ताजमहल, आगरा किला और सिकन्दरा का जो प्रवेश शुल्क लिया जाता है, वह प्रवेश शुल्क पर्यटन विभाग के पास पहुंचता ही नहीं है। आगरा की नगर महापालिका यह पैसा ले लेती है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, झांसी की रानी बनारस में पैदा हुई थी, असी में। आप सन् 1965 के गजेटियर को देख लें जिसमें झांसी की रानी के बनारस में पैदा होने की बात है। मैं पर्यटन विभाग से कहूंगा कि झांसी की रानी का शहीद स्मारक बनारस में बनवाएं। इसके अलावा काशी एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। गंगा के उस पार पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करें तो राजस्व में 10 गुना वृद्धि हो जायगी। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप काशी में गंगा के उस पार पर्यटक स्थल विकसित करें। वहां का भारत माता मंदिर जैसा भारत में अन्यत्र कहीं नहीं है। लेकिन उसकी हालत आप देख लें। वहां जो नक्शा बना है वह खराब हो रहा है और वहां की अमूल्य वस्तुएं चोरी हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि गुलाब सिंह जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब वहां जाएं तो बनारस के भारत माता मंदिर के बारे में जरूर विचार करें। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम नाथ मुंशी --

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी ही महती कृपा हुई आपकी जो आपने मुझे पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि यह पर्यटन विभाग देश की संस्कृति, प्रदेश की संस्कृति, उनके आध्यात्म और धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस विषय पर बड़ी ही गम्भीरता से सोच समझ कर और मिल जुल कर इसकी प्रगति के लिए कदम से कदम मिलाकर पूरा सदन चले तो देश और प्रदेश ही नहीं विदेशों से भी कई-कई लाख लोग यहां हिन्दुस्तान में और उत्तर प्रदेश में आएंगे और विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। महानुभाव, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पहाड़ों में रहने वाले लोग जिनके पास खेती का साधन नहीं है न जिनके पास जीविका का साधन है, मैं उन ऋषि मुनियों का जिन्होंने पूरे देश को पूरब-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण चारों ओर से जोड़ कर मंदिरों तीर्थों एवं दरगाहों के माध्यम से, उन लोगों के लिए जीविका का माध्यम बनाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वहां धार्मिकता से बंधे हुए लोग, संस्कृति से बंधे हुए लोग, आध्यात्म से बंधे लोग आते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में आकर अपनी आत्माओं को शांति देकर लौट जाते हैं। इन उत्तरी क्षेत्रों के विकास के बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पर्यटन स्थलों का समुचित विकास किया जाय। मार्गों से जोड़ा जाय। जिससे यात्रियों को सुविधा हो।

प्रदेश के, देश के लोग कश्मीर की यात्रा करते हैं, वहां के डल ऊसर झील का साइट सीन देखने के लिये जाते हैं। मैं पूर्वांचल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि बलिया में सुरहा का ताल गोरखपुर में रामगढ़ का ताल गाजीपुर में बोगना का ताल, पर्यटक केन्द्र बनाये जायं। यह योजनायें प्रस्तावित थीं, मेरा निवेदन है कि पूर्वांचल में पयटन स्थलों के विकास पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाय। ताकि उत्तर के लोग पूरब की तरफ आ सकें, पर्यटन स्थलों को देख सकें, एक सूत्र में बंध सकें।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामनाथ मुन्शी--

मान्यवर, प्रदेश में जिस गति से जगह-जगह पर्यटक आवास गृहों का निर्माण हुआ है और पर्यटन स्थल विकसित किये गये हैं, मार्गों का निर्माण हुआ है। उसके लिये पर्यटन विभाग बधाई का पात्र है। इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए, कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। साथ ही माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस बजट को तुमुल ध्वनि से पारित करायें। जय हिन्द।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, बरेली में जो पर्यटन स्थल बना है, 18 लाख की लागत से बना है।

श्री अधिष्ठाता--

आज माननीय सदस्यों का कुछ ज्यादा मोह आगरा और बरेली पर ही है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आगरा के बाद बरेली का ही नम्बर है।

[समय 6 बजे]

डाक्टर दिनेश जौहरी--

माननीय, उसमें केवल 8 शैय्याएं दी गयी हैं। जिसमें इतनी कम शैय्याएं होंगी, वह कभी भी फायदे में नहीं चल सकता। 52 में से 24 स्थल ऐसे हैं, जहां 50 शैय्याओं से कम हैं। अगर आपको निगम को घाटे से उबारना है, तो 50 से ज्यादा शैय्याएं बढ़ानी चाहियें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको घाटे से बचना है तो होटल स्वयं न चलकर, प्रोजेक्ट डिजाइन करके, होटल चलाने वालों को बेच दें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पर्यटन विकास निगम में जो प्रशासकीय व्यवस्था है, वहां कोई आर्किटेक्चर नहीं है। वहां डिजाइन विभाग होना चाहिये। आर्किटेक्चर होना चाहिये। डिजाइन विभाग अवश्य करें, जो विभाग के लिये भी कार्य करे और दूसरे जो प्राइवेट होटल चलाना चाहें, उन्हें डिजाइनिंग में मदद हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि आपके जितने होटल हैं, बनारस और आगरा को छोड़कर के बाकी सब जगह घाटे पर चल रहे हैं। आक्यूपेंसी 15 प्रतिशत घटकर रह गयी है। जब तक आक्यूपेंसी 50 प्रतिशत तक नहीं होगी, फायदा नहीं होगा। वहां के इन्तजामात अच्छे करने होंगे तभी यह पर्यटन स्थल फायदे में चल सकेंगे।

*श्री मोती राम--

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पर्यटन विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया। माननीय, पर्यटन विभाग का जो कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है।

माननीय, मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में इतने अच्छे धार्मिक स्थान हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, चमोली, बागेश्वर, जागेश्वर, गंगोलीहाट और रीठा-साहिब। वहां पर पर्यटकों के लिए इतने अच्छे यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हैं कि वह वहां पर आसानी से पहुंच सकें और न ही उनके रहने के लिए वहां पर आवास उपलब्ध है। पर्वतीय क्षेत्र का सीधा सम्पर्क दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता से न होने के कारण वहां के पर्यटक इन धार्मिक स्थानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि यह मसला केन्द्र सरकार का है, मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से सम्पर्क कर उनसे सिफारिश करे कि रेलवे की बड़ी लाईन हल्द्वानी और रामनगर तक कर दी जाय ताकि पर्यटक इन स्थानों पर आसानी से पहुंच सकें। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटकों के लिए जहां आवास की व्यवस्था की गई है, मैं चाहूंगा कि वहां पर पर्यटकों के लिए होटल भी बनाये जायं ताकि वहां पर उनको रहने में और आसानी हो सके और अधिक से अधिक पर्यटक वहां पर आ सकें।

पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात की सुविधा प्रचुर मात्रा में न होने से पर्यटक जहां जाना चाहता है, वहां नहीं जा सकता है। यदि पर्यटन निगम कुछ ऐसी बसों का प्रबन्ध कर दे कि जहां पर्यटक जाना चाहें तो जा सकते हैं तो इससे काफी लाभ होगा। इसी के साथ ही जो बजट पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री बदन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं फतेहपुर सीकरी से आता हूं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हिन्दू और परसियन की सभ्यता का सम्मिश्रण का केन्द्र अकबर के जमाने में बनकर तैयार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ है । अकबर ने 1577 से लेकर 1584 तक, 7 वर्षों तक इसे अपनी राजधानी बनाये रहा । इसलिए यह देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन गया है । जो भी पर्यटक आगरा आता है तो वह अवश्य फतेहपुर सीकरी आता है परन्तु वहां पर उनके ठहरने के लिए कोई आवासीय गृह न होने की वजह से वे उसी दिन दिल्ली पहुंच जाते हैं । 1981-82 में 11 लाख 20 हजार रुपए 50 शैय्याओं के आवास गृह के लिए मन्जूर हुआ था । आपकी जो कार्य प्रगति की दिग्दर्शिका है, उसमें मैंने देखा कि आपने जो योजनायें मन्जूर की थी, उसके बारे में आपने लिखा है कि यहां तक कार्य हो गया है और यहां का कार्य इतनी प्रगति पर है, किन्तु फतेहपुर सीकरी के बारे में लिखा है कि वहां पर स्थान खरीदकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया गया है । यह फतेहपुर सीकरी के साथ बहुत बड़ा उपहास है । जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि पर्यटक उसी दिन दिल्ली चले जाते हैं जिससे विदेशी मुद्रा दिल्ली चली जाती है । यदि उनके आवास का इन्तजाम यहां पर होता तो यह विदेशी मुद्रा प्रदेश सरकार को मिलती । पर्यटक स्थापित्य कला, ललित कला और चित्रकला को देखने के लिए फतेहपुरसीकरी आते हैं, लेकिन वहां पर उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है । 1-1 गिलास पानी एक-एक रुपए में मिलता है । इसलिए पानी की व्यवस्था की जाय ।

विदेशी पर्यटकों को गाइड करने के लिए जो गाइड वहां पर हैं वे प्रशिक्षित गाइड नहीं हैं, और न ही उनकी कोई ज्यादा शैक्षिक योग्यता है । जिससे विदेशी पर्यटकों को गलत ज्ञान का बोध कराया जाता है यहां की संस्कृति के बारे में और यहां की सभ्यता के बारे में । मैं चाहूंगा कि वहां पर प्रशिक्षित गाइड नियुक्त किए जायं । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली से जाने वाला पर्यटक आगरा जब आता है तो फतेहपुर सीकरी अवश्य पहुंचता है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण समाप्त कर। आपका समय हो गया है ।

श्री बदन सिंह—

अब एक नई सड़क फतेहपुर सीकरी के लिए 30 कि0 मी0 चक्कर काट कर बनायी गयी है उस चक्कर को बचाने के लिए...

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी ने नोट कर लिया है ।

श्री बदन सिंह—

इसके साथ ही साथ सिकन्दरा और...

श्री अधिष्ठाता—

आप लिख कर दे दीजिये, आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री सीता राम निषाद—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे मौका दिया मैं उसके लिए आप का आभारी हूं । पर्यटन विभाग का जो कुल 67 लाख 70 हजार का बजट प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करते हुए मैं मांग करता हूं कि यह उत्तर प्रदेश जहां पर्यटन की बहुत सम्भावनायें हैं, यहां पर बहुत से सांस्कृतिक धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनका विकास, पर्यटन की दृष्टि से करने की आवश्यकता है और उसके लिए यह बजट बहुत कम है, इसका कई गुना बजट होना चाहिए। मैंने पर्यटन की योजनाओं को देखा है, मैं बधाई देना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या, जो अभी तक उपेक्षित थी, पर्यटन विभाग का ध्यान उधर भी गया है और उसका भी विकास हो रहा है

उत्तर प्रदेश शासन को उसके लिए मैं बधाई देता हूं ।

माननीय श्रीपति मिश्र जब इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या से श्रृंगवेरपुर उसके आगे चित्रकूट तक जाने के लिए राम वन गमन मार्ग का प्रस्ताव था लेकिन यह जो पुस्तिका है इसको देख कर मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि राम वन गमन मार्ग पर तमसा नदी पर ग्यासपुर घाट जहां भगवान राम विश्राम किये थे, कुछ दिन रहने के पश्चात् गोमती नदी के किनारे, फिर सई नदी के किनारे और फिर गंगा नदी के किनारे रुके थे, श्रृंगवेरपुर में महाराजा निषाद राज के किले में निवास किया था, उसका उल्लेख इसमें नहीं हुआ है, यह जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ । मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह राम वन गमन मार्ग की जो योजना प्रस्तावित की गई थी उस को भी लागू किया जाय जिसमें उस मार्ग पर तमाम धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थल आते हैं, उनका पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाय । मैं आशा करूंगा कि मन्त्री जी उधर ध्यान देंगे और जो स्थान छुटे हुए हैं, श्रृंगवेरपुर, इलाहाबाद तथा ग्यासपुर रमचौरा जो हमारे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, उसका भी विकास करेंगे, धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता—

एक निवेदन मेरा आप से है, अगर सब के नाम यहां पर आ जायें तो इसमें इस पीठ पर बैठकर कार्य करने में आसानी होगी, माननीय सदस्य उठते रहते हैं और बैठते रहते हैं, उनका स्वागत है, सम्मान है, लेकिन एक-एक मिनट में सहयोग दीजिए, तभी यह सम्भव हो सकेगा ।

* श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं मथुरा वृन्दावन के बारे में । यह हमारा अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थान है और लाखों लोग इस पवित्र नगरी में आते हैं । जितने भी तस्कर हैं, जो छतरी है, पुरानी कलाकृतियां हैं वह सब पूरी बाहर भेजी जा रही हैं । अमेरिका में नू वृन्दावन बन रहा है वह सब वहां भेजी जा रही हैं उसको शासन रोक नहीं पा रहा है । अभी 27 तारीख को लोक सभा अध्यक्ष माननीय श्री बलराम जाखड़ वृन्दावन आये और उन्होंने वहां भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान जो गन्दगी और पानी की समस्या को उन्होंने देखा था उन्होंने पब्लिकली यह कहा और यह 28 तारीख के अमर उजाला में छपा है कि उत्तर प्रदेश के निकम्मे मुख्य मंत्री को वृन्दावन बुलाकर उसका घेराव करो और जब तक सफाई और पानी की व्यवस्था ठीक न हो जाय तब तक उसको वापस न भेजो । हमारे वृन्दावन के साथी ने माननीय मुख्य मंत्री जी को वह दिखाया भी है । हमारे जो धार्मिक स्थल हैं और जो पर्यटक केन्द्र हैं उसकी हालत इतनी खराब कर रखी है, मूर्तियां चोरी हो रही हैं, छतरी चोरी हो रही है और कला कृतियां बराबर ध्वस्त होती जा रही हैं उनको आप रोकें और वहां की पानी और सफाई की व्यवस्था को अच्छी तरह से सुव्यवस्थित कर दें ।

श्री नरेन्द्र देव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत थोड़ी सी बात कह कर बैठ जाना चाहूंगा कि हमारे यहां चुनार किले का अपना एक महत्व है और हिन्दुस्तान में बहुत से किले उसकी टक्कर में नहीं हैं । हमारे यहां कई पर्यटन स्थल विकसित किये जा सकते हैं । मिर्जापुर जनपद में जो एक पर्यटक आवास गृह बना है उसकी सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं है । माननीय मंत्री जी इन बातों की ओर जरूर ध्यान दें कि बनारस के आस-पास जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर बसों की सुविधायें संतोषजनक नहीं हैं । वहां पर आवास गृहों की सुविधायें सन्तोषजनक नहीं हैं । अभी जैसा कि पहले माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिनेश जौहरी ने कहा था कि यदि 50 शैय्याओं के ऊपर नहीं होंगी तो वहां पर कोई लाभ नहीं हो सकता तो अब जहां भी आवास गृहों को बनायें इस बात का पर्यटन निदेशालय ध्यान रखें कि जहां पर भी आवस गृह बनायें वहां 50 शैय्याओं के ऊपर रखा जाय जिससे कुछ लाभ मिल सके। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करते हुए कटौती का विरोध करता हूं।

श्री फरीद महफूज किदवई--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे जिला बारा-बंकी में पारिजात का एक पेड़ है। यह पेड़ दुनियां में अपनी तरह का अकेला पेड़ है और पूरी दुनियां के लोग वहां उसको देखने के लिए आते हैं। यहां एक फ्रीक है जिसको देखने साइंटिस्ट भी आते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कल्प वृक्ष की बात कर रहे हैं।

श्री फरीद महफूज किदवई--

मान्यवर, उस पारिजात के पेड़ के लिए मुझे कहना है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कल्प वृक्ष की बात कर रहे हैं।

श्री फरीद महफूज किदवई--

मान्यवर, मुझे यह कहना है कि बड़े अफसोस की बात है कि उस पेड़ तक पहुंचने के लिये कोई रास्ता नहीं बनाया गया है मुझे मंत्री जी से कहना है कि एक बार वे स्वयं उसे देखने के लिए तशरीफ लायें और उसे देखें। वहां एक डाक बंगला बनाया जाना बहुत आवश्यक है ताकि पर्यटक वहां आकर ठहर सके और उस पेड़ को देख सकें और उसका अध्ययन कर सकें।

उसके बाद दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि उसके पास ही महादेवा का मन्दिर है जहां पूरे प्रदेश से लोग वहां आते हैं। यदि वहां डाकबंगला की स्थापना की जायेगी तो दोनों प्रकार के पर्यटकों को इससे सुविधा उपलब्ध होगी और यह डाकबंगला दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए मौजूद रहेगा।

हमारे प्रदेश में शिकार को बन्द कर दिया गया है जो कि फारेन एक्सचेन्ज के लिए बहुत बड़ा जरिया हुआ करता था। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर शासन इस पर विचार कर ले और शिकार को खोल दें ताकि यहां पर फारेन एक्सचेन्ज आ सके।

श्री अमर चन्द--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी का ध्यान बटेश्वर की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि उसकी उपेक्षा हो रही है। आप बटेश्वर का अवलोकन करें क्योंकि पर्यटन विभाग इस विषय में कूप मण्डूक बना हुआ है। यह इतना बड़ा क्षेत्र है लेकिन विकसित होने से अछूता रह गया है। वहां पर बटेश्वर तीर्थ शौरीपुर के नाम से मशहूर है और वहां तमाम पर्यटक आते रहते हैं। आप बटेश्वर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराइये।

इसके अलावा आगरा में ताजमहल से लाल किला तक तथा ताजमहल से एतमातुद्दौला को सीधे गेप वे से जोड़ा जाय ताकि इससे लाखों रुपये का रेवन्यू सरकार को प्राप्त हो सके।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, अब आप बैठें, इस विषय पर काफी बोला जा चुका है।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

यह जो पर्यटन विभाग का बजट पेश हुआ है इसकी पुस्तक की भूमिका में एतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक दृष्टि से जिन सारे के सारे जिन

स्थानों की चर्चा है उस पर मुझे गर्व है और जिसको कि मैं अनुभव करता हूं, वह यह है कि इस पुस्तिका में जो प्रदेश के पर्यटन स्थल के नाम और सबसे महत्वपूर्ण स्थानों के नाम दिए हुए हैं उसमें मुझे दुख है कि देश और विदेशों से प्रदेश के जिस ऐतिहासिक स्थल को देखने लाखों लोग आते हैं उस ताजमहल का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। यह इस बात का सूचक है कि हमारी सरकार आगरा की कितनी उपेक्षा कर रही है क्योंकि इसमें ताजमहल का उल्लेख नहीं किया गया है और यह उपेक्षा आगरा ही नहीं पूरे बृज क्षेत्र की है।

मान्यवर, आगरा और मथुरा में जैसा कि अभी माननीय सरदार सिंह जी ने कहा कि गत 27 तारीख को लोक सभा अध्यक्ष, श्री बलराम जाखड़ वहां भ्रमण के लिए गये और वहां की सफाई व पेयजल की दुर्दशा को देखकर वहां की अव्यवस्था को देख कर उन्होंने बृज अकादमी की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कहा कि आप लोग भूख हड़ताल कर दें और अपने मुख्य मंत्री को बुला कर उनका घिराव करें। मान्यवर, यह हमारी सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है

मान्यवर, मैं पर्यटन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आगरा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय। यह जो 67 लाख रु0 का बजट पेश किया गया है यदि आगरा को पर्यटक केन्द्र के रूप में पूरी तरह विकसित कर दिया जाय तो वह इससे ज्यादा, दस गुना ज्यादा जितना कि आपने बजट पेश किया है, रेवेन्यू दे सकता है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जो इन्होंने कहा कि लोकसभाध्यक्ष, श्री बलराम जाखड़ ने ऐसा-ऐसा कहा, यह सत्य से परे है।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मैंने जो कुछ कहा है पूरी जिम्मेदारी, निजी जानकारी के आधार पर साधिकार कहा है और यदि मेरी बात असत्य हो तो मैं सदन के सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं और यदि सत्य हो तो माननीय सदस्य इस्तीफा दें। (समाचार की कटिंग दिखाते हुये) मैं आगरा के दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला का मुखपृष्ठ पर प्रकाशित यह समाचार प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

विकल जी कृपया बैठें आपकी बात को नोट कर लिया गया है। माननीय सदस्यों ने जो कहा है उसको आप रहने दें। आप बैठिये।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, बलराम जाखड़ ने स्वयं कहा है कि मुख्य मन्त्री का घिराव करें। दूसरे नटवर सिंह पहुंचे तो उन्होंने स्वयं कहा कि मुख्य मन्त्री का घिराव करें, उत्तर प्रदेश का शासन बहुत निकम्मा है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न पहले आ चुका है इसलिये आप लोग बैठिये।

श्री अफसर यू अहमद--

सदरे मोहतरम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे पर्यटन विभाग के बजट पर दो मिनट तक बोलने का हुक्म दिया। माननीय मन्त्री श्री गुलाब सिंह जी ने जो बजट रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पर्यटन हमारे जीवन के लिये बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यटन के माध्यम से ही हमारे अन्दर ज्ञान का वर्धन होता है, भाईचारा प्रेम आपस में और बढ़ता है और तमाम चीजों का ज्ञान होता है, इसलिए पर्यटन के लिए जो बजट में पैसा रखा गया है, वह कम है इसे बढ़ा दिया जाय। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मेरा बस्ती जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है। परन्तु ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चारों तरफ देखें तो पायेंगे कि मर्यादा

पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या नगरी एक तरफ, दूसरी तरफ शान्ति के दूत सन्त कबीर और उत्तरान्चल में भगवान बुद्ध की स्थली है और हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान आचार्य राम चन्द्र शुक्ल की स्थली है। बस्ती एक पिछड़ा हुआ जिला है लेकिन माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि यह देवी देवताओं एवं विद्वानों का स्थान है जिसके दर्शन के लिए प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के बाहर से भी लोग आते हैं अतः मंत्री जी आप बस्ती जनपद में पर्यटन स्थली मगहर, नौगढ़, हरैया, मेहदावल, सम्हरियांवां, अगोवा आदि में बनवाने की कृपा करें। जिससे पर्यटकों को सुविधा मिले एवं बस्ती का गौरव बढ़े इसके साथ ही में माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समथन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश प्रदेश की एकता व अखंडता को साबित करने वाला एक पुराना शेर है 'हिन्दू, मुस्लिम, सिख और इसाई, आपस में हैं सब भाई-भाई।' उन्होंने अपने भाषण में आज यह फरमाया है कि हिन्दू मुस्लिम और सिख भाइयों के लिए बहुत से पर्यटन केन्द्र बनाये गये हैं और बनाये जा रहे हैं। मैं जिला मेरठ में सरधना क्षेत्र से चुनकर आया हूं और सरधना क्षेत्र में बहुत से सदस्य अच्छी तरह से जानते होंगे कि वहां पर सरधना चर्च, बेगम सुमरू के नाम से बना हुआ है, वह दिल्ली के करीब है। यहां बहुत पहले से प्रस्ताव आ चुका है और शासन से समर्थन मिल चुका है लेकिन काफी अर्से से उसको पर्यटन स्थली घोषित नहीं किया गया है। बाहर से विदेशी लोग वहां आते हैं, साल में दो मेले लगते हैं जिसको पोप में यानि क्रिश्चियन्स की तरफ से पूरे देश के लिये तीर्थ स्थान कायम किया गया है। इससे दो लाभ होंगे एक चीज यह होगी कि यह पर्यटन केन्द्र भी बन जायेगा और दूसरे विदेशी करेंसी भी प्राप्त होगी।

(श्री त्रिलोक चन्द्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कनक सिंह--

माननीय अधिष्ठाता, एक मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

अब समय नहीं है, मैंने श्री त्रिलोक चन्द जी को बुला लिया है।

श्री कनक सिंह--

माननीय, एक मिनट। माननीय, गढ़मुक्तेश्वर जिला गाजियाबाद में जो पर्यटन स्थल बना हुआ है, जिसकी नींव श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने रखी थी, उसमें तीन कमरे हैं और उनके मुंह तीन दिशाओं में हैं, वहां आज जुआ और शराब का काम होता है और जो उसके लिये खर्च दिया जाता है, वह बिलकुल बेकार है। आप इसकी जांच करा लें।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये समय मांगने पर)।

(व्यवधान)

श्री गजराज सिंह--

माननीय, गढ़ मुक्तेश्वर में जो मेला लगता है, वहां पर पर्यटन केन्द्र है, वह शराब का अड्डा बना हुआ है। इसकी जांच की जाये। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री पूरन सिंह--

माननीय, पर्यटन के लिये हमारे पर्वतीय क्षेत्र नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, जहां पर्यटन के लिये जिनका रख-रखाव गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमायूं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है, लेकिन उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो नहीं पा रही है। अतएव इनका प्रबन्ध उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के माध्यम से

सीधे किया जाना चाहिये। नैनीताल में शराब बन्दी नहीं है, लेकिन अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में शराबबन्दी है, इसलिये वहां पर पर्यटक नहीं जाते हैं अतः पूरे कुमायूं मंडल में जब तक एक नीति के तहत शराब बन्दी लागू नहीं की जाती है तब तक वहां की शराब बन्दी को भी समाप्त किया जाना चाहिये। मान्यवर, एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं, रानी खेत में 52 शैय्याओं का पर्यटन केन्द्र है जिसको 200 शैय्याओं का किया जाना चाहिये। जो पहले से ही स्वीकृत है। धन्यवाद जयहिन्द, जय भारत।

*श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि पूरी चर्चा में जितने भी सदस्यों ने भाग लिया है, सभी ने बड़ा इन्टरेस्ट लिया है और बड़ी ही हंसी-खुशी के साथ बहस हुई, तो इसी से पर्यटन के महत्व को समझा जा सकता है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है, सरकार इस ओर नहीं सोचती है। नव भारत टाइम्स में पर्यटन विभाग के बारे में सरोज निकलती है, उसकी कटिंग्स मेरे पास हैं, इनकी टैक्सियां घाटा दे रही हैं, शिकायत करने पर अधिकारी सुनते नहीं, आदि आदि। स्टूडियों के प्रोजेक्टर में जंग लग रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि इनको विभाग ने पढ़ा नहीं है और सरकार को तो समय ही नहीं है। मान्यवर, यह हालत है इस विभाग की जो आपने देखी है। माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि जो आपके आवास गृह हैं और पर्यटन गृह हैं वह उनके अधिकारियों के लिये हैं और उनके आराम गृह है, वह पर्यटकों के लिये नहीं हैं। और जो बचते हैं वह मन्त्रियों के लिये और विधायकों को तो मिलने का सवाल ही नहीं है। चाहे वह इधर के हों और चाहे उधर के हों। तो इनको बन्द करना चाहिये और इनको केवल पर्यटकों के लिये रहना चाहिये।

मान्यवर, जो धार्मिक स्थल हैं, उनकी हालत ऐसी है जैसे कि 10-20 साल पहले की हो। पब्लिक के आदमी को इनसे कोई लाभ नहीं है। दक्षिण में बालाजी का मन्दिर और मीनाक्षी का मन्दिर है, वहां पर जो व्यवस्था है, एक पैसा लेने की गुंजाइश नहीं है, तो उसी तरह की व्यवस्था यहां पर भी होनी चाहिये। इस तरह की व्यवस्था यहां पर होनी चाहिये जिससे इस पर्यटन विभाग को लाभ हो वरना कोई लाभ नहीं है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा और उसके बाद समाप्त कर दूंगा क्योंकि माननीय सदस्य उतारू हैं जाने के लिये। मान्यवर, यदि इस विभाग को ठीक करना है तो ऐसी कल्पना नहीं होनी चाहिये। सुना मैंने यह है कि जितने वर्षों से यह विभाग चल रहा है, उसने तरक्की की है और अब जया बच्चन इस पर्यटन विकास निगम की चैयरमैन बनायी जा रही हैं,....

(व्यवधान)

अमिताभ बच्चन की घरवाली को चेयरमैन बनाया जा रहा है पर्यटन विकास निगम का। ऐसी गल्ती नहीं होनी चाहिये। क्योंकि पहले से ही आपका जो यह पर्यटन विभाग है वह पूरी तरह से बदनाम है।

एक सदस्य--

यह आकर्षण का केन्द्र होना चाहिये।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये जैसा कि अखबारों में निकल रहा है। मान्यवर, मैं सभी सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विभाग की एक स्वर से आलोचना की है साथ ही जो उन्होंने सुझाव दिये हैं, यह सही है कि उधर से उन्होंने कटौती के प्रस्ताव का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समर्थन नहीं किया है लेकिन जो कुछ कहा है उसमें उन्होंने आलोचना ही इस विभाग की है । अन्त में मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया ।

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, मैं उन सभी सदस्यों का बड़ा अभारी हूं जिन्होंने इस पर्यटन विभाग के अनुदान पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिये । भाई त्रिलोक चन्द्र जी ने सामग्री के ऊपर कुछ टिप्पणी की । म श्रीमन्, उनके इस विचार से सहमत हूं कि जो हमारा लिटरेचर है, जैसा है उससे अधिक अच्छा होना चाहिये । यह सही बात है । दूर के स्थान पहाड़ों के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा । मैं स्वयं इसी वर्ष केदारनाथ, बद्रीनाथ गया था । मैंने वहां देखा कि औरतों और बच्चों को बड़ी कठिनाई से जाना पड़ता है । लेकिन आप जानते हैं कि पहाड़ों में जंगल भी हैं । मान्यवर, इससे पहले जो अनुदान था, जिस पर आपने स्वीकृति दी, उसमें इस बात पर बड़ी भारी चर्चा हुई कि पहाड़ों में जितने भी हमारे विकास कार्य हैं वे रुके पड़े हैं । वहां पर सड़क तो दूर रही लेकिन ब्रिजेज या अस्पताल जैसे आवश्यक कार्य बहुत सी जगहों पर नहीं कर सकते हैं । तो इस दूरी के बारे में मैं समझता हूं कि जब हम अपनी वहां की नीति पर विचार करेंगे केन्द्रीय सरकार के साथ, तो उस समय इस बात पर भी अवश्य जोर दिया जायेगा कि पर्यटन के दृष्टि-कोण से वहां पर आवागमन की सुख-सुविधा हो । यह हम प्रयास करेंगे ।

मान्यवर, बहुत सी बातें कही गईं । बहुत से कार्य अधूरे रह गये हैं । यह सही है । इसीलिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक हजार लाख रुपये केवल इसी बात के लिये रखा गया है कि जो हमारे छूटे हुये कार्य हैं उनको पूरा किया जाय । चर्चा के दौरान यह भी कहा गया कि चाहे वह परिवहन के सम्बन्ध में हो, निर्माण के सम्बन्ध में हो, सातवीं योजना में हमने यह किया है कि जितने व्यक्ति हमारे इस पर्यटन विभाग में हैं उसको प्रशिक्षण दिया जाय और परिवहन इकाई की स्थापना की जाय, उनका निर्माण किया जाय, मार्केटिंग और रिसर्च विंग की स्थापना की जाय, उसको प्रोत्साहन दिया जाय, उसको सुदृढ़ किया जाय । बढ़ती हुई पर्यटकों की संख्या को देखते हुये हमें उसको बदलना चाहिए । ताकि जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो, उनको हम पूरा करने की चेष्टा करेंगे ।

आगरा के बारे में बहुत सी शिकायतें की गयीं उसमें बहुत सी सही भी हैं । उन शिकायतों को दूर करने में हमारा विभाग जिम्मेदार होगा लेकिन बहुत सी जगहों पर हमारा विभाग दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये और मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं होगा । हमारे राणा जी ने कहा कि आगरा में कुछ नहीं हुआ है । आगरा कैंट में हमारा पर्यटन सूचना केन्द्र है तथा राज मंडी में पर्यटन आवास गृह बना है । हमारे डाक्टर साहब ने आगरा दिल्ली के बीच में एक लेक की बात कही । उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है लेकिन किन्हीं कारणों से जिसमें धनाभाव एक है, के कारण वह नहीं हो पा रही है । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब हमारे पास धन होगा तो हम निश्चित रूप से इस पर कार्य करेंगे । इसके साथ-साथ बटेश्वर के विकास के बारे में 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें कार्य होगा ।

हमारे साथी निषाद साहब ने कहा राम वन गमन मार्ग के बारे में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय मिश्रा जी ने वायदा किया था हम देखेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें भी पर्यटन विभाग की ओर से क्या हो सकता है ।

मान्यवर, सभी साथियों की ओर से अच्छे सुझाव आये हैं उनके अनुरूप हम कार्य करेंगे । हम चाहते थे कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य इसमें माग लें और उनके जो सुझाव आये हैं उनको आने वाले समय में पूरा करेंगे और जो

कमियां बताई हैं उनको दूर करेंगे। इन शब्दों के साथ में सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और भाई त्रिलोक चन्द जो ने खुद ही कहा है इसमें धन की कमी है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सभी कामों के लिए धन की आवश्यकता होती है जिसकी हमारे पास कमी है इसलिए आप उसमें कटौती न करें और इसे पास होने दें।

श्री विजय सिंह राणा—

माननीय, एक बात पूछना चाहता हूं आगरा के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी को केन्द्र सरकार से बात करनी होगी। तो क्या आप उनसे इस सम्बन्ध में बात करेंगे ?

श्री गुलाब सिंह—

मैं सभी साथियों का जवाब नहीं दे सकूंगा क्योंकि आपने लालबत्ती दिखा दी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी सुझाव माननीय सदस्यों के आये हैं उन सभी को पूरी तरह से देखेंगे और जो शिकायतें हैं उनको भी देखेंगे और उसमें कोई व्यक्ति कोताही करता है तो उसे सजा भी दी जा सकती है।

श्री बदन सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर-सीकरी में सन् 1981 में जो 50 शैय्या का आवास गृह मंजूर हुआ था उसका बनना कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री गुलाब सिंह—

बहुत शीघ्र प्रयास करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आप माननीय त्रिलोक चन्द्र जी माननीय मन्त्री जी के आग्रह को स्वीकार कर कटौती प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री त्रिलोक चन्द—

नहीं माध्यवर, वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 31-7-85 के उपवेशन में नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें पहली सूचना श्री कल्याण सिंह की, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं को निरस्त करके पुनः परीक्षायें कराने के सम्बन्ध में है, को स्वीकार किया गया और शेष सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में अवर अभियन्ताओं के चयन में धांधली के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

[समय 6 बजकर 48 मिनट]

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

माध्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

*ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

[ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ताओं के कुल 531 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति के लिये शासनादेश संख्या 11639/38-1-84, दिनांक 14-11-84 द्वारा मुख्य अभियन्ता से आवश्यक कार्यवाही के लिये कहा गया। इन पदों के विज्ञापन समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ मुख्य अभियन्ता द्वारा निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से भेजे गये। प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 25-12-84 निश्चित की गयी जो बाद में 15-1-85 तक बढ़ाई गयी और इस तिथि का भी समाचार-पत्रों में विज्ञापन किया गया। उक्त विज्ञापन में अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ी जाति, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के आश्रितों, विकलांगों आदि के लिये शासन के आदेशों द्वारा निर्धारित आरक्षण को भी स्पष्ट कर दिया गया था।

शासनादेश संख्या 1033/84-38-1, दिनांक 3-12-84 द्वारा एक चयन समिति गठित की गयी जिसमें मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, अध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, सदस्य, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, नैनीताल परिमंडल सदस्य तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति का एक नामित अधिकारी सदस्य रखा गया। गठित चयन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 25-1-85 को हुई जिसमें अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाने, साक्षात्कार की प्रक्रिया एवं अंक निर्धारण इत्यादि पर विचार-विमर्श हुआ तथा यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ग के लिये निर्धारित रिक्त पदों के चार गुना अभ्यर्थियों को सिविल शाखा में डिप्लोमा के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर मेरिट के क्रम में साक्षात्कार के लिये बुलाया जाय। चयन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि डिप्लोमा में प्राप्तांक के वेटेज 50 अंक में से तथा साक्षात्कार/अनुभव हेतु 50 अंक निर्धारित किये जायें। चयन समिति ने अपनी बैठक दिनांक 14-3-85 में यह भी निर्णय लिया कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में कार्यरत वर्कचार्ज के सभी अवर अभियन्ताओं को भी साक्षात्कार के लिये बुलाया जाय। चयन समिति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को विभिन्न तिथियों में दिनांक 14-2-1985 से 4-6-1985 तक साक्षात्कार में बुलाया गया।

चयन समिति द्वारा डिप्लोमा में प्राप्तांक प्रतिशत अनुभव एवं साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा दिये गये अंकों के आधार पर चयनित सूची तैयार की गयी। चयन समिति द्वारा मनमाने ढंग से अंक दिये जाने का आरोप निराधार है। चयनित सूची के आधार पर मुख्य अभियन्ता के कार्यालय आदेश संख्या 7641/ग्रा0 अ0 से0/स्था0/समूह "ग" अवर अभियन्ता/तदर्थ नियुक्ति/84-85, दिनांक 30-4-1985 द्वारा 211 अभ्यर्थियों को एवं आदेश संख्या-138/ग्रा0 अ0 से0/स्था0/समूह "ग" अवर अभियन्ता तदर्थ नियुक्ति 84-85, दिनांक 18-6-85 द्वारा 309 अभ्यर्थियों की तदर्थ नियुक्ति के आदेश जारी किये गये। तदनुसार बिभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत् है—

1—सामान्य श्रेणी	294
2—पिछड़ी जाति	89
3—समाज के अक्षम (विकलांग)	12
4—अनुसूचित जाति	100
5—अनुसूचित जनजाति	4
6—स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	21
योग ..	520

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसके सम्बन्ध में मुझे निश्चित रूप से जानकारी है और मेरे पास 12 व्यक्तियों के नाम ऐसे आये हैं जिनके मार्क्स 83 से लेकर 90 प्रतिशत तक हैं और उनको चयनित नहीं किया गया जबकि 55 और 60 प्रतिशत पाये लोगों को चयनित किया गया जूनियर इंजीनियरों को । मुझे जानकारी मिली है कि 531 लोगों को चयनित करना था जिसमें 520 स्थान भरे गये हैं और 11 से सौदेबाजी चल रही है । इनके पास अभी 100 लोग अन्डर-कंसीडरेशन हैं जिसमें 11 लेने हैं और उनसे सौदेबाजी हो रही है । इसमें हर एक से 25-30 हजार रुपये जिन्होंने दिये हैं उनको चयनित किया गया है । इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 85 प्रतिशत वाले को क्यों नहीं रखा गया और 53 प्रतिशत वाले को क्यों रखा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, माननीय सदस्य एक बहुत जाने-माने और अनुभवी नेता हैं और उनको मालूम है कि किस तरह से चयन होता है, क्या प्रक्रियायें होती हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 50 नम्बर मेरिट पर हैं और 50 नम्बर जो डिप्लोमा डिग्री में पाये हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित--

यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना है ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप लोग बैठ जायं, मंत्री जी को उत्तर देने दें । आप लोग शांत रहें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

50 अंक साक्षात्कार पर हैं । यह चयन जो हुआ मेरिट के आधार पर न होकर साक्षात्कार पर हुआ । तो साक्षात्कार में जो उपयोगी होंगे, उनको लिया गया । इन्टरव्यू बोर्ड ने जो लिया वह अपने विवेक से लड़के को नम्बर देता है । हो सकता है कि डिप्लोमा में ज्यादा नम्बर हों लेकिन साक्षात्कार में कम नम्बर मिले हों तो उनका चयन नहीं होगा और जिनके नम्बर डिप्लोमा में कम हों लेकिन साक्षात्कार में ज्यादा नम्बर पाये हैं तो चयन हो जायेगा । इसलिये मैं नहीं समझता कि कोई गड़बड़ी हुई ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, कदाचित पहली बार यह ऐसा कोई चयन हुआ है जहां पर परीक्षा का प्राप्तांक केवल 50 प्रतिशत जोड़ा गया है और 50 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के नाम पर साक्षात्कार करने वाले अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है । अत्येक जगह ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिए छोड़ दिये जाते हैं । यह पक्ष या विपक्ष का प्रश्न नहीं है और यह एक या दो प्रत्याशियों से सम्बन्धित भी प्रश्न नहीं है....

(व्यवधान)

मुझे यह सुनिश्चित जानकारी है कि इसमें भारी-भरकम 20-25 हजार रुपये की रिश्वत ली गई है, यह सारा चयन घोर बेईमानी से किया गया है । इसमें 85 और 87 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी रह गये हैं और 55-56 प्रतिशत के लोग भ्रष्टाचार के बल पर हो गये हैं..

(व्यवधान)

जो यह 50 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिए रख दिया, इससे बड़ी गुंजायश किसी बेईमानी, भ्रष्टाचार और रिश्वत-खोरी की कोई दूसरी नहीं हो सकती है । जब साक्षात्कार के लिए उन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई और उसमें जो आ गए उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया, फिर वह क्या कारण है कि चयन करने के लिए अलग से 50 प्रतिशत अंक रख दिए गये....

(व्यवधान)

आपने लिखित परीक्षा का महत्व इतना ज्यादा स्वार्थवश घटा दिया, तो मेरा आरोप है कि इस तरह से तो पढ़ने लिखने को उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। इससे असन्तोष पैदा हो गया है। तो इस सम्बन्ध में इधर से और उधर से जो आरोप लग रहे हैं कि रिश्वतखोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, सारे चयन को निरस्त करके दुबारा चयन करायेंगे या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

लेने के लिए डिग्रियां शामिल करते हैं और आर्ट्स साइड के लड़के भी...

(व्यवधान)

चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे शिक्षा सेवा आयोग हो, सभी जगह डिग्री के आधार पर चयन नहीं होता है, बल्कि साक्षात्कार भी होता है और उसका भी नम्बर देकर तब चयन किया जाता है, नियुक्ति दी जाती है। जहां तक यह कहा गया कि मेरिट के आधार पर लड़कों को बुलाया गया है, तो 6 हजार अप्लीकेशंस आई थी और यह नियम है कि एक पद के विरुद्ध 4 को बुलाया जाता है। सबको नहीं बुलाया जा सकता है, तो जितने पदों पर लेना था, उससे चार गुना लड़के बुलाए गये। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई बेईमानी हुई है। यों आरोप कोई भी सदस्य किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर रिश्वत की बात किसी एक अभ्यर्थी के चयन के मामले में भी हो और माननीय सदस्य साबित करेंगे तो उस अधिकारी के खिलाफ जांच की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैं आपके सूचनार्थ और सदन के सूचनार्थ यह बताना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं कि इस सम्बन्धित समिति के अध्यक्ष स्वयं जो चीफ इंजीनियर हैं, वह हैं और उन्होंने अपने एक सब-डिविजनेट को जो नैनीताल का है, उसे अपने साथ बोर्ड में रखा था। जब इस तरह से 50-50 परसेंट मार्क्स का बंटवारा कर दिया तो यह कैसे सम्भव हो सकता है कि इसमें नियमों के अनुकूल अभ्यर्थियों का चयन हुआ होगा ? मैं बहुत से ऐसे लोगों के नाम बताना चाहता हूं जिनको बहुत अच्छे नम्बरों पर भी नहीं लिया गया। देशदीपक गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता 83.5 परसेंट, नरेन्द्र सिंह पुत्र राम सजीवन सिंह 83.2 परसेंट, चन्द्रपाल सिंह कुशवाहा 86 परसेंट, बनवासी पाल 85 परसेंट, बाबूराम साहू 87 परसेंट, रुद्र प्रताप सिंह 82 परसेंट और चंद्रहास यादव 84 प्रतिशत और इस तरीके से न जाने कितने लड़के मेरे पास आये और उन्होंने मुझे निश्चित जानकारी दी कि इसमें पैसे की मांग की जा रही है।

(शेम शेम की आवाजें)

हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का कथन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ खुली जांच करवायें और सदन की कमेटी बनवायें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इसमें कौन-कौन से सदस्य थे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय दीक्षित जी को बताना चाहता हूं कि इसमें 4 लोगों का बोर्ड था। श्री एम0 आर0 सिद्दीकी, मुख्य अभियंता, आर0 ई0 एस0, इसके अध्यक्ष थे। श्री बी0 एम0 गुप्ता, मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, यह सदस्य थे। श्री एम0 एम0 संगल, अधीक्षण अभियंता, नैनीताल मंडल, यह आर0 ई0 एस0 के हैं यह भी सदस्य थे। श्री सुन्दर लाल, अनुसचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन यह भी सदस्य थे। तो मान्यवर, यह नहीं है कि आर0 ई0एस0 विभाग के सभी चारों अधिकारी थे। बल्कि मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई,

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अनुसचिव भी इसके सदस्य थे ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के बाहर के कितने लड़के इसमें लिये गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इसकी तो सूचना नहीं है ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मेरे पास लिस्ट मौजूद है । पंजाब, बिहार, हिमांचल प्रदेश के लड़के लिये गये हैं ?

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, चारों तरफ से आरोप लग रहे हैं । भ्रष्टाचार तो प्रारम्भ में, जो उत्तर दिया गया है, उसी से साबित हो जाता है । मैं एक सवाल जानना चाहता हूं । इसमें आवेदन-पत्र देने की अंतिम तिथि 15-12-84 थी जिसको बढ़ाकर 15-1-85 कर दिया गया । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बढ़ी हुयी तिथि के बीच बाहर से कितने लोगों के आवेदन-पत्र आये ? यह जो आवेदन पत्र देने की तिथि थी इसको बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, यह विज्ञापन, पहले 25-12-84 अंतिम तिथि थी जैसा कि गुप्त जी ने कहा है । फिर विभिन्न जिलों के लोगों ने कहा कि हमको ज्ञात नहीं हुआ, जानकारी नहीं हो पायी तो उनके निवेदन पर कुछ समय और बढ़ा दिया गया ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मेरे सवाल की मंशा आप समझ लें । पहले जो 25-12-84 तिथि थी उसके लिये कितने समाचार-पत्रों में विज्ञापन निकाला गया और फिर जो तारीख बढ़ाकर 15-1-85 की गयी तो इसको कितने समाचार-पत्रों में निकाला गया ? मेरी सूचना को सही मानकर कि पहले वाला विज्ञापन जो था वह अधिक समाचार पत्रों में दिया गया लेकिन जो बाद का विज्ञापन था उसको सिर्फ दो समाचार-पत्रों में निकाला गया ताकि लोगों को सूचना न मिले और चुपके-चुपके अपने लोगों को ले लिया जाय । तो मंत्री जी बताने की कृपा करें कि पहला विज्ञापन कितने समाचार-पत्रों में और दूसरा विज्ञापन कितने समाचार-पत्रों में निकाला गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, यह दैनिक जागरण, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी तीन जगहों से इनका विज्ञापन निकलता है, इन तीनों जगहों को विज्ञापन दिया गया था । आज, अमर उजाला, नार्दर्न इंडिया पत्रिका को भी यह विज्ञापन दिया गया था । दूसरा विज्ञापन इन तीनों जगहों को भी भेजा गया था ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इस साक्षात्कार में मुख्य दो बातें कही जा रही हैं । एक तो यह कही जा रही है कि चेयरमैन ने भ्रष्टाचार किया, दूसरा यह कहा जा रहा है कि इसके सेलेक्शन की तारीख बढ़ायी गयी । मान्यवर, एक चीज में पता लगाना चाहता हूं कि चेयरमैन ने भ्रष्टाचार किया या सदस्यों ने ? चेयरमैन को क्या कोई विशेष अधिकार था ज्यादा नम्बर देने का या मेम्बर को अधिकार था ज्यादा नम्बर देने का ?

(व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, यह प्रश्न नहीं है कि किसको कितना अधिकार था ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, चेयरमैन और मेम्बरों को बराबर अधिकार था ? नम्बर देने का या अलग-अलग अधिकार था ?

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े हो गये ।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बैठें ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाने दीजिये, तब माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी को सुनिये ।

(व्यवधान)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस बोर्ड में चार मेम्बर थे और चारों मेम्बरों का अपने-अपने विवेक से अलग-अलग नम्बर देने का अधिकार था । ऐसा नहीं मान्यवर, कि एक ने जो नम्बर दिया है, वही चारों ने नम्बर दिया है । सभी चारों मेम्बरों ने अलग-अलग से अपने-अपने विवेक से नम्बर दिया है ।

श्री किरनपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सेलेक्शन के रूल्स हैं या नियम हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्हीं के आधार पर आपने सेलेक्शन के नियम बनाय हैं या आपने आर्बिट्रेरी अपने रूल्स भर्ती करने के लिए बना लिये हैं ? जो पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स सेलेक्शन के लिए बने हुये हैं उसके आधार पर या आपके चीफ इंजीनियर ने अपने विवेक से अपने विभाग में, सेलेक्शन के नियम बना लिये हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, माननीय किरनपाल सिंह को ज्ञात होगा कि यह एडहाक सेलेक्शन था ।

(घोर व्यवधान)

पहले पूरी बात तो सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

पहले पूरी बात माननीय मंत्री जी की सुन लें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

यह जूनियर इंजीनियर का चयन पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है, वहां पर जाने की पूरी छूट है । यह एडहाक एप्वाइंटमेंट था, इसके लिए सरकार से अनुमति ली गयी थी, तब बोर्ड ने अपनी नीति निर्धारित किया कि किस तरह से सेलेक्शन करें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपकी जो चयन समिति बैठी, इन्होंने मानक बनाने में जो हाईएस्ट परसेंटेज आया 87, 89, 90 सैकड़ा, जो योग्यता का सबसे ऊंचा प्रमाण है, इसका ध्यान रखा गया ? इससे क्या यह बू नहीं आ रही कि चयन समिति के जो लोग थे, उन्होंने इन्टरव्यू के नम्बर रखकर, उन्हें चयन करने की प्रक्रिया बनाई ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैंने अभी बताया जो बोर्ड के चार व्यक्ति थे, उन्होंने निश्चय किया कि इसमें कितने नम्बर रखें, मेरिट पर कितने नम्बर रखें । इन्टरव्यू पर किस तरह से चारों मेम्बर नम्बर देकर आना अनुपात निकालेंगे । इस तरह से बोर्ड ने तय किया ।

(व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, जो प्रश्न उपस्थित हुआ है सदन के सामने यह अत्यन्त गम्भीर है । पक्ष और विपक्ष दोनों ही माननीय सदस्यों ने कुछ गम्भीर आरोप लगाये हैं चयन प्रक्रिया में । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को दृष्टिगत करते हुये, जो चयन समिति बनी है, उसको निरस्त करके, सदन के सदस्यों की एक तीन सदस्यीय समिति बनाकर इस प्रकरण की जांच कराने का कष्ट करेंगे ।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप लोग शान्त रहिये । मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, विज्ञापन हुआ । लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये, एक बोर्ड बना, फिर चयन हुआ और माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं विभिन्न प्रकार के। मान्यवर, जो भी आरोप लिखित रूप में माननीय सदस्य देंगे. हम उनकी जांच करायेंगे और जांच में अगर आरोप साबित होते हैं, तो इसको निरस्त किया जायेगा और जो अधिकारी इस आरोप में सही पाये जायेंगे, उनको दंडित किया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो चार सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी उसमें कितने आर० ई० एस० से सम्बन्धित थे, कितने बाहर के सदस्य थे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

हमने बताया तो कि आर० ई० एस० के दो थे । एक लघु सिंचाई के मुख्य अभियंता थे, एक समाज कल्याण के अनु-सचिव थे ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, जब माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाये और यह वक्तव्य के लिए आ गया, तो मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिया गया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वक्तव्य दिये जाने के पहले माननीय मंत्री जी ने कोई जांच कराई थी या नहीं ? अगर जांच कराई थी, तो किस माध्यम से जांच कराई थी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वक्तव्य देना चाहिये, वक्तव्य के आदेश हुये और हमने वक्तव्य दे दिया ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, जो आरोप लगाये हैं उनकी जांच नहीं हुई है । विभागीय रिपोर्ट को माननीय मंत्री जी ने वैसा का वैसा रख दिया है, तो क्या इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में, कोई जांच कराने का कष्ट करेंगे ? मान्यवर, एक सदन की समिति बनाकर उसकी जांच कराई जाये ।

(व्यवधान)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश हुये कि वक्तव्य दिया जाये । तो वक्तव्य दिया गया । अगर उनके निर्देश होते कि जांच कराई जाय तो हम जांच कराते । इसमें माननीय अध्यक्ष के आदेश का पालन किया गया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

आप हमारा नाम पुकार चुके हैं ।

श्री कल्याण सिंह---

न तो हमें मन्त्री जी की नीयत पर सन्देह है, न ईमानदारी पर सन्देह है । अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे मंत्री हैं । अफसोस इस बात का है कि खराब काम को संरक्षण दे रहे हैं । यह मामला इसलिये और गम्भीर बन गया कि मन्त्री जी ने कहा कि हमें वक्तव्य देने का निर्देश दिया गया था, वक्तव्य दे दिया, जो लिखकर अधिकारियों ने वक्तव्य दिया उसको पढ़ दिया । अध्यक्ष पीठ से आरोपों की जांच के निर्देश नहीं थे इसलिये जो नोटिस में आरोप लगाये गये थे, बिना उनकी जांच पड़ताल किये, वक्तव्य पढ़ दिया । अध्यक्ष ने केवल वक्तव्य पढ़ने का आदेश दिया था, आरोपों की जांच के आदेश नहीं दिये थे, इसका अर्थ यह

है कि जो वक्तव्य अधिकारियों की ओर से आया था, उसको पढ़ दिया। जो गम्भीर आरोप लगाये गये थे, बिना उनकी जांच किये वक्तव्य दे दिया गया तो सदन की क्या गरिमा रह जायेगी? यह कह देते कि जांच कराई गई और आरोप सही नहीं पाये गये तो हमें कोई शिकायत न होती। अध्यक्ष के निर्देश नहीं थे, आरोपों की जांच के लिए इसलिये बिना जांच किये हुये वक्तव्य दे दिया। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सदन की भावना को ध्यान में रखते हुये, इसमें पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है, न प्रतिष्ठा का प्रश्न है, शासन की छवि सुधारने के लिए सहयोग देने को तैयार हैं, सदन की भावना को देखते हुये, सदन इस मामले में एक मत है कि भ्रष्टाचार किया गया, बेईमानी हुई है, जांच किये बिना वक्तव्य पढ़ दिया तो इस सूची को निरस्त करके इसी सदन के 3 माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाकर, कमेटी हम इन्हीं पर छोड़ते हैं, जिसको यह कह दें, वही जांच कर लें? यह भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जन जीवन को डसे जा रहा है, अगर इसको रोकने के लिए कोई कारगर उपाय न हुआ, तो आपकी जितनी योजनायें है वह सफल नहीं हो सकती हैं। बिना आरोपों की जांच कराये आपने वक्तव्य पढ़ दिया, तो क्या इस सूची को निरस्त करके इस सदन के तीन माननीय सदस्यों की कमेटी बनायेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जो आपकी पीठ से निर्देश हुआ, वक्तव्य देने का, जो सूचना माननीय राम सजीवन ने दिया था कि चयन में भ्रष्टाचार और घांधली की गई है। आपका निर्देश हुआ कि वक्तव्य दें। मैंने अपने स्तर से छानबीन की, शासन स्तर से छानबीन की, जो सूचना है, यह सारी छानबीन करने के बाद वक्तव्य दिया। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर किसी स्पेसिफिक चीज पर कोई माननीय सदस्य मुझे लिखकर देंगे, तो जांच कराऊंगा और जो दोषी अधिकारी होगा, वह बख्शा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

दो बार आप मेरा नाम पुकार चुके हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मैं आपके माध्यम से इस पक्ष और उस पक्ष से जो बातें उठीं, जो सवाल उठे, जो बातें सामने आयीं, उनको देखते हुये क्या माननीय मन्त्री जी इस बात के लिए तैयार हैं कि जब तक सारे आरोपों की जांच नहीं हो जाती है, इस तदर्थ नियुक्ति को रेगुलर नहीं किया जायेगा?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं एक बहुत ही महत्व-पूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसमें मेरी सहायता करें और निश्चित जानकारी मन्त्री जी दें, क्योंकि माननीय मन्त्री जी, सदन सर्वोच्च है, आपकी जिम्मेदारी सदन के प्रति है, आप बताने की कृपा करें कि जो 50 परसेन्ट अंक साक्षात्कार में देने की बात थी, क्या वह परीक्षाफल घोषित होने के बाद की गयी थी। मेरी निश्चित जानकारी है कि लिखित परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने के बाद जब सूची सामने आयी उसके बाद साक्षात्कार में 50 प्रतिशत अंक देने की बात आयी है। इसका साफ जवाब दे दें।

(श्री अफसर यू0 अहमद के कुछ बोलने पर)

आप कौन हैं, अधिष्ठाता हैं, मन्त्री हैं, कौन हैं, आप कैसे बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अफसर साहब, आप बैठ जाइये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह जो हड़बोंग कर रहे हैं तो अपनी बात हम कैसे कहें । मेरा साफ प्रश्न है कि माननीय मन्त्री जी ने कहा अपने उत्तर में कि साक्षात्कार में 50 प्रतिशत देंगे और 50 प्रतिशत लिखित परीक्षा में देंगे तो जो 87 प्रतिशत प्राप्तांक के लोग हैं, उनको भी नियुक्ति 50 प्रतिशत साक्षात्कार के आधार पर नहीं की है । मेरी निश्चित जानकारी है कि साक्षात्कार में जो 50 प्रतिशत अंक देने की बात है, उसका निर्णय लिखित की सूची के बाद लिया गया । आप यह बतावें कि साक्षात्कार में 50 प्रतिशत अंक दिये जाने का निर्णय कब हुआ ? क्या लिखा है आपकी पत्रावली में इस बारे में । आपकी जानकारी में यह है भी कि चार लोगों ने आपस में बैठ कर निर्णय कर लिया ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी एक प्रबुद्ध विधायक हैं । मैं नहीं समझता कि वे बिना जानकारी के इस प्रकार के प्रश्न उठायेंगे । उनको जानकारी करके तथ्यों को, आरोप लगाना चाहिये था । मान्यवर, 25 जनवरी, 1985 को इस चयन समिति का गठन हुआ जिसने अपनी पहली बैठक में यह निश्चय किया कि 50 प्रतिशत मैरिट के आधार पर और 50 प्रतिशत साक्षात्कार के आधार पर अंक होंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपा करके बैठ जायं और मुझे सुन लें । मैं खड़ा हूं । आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं ? तो व्यवस्था तो यह है कि आप बैठ जायं । आप मेरी बात सुन लें । मैंने दोनों ओर के माननीय सदस्यों की बातें सुनी और दोनों पक्षों की भावनाओं को देखते हुये और स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये मैं उचित समझता हूं कि इस प्रश्न पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार की जाय और जिस दिन यह चर्चा होगी, तब तक माननीय मन्त्री जी इसके सम्बन्ध में सारी जानकारी भी उपलब्ध करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि वक्तव्य का निर्देश हुआ था, वक्तव्य दिया गया । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने डिपार्टमेन्ट से जो सूचना आयी उसके आधार पर वक्तव्य दे दिया । मैं आपकी पीठ से स्पष्ट निदेश चाहूंगा कि अगर आपकी पीठ से वक्तव्य का निदेश हो, तो उस विषय की समुचित जांच करने के बाद ही, उस पर वक्तव्य आना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता --

यह उसी में सन्निहित है । कोई व्यवस्था का प्रश्न इसमें नहीं है ।

जनपद बांदा में जनता पार्टी के कार्यालय में पुलिस दल द्वारा छापा डालने तथा मारपीट की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार बांदा नगर स्थित कृष्ण होटल भवन, जो

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

काफी बड़ा है, के पिछले भाग में आदर्श शिक्षा निकेतन तथा कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ एक कमरे में जनता पार्टी का कार्यालय भी स्थापित है। इन सबका निकास पीछे की तरफ एक आंगन से है। दिनांक 6/7 जुलाई, 1985 की रात्रि में उक्त भवन में आदर्श शिक्षा निकेतन के प्रांगण में बदमाशों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर एक उप निरीक्षक व दो कांस्टेबिल कोतवाली बांदा से वहां गये थे। जब पुलिस दल बदमाशों की तलाश के लिए उक्त भवन पर पहुंचा तो वहां प्रधानाचार्य आदर्श शिक्षा निकेतन के पति के अतिरिक्त श्री राम खेलावन यादव व श्री दयाराम, निवासी लोली टीकामऊ, थाना विसन्डा, बांदा वहां मौजूद मिले। चूंकि सर्वश्री राम खेलावन व दयाराम बाहरी व्यक्ति थे और उनसे पूछ-तांछ पर संतोषप्रद जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी। अतः इन दोनों व्यक्तियों को कोतवाली लाया गया। थाने पर विस्तृत पूछ-तांछ करने पर तथा इनके कथन की पुष्टि होने पर दोनों व्यक्तियों को शीघ्र ही सम्मान प्रभारी निरीक्षक द्वारा वापस भेज दिया गया। पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार किये जाने अथवा किसी के साथ दुर्व्यवहार करने व गालियां दिये जाने की बात सही नहीं पायी गयी। यह भी सही नहीं पाया गया कि पुलिस ने जनता पार्टी के कार्यालय में घुस कर कोई आतंक पैदा किया था।

पुलिस के उक्त कार्य से जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचने और जनतांत्रिक प्रणाली पर पुलिस के आक्रमण की बात में कोई बल नहीं है।]

कुंवर रेवती रमण सिंह--

रात के किस वक्त यह पुलिस कर्मी वहां गये थे ? और, क्या वह दरोगा और पांच शराब पिये हुये थे ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मेरी जानकारी के अनुसार यह पुलिस कर्मी और दरोगा रात की गश्त पर थे। 11 बजे उनको सूचना मिली। 11 बजे के बाद गये।

मेरी जानकारी के अनुसार यह शराब नहीं पिये हुये थे उस समय।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

यह जनता पार्टी के कार्यालय में कैसे घुस गये ? इसमें स्थान की बाबत लिखा हुआ है कि उसका अलग कमरा है। उस कमरे में जिला युवा जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री यादव और उनके एक साथी सो रहे थे। वह कमरा अंदर से बंद था, वह सहसा कैसे घुसकर चले गये ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जैसा कि रेवती रमण जी ने ही कहा जनता पार्टी के कार्यालय में यह लोग गये वहां पर ही युवा जनता पार्टी के अध्यक्ष सो रहे थे, उनको पकड़ कर ले गये। मान्यवर, जो जानकारी प्राप्त हुई है जहां पर यह जनता पार्टी का कार्यालय है वहीं पर एक स्कूल है। मेरी सूचना के आधार पर, गिरफ्तारी या पकड़ना जो कुछ भी है, जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं हुआ है पास का जो स्कूल है, वहीं उनको अध्यक्ष मिले, वहीं से उनको लेकर गये।

मैं खुद सहमत हूं माननीय रेवती जी को इन भावनाओं से कि जो व्यक्ति जिला स्तर का अध्यक्ष है, भले ही वह स्कूल हो, स्कूल की ही बात मानकर चलता हूं खुद उचित नहीं मानता कि वहां से गिरफ्तार करके थाने तक ले जाया जाय। मैं जब वक्तव्य देने के लिए यहां आ रहा था, उससे पहले ही मैंने निर्देशित कर दिया है कि इस प्रकरण की डी० आई० जी० से जांच करायी जाय और जो अधिकारी दोषी हों, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, प्रश्न जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं का नहीं है, प्रश्न प्रदेश के

राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं का है । मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्हें थाने में ले जाकर उनसे पूछ-ताछ की गई और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया । मेरी निश्चित जानकारी है कि उन्हें मारा-पीटा गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि यदि उन्हें स्कूल से भी पकड़कर ले जाया गया तो वह भी गलत है । इस मामले में जो सूचना दी गई थी, उसी पर ही जांच की जा रही है । जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जमुना प्रसाद बोस--

मान्यवर, यह जो वक्तव्य यहां पर दिया गया है वह बिल्कुल असत्य है युवा जनता शाखा के अध्यक्ष कमरे में सोये हुये थे । जब इन पुलिस कर्मियों ने कमरा खटखटाया तो उन्होंने कमरा खोला । इन लोगों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं । उन्होंने उत्तर दिया कि मैं युवा जनता शाखा का अध्यक्ष हूं । पुलिस कर्मी उन्हें कार्यालय से पकड़कर थाने ले गये । जनता पार्टी का जो यह कार्यालय है यह पुलिस पोस्ट के निकट बलखंडी नाका में आता है । ये कहते हैं कि एक इंसपेक्टर गया था, जबकि वास्तविकता यह है कि दो इंसपेक्टर वहां पर गये थे इनके नाम हैं, एस0 एन0 सिंह, हवलदार सिंह तथा इनके साथ कुछ पुलिस और थी । ये जनता पार्टी के कार्यालय से 3 व्यक्तियों को पकड़कर ले गये । इन्हें पकड़कर क्यों ले गये ? क्योंकि इन युवा जनता शाखा के अध्यक्ष ने कई बार बलखंडी नाका में जन सभा को पुलिस के गलत कारनामों के बारे में अवगत कराया था । इनका यह भी कहना गलत है कि उन्हें एक स्कूल से ले जाया गया । अपने बयान में ये कहते हैं कि उन्हें थाने ले जाकर ससम्मान रिहा कर दिया गया ससम्मान की जगह पर पुलिस में मां-बहिन की गाली के अलावा कुछ नहीं है । जो पुलिस झूठ बोलने में सिद्धहस्त है, जो आपने कहा है कि हम डी0आई0जी0 से जांच करायेंगे, हम पुलिस से जांच कराना नहीं चाहते हैं । यदि आपको जांच ही करानी है तो हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ जज जो अवकाश प्राप्त हो, उससे इसकी जांच कराई जाय ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, डी0 आई0 जी0 से अच्छी जांच अब और किसकी हो सकती है ? डी0 आई0 जी0 से जांच करवाई जा रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि मेरी निश्चित जानकारी है कि उन्हें जनता पार्टी के तथा उनके लोगों को भी जनता पार्टी के कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है । इस सदन की परम्परा यह रही है कि अगर कोई माननीय सदस्य यह कहता है कि यह मेरी निश्चित जानकारी है, तो उसी की सूचना के आधार पर जांच कराई जाती है । उसी पृष्ठभूमि में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने माननीय मंत्री से यह गलत सूचना देकर सदन में गलत बयानी करवाई है या यह गलत वक्तव्य दिलवाया है, अगर जांच के बाद माननीय सदस्य की बात सही निकलती है तो उन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने गलत सूचना दी है, कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं । श्री तिवारी जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं इस आदरणीय सदन के । अगर बोस जी का नाम इस सूचना में लिखा होता और उनकी जानकारियों का हवाला दिया होता तो मैं आज ही उन्हीं की जानकारी के मुताबिक जांच के आदेश

कर देता । लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मैं यह नहीं कहता कि उनकी जानकारी गलत होगी । उनकी जानकारी सही हो सकती है । तमाम प्रकरणों पर जांच करवाई जा रही है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय सदस्य ने यह सवाल किया है कि जब आप जांच करायेंगे और उसके बाद सिद्ध हो जायेगा कि जनता पार्टी के कार्यालय से पकड़ कर ले जाया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जो सूचना भेजी है जिन लोगों ने गलत, उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

अगर इस जांच से मैं आश्वस्त होता तो मैं जांच के लिए ही नहीं कहता । मैं भी जो आपने कहा है, इस प्रकरण की जांच के लिए कहा और आगे तो हैपोथेडिकल मामला आ गया पहले जांच हो जाय, निष्कर्ष निकल आये उसके बाद कार्यवाही होगी ।

कानपुर देहात में हरिजन परिवार के 6 सदस्यों की नृशंस हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 21/22 जुलाई, 1985 को रात्रि में लगभग 12 बजे जनपद कानपुर देहात के ग्राम सिंहपुर रसवल में 6 व्यक्तियों की बन्दूक तथा घातक हथियारों से हत्या कर दी गई । इस सम्बन्ध में थाना मंगलपुर में दिनांक 22-7-65 को 8 बजे प्रातः प्राप्त सूचना पर 4 नामित व कई अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 396 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस शीघ्र ही मौके पर पहुंच गई और विवेचना कार्य प्रारम्भ किया । सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी तथा अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गये । सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अभियोग धारा 147/148/149/307/302/120-बी भा० दं० वि० में उसी दिन परिवर्तित किया गया जिसमें 5 अभियुक्त नामित हुये । प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि में अनियमितता के लिए हेड मोहर्रिर तथा थानाध्यक्ष को निलम्बित कर दिया गया । दिनांक 22-7 85 को ही एक अभियुक्त को बन्दी बना लिया गया । घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस उप-महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र तथा पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन द्वारा भी किया गया । घटना का कारण विगत ग्राम सभा चुनाव के फलस्वरूप आपसी रंजिश तथा वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं का विरोध करना था ।

पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही के फलस्वरूप 2 नामित अभियुक्त तथा 5 प्रकाश में आये अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है । शेष 3 नामित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 दं० प्र० सं० की कार्यवाही की जा चुकी है तथा अभियुक्तों की सरगर्मी से तलाश जारी है ।

पीड़ित परिवार को 6,500 रुपये की सहायता जिला प्रशासन द्वारा घटना के दिन ही दे दी गई । इसके अतिरिक्त 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता "हरिजनों के विरुद्ध उत्पीड़न से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सहायता मद" में से स्वीकृत कर दी गई है । मृतक परिवार के एक वयस्क सदस्य को सरकारी सेवा में नियुक्ति-पत्र स्थल पर ही दिया जा चुका है ।

मृतक परिवार की ओर से एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 27 जून, 1984 को

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्राप्त हुआ था जिसमें उसी ग्राम के चार व्यक्तियों से जान-माल का खतरा बताया गया था । उक्त प्रार्थना-पत्र पर तत्कालीन उप निरीक्षक इन्चार्ज, झींझक पुलिस चौकी द्वारा जांच की गई तथा जांचोपरान्त दिनांक 4-7-84 को दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 दं० प्र० सं० की कार्यवाही की गई थी । दोनों पक्षों के न्यायालय में उपस्थित न होने पर कार्यवाही स्वयमेव समाप्त हो गयी ।

दिनांक 15-2-85 को मृतक राम किशन द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था जो जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात के माध्यम से स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुआ था । दिनांक 18-2-85 को पुनः धारा 107/116 दं० प्र० सं० की कार्यवाही दोनों पक्षों के विरुद्ध कर दी गई थी जो अभी भी विचाराधीन न्यायालय है ।

घटनास्थल पर मैं स्वयं भी दिनांक 25-7-85 को गया था एवं मृतक परिवार को सांत्वना देने के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिये । उक्त ग्राम में डेढ़ सेक्शन पी० ए० सी०, एक ए० पी० गार्द, 3 उप निरीक्षक तथा 2 सिपाही नियुक्त कर दिये गये हैं तथा उच्चाधिकारियों द्वारा भी क्षेत्र का निरन्तर भ्रमण किया जा रहा है । इससे जनता में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना जागृत हो गई है । यह आरोप सही नहीं है कि प्रदेश में हरिजनों को योजनाबद्ध तरीके से मरवाया जा रहा है ।]

श्री राजेन्द्र गुप्त--

जो पूरा वक्तव्य है, यह बिल्कुल सत्य से परे है । स्थिति को माननीय, बदल कर दूसरा रूप देने की चेष्टा की गई है । पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि राम किशन का हरिजन परिवार है, उसको खतरा था उसके बाद पुलिस ने कोई संरक्षण नहीं दिया, 116/107 का मुकदमा दोनों पक्षों की ओर से दाखिल किया गया वह खारिज हो गया, जब कि माननीय, इन हरिजनों को न्यायालय में जाने ही नहीं दिया गया, इसीलिये वह खारिज हुआ, 18-2-85 को पुनः 116/107 की कार्यवाही की गई । राम किशन द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया गया तो वह प्रार्थना-पत्र क्या है 15-2-85 वाला, इसके बाद उनको संरक्षण देने की क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

इस प्रार्थना-पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इन दोनों फरीकों के केस चल रहे थे 222, 223, 224 का मुकदमा चल रहा था जो मुकदमे चल रहे थे वह बिलकुल फर्जी हैं जो दोनों क्रास केस चल रहे थे वह दोनों वर्ग के, जिन्हें आप निर्बल और सबल कह रहे हैं, दोनों तरफ के थे, उनको गलत मान कर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

यह घटना जो घटी उसके पहले, राम किशन के परिवार की हत्या की गई है जो पुलिस को सूचना दी है कि हम को इन लोगों से जान-माल का खतरा है, आपने उसके ऊपर क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुम सिंह--

जिस प्रार्थना-पत्र को आप कह रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं आपके सामने— श्रीमन्, जिलाधिकारी महोदय, कानपुर (देहात) सरकार बनाम रघुबीर सिंह आदि । धारा 325 ता० हिन्द थाना मंगलपुर, जिला कानपुर देहात । श्रीमान् जी, विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम-सिंहपुर, थाना मंगलपुर, जिला कानपुर (देहात) का निवासी है । एक गरीब हरिजन है, उपरोक्त केस में मुकदमें के दावी ने थाना मंगलपुर की पुलिस से

मिलकर दिनांक 10-2-85 को प्रार्थी के पुत्र लखन लाल एवं उसके परिवार के सुरेश कुमार, विजय कुमार, मेवा लाल तथा गांव के रघुवीर सिंह व प्रताप सिंह आदि पर झूठा मुकदमा कायम कराया है। जब कि उपरोक्त केस से सम्बन्धित गवाहान या वादी के किसी भी प्रकार की चोट नहीं आयी है। उपरोक्त मुकदमें का वादी प्रार्थी को गांव की पंठी बन्दी एवं गांव का गरीब हरिजन समझ कर काफी समय पहले से परेशान करता रहा है तथा जान से मारने की धमकी देता रहा है और कहता रहा है कि अपने भाई जो कि पुलिस में नौकरी करता है, उसे कह कर किसी झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। इस प्रकार की कई दरखास्तें प्रार्थी ने श्रीमान् जी के समक्ष तथा डी0 आई0 जी0 साहब व जिलाधिकारी के समक्ष दी हैं। किन्तु अभी तक कोई सुनवायी नहीं हुई। उन्हीं दरखवास्तों एवं रंजिश के कारण वादी ने प्रार्थी के लड़के लखन लाल एवं अन्य लोगों को झूठा फंसाया है।

प्रार्थी को उपरोक्त केस में क्षेत्रीय पुलिस से कोई न्याय मिलने की आशा नहीं है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त केस की किसी उच्च अधिकारी से जांच करवाने की कृपा करें जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके। श्रीमन् जी की महान दया होगी।

प्रार्थी राम किशुन पुत्र विपाती।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, इस आवेदन-पत्र के अलावा उन्होंने एक समूह में इलाके के जो थानेदार थे उनसे हरिजनों ने मिलकर यह कहा था कि इस तरह की घटना होने वाली है, घटना का अन्देशा है, इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाय। यह घटना के 7 दिन पहले उन्होंने कहा था तो मान्यवर, उनकी सूचना के तहत थानेदार ने उसकी क्या व्यवस्था की ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं सारी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इस देहात में तनाव पहले से चल रहा था और यह बात सही नहीं है कि एक तरफ हरिजन थे और दूसरी तरफ ठाकुर। हरिजन पक्ष की तरफ भी ठाकुर थे। यह सही है कि कुछ सबल ठाकुर थे और कुछ कमजोर थे। मान्यवर, मेरे सामने दो प्रार्थना-पत्र आये, एक तो वह जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है और दूसरा वह जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं। इसके आधार पर 107 की कार्यवाही शुरू हुई और वह कार्यवाही क्योंकि यह प्राविधान है कि 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है, स्वतः समाप्त हो गई है। यह कार्यवाही अभी तक चल रही थी, दूसरी वाली इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस तमाम प्रकरण की जांच हरिजन सेल के डिजिलेंस के डी0 आई0 जी0 मिस्टर पुष्कर के सुपुर्द है, वह इस बात को देख रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को बार-बार प्रभावित किया गया क्या उससे कोई कमी किसी प्रकार की प्रशासन की ओर से आई है और अगर कमी रही है तो वह प्रकरण जल्दी ही सामने आ जायेगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही परीक्षण हो जायेगा, जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे वह स्थानीय हों या जिला स्तर के हों, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, जैसे ही यह घटना घटित हुई और मुझे सूचना मिली मैं मौके पर पहुंचा और उसके दो घंटे के बाद एस0 पी0 और डी0 एम0 वहां पहुंचे और जैसे ही यह लोग पहुंचे वहां पर लोगों ने जो पहले उनसे मिले थे, उन्हें घेर लिया और यह कहा कि हम दो बार आपसे मिले और आपने हम सबको भगा दिया। 50 हरिजन डी0 एम0 और एस0पी0 से मिले दोनों बार उनको भगा दिया गया। डी0एम0 ने कहा कि आप लोग गये होते तो हम पहचान लेते तो उन लोगों ने कहा कि यह

हमारा दुर्भाग्य है कि आप पहचान नहीं रहे हैं लेकिन हम तो आपको पहचान रहे हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कि जिस वक्त पुलिस को यह मालूम हुआ उसने 17/16 की कार्यवाही कर दी । यह निश्चित जानकारी थी पुलिस को, एस0 पी0 और डी0 एम0 को । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बचाव में 17/16 की कार्यवाही कर दी लेकिन डी0 एम0 और एस0पी0 ने गार्ड्स लगाने की व्यवस्था क्यों नहीं की ? सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की ? टेम्परेरी पुलिस चौकी क्यों नहीं बनाई ? जब नेता विरोधी दल को यह जानकारी हुई तो वह तुरन्त वहां पहुंचे लेकिन नेता सदन को जब यह जानकारी हो गई तो नेता सदन ने इस को गंभीरता से क्यों नहीं लिया ? नेता सदन 4 दिन बाद घटना स्थल पर पहुंचे हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वे राजधानी में मौजूद थे तो फिर घटनास्थल पर क्यों नहीं गये ?

तीसरी बात यह कि जहां की यह घटना है वहां पर कोमल सिंह ठाकुर जो कि हेड मुहर्रिर है, उन लोगों से मिला हुआ है । जब इंचार्ज घटनास्थल पर चले गये और यह मना कर गये कि जब तक वे लौट कर न आ जायें, एफ0आई0आर0 न लाज की जाय लेकिन उसने एस0ओ0 के फर्जी हस्ताक्षर बना कर एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा ली । तो क्या मंत्री जी उस हस्ताक्षर को जो कि कोमल सिंह द्वारा बनाये गये हैं उसकी जांच किसी एक्सपर्ट के द्वारा करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

एक–एक करके प्रश्न को पूछिये । पहले इनका जवाब आ जाने दीजिये, फिर दूसरे प्रश्न करियेगा ।

श्री हुकुम सिंह—

ऐसी गम्भीर और दुखद घटना पर माननीय सदस्य का चिन्तित होना स्वाभाविक है और विशेष कर जब उनके ही क्षेत्र का मामला है । इन्होंने इस सम्बन्ध में तीन प्रश्न पूछे हैं :—

पहला प्रश्न तो यह कि जिलाधिकारी की जानकारी में जब यह बात आ गई थी तो पुलिस ने क्यों 107 की कार्यवाही करना उचित समझा ? यह बात बिलकुल सही है कि जब जिलाधिकारी के संज्ञान में यह बात आ गई थी तो उन्हें सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये थी ।

जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण मामला है अगर जिला प्रशासन की जानकारी में यह बात आ गई थी इसीलिये मैंने हरिजन सेल के डी0आई0जी0, श्री पुष्कर जी हैं, उनको वहां की इनक्वायरी का काम दिया है अगर जो बातें यहां सामने आई हैं, यह सारे तथ्य जांच में साबित हो जाते हैं तो दोषी अधिकारियों के प्रति निश्चित रूप से कड़ी और प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, यदि वे निश्चित रूप से दोषी पाये जायेंगे तो जरूर कार्यवाही होगी ।

दूसरी बात आपने कही कि नेता सदन इतने विलम्ब से क्यों गये । मान्यवर, वक्तव्य के दूसरे पैरा में इसका उल्लेख किया गया है यह दुर्भाग्य की बात है कि उसी समय साढूपुर जैसी दुर्घटना हो गई जिसका कि स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है ।

तीसरी बात 396 के मुकदमें के प्रस्ताव करने के सम्बन्ध में है । मान्यवर, मैं आपको बतला दूं कि 396 का मुकदमा 302 से ज्यादा गम्भीर नहीं होता है । जो एफ0आई0आर0 मेरे सामने आई है वह मृतक के भतीजे ने स्वतः लिखी है कि मेरा माल लूटा है । रघुवीर सिंह ठाकुर इस ग्रुप का आदमी है उसका घर भी लूटा गया । इन्हीं सब बातों का उसमें उल्लेख किया गया है । यहां जो अधिकारी मौके पर

पहुंचे, जो उन्होंने देखा, गांव के तमाम लोग सामने आये और उनसे जब बातें हुईं तो उनका इतिहास जो पुरानी रंजिश का था कि एलेक्शन के समय का कि प्रधान खड़न्जा लगवाना चाहते थे, मृतक ने एप्लीकेशन दे दी कि यहां खड़न्जा न लगाया जाय । यह सब बातें उनके सामने बयान की गईं । यह डकैती की घटना किसी न किसी प्रभाव में आकर लिखाई गई है । दरोगा, एस0 ओ0 को मैंने इसी कारण से निलम्बित किया है । घटना को घुमाने के लिए सही तथ्यों को न लिखकर 396 का मुकदमा दर्ज किया है ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, हेड मोहर्रिर ने इंचार्ज का फर्जी दस्तखत बना दिया ।

श्री हुकुम सिंह--

यह बात तो मैंने स्वयं कही है और इसमें कहना यह है कि जब एफ0आई0आर0 हो रही थी तो दरोगा ने कहा कि आप रपट दर्ज करें मैं मौके पर जा रहा हूं और हेड मोहर्रिर ने स्वयं कहा कि यह स्वयं मौजूद थे इसीलिए उन्हें निलम्बित किया गया है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि हरिजनों के उत्पीड़न की घटना विपक्ष में या सरकस लोगों के पास जो लाइसेंस हैं, वह इस तरह की घटना करते रहते हैं । इस आशंका को देखते हुए क्या प्रदेश में हरिजनों को लाइसेंस देंगे और जहां हरिजनों और सवर्णों का झगड़ा है, वहां सवर्णों के लाइसेंस निरस्त करने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है बहुत व्यापक प्रश्न इन्होंने किया है ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, जब कानपुर में बेहमई कान्ड हुआ था तो सरकार ने ठाकुरों को मुफ्त बन्दूकें दी थी उसको आधार मानकर वहां पर हरिजनों को शासन की ओर से मुफ्त बन्दूक या रायफल जो भी उनकी मांग हो सुरक्षा की दृष्टि से उनको देने की कृपा करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं बात केवल हरिजनों की नहीं है । यह प्रकरण केवल हरिजन ठाकुर का नहीं है, गांव की आपस की पार्टीबाजी का है और ठाकुर भी दोनों तरफ बंटे हुये हैं, कुछ ठाकुर हरिजनों की तरफ भी हैं । सरदार सिंह जी तो ऐसा कह रहे हैं जैसे राइफल उनको नहीं सरदार सिंह को ही चाहिये, अगर उनको चाहिये तो मैं विचार कर सकता हूं ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, जांचोपरान्त दिनांक 7-4-84 को थाने के द्वारा 107/116 की कार्यवाही की गई यह इक्जीक्यूटिव प्रोसेस है जुडीशियल प्रासेस नहीं है और इनसे गम्भीर मामलों में अपेक्षा की जाती है कि तत्काल उनको नोटिस जारी करेंगे, वारन्ट जारी करेंगे अगर थाने में पक्ष उपस्थित नहीं होता है तो । गम्भीर मामलों में पुलिस कर्मचारी दोनों पक्षों का बाण्ड लेकर उन्हे बंदेश में डालते हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह उनके यहां गये तो उनको उपस्थित करने की कोई विशेष प्रक्रिया जो मैंने बताई इसको वहां के अधिकारियों ने की यदि नहीं किया तो क्या आप उनको दन्डित करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, 7-4-84 के बारे में माता प्रसाद पान्डेय ने उल्लेख किया । इन निर्मम हत्याओं के बाद में 7-4-84 को दोनों फरीकों के 7-7 आदमियों को 107/116 के खिलाफ चालानी रिपोर्ट

की गई और दोनों में से कोई अदालत में गवाही के लिए जाने को तैयार नहीं हुआ और जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि 6 महीने के बाद स्टेचुपैंचिली यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है । अब रही वारन्ट की बात । वारन्ट की बात यह थी कि जब किसी से शिकायत की जाती है इसमें तो वही पुरानी कहावत मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात आप कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

उसी धारा पर कार्यवाही चल रही है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, सवाल बहुत गम्भीर है और माननीय मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं जैसा उन्होंने कहा कि यह गांव का झगड़ा था, हरिजनों और ठाकुरों का झगड़ा नही था, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है । मान्यवर, अगर पार्टी बन्दी का झगड़ा होता तो उसमें ठाकुर भी मारे जाते, लेकिन जब-जब झगड़े हुये, चाहे देहली का हो या अन्य कोई हो, हमेशा यही कहा गया है कि हरिजनों और ठाकुरों का झगड़ा नहीं है, झगड़ा पार्टी बन्दी का है । तो इस मामले में रिपोर्ट उसके लड़के ने लिखाई और कलेक्टर और एस० पी० को पहले ही सूचना दे दी गयी थी कि उनकी जान का खतरा है । तो उनको छिपाने के लिये यह सब किया जा रहा है और उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को आपने निलम्बित नहीं किया है उनको वहां से हटाने का कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जांच डी० आई० जी० स्तर से हो रही है जो कि जिलाधिकारी और एस० पी० से वरिष्ठ अधिकारी हैं । इसी बात की जांच हो रही है कि इस की जानकारी जिलाधिकारी को थी अथवा नहीं, अगर उनको जानकारी में यह बात थी तो उनका स्थानान्तरण ही क्यों, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कल्यान सिंह--

माननीय मन्त्री जी जिस तरह से उत्तर दे रहे हैं उससे यह साफ जाहिर होता है कि उन्होंने मामले की गम्भीरता को स्वीकारा है । वह बड़ा ही स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं, इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उन लोगों ने डी० एम० और एस० पी० को प्रार्थना-पत्र दिया कि उनको जान का खतरा है तो भी 107/116 की ही कार्यवाही मुनासिब समझी । न वहां पर कोई पुलिस चौकी की स्थापना की, न गार्ड दी और न उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की । इससे स्पष्ट है कि शासन ने प्रा० दर्शन में मान लिया है कि डी० एम० और एस० पी० ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, तो इन अधिकारियों को उस जिले में बनाये रखने का क्या औचित्य है ? उनको हटाया क्यों नहीं जाता है जिससे कि जांच निष्पक्ष हो सके ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जब जिलाधिकारी मौके पर गये तो वहां पर लोगों ने कहा कि आपके पास सुरक्षा के लिये गये थे और आपने सुरक्षा नहीं प्रदान की, तो इसी तथ्य की जांच की जा रही है कि क्या यह तथ्य जिलाधिकारी की जानकारी में था अथवा नहीं । इसी की ही तो जांच हो रही है ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह निश्चित जानकारी में था कि थाने का जो हेड कानिस्टेबिल है दूसरी पार्टी से मिला हुआ था, जिसने हरिजनों को मारा

और थानाध्यक्ष उसको मना करके गया कि रिपोर्ट मत लिखना, मैं मौके पर देखकर आऊंगा। यह शख्स चूंकि मिला हुआ था उस पार्टी से और कत्ल की जिम्मेदारी उस पर भी आयद होती है। जो एफ0 आई0 आर0 लिखी गई है उसमें थानाध्यक्ष के फोर्ज्ड सिगनेचर किये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन दस्तखतों को किसी एक्सपर्ट से जांच करायेंगे ? और यदि यह फर्जी दस्तखत हैं तो उन कांस्टेबुल को 120 (बी) का मुजरिम क्यों नहीं बनाया गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं। मन्त्री जी ने स्वीकार किया है और फिर हिचक गये कि वहां के गांव के लोगों ने जब एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 को शिकायत की कि आपको हमने कई बार फरियाद की लेकिन आपने हमारी सुरक्षा नहीं की। दूसरा बिन्दु यह है कि माननीय मन्त्री जी ने मरने वालों के लड़के का पत्र भी पढ़ा। यह काफी है। जब डी0 आई0 जी0 पुष्कर इस मौके पर गये तो लौटने के बाद जो उन्होंने बयान दिया तो यह कहा गया कि जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 की लापरवाही के कारण यह कांड हुआ है। माननीय मन्त्री जी ने यह पढ़ा होगा, मैंने उनके यहां देखा था। तो यह जितने बिन्दु हैं इनको देखते हुये क्या आप इन दोनों आदमियों को वहां से हटाने के आदेश देंगे ? आप विचार कर लें क्योंकि निष्पक्ष जांच तभी हो पायेगी।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, दो-तीन बिन्दु उठाये गये हैं। पहले दो का तो मैं उत्तर दे चुका हूं। तीसरी बात उन्होंने अखबार के बारे में कही। वह मैंने देखा था। उसके बाद हमने जिस अधिकारी के बयान के सम्बन्ध में अखबार में छपा था उनसे लिखित रूप में जानकारी ली गई तो उसने कहा कि मैंने कोई शिकायत नहीं की।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस वक्त घटना हुई मैं घटनास्थल पर गया और उसी वक्त डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 मेरे साथ रघुवीर सिंह के घर गये और उसके घर का सारा सामान लुट गया। एक तो वह 302 का मुल्जिम हो गया। बाद में घर लुटा। मैं जानना चाहता हूं कि उस पर डकैती की रिपोर्ट दर्ज करके आप उस पर आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं करते ? 302 का तो अलग मुकदमा है और जो सामान लूटा गया उसके लिये अलग मुकदमा होना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैंने तो पूर्ण स्थिति स्पष्ट कर दी थी पहले ही। और यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह हमारी बात को ही सपोर्ट कर रहे हैं। यदि मकान लूटा तो जो मुकदमा लगाया गया वह सही है।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह देखते हुये कि प्रदेश में हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और इस अत्याचार के लिये वहां के डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 दोषी हैं। तो प्रदेश के दूसरे जिलों में आगे ऐसी घटना न हो, उसको देखते हुये क्या कानपुर के एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 को तुरन्त वहां से हटायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

यह कैसा सवाल है ?

(कोई उत्तर नहीं आया।)

श्री गया प्रसाद वर्मा--

मैं प्रश्न नहीं सरकार की नीति की बात करना चाहता हूं। समाम प्रदेश में जब हरिजनों पर अत्याचार होते हैं तो सरकार यह कह कर मामले को टाल देती है कि जांच करेंगे और फिर कार्यवाही करेंगे लेकिम अगर कहीं हरिजन अधिकारी फंस जाय तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई देर नहीं लगती है। तो यह आपकी व्यवस्था कैसी है ? इस प्रदेश में अन्याय जानबूझ कर क्यों कर रहे हैं क्या इसका उत्तर देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन रात्रि के 8 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

31 जुलाई, 1985।

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 11 का उत्तर पिछे पृष्ठ 19 पर)

सूती तथा स्टेपुल धागे का तुलनात्मक विवरण

	नवम्बर, 1984 से मई, 1985 तक					सूती धागा प्रति बन्डल 4.5 कि0 ग्रा0 रुपये में	
सूत का नम्बर	नवम्बर, 1984	दिसम्बर, 1984	जनवरी, 1985	फरवरी, 1985	मार्च, 1985	अप्रैल, 1985	मई, 1985
			सूती धागा				
6	98–103	99–102	94–97	94–97	92–95	98–104	87–93
10	110–114	107–110	99–105	98–102	95–99	99.50–106	90–95
14	115–120	113–118	111–115	109–113	109–111	107–113	101–103
20	123–128	121–125	117–121	111–116	110–113	113–120	108–115
24	128–131	118–128	124–128	124–127	120–125	122–128	116–125
30	132–137	131–137	120–137	126–132	125–135	135–140	124–135
			स्टेपुल धागा		(स्टेपुल धागा प्रति 5 कि0 ग्रा0)		
17 एन एफ	143–146	148–150	150–151	149–153	163–166	166–168	165–167
26 एन एफ	151–155	160–164	164–168	165–168	184–186	184–187	173–185
2/24 एन एफ	175–185	190–196	187–204	200–206	203–206	221–228	208–215

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के गुरसराय, बामौर एवं मोठ विकास खंडों में स्थित ग्रामों की सूची जिसमें राजकीय नलकूप लगाये गये हैं ।

क्रम-संख्या	विकास खण्ड का नाम	राजकीय नलकूप संख्या एवं समूह	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	गुरसराय	कोई नलकूप नहीं	..
2	बामौर	1 गरौठा	स्कूल प्रथम
3	,,	2 ,,	स्कूल द्वितीय
4	,,	3 ,,	झवरा
5	,,	4 ,,	बामौर
6	,,	5 ,,	हरदुआ
7	मोठ	3 मोठ	पथरा प्रथम
8	,,	4 ,,	पथरा द्वितीय
9	,,	5 ,,	पथरा तृतीय
10	,,	6 ,,	कुमरार प्रथम
11	,,	7 ,,	कुमरार द्वितीय
12	,,	8 ,,	देवगढ़
13	,,	10 ,,	लावन
14	,,	11 ,,	फूलगहना
15	,,	19 ,,	खूजा प्रथम
16	,,	20 ,,	पिरौना
17	,,	21 ,,	सेसा
18	,,	22 ,,	ऐरा प्रथम
19	,,	23 ,,	पसइया
20	,,	24 ,,	बेरा प्रथम
21	,,	27 ,,	मिडोरा
22	,,	28 ,,	बहदौरा
23	,,	30 ,,	सरायं
24	,,	32 ,,	खूजा द्वितीय
25	,,	33 ,,	इमलिया
26	,,	34 ,,	बेरा द्वितीय
27	,,	36 ,,	निबोला
28	,,	37 ,,	ऐरा द्वितीय

पी0 एस0 यू0 पी0--30 एल0 ए0--31-7-85-813 (पी 0डी0) ।